UPSC

KGS Publications

करेंट अफेयर्स

जून 2026

वर्ष 03 | अंक 06

- क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट
- एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक
- राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो नीति, 2026 का मसौदा
- भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के स्तंभ के रूप में एमएसएमई

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

UPSC CSE

GS Foundation 2027

Prelims | Mains | Interview

- वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन
- मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन की स्पष्ट तकनीक
- प्रीलिम्स-केन्द्रित टेस्ट अभ्यास
- गहन अध्ययन हेतु विशेष मॉड्यूल
- मल्टी-रिवीजन आधारित तैयारी
- रिसर्च आधारित स्टडी नोट्स

OFFLINE BATCHES

English Medium | Hindi Medium

ONLINE BATCHES

English Medium | Hindi Medium

Admissions Open

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन 1-16

1.1. दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों/सांसदों की अयोग्यता 1
1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 2
1.3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि 4
1.4. क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट 5
1.5. नीति आयोग का पुनर्गठन 6
1.6. पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 7
1.7. निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – तृतीय चरण 9
1.8. फ्रेमवर्क फॉर मिलियन-प्लस सिटीज पर नीति आयोग की रिपोर्ट 10
1.9. ओडिशा-छत्तीसगढ़ महानदी नदी विवाद 12
1.10. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना 13
1.11. न्यायाधीश जांच समिति ने लोक सभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी 13
1.12. केंद्रीय सूचना आयोग ने BCCI को RTI के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में निर्णय दिया 14

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 17-37

2.1. भारत-वियतनाम संबंध 17
2.2. समावेशी प्रवासन एवं सशक्त मानव तस्करी-रोधी ढाँचा हेतु भारत का प्रयास 19
2.3. भारत–नेपाल लिपुलेख विवाद 20
2.4. शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 21
2.5. विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2026 23
2.6. वैश्विक सैन्य खर्च प्रवृत्ति, 2025 24
2.7. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 25
2.8. ओपेक और ओपेक + 27
2.9. फ़ॉकलैंड द्वीप संप्रभुता विवाद 28
2.10. भारत-नॉर्वे संबंध 29
2.11. भारत के प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा 31
2.12. भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग मध्यस्तथा के निर्णय को खारिज किया 33
2.13. भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा 34
2.14. ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन, 2026 36

3. सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय 38-49

3.1. भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट 38
3.2. उच्चतम न्यायालय ने RTE के तहत विद्यार्थियों के 'अनिवार्य प्रवेश' की पुष्टि की 39
3.3. भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025,रिपोर्ट 40
3.4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 दिशानिर्देश 42
3.5. जन सुरक्षा योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 11 वर्ष पूर्ण किए 43
3.6. जननी प्लेटफॉर्म 44
3.7. विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2026 44
3.8. रोजगार और सामाजिक रुझानों पर ILO की रिपोर्ट 45
3.9. WHO ने इबोला वायरस को 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया 47

4. अर्थव्यवस्था और कृषि 50-81

4.1. भारत और न्यूज़ीलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता 50
4.2. DPI@2047: द रोडमैप टू प्रॉस्पेरिटी 51
4.3. बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 53
4.4. राज्यों की राजकोषीय स्थिति में गिरावट 55
4.5. NARCL द्वारा भारत के तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण 56
4.6. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 58
4.7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यवहार्यता योजना 2.0 59
4.8. EAC-PM ने 'देखभाल अर्थव्यवस्था' पर कार्यपत्र जारी किया 60
4.9. भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया 62
4.10. श्रम संहिता नियम, 2026 63
4.11. सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन हेतु योजना 65
4.12. भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड 66
4.13. भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में MSMEs 67
4.14. लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, 2025 69

4.15. राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो नीति, 2026 का मसौदा 70
4.16. मल्टी-लेन फ्री फ्लो बाधा-रहित टोलिंग प्रणाली 71
4.17. कैबिनेट ने सीजन 2026-27 के लिए गन्ने के FRP को मंजूरी दी 72
4.18. कपास उत्पादकता मिशन (2026–27 से 2030–31) 74
4.19. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 76
4.20. पीएम मित्र पार्क 77
4.21. भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल 79
4.22. खरीफ़ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2026-27 80

5. पर्यावरण 82-97

5.1. वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, 2026 82
5.2. वाहनों में उच्च इथेनॉल सम्मिश्रण 84
5.3. भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र 85
5.4. अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन 87
5.5. वर्ष 2085 तक चरम जलवायु से एक-तिहाई स्थलीय आवासों को खतरा 88
5.6. तमिलनाडु और मेघालय में 'ग्रासरूट बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस' 90
5.7. हिन्दू कुश हिमालय की हिम में 27% की गिरावट 91
5.8. जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण पर पहला सम्मेलन 93
5.9. 17वाँ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 94
5.10. वैश्विक मीथेन निगरानी प्रणाली 95
5.11. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन, 2026 95
5.12. पुनर्वास, प्रौद्योगिकी और कानूनी सुधारों के माध्यम से बाँध सुरक्षा नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण 96

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 98-109

6.1. डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क 98
6.2. व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार 99
6.3. गुजरात में दो नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी 101
6.4. चीन ने 11वें चंद्र खनिज की खोज की 102
6.5. WHO ने नवजात और शिशुओं के लिए अब तक के पहले मलेरिया उपचार को प्री-क्वालिफाई किया 103
6.6. मिशन दृष्टि 104
6.7. भारत का पहला राज्य-नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र 105
6.8. थोरियम-आधारित संयंत्रों के लिए ANEEL ईंधन 105
6.9. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 106
6.10. भारत की पहली SME-आधारित ATMP/OSAT सुविधा 108

7. रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा 110-115

7.1. 'नेवल एंटी-शिप मिसाइल–शॉर्ट रेंज 110
7.2. विक्रम VT 21 110
7.3. सिनबैक्स-II 2026 111
7.4. INS महेंद्रगिरी 112
7.5. स्वदेशी TARA ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण 112
7.6. भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 113
7.7. DRDO ने 1,200 सेकंड के स्क्रैमजेट परीक्षण में हासिल की बड़ी उपलब्धि 113
7.8. 10वाँ हिंद महासागर संवाद 114
7.9. 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 115

8. इतिहास, कला एवं संस्कृति 116-119

8.1. वंदे मातरम को दंडनीय अपराध बनाने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी 116
8.2. रबींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती 116
8.3. महाराणा प्रताप की जयंती 117
8.4. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष 118

9. विविध 120-126

9.1. विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 120
9.2. IN–SLN DIVEX 2026 120
9.3. ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स एलायंस ग्लोबल फोरम 121
9.4. सचेत आपातकालीन चेतावनी प्रणाली 121
9.5. थॉमस और उबेर कप 2026 122

9.6. प्रोजेक्ट दीपक 122
9.7. भारत की पहली पोर्टेबल MRI प्रणाली 123
9.8. पुलित्जर पुरस्कार 123
9.9. किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 124
9.10. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2026 124
10. बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न 127-135
उत्तरमाला 135

राजव्यवस्था एवं शासन

1.1. दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों/सांसदों की अयोग्यता (Disqualification of Legislators under the Tenth Schedule)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना; संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय; विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।*

संदर्भ

आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा के सभापति को एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दसवीं अनुसूची के अंतर्गत उन सात राज्यसभा सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है, जो सत्ताधारी दल भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दस सांसदों में से सात ने त्यागपत्र दे दिया और भाजपा में विलय कर लिया, जिससे उच्च सदन में पार्टी के संख्या बल में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
- आम आदमी पार्टी का तर्क है कि यह कदम राजनीतिक दल का वास्तविक विलय नहीं है, बल्कि केवल विधायकों का दलबदल है, इसलिए इसे अयोग्यता के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- इसके विपरीत, संबंधित सांसदों ने "विलय अपवाद" के अंतर्गत संरक्षण का दावा किया है, क्योंकि उनकी संख्या विधानमंडल दल के दो-तिहाई के बराबर है। इस स्थिति से महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठता है।

दसवीं अनुसूची/दलबदल विरोधी कानून (ADL) के बारे में

- **शुरुआत और उद्देश्य:**
  - ✓ दसवीं अनुसूची को राजनीतिक दलबदल की समस्या के समाधान हेतु 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
  - ✓ इसका प्राथमिक उद्देश्य है:
    - ■ राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
    - ■ अवसरवादी दलबदल (**"आया राम गया राम"**) को रोकना।
    - ■ विधानमंडलों में दलीय अनुशासन बनाए रखना।
- **अयोग्यता के आधार:** किसी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह –
  - ✓ स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है (भले ही औपचारिक त्यागपत्र न दिया हो)।
  - ✓ पूर्व अनुमति के बिना पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।
  - ✓ चुनाव के पश्चात किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।
- **अपवाद: विलय क्लॉज़**
  - ✓ अयोग्यता तब लागू नहीं होती जब किसी विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत हो जाते हैं।
  - ✓ यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन (2003) के बाद भी बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती "विभाजन" संबंधी अपवाद को समाप्त कर दिया था।
- **निर्णय लेने वाला प्राधिकारी:**
  - ✓ अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा लिया जाता है।
  - ✓ यह निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है (जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है)।

उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु (1992):** उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, साथ ही दुर्भावना, विकृति और संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे सीमित आधारों पर पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी।
- **रवि एस. नायक बनाम भारत संघ (1994):** न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि "स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना" औपचारिक त्यागपत्र के बिना भी आचरण से अनुमानित किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि पीठासीन अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य है।
- **राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक वैध विलय के लिए कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का किसी अन्य दल में विलय के लिए सहमत होना आवश्यक है, और पीठासीन अधिकारी अयोग्यता याचिकाओं की अनदेखी नहीं कर सकता या मनमाने ढंग से निर्णयों में विलंब नहीं कर सकता।

- **कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2020):** न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि दलबदल विरोधी कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय एक उचित समय के भीतर, आदर्श रूप से तीन महीने के भीतर लिया जाना चाहिए।
- **पाडी कौशिक रेड्डी बनाम लोकसभा अध्यक्ष (2025):** न्यायालय ने समयबद्ध और निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि दलबदल के मामलों का न्यायनिर्णयन करते समय अध्यक्ष को एक तटस्थ संवैधानिक अधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए।

दल-बदल विरोधी कानून (ADL) की आलोचनाएं

- **विधायी स्वतंत्रता को कम करना:** दलबदल विरोधी कानून (ADL) विधायकों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता है, क्योंकि वे सामान्य विधायी मामलों में भी पार्टी व्हिप से बंधे होते हैं। इससे विमर्शी लोकतंत्र कमजोर होता है।
- **आंतरिक दलीय लोकतंत्र का ह्रास:** यह कानून व्हिप के माध्यम से कड़े दलीय अनुशासन को लागू करता है, जिससे असहमति के स्वर सीमित हो जाते हैं और निर्णय लेने की शक्ति पार्टी नेतृत्व के हाथों में केंद्रित हो जाती है।
- **पीठासीन अधिकारी के पास अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियाँ:** अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति के पास होती है, जो प्रायः पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। इससे निष्पक्षता की कमी और पूर्वाग्रह संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **विलय प्रावधान का दुरुपयोग:** 'दो-तिहाई विलय' के अपवाद का उपयोग अक्सर बड़े पैमाने पर दलबदल को वैध बनाने के लिए किया जाता है, जिससे राजनीतिक अवसरवाद को रोकने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- **निर्णय लेने में विलंब:** अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब के कारण दलबदल करने वाले सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं, जिससे इस कानून की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

सिफारिशें

- **दिनेश गोस्वामी समिति:** इसने अनुशंसा की थी कि दलबदल विरोधी कानून को केवल अविश्वास प्रस्ताव और इसी तरह के महत्वपूर्ण मतों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ताकि अन्य विषयों पर विधायी स्वतंत्रता बनी रहे।
- **हलीम समिति:** इस समिति ने स्पष्टता सुनिश्चित करने और असंगत व्याख्याओं को कम करने के लिए "स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना" वाक्यांश की एक स्पष्ट और सटीक परिभाषा प्रदान करने की सिफारिश की।
- **निर्णय लेने की शक्ति स्वतंत्र प्राधिकरण को सौंपना:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) और संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) दोनों ने यह अनुशंसा की कि अयोग्यता पर निर्णय अध्यक्ष या सभापति के बजाय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए।
- **एक स्वतंत्र अधिकरण (ट्रिब्यूनल) की स्थापना:** रोहिंग्टन फली नरिमन की टिप्पणियों सहित न्यायिक राय बढ़ रही है कि दलबदल के मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए एक स्वतंत्र अधिकरण का गठन किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
- **समयबद्ध न्यायनिर्णयन:** विभिन्न समितियों और न्यायिक निर्णयों ने अयोग्यता याचिकाओं के समयबद्ध निपटान की आवश्यकता पर बल दिया है (कीशम मेघचंद्र मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन महीने की समय-सीमा का सुझाव दिया गया है) ताकि दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता बनी रहे।
- **विलय प्रावधान में सुधार:** कई विशेषज्ञों ने 'दो-तिहाई विलय' के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि इसके दुरुपयोग ने सामूहिक दलबदल को सक्षम बनाया है, जिससे दलबदल विरोधी कानून का मूल उद्देश्य ही धूमिल हो गया है।

1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 {Citizenship (Amendment) Rules, 2026}

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।*

संदर्भ

गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमावली, 2009 में संशोधन करते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) ढांचे को आधुनिक और डिजिटल बनाना है।

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 की मुख्य विशेषताएँ

- **OCI फ्रेमवर्क का डिजिटलीकरण:** ये नियम पूर्णतः डिजिटल ओसीआई (OCI) प्रणाली का सूत्रपात करते हैं।
  - ✓ सभी आवेदन अब ऑनलाइन जमा करने होंगे। पावती भी डिजिटल रूप से जारी की जाएगी। अभिलेखों का रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
  - ✓ यह पूर्व में आवश्यक भौतिक प्रतियों के दोहरे जमा की अनिवार्यता को समाप्त करता है।
  - ✓ OCI कार्ड अब दो स्वरूपों में जारी किए जा सकते हैं। इनमें एक

भौतिक कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक OCI (e-OCI) शामिल है।
- ✓ OCI कार्डधारकों का एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर भी बनाए रखा जाएगा।

- **नाबालिग पासपोर्ट धारकों के लिए नियम:** नियम 3 में एक नया परंतुक (proviso) जोड़ा गया है। यह निर्दिष्ट करता है कि कोई भी नाबालिग भारतीय पासपोर्ट धारक होने के साथ-साथ विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता है।
  - ✓ यह दोहरी नागरिकता के विरुद्ध भारत के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
- **त्याग प्रक्रिया का सरलीकरण:** नागरिकता या OCI का त्याग अब OCI पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है। आवेदन संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के पास जमा किया जाना चाहिए।
  - ✓ यदि भौतिक OCI कार्ड उपलब्ध है, तो उसे भी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकारी को अभ्यर्पित करना होगा। आवेदन जमा करने के पश्चात, एक इलेक्ट्रॉनिक पावती जारी की जाती है। इसके बाद आवेदक का नाम इलेक्ट्रॉनिक OCI रजिस्टर से हटा दिया जाता है।
- **निरसन तंत्र का सुदृढ़ीकरण:** सरकार अब भौतिक OCI कार्ड और ई-OCI (e-OCI) पंजीकरण, दोनों को रद्द कर सकती है। निरसन के आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
  - ✓ यदि भौतिक कार्ड वापस नहीं भी किया जाता है, तब भी उसे रद्द माना जा सकता है। यह प्रावधान 'प्रकल्पित निरसन' (Deemed Cancellation) की अवधारणा को प्रस्तुत करता है।
- **अपील और समीक्षा तंत्र:** एक व्यवस्थित अपील प्रणाली शुरू की गई है। अपील का निर्णय मूल निर्णय लेने वाले अधिकारी से उच्च स्तर के प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  - ✓ आवेदकों को अपनी बात रखने का 'सुनवाई का उचित अवसर' प्रदान किया जाएगा। नियमों के तहत एक समीक्षा तंत्र भी जोड़ा गया है।
- **बायोमेट्रिक डेटा एकीकरण:** आवेदकों को बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के लिए सहमति देना अनिवार्य है। इस डेटा का उपयोग 'फास्ट-ट्रैक' आव्रजन कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।
  - ✓ यह भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में स्वचालित नामांकन को भी सक्षम बना सकता है।
- **प्रक्रियात्मक सरलीकरण:** नियम दोहरे आवेदन जैसी अनावश्यक आवश्यकताओं को समाप्त करते हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए फॉर्म को अद्यतन किया गया है।
  - ✓ समग्र रूप से, ये परिवर्तन स्पष्टता, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करते हैं।

भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) के बारे में

- भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) योजना को वर्ष 2005 में 'नागरिकता अधिनियम, 1955' में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दीर्घकालिक आव्रजन दर्जा प्रदान करना था, जबकि साथ ही दोहरी नागरिकता के विरुद्ध भारत के रुख को बनाए रखना था।
- **पात्रता:** पात्रता उन विदेशी नागरिकों तक विस्तारित है जो 26 जनवरी, 1950 के बाद किसी भी समय भारतीय नागरिक थे, या उस तिथि पर नागरिक बनने के लिए पात्र थे। इसके साथ ही, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके वंशज, जिनमें बच्चे, पोते-पोती/नाती-नातिन और परपोते-परपोती शामिल हैं, भी इसके पात्र हैं।
- **योजना का विकास:** वर्ष 2015 में 'भारतीय मूल के व्यक्ति' (PIO) योजना का OCI के साथ विलय करके इस योजना को सशक्त बनाया गया, जिससे प्रवासी भारतीयों के जुड़ाव के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार हुआ।
- **लाभ:** OCI कार्डधारकों को भारत आने के लिए आजीवन बहु-प्रवेश वीजा प्रदान किया जाता है। उन्हें किसी भी अवधि के प्रवास के लिए 'विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी' (FRRO) के पास पंजीकरण से छूट दी गई है, और आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षिक मामलों में उन्हें अनिवासी भारतीयों (NRI) के समान अधिकार प्राप्त हैं।

भारत में नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 5:** यह उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत के क्षेत्र में अधिवासित हैं और जो भारत में जन्मे थे, जिनके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, या जो संविधान के प्रारंभ से कम से कम पाँच वर्ष पहले से भारत में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं।
- **अनुच्छेद 6:** यह वंशक्रम, निवास और पंजीकरण की शर्तों के आधार पर पाकिस्तान से आए कुछ प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 7:** यह उन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करता है जिन्होंने 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान के लिए प्रवास किया था, सिवाय उन लोगों के जो एक वैध पुनर्वास परमिट के तहत भारत वापस लौट आए थे।
- **अनुच्छेद 8:** यह विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय राजनयिक या कौंसुली प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिक के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 9:** यह उल्लेख करता है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- **अनुच्छेद 10:** यह संसद द्वारा निर्मित विधियों के अधीन नागरिकता की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

- **अनुच्छेद 11:** यह संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें नागरिकता अधिनियम, 1955 भी शामिल है।

1.3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि (Increase in Strength of Supreme Court Judges)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करना है।

अन्य संबंधित जानकारी

- न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी, जिससे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 38 हो जाएगी।
- वेतन और बुनियादी ढांचे सहित वित्तीय खर्चों की पूर्ति भारत की संचित निधि से की जाएगी, जिससे संस्थागत सहायता सुनिश्चित होगी।
- यह पिछले छह वर्षों में दूसरा विस्तार है, जो कार्यभार के आधार पर न्यायिक क्षमता के गतिशील समायोजन को दर्शाता है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि संसद कानून बनाकर इस संख्या को बढ़ा सकती है।
- न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के लिए संसद ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया। जब भी संख्या बढ़ानी होती है, इसी अधिनियम में संशोधन किया जाता है।
- यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका की क्षमता देश की जरूरतों और बढ़ते कार्यभार के अनुसार लचीली बनी रहे।

न्यायाधीशों की संख्या का ऐतिहासिक विकास

- अपनी स्थापना के समय 1950 में, उच्चतम न्यायालय में 8 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) थे।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के साथ शुरू हुई, जिसने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) बढ़ाकर 10 कर दी।
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर, अन्य न्यायाधीशों की संख्या को आगे चलकर 1960 में बढ़ाकर 13 किया गया, फिर 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 और हाल ही में 2019 में बढ़ाकर 33 कर दिया गया।
- 2026 का प्रस्ताव न्यायिक कार्यभार और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्रमिक विस्तार की इसी प्रवृत्ति को जारी रखता है।

बढ़ोतरी के पीछे तर्क

- **लंबित मामले:** उच्चतम न्यायालय मामलों के भारी बैकलॉग का सामना कर रहा है, और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का उद्देश्य मामलों के निपटान की दर में सुधार करना और न्याय वितरण में देरी को कम करना है।
  - ✓ उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और मार्च 2026 तक लगभग 92,000 मामले लंबित थे।
- **न्यायिक कार्यों के दायरे का विस्तार:** न्यायालय की भूमिका का विस्तार संवैधानिक व्याख्या, जनहित याचिका (PIL), शासन संबंधी मुद्दों और जटिल वाणिज्यिक विवादों तक हो गया है, जिससे कार्यभार बढ़ गया है।
- **मामलों की बढ़ती जटिलता:** आधुनिक मुकदमों में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विनियमन और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे शामिल होते हैं, जिनमें प्रति मामला अधिक समय लगता है और उन्हें निपटाने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- **संस्थागत दक्षता की आवश्यकता:** अतिरिक्त न्यायाधीश होने से न्यायालय एक साथ अधिक पीठों का गठन कर सकेगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी और त्वरित न्यायनिर्णयन सुनिश्चित होगा।

कदम का महत्व/निहितार्थ

- **न्याय तक बेहतर पहुँच:** न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सुनवाई और निर्णयों में तेजी आएगी, जिससे नागरिकों की समयबद्ध और प्रभावी न्याय तक पहुँच में सुधार होगा।
- **विधि के शासन को मजबूती:** मामलों के त्वरित निपटान से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि का शासन मजबूत होगा।
- **न्यायिक क्षमता में वृद्धि:** न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से उच्चतम न्यायालय मौजूदा न्यायाधीशों पर बोझ डाले बिना संवैधानिक और नियमित मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होगा।

- **बेहतर मामला प्रबंधन:** अधिक न्यायाधीश होने से विशेष पीठों का गठन और मामलों का आवंटन बेहतर हो सकेगा, जिससे न्यायिक प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी।
- **आर्थिक विकास को समर्थन:** वाणिज्यिक विवादों और नियामक मामलों के तेजी से समाधान से व्यावसायिक वातावरण और निवेशकों के विश्वास में सुधार होगा।

1.4. क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट (Crime in India 2024 Report)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।*

सामान्य अध्ययन-3: *संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।*

संदर्भ

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 'भारत में अपराध 2024' (क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट)और 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI) 2024' रिपोर्ट जारी की है, जो अपराध दर में समग्र गिरावट के साथ-साथ साइबर अपराध, सामाजिक-आर्थिक संकट से जुड़ी आत्महत्याओं और मादक द्रव्यों (ड्रग) के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों में तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के बारे में

- 'भारत में अपराध' रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का एक वार्षिक प्रकाशन है।
- यह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय दंड संहिता (IPC) और विशेष एवं स्थानीय कानूनों (SLLs) के तहत पंजीकृत संज्ञेय अपराधों (Cognisable Crimes) पर राष्ट्रव्यापी डेटा संकलित करती है।
- यह रिपोर्ट महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SCs/STs) के विरुद्ध अपराध, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, किशोरों, वरिष्ठ नागरिकों, मानव तस्करी और राज्य के विरुद्ध अपराधों पर विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराती है।
- इसके साथ ही, 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI) 2024' रिपोर्ट आत्महत्याओं, आकस्मिक मृत्यु, मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों और मृत्यु दर से जुड़े सामाजिक-आर्थिक पैटर्न पर डेटा प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **समग्र अपराध प्रवृत्तियाँ:** वर्ष 2024 में कुल 58.85 लाख संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए, जिनमें वर्ष 2023 के 62.41 लाख मामलों की तुलना में 6% की गिरावट दर्ज की गई है।
  - ✓ राष्ट्रीय अपराध दर 448.3 से घटकर प्रति लाख जनसंख्या 418.9 मामले हो गई है।
  - ✓ कुल अपराधों में आईपीसी/बीएनएस (IPC/BNS) के तहत दर्ज अपराध 60.2% थे, जबकि विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) के मामलों 39.8% थे।
- **साइबर अपराध:** साइबर अपराध के मामलों में 17.9% की वृद्धि हुई। ऐसे मामले वर्ष 2023 के 86,420 मामलों से बढ़कर 2024 में 1,01,928 हो गए।
  - ✓ धोखाधड़ी (फ्रॉड) साइबर अपराधों का मुख्य उद्देश्य रहा, जो कुल मामलों का 72.6% था।
  - ✓ यौन शोषण और जबरन वसूली अन्य प्रमुख श्रेणियां रहीं।
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:** महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 1.5% की मामूली गिरावट आई। वर्ष 2024 में ऐसे 4.41 लाख मामले दर्ज किए गए।
  - ✓ "पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" सबसे बड़ी श्रेणी बनी रही, इसके बाद अपहरण और शील भंग करने के इरादे से किए गए हमलों का स्थान रहा।
  - ✓ तेलंगाना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर सर्वाधिक रही, जबकि महानगरीय शहरों में दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई।
  - ✓ चंडीगढ़ में देश की सर्वाधिक बलात्कार अपराध दर दर्ज की गई।

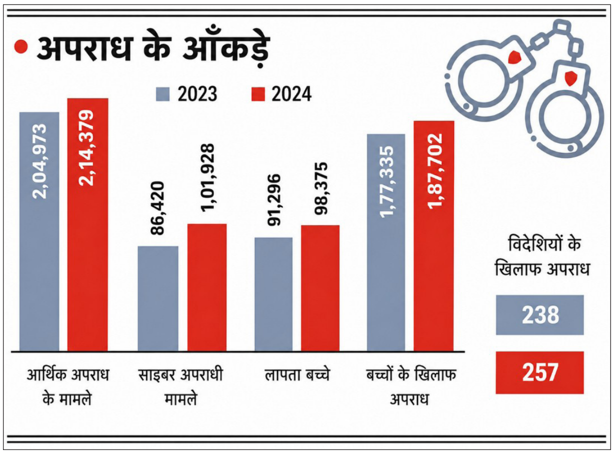

- **बच्चों के विरुद्ध अपराध:** बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 5.9% की वृद्धि हुई और इससे संबंधित 1,87,702 मामले पाए गए।
  - ✓ बच्चों के अपहरण और व्यपहरण तथा 'पॉक्सो' (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।
  - ✓ लापता बच्चों के मामलों में 7.8% की वृद्धि हुई, जहाँ वर्ष 2024 में 98,375 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली।

- कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के 10,546 मामले दर्ज किए गए, जिनमें किसान/काश्तकार और कृषि श्रमिक शामिल हैं।
- 14,488 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, जबकि 22,113 गृहणियों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई।
- मादक द्रव्यों (ड्रग) के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई, जो 2023 के 650 से बढ़कर 2024 में 978 हो गई।
- मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन से सर्वाधिक मौतें तमिलनाडु में दर्ज की गईं।

- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार:** अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में 3.6% की गिरावट आई और इससे संबंधित मामले घटकर 55,698 रह गए।
  - ✓ अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 23.1% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई और ऐसे अपराधों के 9,966 मामले दर्ज किए गए।
  - ✓ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों (SCs) के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए, जबकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए।
- **आर्थिक और अन्य अपराध:** आर्थिक अपराधों में 4.6% की वृद्धि हुई और यह 2,14,379 मामलों तक पहुँच गए, जिसका मुख्य कारण जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले रहे।
  - ✓ राज्य के विरुद्ध अपराधों में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश मामले 'सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम' और यूएपीए (UAPA) के तहत पंजीकृत किए गए।
  - ✓ मानव तस्करी के मामलों में 2.2% की मामूली गिरावट आई, हालांकि 6,000 से अधिक पीड़ितों की तस्करी की सूचना मिली।
- **किशोर और वरिष्ठ नागरिक:** कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से जुड़े मामलों में 11.2% की वृद्धि हुई, जिनमें अधिकांश किशोर 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के थे।
  - ✓ वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में 16.9% की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जिनमें चोरी और धोखाधड़ी/जालसाजी प्रमुख अपराध रहे।

आत्महत्या और मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतें (ADSI रिपोर्ट)

- भारत में वर्ष 2024 में आत्महत्या के 1,70,746 मामले दर्ज किए गए।
- कुल आत्महत्याओं में दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी लगभग 31% रही।

1.5. नीति आयोग का पुनर्गठन (Reconstitution of NITI Aayog)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।*
सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

भारत सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसके अंतर्गत नीति-निर्माण में इसकी भूमिका को सशक्त बनाने हेतु नए नेतृत्व और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

अन्य संबंधित जानकारी

- प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है कि नीति आयोग भारत की नीति-निर्माण संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, जो सहकारी संघवाद, सुधारों और 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन सुगमता) को बढ़ावा दे रहा है।
- अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- निम्नलिखित व्यक्तियों को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है: राजीव गौबा, के. वी. राजू, गोवर्धन दास, अभय करंदीकर और एम. श्रीनिवास।
- प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त सदस्यों को एक उत्पादक और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएँ भेजी।

NITI (नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग के बारे में

- 1 जनवरी, 2015 को, भारत सरकार (केंद्रीय मंत्रिमंडल) के एक अधिशासी प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में

नीति (NITI) आयोग की स्थापना की गई थी।

- यह एक गैर-संवैधानिक (संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और गैर-सांविधिक निकाय (संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं) है।

नीति आयोग की भूमिका और कार्य

- नीति आयोग भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है।
- यह राष्ट्रीय विकास के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है।
- यह केंद्र और राज्यों, दोनों को तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध कराता है।
- **यह संस्थान योजना आयोग के युग से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करता है:**
  - ✓ केंद्र से राज्यों की ओर नीति के एकतरफा प्रवाह के स्थान पर केंद्र और राज्यों के बीच एक वास्तविक साझेदारी स्थापित की गई है।
  - ✓ यह पूर्ववर्ती 'कमांड-एंड-कंट्रोल' (आदेश और नियंत्रण) मॉडल के बजाय एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है।
  - ✓ संघवाद की भावना के अनुरूप, यह 'टॉप-डाउन' मॉडल के बजाय 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के सुझावों को सम्मिलित किया जाता है।
- नीति आयोग इस रूप में भी कार्य करता है:
  - ✓ सहकारी संघवाद के लिए एक मंच।
  - ✓ निष्पादन-आधारित सूचकांकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद का प्रवर्तक।
  - ✓ साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का समर्थन करने वाला एक ज्ञान और नवाचार केंद्र।
- **नीति आयोग की संरचना:**
  - ✓ **अध्यक्ष:** भारत के प्रधानमंत्री
  - ✓ **शासी परिषद:** इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं।
  - ✓ **क्षेत्रीय परिषदें:** इसका गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट विषयों के समाधान हेतु किया जाता है।
    - ■ इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा आहूत किया जाता है।
    - ■ इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है।
  - ✓ **विशेष आमंत्रित:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ, विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति और अनुभवी पेशेवर।
  - ✓ **पूर्णकालिक संगठनात्मक फ्रेमवर्क:**
    - ■ **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
    - ■ **पूर्णकालिक सदस्य:** इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
    - ■ **अंशकालिक सदस्य:** अग्रणी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से (आवर्तन/रोटेशन के आधार पर) लिए जाते हैं।
    - ■ **पदेन सदस्य:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित अधिकतम चार केंद्रीय मंत्री।
    - ■ **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
    - ■ **सचिवालय:** प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

नीति आयोग सूचकांक -

1. स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र
1.1 राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
1.2 जिला अस्पताल सूचकांक
1.3 विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
1.4 बहुआयामी गरीबी सूचकांक

2. नवाचार एवं प्रौद्योगिकी
2.1 भारत नवाचार सूचकांक
2.2 वैश्विक नवाचार सूचकांक
2.3 भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक (IEMI)

3. आर्थिक एवं विकास
3.1 निर्यात तैयारी सूचकांक
3.2 SDG भारत सूचकांक

4. ऊर्जा एवं अवसंरचना
4.1 राज्य ऊर्जा सूचकांक

1.6. पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 (Panchayat Advancement Index 2.0)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।*

संदर्भ

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर शासन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2026) के अवसर पर पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित जानकारी

- PAI 2.0 देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है। इसमें 97.30% (33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 2,59,867 पंचायतें) की उच्च भागीदारी दर

देखी गई, जो संस्करण 1.0 के 80.79% की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार है।

- मिश्रित स्कोर के आधार पर, 3,635 पंचायतों को 'फ्रंट रनर' (Front Runners) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 1,18,824 (45.72%) पंचायतें 'परफॉर्मर' (Performer) श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।
- यह रिपोर्ट 'गरीबी मुक्त और आजीविका में वृद्धि' तथा 'स्वस्थ पंचायत' जैसे विषयों में बेहतर परिणामों पर प्रकाश डालती है, जो ग्रामीण विकास संकेतकों में प्रगति को दर्शाते हैं।
- यह पहल ग्राम सभा के अनिवार्य सत्यापन और रियल टाइम निगरानी प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा-संचालित शासन को सुदृढ़ करती है।

पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 के बारे में

- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य संकेतकों का उपयोग करके ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों (ग्राम पंचायतों (GPs)/पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLBs)) की प्रगति को मापने वाला विश्व का पहला राष्ट्रव्यापी ढांचा है।
- यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) के अनुरूप है, जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक शासन विषयों में परिवर्तित करता है।
- PAI 2.0 पंचायतों का मूल्यांकन 150 संकेतकों और 230 डेटा बिंदुओं का उपयोग करके करता है। संस्करण 1.0 के 516 संकेतकों और 794 डेटा बिंदुओं की तुलना में इनमें काफी कमी की गई है, ताकि बेहतर उपयोगिता और फोकस सुनिश्चित किया जा सके।
- यह ढांचा राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (NIF) के अनुरूप है और इसमें बहु-स्तरीय डेटा संग्रह, संबंधित विभागों द्वारा सत्यापन तथा अनिवार्य ग्राम सभा सत्यापन पर आधारित 0-100 स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- PAI का व्यापक रूप से साक्ष्य-आधारित नियोजन, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs), संसाधन आवंटन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही, इसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और पंचायत शिक्षण केंद्र/बीकन पंचायत बनाने जैसी पहलों से जोड़ा गया है।

- **नौ LSDG विषयों को कवर किया गया:**

पीएआई निम्नलिखित नौ एलएसडीजी (LSDG) विषयों पर ग्राम पंचायत/समतुल्य का मूल्यांकन करता है:

विषय 1	विषय 2	विषय 3	विषय 4	विषय 5	विषय 6	विषय 7	विषय 8	विषय 9
पंचायत में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका	स्वस्थ पंचायत	बाल-हितैषी पंचायत	जल पर्याप्त पंचायत	स्वच्छ और हरित पंचायत	आत्मनिर्भर अवसंरचना वाली पंचायत	सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत	सुदृढ़ शासन वाली पंचायत	महिला हितैषी पंचायत

- **प्रदर्शन श्रेणियाँ:**

प्रदर्शन श्रेणियाँ

संयुक्त स्कोर के आधार पर, ग्राम पंचायत/समतुल्य को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

A+ (श्रेष्ठ)	A (अग्रणी)	B (प्रदर्शनकर्ता)	C (आकांक्षी)	D (नवशिक्षु)
90 और उससे अधिक	75 से कम 90	60 से कम 75	40 से कम 60	40 से कम
0	3,635	1,18,824	1,23,719	13,689

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- कुल मिलाकर किसी भी पंचायत ने 'अचीवर' (Achiever - A+) श्रेणी प्राप्त नहीं की है, जो समग्र विकास के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है।
- 3,635 पंचायतें 'फ्रंट रनर' (Front Runners) हैं, जबकि अधिकांश पंचायतें, यानी 1,18,824 (45.72%), 'परफ़ॉर्मर' (Performer) श्रेणी में आती हैं, जो मध्यम लेकिन स्थिर प्रदर्शन को दर्शाती हैं।
- 'एस्पिरेंट' (Aspirant) श्रेणी में 1,23,719 पंचायतों की एक बड़ी संख्या है, जो विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास को प्रदर्शित करती है।
- 13,689 पंचायतें 'बिगीनर' (Beginner) श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
- **विषय-वार मुख्य बिंदु:**
  - ✓ 'गरीबी-मुक्त और उन्नत आजीविका' के तहत, 3,313 पंचायतों ने 'A+' श्रेणी प्राप्त की है, जो गरीबी उन्मूलन और आजीविका सृजन में सुदृढ़ प्रगति का संकेत है।
  - ✓ 'स्वस्थ पंचायत' के तहत, 1,015 पंचायतों ने 'A+' ग्रेड सुरक्षित किया है, जो स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता में सुधार को दर्शाता है।
- **सहभागिता और कवरेज:**
  - ✓ 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 97.30% सहभागिता (2,59,867 पंचायतें) दर्ज की गई।
  - ✓ PAI 1.0 के सहभागिता स्तर की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
  - ✓ पश्चिम बंगाल ने PAI 2.0 में भाग नहीं लिया।
  - ✓ दिल्ली और चंडीगढ़ को बाहर रखा गया है क्योंकि वहां ग्राम पंचायतें नहीं हैं।
- **शासन पर प्रभाव:**
  - ✓ PAI स्कोर का उपयोग संसाधन आवंटन, नीति नियोजन और प्रोत्साहन के लिए तेजी से किया जा रहा है।
  - ✓ उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को शिक्षण केंद्रों और मॉडल शासन इकाइयों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  - ✓ यह सूचकांक भारत की सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 प्रतिबद्धताओं के अनुरूप पारदर्शी, सहभागी और परिणाम-आधारित ग्रामीण शासन को बढ़ावा देता है।

1.7. निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – तृतीय चरण (Special Intensive Revision of Electoral Rolls – Phase III)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ; विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।*

संदर्भ

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी चुनावों से पूर्व अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तृतीय चरण की समय-सारणी जारी की है।

अन्य संबंधित जानकारी

- SIR के तृतीय चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल होंगे।
- लगभग 36.73 करोड़ निर्वाचकों के घर-घर जाकर सत्यापन के लिए 3.94 लाख से अधिक **बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs)** को नियुक्त किया जाएगा। इस कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख **बूथ स्तर के एजेंट (BLAs)** सहायता प्रदान करेंगे।
- सत्यापन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को **गणना प्रपत्र** प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज़ केवल संदेहास्पद मामलों में ही बाद में मांगे जा सकते हैं।
- तृतीय चरण के अंतर्गत अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन सितंबर और दिसंबर 2026 के बीच किया जाएगा।
- इस चरण के पूर्ण होने के साथ ही, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर संपूर्ण भारत SIR अभ्यास के अंतर्गत कवर हो जाएगा।
- विपक्ष द्वारा SIR अभ्यास की आलोचना "परोक्ष रूप से एनआरसी (NRC)" के रूप में की गई है, और यह मामला वर्तमान में **उच्चतम न्यायालय** के समक्ष विचाराधीन है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बारे में

- निर्वाचक नामावली को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950** के अंतर्गत तैयार किया जाता है।
- **निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960** के तहत, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण 'गहन' या 'संक्षिप्त' रूप में किया जा सकता है।
- **गहन पुनरीक्षण** में क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से निर्वाचक नामावली को नए सिरे से तैयार किया जाता है। **संक्षिप्त पुनरीक्षण** में मौजूदा नामावली को ही अद्यतन किया जाता है।
- निर्वाचक नामावली के डिजिटलीकरण के बाद, भारत में 2000 के आरंभिक दशक के बाद से अब तक राष्ट्रव्यापी गहन पुनरीक्षण नहीं किया गया था।
  - ✓ वर्ष 1951 से 2004 के बीच अब तक 8 बार SIR किया जा चुका है।

- निर्वाचन आयोग ने तीव्र शहरीकरण, प्रवासन, प्रविष्टियों के दोहराव और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को SIR आयोजित करने के मुख्य कारणों के रूप में उद्धृत किया है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - ✓ **अनुच्छेद 324:** यह निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
  - ✓ **अनुच्छेद 326:** यह 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर निर्वाचनों का प्रावधान करता है।
- **सांविधिक प्रावधान:**
  - ✓ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16:** यह गैर-नागरिकों को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने से प्रतिबंधित करती है।
  - ✓ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21:** यह निर्वाचक नामावली तैयार करने और उनके पुनरीक्षण से संबंधित है।
  - ✓ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3):** यह निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के **विशेष पुनरीक्षण** का आदेश देने हेतु सशक्त बनाती है।

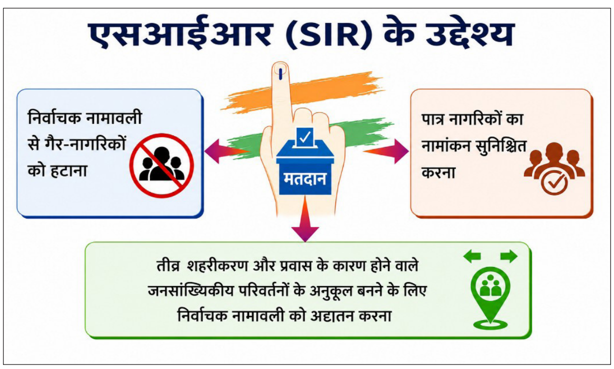

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता

- **अपात्र मतदाताओं को हटाना:** इस अभ्यास का उद्देश्य निर्वाचक नामावली से दोहराव, मृत, स्थानांतरित और गैर-नागरिक मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें हटाना है।
- **"एक व्यक्ति, एक मत" के सिद्धांत का पालन:** दोहराव और अशुद्धियों को ठीक करके, SIR राजनीतिक समानता और चुनावी अखंडता को सुदृढ़ करता है।
- **निर्वाचक नामावली की सटीकता में सुधार:** यह पुनरीक्षण प्रवासन, शहरीकरण और नए पात्र युवा मतदाताओं के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के समाधान में सहायता करता है।
- **चुनावी विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना:** अद्यतन और सत्यापित मतदाता सूचियाँ चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बढ़ाती हैं।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **अपवर्जन (Exclusion) का जोखिम:** प्रवासियों, वृद्ध नागरिकों, दिव्यांगजनों (PwDs) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस्तावेजीकरण और सत्यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **कथित एनआरसी जुड़ाव:** आलोचकों का तर्क है कि नागरिकता सत्यापन पर जोर देने के कारण SIR "परोक्ष रूप से एनआरसी" बन सकता है।
- **आधार संबंधी चिंताएँ:** चूंकि आधार को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं, इसलिए कई संवेदनशील नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **अभ्यास का राजनीतिकरण:** विपक्षी दलों ने सरकारी मशीनरी के संभावित दुरुपयोग और मतदाताओं के मनमाने ढंग से विलोपन के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं।

आगे की राह

- **राजनीतिक आम सहमति बनाना:** राजनीतिक दलों के साथ व्यापक परामर्श से SIR प्रक्रिया के प्रति विश्वास, पारदर्शिता और स्वीकार्यता में सुधार हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** एआई (AI) सक्षम सत्यापन प्रणाली, बहुभाषी मंच और मतदाता हेल्पलाइन अपवर्जन की त्रुटियों को कम कर सकती हैं और सुलभता में सुधार कर सकती हैं।
- **दस्तावेजीकरण के मानदंडों में ढील:** लचीली दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं और अंतिम प्रमाणन संवेदनशील समूहों को प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद कर सकते हैं।
- **आवधिक SIR को संस्थागत बनाना:** चरणबद्ध तरीके से नियमित अंतराल पर SIR अभ्यास आयोजित करने से तैयारी में सुधार हो सकता है और राजनीतिकरण कम हो सकता है।
- **मतदाताओं में जागरूकता का प्रसार करना:** जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को पात्रता, दस्तावेजीकरण और पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय-सीमा के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

1.8. फ्रेमवर्क फॉर मिलियन-प्लस सिटीज पर नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog Releases Report on Framework for Million-Plus Cities)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय।*

सामान्य अध्ययन-2: *शासन के महत्वपूर्ण पक्ष; सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।*

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग ने "प्रभावी नगर सरकार की ओर अग्रसर - दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए रुपरेखा" (Moving Towards Effective City Government – A Framework for Million-Plus Cities) शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के सबसे बड़े शहरों में शहरी शासन सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें शहरों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 70% योगदान देने की अपेक्षा है।
- यह रिपोर्ट 'दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों' (Million-plus cities) पर केंद्रित है, जो आर्थिक गतिविधियों, नवाचार और रोजगार सृजन के केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, किंतु कमजोर शासन संरचनाओं के कारण बाधित हैं।
  - ✓ भारत में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर वे शहरी क्षेत्र या शहरी समूह हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।

रिपोर्ट के पीछे तर्क

- भारत तीव्र शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है, जहाँ 2036 तक शहरी आबादी 600 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। यह स्थिति बुनियादी ढाँचे और सेवा वितरण पर अत्यधिक दबाव डाल रही है।
- हालाँकि, शहरी शासन में अभी भी निम्नलिखित कारणों से बाधा उत्पन्न होती है:
  - ✓ विखंडित संस्थागत संरचनाएँ, जहाँ कई एजेंसियाँ एक-दूसरे के कार्यों को ओवरलैप करती हैं।
  - ✓ परा-राज्यीय एजेंसियों (Parastatal agencies) का प्रभुत्व (जैसे राज्य-नियंत्रित विकास प्राधिकरण - DDA, और जल/सीवरेज बोर्ड जैसी उपयोगिताएँ), जो अक्सर निर्वाचित नगर निकायों की अनदेखी करती हैं।
  - ✓ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सीमित कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण।
- ये चुनौतियाँ शहरों को कुशल सेवा प्रदाता और विकास के इंजन के रूप में कार्य करने से रोकती हैं, जिसके लिए प्रणालीगत सुधार आवश्यक हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट रेखांकित करती है कि भारतीय शहरों की विशेषता कमजोर और खंडित नेतृत्व है, जहाँ मेयरों के पास अक्सर सीमित कार्यकारी अधिकार होते हैं।
- नगर निगमों, परा-राज्यीय एजेंसियों (parastatal agencies) और राज्य विभागों के बीच शासन विखंडित है, जिससे भूमिकाओं का दोहराव और अक्षमता पैदा होती है।
- शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) वित्तीय रूप से सीमित बने हुए हैं; उनके पास स्वयं के राजस्व स्रोत कम हैं और वे राज्य एवं केंद्र के हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- शहरी नियोजन, डेटा सिस्टम और परियोजना निष्पादन में क्षमता की कमी है, जो जटिल शहरी चुनौतियों का जवाब देने की शहरों की क्षमता को सीमित करती है।
- परिणामस्वरूप, अपने आर्थिक महत्व के बावजूद, भारतीय शहर विकास के प्रभावी इंजन और सेवा वितरण के केंद्र के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं।

प्रमुख सिफारिशें

- **सशक्त नगर सरकारें:** रिपोर्ट नियोजन, सेवा वितरण और बुनियादी ढाँचे पर एकीकृत अधिकार के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित, सशक्त नगर सरकारों की स्थापना की सिफारिश करती है।
- **प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर:** यह निश्चित कार्यकाल और कार्यकारी शक्तियों वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयरों की वकालत करती है, जिससे शहर के स्तर पर सुदृढ़ नेतृत्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- **परा-राज्यीय एजेंसियों का युक्तिकरण:** रिपोर्ट विखंडन को कम करने और समन्वय में सुधार के लिए परा-राज्यीय एजेंसियों को नगर सरकारों के साथ एकीकृत या संरेखित करने का आह्वान करती है।
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का राजकोषीय सशक्तिकरण:** उन्नत संपत्ति कर प्रणालियों, उपयोगकर्ता शुल्क और पूर्वानुमेय राजकोषीय हस्तांतरण के माध्यम से नगर निगम के वित्त को मजबूत करने पर बल दिया गया है।
- **क्षमता निर्माण और व्यावसायीकरण:** यह शासन के परिणामों में सुधार के लिए कुशल शहरी कैडर, तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- **डेटा-संचालित शहरी शासन:** कुशल निर्णय लेने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल-टाइम डेटा सिस्टम और साक्ष्य-आधारित नियोजन को अपनाने को बढ़ावा देती है।

रिपोर्ट का महत्व

- **आर्थिक चालक के रूप में शहरी विकास:** भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए प्रभावी नगर शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर उत्पादकता और निवेश के केंद्र होंगे।
- **बेहतर सेवा वितरण:** सुदृढ़ शासन व्यवस्था जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, आवास और गतिशीलता जैसी शहरी सेवाओं के बेहतर प्रावधान को सुनिश्चित कर सकती है।

- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुदृढ़ीकरण:** ये सिफारिशें 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना को सुदृढ़ करती हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों को वास्तविक शक्तियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देती हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** सुशासित शहर निवेश, नवाचार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

1.9. ओडिशा-छत्तीसगढ़ महानदी नदी विवाद (Odisha-Chhattisgarh Mahanadi River Dispute)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान—ऐतिहासिक प्रावधान; संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ; सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।*

संदर्भ

महानदी के जल बँटवारे को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद हाल ही में और तीव्र हो गया है। इसके समाधान हेतु महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) ने दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- MWDT ने दोनों राज्यों को परस्पर स्वीकार्य समझौते पर पहुँचने के लिए मई 2026 की अंतिम समय-सीमा दी है, जिसमें विफल रहने पर वह एक बाध्यकारी निर्णय सुनाएगा।
- न्यायाधिकरण ने बार-बार होने वाले विलंब और स्थगन के लिए दोनों राज्यों की आलोचना भी की है, तथा सहयोग और समयबद्ध समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है।
- सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रारंभिक संकेतों के बावजूद, दोनों राज्य जल-बँटवारे के फॉर्मूले पर सहमत होने में असमर्थ रहे हैं, जिससे यह विवाद अंतिम अधिनिर्णयन के निकट पहुँच गया है।
- केंद्र ने समाधान के लिए अतिरिक्त समय देने हेतु न्यायाधिकरण के कार्यकाल को विस्तारित किया है, जो इस मुद्दे की जटिलता को दर्शाता है।

विवाद की पृष्ठभूमि

- यह विवाद वर्ष 2016 के आसपास प्रारंभ हुआ, जब ओडिशा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बिना किसी परामर्श के ऊर्ध्वप्रवाह (अपस्ट्रीम) में कई बैराजों और बांधों का निर्माण कर रहा है।
- निचला तटवर्ती राज्य होने के कारण, ओडिशा ने दावा किया कि इन निर्माणों से अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) जल प्रवाह कम हो गया है, जिससे सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
- दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ ने तर्क दिया कि उसके पास विकास कार्यों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर जल का उपयोग करने का अधिकार है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्देश के जवाब में, केंद्र सरकार ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 2018 में MWDT (महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण) का गठन किया।

विवाद में मुख्य मुद्दे

- **अपस्ट्रीम-डाउनस्ट्रीम संघर्ष:** ओडिशा का तर्क है कि ऊर्ध्वप्रवाह परियोजनाएं गैर-मानसून अवधि के दौरान जल प्रवाह को कम करती हैं, जबकि छत्तीसगढ़ विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपने क्षेत्र के भीतर जल का उपयोग करने के अपने अधिकार पर बल देता है।
- **जल की उपलब्धता और उपयोग संबंधी विवाद:** औसत वार्षिक प्रवाह (MAF), वर्तमान उपयोग और भविष्य की मांग के अनुमानों पर असहमति बनी हुई है, जो न्यायसंगत जल बँटवारे के निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **डेटा साझाकरण और विश्वास की कमी:** विश्वसनीय और पारस्परिक रूप से स्वीकृत जल-वैज्ञानिक (हाइड्रोलॉजिकल) डेटा के अभाव ने वार्ताओं को बाधित कर दिया है, जो राज्यों के बीच गहन विश्वास की कमी को दर्शाता है।
- **संघीय और शासन संबंधी चुनौतियाँ:** विवाद की लंबी अवधि विलंबित अधिनिर्णयन, समन्वय की विफलता और न्यायाधिकरण के निर्णयों के बाद भी कार्यान्वयन की अनिश्चितता जैसे मुद्दों को रेखांकित करती है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के लिए कानूनी और संस्थागत ढाँचा

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - ✓ अनुच्छेद 262 के तहत, संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के अधिनिर्णयन की शक्ति प्राप्त है और वह ऐसे मामलों में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित कर सकती है।
  - ✓ इसके अंतर्गत, संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956**
  - ✓ यह अधिनियम राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए MWDT जैसे तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है।
  - ✓ न्यायाधिकरण के निर्णय (अवॉर्ड) अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, तथा अनुच्छेद 262(2) और अधिनियम की धारा 11 के तहत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित है।
  - ✓ यद्यपि अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 में एक स्थायी न्यायाधिकरण तंत्र का प्रस्ताव किया गया था, परंतु 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही वर्ष 2024 में यह विधेयक व्यपगत हो गया, और इस प्रकार मामला-विशिष्ट न्यायाधिकरणों की वर्तमान व्यवस्था जारी है।

महानदी नदी के बारे में

- महानदी छत्तीसगढ़ के (धमतरी जिले के समीप) सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होते हुए पूर्व की ओर बहती है।
- इसकी कुल लंबाई लगभग 851 किमी है, जिसमें से लगभग 494 किमी का प्रवाह ओडिशा के भीतर है।
- नदी बेसिन लगभग 1,41,600 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है, जिसका लगभग 53.9% छत्तीसगढ़ में, 45.7% ओडिशा में और एक छोटा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है।
- यह मुख्य रूप से मानसून पर आधारित नदी है, जिसके कारण इसके प्रवाह में महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तनशीलता देखी जाती है, विशेष रूप से गैर-मानसून अवधि के दौरान।
- यह नदी व्यापक सिंचाई, कृषि, मत्स्य पालन और जलविद्युत का आधार है, जिसमें ओडिशा स्थित हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है।

1.10. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना (Pradhan Mantri Schools for Rising India Scheme)

संदर्भ

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को PM-SHRI योजना के लंबित कार्यान्वयन के संबंध में एक नया रिमाइंडर जारी किया है।

PM-SHRI योजना के बारे में

- **प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया** (PM-SHRI), जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य भारत भर में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के दृष्टिकोण के अनुरूप मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित करना है।
  - ✓ प्रत्येक ब्लॉक/नगरीय स्थानीय निकाय (ULB) से अधिकतम दो स्कूलों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) का चयन किया जाना है, जिसकी अखिल भारतीय सीमा 14,500 है।
- यह योजना समावेशी, सुरक्षित, तकनीक-सक्षम और शिक्षार्थी-केंद्रित स्कूल बनाने का प्रयास करती है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति, व्यावसायिक शिक्षा, हरित पहल और बेहतर शिक्षण परिणाम शामिल हैं।
- PM-SHRI स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे **छह प्रमुख स्तंभों** के माध्यम से NEP 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने वाले अनुकरणीय संस्थानों के रूप में कार्य करें:
  - ✓ **स्तंभ 1:** पहुंच और बुनियादी ढांचा - पर्याप्तता, कार्यात्मकता, सौंदर्य और सुरक्षा।
  - ✓ **स्तंभ 2:** मानव संसाधन और स्कूल नेतृत्व।
  - ✓ **स्तंभ 3:** प्रबंधन, निगरानी और शासन।
  - ✓ **स्तंभ 4:** लाभार्थी संतुष्टि।
  - ✓ **स्तंभ 5:** पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन।
  - ✓ **स्तंभ 6:** समावेशी प्रथाएं और लैंगिक समानता।
- यह योजना **2022-23 से 2026-27** तक लागू की जा रही है, जिसके बाद इन स्कूलों द्वारा प्राप्त मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी।

1.11. न्यायाधीश जांच समिति ने लोक सभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी (Judges Inquiry Committee Submits Report to Lok Sabha Speaker)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण; कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और कार्यप्रणाली।*

संदर्भ

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित जांच समिति ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे बेहिसाब नकदी बरामदगी के आरोपों से संबंधित अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 12 अगस्त, 2025 को गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 18 मई, 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसे उचित समय पर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।
- यह मामला तब शुरू हुआ जब कथित तौर पर 14 मार्च, 2025 को दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान जले हुए करेंसी नोट पाए गए; इसके बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित एक आंतरिक समिति को कथित तौर पर ऐसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले जो उस स्टोररूम पर उनके "सक्रिय या मौन नियंत्रण" का संकेत देते हैं जहाँ नकदी पाई गई थी।
- न्यायमूर्ति वर्मा ने अप्रैल 2026 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया, जिससे महाभियोग की कार्यवाही प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो गई, हालांकि जांच समिति ने अपनी जांच जारी रखी और इसे पूरा किया।

न्यायाधीशों को पद से हटाना

- **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968:** संविधान के अनुच्छेद 124(5) के तहत अधिनियमित यह कानून, न्यायाधीशों की जांच और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।

- ✓ पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है; इसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।
- ✓ अध्यक्ष या सभापति परामर्श के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- ✓ यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:
  - उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश,
  - एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और
  - एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
- ✓ यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता का दोषी पाती है, तो संसद संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है।

हटाने के प्रस्तावों का इतिहास

न्यायमूर्ति वी रामस्वामी (1993): अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाने के प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले व्यक्ति। जांच समिति ने उन्हें वित्तीय कदाचार का दोषी पाया, लेकिन प्रस्ताव लोकसभा में विफल हो गया।

न्यायमूर्ति पीडी दिनकरन (2009): उनके खिलाफ जांच जारी रहते हुए इस्तीफा दे दिया।

न्यायमूर्ति सूमित्रा सेन (2011): राज्यसभा द्वारा उनके हटाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा दे दिया, इसलिए मामला लोकसभा में आने से पहले ही समाप्त हो गया।

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (2018): न्यायिक कदाचार और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने के आरोप लगाए गए। हालांकि, अपर्याप्त योग्यता के आधार पर राज्यसभा के सभापति द्वारा उनका हटाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

- **संविधान का अनुच्छेद 124(4):** सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा केवल "सिद्ध कदाचार" या "अक्षमता" के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
  - ✓ पद से हटाने के प्रस्ताव को उसी सत्र में दोनों सदनों द्वारा सदन की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है।
  - ✓ संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद, राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं।
- **सदन के भीतर प्रक्रिया:** इस आंतरिक तंत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्जी मामले (1995) में पेश किया गया था।
  - ✓ सर्वोच्च न्यायालय ने "कदाचार" और "महाभियोग योग्य कदाचार" के बीच अंतर स्पष्ट किया, तथा महाभियोग को केवल गंभीर कदाचार के मामलों के लिए आरक्षित रखा।
  - ✓ इस प्रक्रिया के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर सकते हैं।
  - ✓ यदि गंभीर दुराचार पाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश (CJI) संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की सलाह दे सकते हैं।
  - ✓ यदि न्यायाधीश ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें कोई न्यायिक कार्य आवंटित न किया जाए, और वे राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित कर सकते हैं।
- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** (PCA), 1988: **के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले** (1991) में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत "लोक सेवक" हैं।
  - ✓ कार्यरत न्यायाधीशों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश (से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही दर्ज की जा सकती है।
  - ✓ चूंकि न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के साथ कोई पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है, इसलिए अभियोजन के लिए मंजूरी मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान की जाती है; या मुख्य न्यायाधीश से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दी जाती है।

1.12. केंद्रीय सूचना आयोग ने BCCI को RTI के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में निर्णय दिया (CIC Rules BCCI Outside RTI Ambit)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत एक "लोक प्राधिकारी" नहीं है, और इसलिए इसे इस कानून के तहत जानकारी प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अन्य संबंधित जानकारी

- केंद्रीय सूचना आयोग ने यह निर्णय आरटीआई (RTI) अधिनियम के तहत बीसीसीआई से मांगी गई जानकारी से संबंधित अपीलों की सुनवाई के दौरान दिया है।
- इससे पहले, वर्ष 2018 में सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु की

अध्यक्षता वाली सीआईसी की एक पीठ ने बीसीसीआई को एक लोक प्राधिकारी माना था और उसे केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIOs) नियुक्त करने तथा आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण दायित्वों का पालन करने का निर्देश दिया था।

- बीसीसीआई ने वर्ष 2018 के इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने वर्ष 2025 में सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के आलोक में नए सिरे से विचार करने के लिए इस मामले को वापस आयोग (CIC) के पास भेज दिया था।
- अब, अपने नए निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने ही वर्ष 2018 के आदेश को पलट दिया है और यह माना है कि बीसीसीआई न तो सरकार द्वारा "सारभूत रूप से वित्तपोषित" (substantially financed) होने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है, और न ही केवल इसलिए स्वतः कोई लोक प्राधिकारी बन जाता है क्योंकि यह भारत में क्रिकेट को विनियमित करता है।

सीआईसी के निर्णय के मुख्य बिंदु

- **धारा 2(h) के तहत बीसीसीआई "लोक प्राधिकारी" नहीं है:**
  - ✓ सीआईसी ने यह माना कि बीसीसीआई, आरटीआई अधिनियम की धारा 2(h) के तहत एक "लोक प्राधिकारी" के रूप में अर्हता पूरी नहीं करता है। इस धारा के अंतर्गत वे निकाय आते हैं जो संविधान द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानून द्वारा स्थापित किए गए हों, अथवा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारभूत रूप से वित्तपोषित हों।
  - ✓ आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि बीसीसीआई 'तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम' के तहत एक निजी सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और इसका निर्माण किसी संविधि/कानून के माध्यम से नहीं हुआ है।
- **सरकार द्वारा कोई सारभूत वित्तपोषण नहीं:**
  - ✓ सीआईसी ने यह रेखांकित किया कि बीसीसीआई, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है और मुख्य रूप से मीडिया अधिकारों, प्रायोजन, प्रसारण समझौतों तथा क्रिकेट से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से राजस्व अर्जित करता है।
  - ✓ आयोग ने यह माना कि कर रियायतें, भूमि आवंटन या सुरक्षा व्यवस्था जैसे अप्रत्यक्ष लाभ, आरटीआई अधिनियम के तहत "सारभूत वित्तपोषण" की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- **केवल सार्वजनिक कार्य करना ही अपर्याप्त है:**
  - ✓ आयोग ने यह पाया कि यद्यपि बीसीसीआई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का चयन करने, क्रिकेट को विनियमित करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और प्रमुख टूर्नामेंटों का आयोजन करने जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करता है, फिर भी केवल इन कार्यों के आधार पर इसे आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
  - ✓ इस आदेश में आरटीआई ढांचे के तहत "सार्वजनिक महत्व" और वैधानिक दर्जे के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया गया।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर निर्भरता:**
  - ✓ सीआईसी ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों, जैसे 'ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005)' और लोढ़ा समिति से जुड़े 'बीसीसीआई सुधार मामले (2016)' का संदर्भ लिया।
  - ✓ ज़ी टेलीफिल्म्स मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि बीसीसीआई, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" (State) नहीं है, भले ही वह कुछ सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करता हो।

BCCI को RTI के दायरे में लाने के पक्ष में तर्क	BCCI को RTI के दायरे में लाने के विपक्ष में तर्क
बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम का चयन करने और भारत में क्रिकेट को विनियमित करने जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य निष्पादित करता है।	आरटीआई अधिनियम केवल उन्हीं निकायों पर लागू होता है जिन्हें धारा 2(h) के तहत "लोक प्राधिकारी" के रूप में परिभाषित किया गया है।
बीसीसीआई अप्रत्यक्ष सरकारी सहायता से लाभान्वित होता है, जैसे कि रियायती दरों पर भूमि, कर रियायतें, पुलिस/सुरक्षा बल की तैनाती और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग।	बीसीसीआई वित्तीय रूप से स्वायत्त है और बड़े पैमाने पर मीडिया अधिकारों, प्रायोजन तथा सरकारी अनुदानों के बजाय वाणिज्यिक राजस्व के माध्यम से वित्तपोषित होता है।
अधिक पारदर्शिता से शासन, हितों के टकराव, खिलाड़ियों के चयन और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जवाबदेही में सुधार हो सकता है।	बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने से नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ सकता है और खेल निकायों की परिचालन स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
चूँकि क्रिकेट में राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और व्यापक जनहित शामिल होता है, इसलिए नागरिकों की सूचना तक अधिक पहुँच होनी चाहिए।	केवल सार्वजनिक महत्व या लोकप्रियता ही स्वतः किसी इकाई को आरटीआई अधिनियम के तहत "लोक प्राधिकारी" के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कराती है।
न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति और विधि आयोग की 275वीं रिपोर्ट (2018) ने पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने की सिफारिश की थी।	बीसीसीआई (BCCI) 'तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम' के तहत पंजीकृत एक निजी निकाय है और इसका निर्माण किसी संविधि/कानून द्वारा नहीं किया गया है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के बारे में

- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 को नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करके पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत सूचना के मौलिक अधिकार को व्यावहारिक/क्रियाशील बनाता है।
- धारा 2(h) के तहत, एक "लोक प्राधिकारी" में वे निकाय शामिल हैं जो संविधान द्वारा, संसदीय/राज्य कानूनों द्वारा, सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा स्थापित किए गए हों, अथवा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारभूत रूप से वित्तपोषित हों।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में

- केंद्रीय सूचना आयोग, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत स्थापित शीर्ष वैधानिक निकाय है, जिसका कार्य केंद्रीय लोक प्राधिकारियों के अंतर्गत सूचना तक पहुँच से संबंधित अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना है।
- केंद्रीय सूचना आयोग में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - ✓ एक मुख्य सूचना आयुक्त,
  - ✓ और अधिकतम दस सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- आयोग के पास रिकॉर्ड मंगवाने, साक्ष्यों की जांच करने और सूचना प्रकट करने का निर्देश देने से जुड़े मामलों में एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं।
- सीआईसीआरटी, आई अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों का न्यायनिर्णयन करता है और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.1. भारत-वियतनाम संबंध (India-Viet Nam Relations)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।*

संदर्भ

सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' से 'संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (ECSP) के स्तर तक उन्नत किया।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **राजनीतिक एवं रणनीतिक:** भारत और वियतनाम ने "साझा दृष्टिकोण, रणनीतिक अभिसरण और ठोस सहयोग" के आधार पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक उन्नत किया।
  - ✓ दोनों पक्ष भारत-वियतनाम कार्ययोजना (2024–2028) को कार्यान्वित करने और नियमित उच्च-स्तरीय सहभागिता बनाए रखने पर सहमत हुए।
  - ✓ वियतनाम ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
  - ✓ भारत ने ब्रिक्स (BRICS) भागीदार देश के रूप में वियतनाम की भागीदारी का स्वागत किया, और वियतनाम ने भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का स्वागत किया।
- **व्यापार एवं आर्थिक सहयोग:** दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - ✓ वियतनाम में भारतीय अंगूरों और भारत में वियतनामी ड्यूरियन (durian) के लिए बाज़ार पहुँच प्रदान की गई।
  - ✓ दोनों पक्ष आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा में तेज़ी लाने पर सहमत हुए।
  - ✓ आपूर्ति श्रृंखला, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, ई-वाहन (EVs), डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप्स के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाएगा।
- **रक्षा और सुरक्षा:** संयुक्त अभ्यास और नौसैनिक सहभागिता, समुद्री सुरक्षा एवं हाइड्रोग्राफी, रक्षा औद्योगिक सहयोग व सह-उत्पादन, तथा साइबर सुरक्षा एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग को घनिष्ठ करने पर सहमति बनी।
  - ✓ दोनों पक्षों ने वियतनाम को दी गई भारतीय रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट में हुई प्रगति का स्वागत किया।
  - ✓ वियतनाम ने ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य प्रशिक्षण सहायता की सराहना की।
- **समुद्री सहयोग:** वियतनाम हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल हुआ।
  - ✓ दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और 1982 के समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNCLOS) के पालन पर बल दिया।
  - ✓ समुद्री क्षेत्र जागरूकता, समुद्र विज्ञान और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाएगा।

- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों, क्यूआर-कोड आधारित सीमा-पार पेमेंट कनेक्टिविटी और दुर्लभ मृदा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - ✓ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 6G, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी), परमाणु प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाएगा।

भारत–वियतनाम संबंध

1. ऐतिहासिक संबंध

- भारत ने 7 जनवरी 1972 को वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- वियतनाम 2007 में ASEAN के भीतर भारत का पहला रणनीतिक साझेदार बना।
- संबंधों को 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- भारत और वियतनाम ने 2022 में राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए।
- 2020 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान "शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टि" (Joint Vision for Peace, Prosperity and People) को अपनाया गया।

2. आर्थिक संबंध

- वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग 16.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- भारत के निर्यात में शामिल हैं: इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, लौह एवं इस्पात, मक्का, पशु आहार, कपास, रसायन, औषधियाँ, समुद्री उत्पाद, खनिज आदि।
- भारत के आयात में शामिल हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, तांबा, रबर, कॉफी, चाय, मसाले, परिधान और फुटवियर।
- संयुक्त कार्य समूह कृषि, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यरत हैं।
- वर्ष 2000–2025 के दौरान वियतनाम का भारत में FDI इक्विटी प्रवाह लगभग 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

3. रक्षा संबंध

- 2009 के MoU (समझौता ज्ञापन) on रक्षा सहयोग और 2015 की संयुक्त दृष्टि on रक्षा सहयोग द्वारा मार्गदर्शित।
- "भारत–वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 की ओर संयुक्त दृष्टि" वक्तव्य 2022 में अपनाया गया।
- 2023 में भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कार्वेट INS किरापन वियतनाम को भेंट किया।
- नियमित द्विपक्षीय अभ्यासों में Ex VINBAX शामिल हैं।
- भारत ने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी, न्हा ट्रांग के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता स्थापित की।
- वियतनाम नियमित रूप से भारत आयोजित कार्यक्रमों जैसे एयरो इंडिया में भाग लेता है।

4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- भारत और वियतनाम ने 2016 में सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग पर MoU पर हस्ताक्षर किए।
- IT पर संयुक्त कार्य समूह की तीन बैठकें आयोजित हुई हैं।
- जनवरी 2026 में हनोई में पहला साइबर नीति संवाद आयोजित किया गया।
- आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती है।

5. परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष

- जुलाई 2018 में अंतरिक्ष सहयोग पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- दोनों देशों चि मिंन्ह सिटी में ASEAN–भारत उपग्रह ट्रैकिंग और डेटा रिसेप्शन सुविधा पर कार्य कर रहे हैं।
- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौते पर दिसंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए।

6. प्रवासी भारतीय और सांस्कृतिक संबंध

- वियतनाम में लगभग 8,000 भारतीय रहते हैं, मुख्य रूप से हो ची मिंन्ह सिटी और हनोई में।
- ICCR के अंतर्गत 2016 में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई।
- अंतराष्ट्रीय योग दिवस 2025 वियतनाम के 35 प्रांतों/शहरों में आयोजित किया गया।

✓ भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की वियतनाम की रुचि का स्वागत किया।

- **स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल:** वियतनाम ने वर्ष 2027 से सार्वजनिक खरीद में भारतीय भेषज (फार्मास्युटिकल) कंपनियों की भागीदारी की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति व्यक्त की।
- **संस्कृति और जन संबंध:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2026-2030 पर हस्ताक्षर हुए।
  ✓ भारत ने 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के प्रति वियतनाम के समर्थन की सराहना की।
  ✓ वियतनाम ने भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों (पवित्र अस्थि अवशेषों) को सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु भेजने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया।
  ✓ दोनों देशों ने बौद्ध पर्यटन, शैक्षिक आदान-प्रदान और सीधी उड़ान कनेक्टिविटी (हवाई संपर्क) को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।

2.2. समावेशी प्रवासन एवं सशक्त मानव तस्करी-रोधी ढाँचा हेतु भारत का प्रयास (India Pushes for Inclusive Migration and Stronger Anti-Trafficking Frameworks)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले वैश्विक समूह एवं समझौते; महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ एवं मंच — उनकी संरचना एवं अधिदेश।*

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में आयोजित वैश्विक प्रवासन समझौता (GCM) के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (IMRF) के दौरान अधिक समावेशी, मानवीय एवं अधिकार-आधारित प्रवासन ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवासन शासन को प्रवासी-केंद्रित, समावेशी एवं विकासोन्मुखी बनाए रखते हुए प्रवासियों की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- भारत ने विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि, श्रम गतिशीलता, नवाचार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान में प्रवासियों के सकारात्मक योगदान को रेखांकित किया।
- भारत ने सुरक्षित एवं नियमित प्रवासन मार्गों, नैतिक भर्ती प्रणालियों, सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी तथा कौशल की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत वर्ष 2010 से विश्व में सर्वाधिक प्रेषण (Remittances) प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है, जहाँ अंतर्वाह प्रेषण **2010 में लगभग 53.48 अरब डॉलर** से बढ़कर **2024 में लगभग 137.67 अरब डॉलर** हो गया।
- इससे पूर्व, **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन** (IOM) की एक रिपोर्ट में 2024 में **भारत–यूएई** एवं **भारत–अमेरिका** प्रवासन गलियारों को विश्व के शीर्ष दस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गलियारों में शामिल किया गया था।

वैश्विक प्रवासन समझौता (GCM)

- **सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन हेतु वैश्विक समझौता** (GCM) को वर्ष **2018 में मोरक्को के मराकेश में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान** में अपनाया गया था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों से संबंधित प्रथम व्यापक अंतर-सरकारी ढाँचा है।
- GCM कानूनी रूप से **बाध्यकारी नहीं** है तथा निम्नलिखित **सिद्धांतों पर आधारित** है:
  ✓ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
  ✓ साझा उत्तरदायित्व,
  ✓ राज्य की संप्रभुता का सम्मान, तथा
  ✓ प्रवासियों के मानवाधिकारों का संरक्षण।
- यह समझौता सुरक्षित प्रवासन मार्गों, प्रवासियों की संवेदनशीलताओं में कमी, नैतिक भर्ती, श्रम गतिशीलता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे क्षेत्रों से संबंधित 23 **उद्देश्यों** को रेखांकित करता है।
- **प्रत्येक चार वर्ष** में आयोजित होने वाला **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच** (IMRF), GCM के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।

प्रवासन एवं मानव तस्करी से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- **अनियमित प्रवासन एवं प्रवासी शोषण:** अनियमित एवं अवैध प्रवासन मार्ग प्रवासियों को असुरक्षित कार्य परिस्थितियों, वेतन शोषण, बंधुआ मजदूरी, ऋण बंधन एवं तस्करी नेटवर्क के जोखिम में डालते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का विस्तार:** मानव तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के रूप में उभर रही है, जिसमें फर्जी भर्ती एजेंसियाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं अवैध सीमा-पार प्रवासन मार्ग शामिल हैं।
- **महिलाओं एवं बच्चों की संवेदनशीलता:** महिलाएँ एवं बच्चे तस्करी, यौन शोषण, घरेलू दासता, बंधुआ मजदूरी एवं अन्य प्रकार के उत्पीड़न के प्रति अनुपातहीन रूप से अधिक संवेदनशील बने हुए हैं।
- **प्रवासियों हेतु सामाजिक सुरक्षा में कमी:** अनेक देशों में प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं, बीमा, कानूनी सुरक्षा तथा कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी तक पर्याप्त पहुँच प्राप्त नहीं है।

- **जलवायु परिवर्तन एवं उभरते प्रवासन दबाव:** जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण एवं आजीविका असुरक्षा विशेष रूप से विकासशील देशों में विस्थापन एवं प्रवासन संबंधी संवेदनशीलताओं को बढ़ा रहे हैं।

भारत का प्रवासन दृष्टिकोण

- भारत का प्रवासन ढाँचा केवल सीमा प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह प्रवासी संरक्षण, कल्याण, कौशल मान्यता तथा गंतव्य देशों के साथ सहयोग पर भी केंद्रित है।
- भारत ने प्रवासी श्रमिकों की पारदर्शिता एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए **ई-प्रवासन पोर्टल** तथा शिकायत निवारण प्रणालियों जैसे संस्थागत एवं डिजिटल तंत्र विकसित किए हैं।
- सरकार ने मानव तस्करी की रोकथाम, प्रत्यावर्तन एवं प्रवासी कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया तथा म्यांमार जैसे देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय समझौते एवं समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत ने विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी से संबंधित व्यक्तियों की तस्करी पर **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय (UNCTOC) प्रोटोकॉल** का भी अनुमोदन किया है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, **भारत ने महिलाओं एवं बच्चों की वेश्यावृत्ति हेतु तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण पर सार्क अभिसमय (2002)** का भी अनुमोदन किया है।
- भारत का घरेलू मानव तस्करी-रोधी कानूनी ढाँचा निम्नलिखित को सम्मिलित करता है:
  - ✓ संविधान का **अनुच्छेद 23**, जो मानव तस्करी एवं बंधुआ श्रम को निषिद्ध करता है।
  - ✓ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956।
  - ✓ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की **धारा 143 एवं धारा 144**।

2.3. भारत–नेपाल लिपुलेख विवाद (India–Nepal Lipulekh Dispute)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत और उसके पड़ोसी- संबंध।*

संदर्भ

भारत ने लिपुलेख दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करने पर नेपाल की आपत्ति को खारिज कर दिया है। भारत ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों को "अपुष्ट" बताते हुए संवाद का आह्वान किया है।

विवाद की पृष्ठभूमि

- यह विवाद सुगौली की संधि से शुरू हुआ, जिसने काली नदी के साथ सीमा को परिभाषित किया था।
- मुख्य मुद्दा काली नदी के अनिश्चित उद्गम स्थल को लेकर है, जिसमें:
  - ✓ प्रारंभिक ब्रिटिश मानचित्र (1819–1856), जो इसके उद्गम को लिम्पियाधुरा में दर्शाते हैं (नेपाल के दावे का समर्थन करते हैं)।
  - ✓ बाद के मानचित्र (1879 के बाद) एक अलग धारा (कुटी यांग्ती) को काली नदी के रूप में पहचानते हैं (भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं)।

- यह विवाद निम्नलिखित घटनाओं के बाद और बढ़ गया:
  - ✓ भारत का 2019 का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें कालापानी को अपने क्षेत्र के भीतर दिखाया गया था।
  - ✓ नेपाल का 2020 का संशोधित मानचित्र और संवैधानिक संशोधन, जिसके माध्यम से कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा पर दावा किया गया।
- लिपुलेख के माध्यम से सड़क निर्माण, व्यापार मार्गों और तीर्थ यात्रा करने को लेकर भी तनाव उत्पन्न हुआ।

भारत की स्थिति

- लिपुलेख 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक पारंपरिक मार्ग रहा है, जिसका दशकों से निरंतर उपयोग किया जा रहा है।
- भारत का यह पक्ष है कि:
  - ✓ नेपाल के दावे "न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं।"
  - ✓ क्षेत्रीय दावों का कोई भी "एकतरफा कृत्रिम विस्तार" अपुष्ट और अमान्य है।
- भारत इस मुद्दे को नया नहीं मानता है और प्रशासनिक नियंत्रण एवं निरंतर उपयोग की निरंतरता पर बल देता है।
- भारत ने सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से रचनात्मक जुड़ाव के प्रति अपनी तत्परता व्यक्त की है।

नेपाल की स्थिति

- नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी काली

नदी के पूर्व में स्थित हैं और इसलिए 1816 की संधि के तहत ये नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं।

- नेपाल ने उसकी सहमति के बिना इस क्षेत्र में भारत-चीन गतिविधियों (व्यापार, सड़क निर्माण, तीर्थयात्रा) पर आपत्ति जताई है।
  - ✓ उसने भारत और चीन दोनों के साथ राजनयिक स्तर पर यह मुद्दा उठाया है।
- नेपाल का तर्क है कि इस विवाद का समाधान निम्नलिखित माध्यमों से किया जाना चाहिए:
  - ✓ ऐतिहासिक संधियाँ, मानचित्र और साक्ष्य।
  - ✓ संभवतः त्रिपक्षीय चर्चा (भारत-नेपाल-चीन), जैसा कि कुछ अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया है।

मुख्य मुद्दे

- **क्षेत्रीय संप्रभुता:** ऐतिहासिक संधियों और मानचित्र संबंधी साक्ष्यों की परस्पर विरोधी व्याख्याएँ।
- **अप्रभावी संयुक्त तंत्र:** भारत और नेपाल द्वारा 1981 में सीमा निरीक्षण और 1997 में सीमा प्रबंधन समितियों जैसे संयुक्त तंत्र स्थापित किए गए थे, परंतु मुख्य सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे हैं।
- **धार्मिक और सांस्कृतिक पहुँच:** कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीयों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है।
- **भारत-चीन कारक:** लिपुलेख के माध्यम से व्यापार और कनेक्टिविटी इस मुद्दे में एक तीसरे पक्ष का आयाम जोड़ते हैं।
- **खुली सीमा की गतिशीलता:** पारंपरिक रूप से खुली सीमा (1950 की संधि के बाद) होने के बावजूद, अनसुलझे सीमा विवाद बने हुए हैं।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय तंत्र को पुनर्जीवित करना:** मौजूदा भारत-नेपाल राजनयिक चैनलों के माध्यम से सीमा वार्ता में तेजी लाना।
- **नदी के उद्गम को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करना:** काली नदी के वास्तविक स्रोत को निर्धारित करने के लिए संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण करना।
- **विश्वास-निर्माण उपाय:** बातचीत जारी रहने तक विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखना।
- **तीर्थयात्रा को राजनीति से अलग करना:** तनाव बढ़ाए बिना यह सुनिश्चित करना कि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे।
- **राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करना:** इस मुद्दे के राजनीतिकरण को रोकने के लिए नियमित उच्च स्तरीय संवाद आयोजित करना।
- **एकतरफा कार्रवाई से बचना:** दोनों पक्षों को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जो जमीनी वास्तविकताओं में परिवर्तन करते हों।

2.4. शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक (Shanghai Cooperation Organisation Defence Ministers' Meeting)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल, 2026 को बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस बैठक में भारत सहित SCO के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों, रक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी समन्वय पर केंद्रित थी।
- यह बैठक बढ़ते वैश्विक विखंडन, निरंतर जारी संघर्षों और आतंकवाद, उग्रवाद एवं क्षेत्रीय अस्थिरता पर उभरती चिंताओं के बीच आयोजित की गई।
- भारत ने इस मंच का उपयोग क्षेत्रीय शांति, आतंकवाद विरोधी सहयोग और SCO सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के महत्व को रेखांकित करने के लिए किया।
- बैठक के इतर, भारत ने चीन और रूस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें सीमा स्थिरता, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को चीन के शंघाई में इसके छह संस्थापक सदस्यों - चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान द्वारा की गई थी।
  - ✓ यह "शंघाई फाइव" से विकसित हुआ है, जो 1996 में विश्वास-निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह था।
- **वर्तमान सदस्य:** SCO में वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस।
  - ✓ अपने पहले विस्तार के रूप में, वर्ष 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को SCO के पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था।

✓ ईरान वर्ष 2023 में SCO में शामिल हुआ, जिससे सदस्य देशों की कुल संख्या नौ हो गई। वर्ष 2024 में, बेलारूस SCO का 10वां सदस्य देश बना।

- **निर्णय लेने वाले निकाय:** संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of States - CHS) है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष बैठक करती है।
  - ✓ **शासनाध्यक्षों की परिषद** भी वार्षिक रूप से सहयोग रणनीतियों की योजना बनाने और संगठन के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए बैठक करती है।
- **स्थायी निकाय:** SCO के दो स्थायी निकाय हैं:
  - ✓ **सचिवालय:** बीजिंग में स्थित, जो दैनिक कार्यों का संचालन करता है।
  - ✓ ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोध पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **भाषाएँ:** SCO की आधिकारिक भाषाएँ **रूसी और चीनी** हैं।
- **पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी:** वर्ष 2022-2023 की अवधि के दौरान **वाराणसी** शहर को पहली बार 'SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी' के रूप में नामित किया गया था।

भारत के लिए SCO का महत्व

- **भारत-पाकिस्तान/चीन संवाद के लिए तटस्थ मंच:** SCO जैसे बहुपक्षीय संगठन ऐसे तटस्थ स्थान निर्मित करते हैं जहाँ भारत और पाकिस्तान उन सामान्य तनावों के बिना बातचीत कर सकते हैं जो उनकी चर्चाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** चूंकि सार्क (SAARC) वर्तमान में निष्क्रिय बना हुआ है, इसलिए SCO जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों पर सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है।
- **रणनीतिक हित:** SCO की सदस्यता भारत को रणनीतिक रूप से चीन के "वन बेल्ट, वन रोड" (OBOR) और "चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा" (CPEC) जैसे मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देती है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी को सुगम बनाकर भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- **सुरक्षा सहयोग:** क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) आतंकवादियों और नशीले पदार्थों के तस्करों की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी और खुफिया जानकारी साझा करके भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में मदद करती है।
- **आर्थिक सहयोग:** SCO भारत को बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परियोजनाओं और व्यापार पहल पर सहयोग करने के अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से संसाधन संपन्न मध्य एशियाई क्षेत्र में।
  - ✓ तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन और ईरान-पाकिस्तान-भारत (IPI) पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं पारस्परिक लाभ प्रदान करती हैं और भारत एवं पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के बीच भी सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं।

चुनौतियाँ

- **भिन्न रणनीतिक हित:** सदस्य देशों के बीच परस्पर विरोधी भू-राजनीतिक हितों की उपस्थिति, विशेष रूप से भारत, चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे, अक्सर आम सहमति बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं और संगठन की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।
- **आतंकवाद पर असंगत दृष्टिकोण:** आतंकवाद की परिभाषा और उससे निपटने के तरीकों (जिसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल है) के संबंध में सदस्य देशों के बीच मतभेद, SCO के सामूहिक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को कमजोर करते हैं।
- **SCO के भीतर चीन का प्रभुत्व:** संगठन के भीतर चीन का बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव एजेंडा निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में असंतुलन पैदा करता है, जो भारत सहित अन्य सदस्यों की भूमिका और प्रभाव को सीमित कर सकता है।
- **सीमित संस्थागत प्रभावशीलता:** SCO में सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जो नीतिगत प्रतिबद्धताओं को धरातल पर ठोस और प्रभावी कार्यों में बदलने की इसकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

आगे की राह

- आतंकवाद की एक साझा और गैर-चयनात्मक परिभाषा विकसित करनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावी आतंकवाद विरोधी प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए 'RATS' जैसे तंत्रों के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहिए।
- **रणनीतिक और आर्थिक संलग्नता बढ़ाना:** भारत को मध्य एशिया के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंधों का विस्तार करने के लिए SCO का लाभ उठाना चाहिए, साथ ही कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 'INSTC' और चाबहार बंदरगाह जैसी पूरक पहलों का उपयोग करना चाहिए।
- **संतुलित और समावेशी बहुपक्षीय व्यवस्था को बढ़ावा देना:** भारत को एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित व्यवस्था की वकालत करने के लिए SCO मंच का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय पहलों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और पारदर्शिता के प्रति सम्मान सुनिश्चित हो सके।
- **संस्थागत प्रभावशीलता और क्षेत्रीय संवाद को बढ़ाना:** SCO को अपनी संस्थागत क्षमता और कार्यान्वयन तंत्र में सुधार करना चाहिए,

जबकि भारत को SCO और 'भारत-मध्य एशिया संवाद' जैसे मंचों के माध्यम से अपनी भागीदारी को और सशक्त बनाना चाहिए।

2.5. विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2026 (World Migration Report, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) द्वारा जारी 'विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026' में वैश्विक प्रवासन की प्रवृत्तियों, मुख्य गलियारों और विस्थापन के स्वरूपों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, यह रिपोर्ट विकास और वैश्विक राजनीति में प्रवासन के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करती है।

रिपोर्ट के बारे में

- विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रवासन और गतिशीलता की समझ को सुदृढ़ करने हेतु जारी प्रमुख रिपोर्ट का 13वाँ संस्करण है।
- यह रिपोर्ट मुख्य रूप से दो खंडों में संरचित है:
  - ✓ **भाग I:** इसमें प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय प्रवासन आँकड़ों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया है।
  - ✓ **भाग II:** यह जलवायु-प्रेरित गतिशीलता, आंतरिक विस्थापन, प्रवासन गलियारों, प्रवासन एवं विकास, तथा विकलांगता-केंद्रित प्रवासन चुनौतियों जैसे समकालीन मुद्दों का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण करता है।
- यह रिपोर्ट भू-राजनीतिक अस्थिरता, पर्यावरणीय क्षरण, तकनीकी नवाचारों, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और मानवीय संकटों के परिप्रेक्ष्य में प्रवासन रुझानों का परीक्षण करती है, साथ ही विकास प्रक्रिया में प्रवासियों और प्रवासियों की भूमिका को रेखांकित करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- मध्य-2024 तक लगभग **304 मिलियन लोग** अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे थे, जो वैश्विक आबादी का 3.7% है (1990 में यह 2.9% था)।
- **मेक्सिको-संयुक्त राज्य अमेरिका** गलियारा लगभग 11 मिलियन प्रवासियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा बना रहा। अन्य प्रमुख गलियारों में शामिल हैं:
  - ✓ अफगानिस्तान-ईरान
  - ✓ सीरिया-तुर्की
  - ✓ रूस-यूक्रेन
  - ✓ भारत-संयुक्त अरब अमीरात
  - ✓ भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका।
- भारत-संयुक्त अरब अमीरात गलियारा मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों द्वारा संचालित, विश्व स्तर पर पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा बन गया।
  - ✓ संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सबसे बड़ा राष्ट्रीयता समूह थे, जहाँ तीन मिलियन से अधिक भारतीय निवास करते थे।
- भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका गलियारा दुनिया में छठा सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा और मेक्सिको-अमेरिकी गलियारे के बाद उत्तरी अमेरिका से जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा गलियारा था।
- 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3.2 मिलियन भारतीय प्रवासी रह रहे थे, जिससे भारतीय, मेक्सिकन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विदेशी-जन्मा समूह बन गए।
  - ✓ अमेरिका में भारतीय प्रवासन मुख्य रूप से उच्च कुशल श्रमिकों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा संचालित रहा है।
- रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला गया, जो **यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी** (USINPAC) जैसे संगठनों के माध्यम से भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा सहयोग और वीज़ा नीतियों जैसे क्षेत्रों में।
- **अन्य प्रमुख एशियाई प्रवासन गलियारों में शामिल हैं:**
  - ✓ बांग्लादेश-भारत **(विश्व स्तर पर 11वाँ सबसे बड़ा)**
  - ✓ भारत-सऊदी अरब **(विश्व स्तर पर 14वाँ सबसे बड़ा)**।
  - ✓ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे दक्षिण एशियाई देशों से प्रवासन मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान रहा, जिसका मुख्य कारण निर्माण, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की ओर श्रम प्रवासन है।
- संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में पुरुष अप्रवासियों का अनुपात काफी अधिक दर्ज किया गया, जबकि भारत में महिला अप्रवासियों का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा था।
- **वैश्विक विस्थापन में तेजी से वृद्धि जारी रही:**
  - ✓ 2024 के अंत तक विश्वभर में **120 मिलियन** से अधिक लोग विस्थापित हुए।
  - ✓ विश्व स्तर पर लगभग **83 मिलियन लोग** आंतरिक रूप से विस्थापित हुए।
  - ✓ **आपदा-संबंधी आंतरिक विस्थापन** 2024 में **रिकॉर्ड 45.8 मिलियन** तक पहुँच गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण (रेमिटेंस)** 2024 में लगभग **905 बिलियन अमेरिकी** डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों को 685

बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए, जो विकास में प्रवासन के योगदान को दर्शाता है।

- विस्थापन में योगदान देने वाले प्रमुख संघर्षों में **सूडान, यूक्रेन, गाजा, म्यांमार, सीरिया, यमन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य** शामिल हैं।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण (जैसे सूखे, बाढ़, तूफान, जंगल की आग और बढ़ता तापमान) प्रवासन में तेजी से योगदान दे रहे हैं, जो विशेष रूप से कमजोर आबादी और गरीब देशों को प्रभावित कर रहे हैं।
- रिपोर्ट में प्रवासन शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सीमा प्रबंधन, वीज़ा प्रसंस्करण और पहचान प्रणाली शामिल हैं; साथ ही पूर्वाग्रह, गोपनीयता, डिजिटल असमानता और श्रम विस्थापन से संबंधित जोखिमों के प्रति सचेत भी किया गया है।

रिपोर्ट की सिफारिशें

- अनियमित प्रवासन और शोषण को कम करने के लिए **सुरक्षित, नियमित और वैध प्रवासन मार्गों** को बढ़ावा देना।
- **अधिकार-आधारित और साक्ष्य-संचालित प्रवासन शासन** को मजबूत करना।
- **प्रेषण हस्तांतरण लागत** को कम करना और प्रवासियों के लिए वित्तीय समावेशन में सुधार करना।
- विकास के लिए **कौशल साझेदारी, चक्रीय प्रवासन और प्रवासी जुड़ाव** को बढ़ावा देना।
- प्रवासन नीतियों को **जलवायु अनुकूलन, श्रम बाजार नियोजन और सामाजिक संरक्षण प्रणालियों** के साथ एकीकृत करना।
- **शरणार्थी संरक्षण, विस्थापन प्रतिक्रिया और प्रवासन डेटा प्रणालियों** के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- समावेशी नीतियों और **जन जागरूकता के माध्यम से ज़ेनोफोबिया, गलत सूचना और प्रवासी विरोधी भेदभाव** का मुकाबला करना।

2.6. वैश्विक सैन्य खर्च प्रवृत्ति, 2025 (Trends in World Military Expenditure, 2025)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अप्रैल 2026 में वैश्विक सैन्य व्यय की प्रवृत्तियों पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जो वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता की बदलती प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह रिपोर्ट रूस-यूक्रेन संघर्ष, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नाटो (NATO) के पुन: शस्त्रीकरण तथा यूरोपीय सुरक्षा चिंताओं जैसे निरंतर भू-राजनीतिक तनावों के बीच सैन्य खर्च में निरंतर वृद्धि पर जोर देती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनिश्चितता और प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बढ़ते सैन्यीकरण की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

प्रमुख निष्कर्ष

(A) वैश्विक प्रवृत्ति

- वास्तविक संदर्भ में वैश्विक सैन्य व्यय 2.9% बढ़कर 2025 में $2,887 बिलियन तक पहुँच गया, जो वृद्धि का लगातार 11वाँ वर्ष था।
- वैश्विक सैन्य खर्च पिछले दशक (2016-25) की तुलना में 41% की वृद्धि को दर्शाता है, जो वैश्विक रक्षा व्यय में निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रक्षेपवक्र के बने रहने का संकेत है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सैन्य खर्च की हिस्सेदारी 2024 के 2.4% से बढ़कर 2025 में 2.5% हो गई। यह 2009 के बाद दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में रक्षा को दी जा रही बढ़ती प्राथमिकता को इंगित करता है।

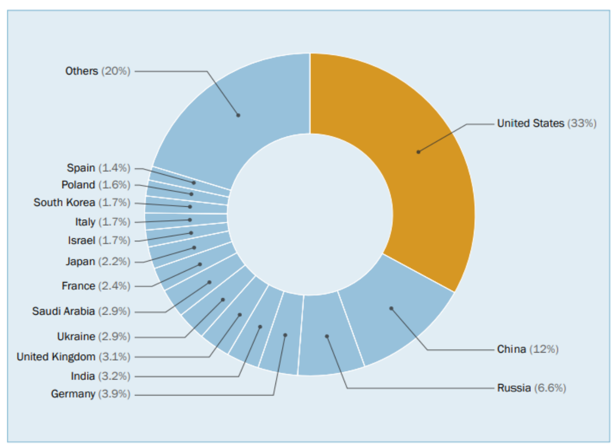

Figure 2. The share of world military expenditure of the 15 countries with the highest spending in 2025

Source: SIPRI Military Expenditure Database, Apr. 2026.

- रक्षा व्यय कुल वैश्विक सरकारी खर्च का लगभग 6.9% था, जबकि प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $352 तक पहुँच गया, जो सार्वजनिक वित्त पर सैन्यीकरण के बढ़ते बोझ को दर्शाता है।
- 2025 में पांच सबसे बड़े व्ययकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत थे, जिनका कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 58% हिस्सा था।

✓ अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस का वैश्विक सैन्य खर्च में लगभग 51% हिस्सा था, जिनका संयुक्त व्यय लगभग $1.48 ट्रिलियन रहा।

- संयुक्त राज्य अमेरिका $954 बिलियन के साथ सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बना रहा, जो 2025 में कुल सैन्य खर्च के एक-तिहाई हिस्से के बराबर था।
- 2025 में अमेरिका के व्यय में लगभग 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चीन ($336 बिलियन, +7.4%) और रूस ($190 बिलियन, +5.9%) ने अपने रक्षा बजट का निरंतर विस्तार करना जारी रखा।

(B) क्षेत्रीय प्रवृत्ति

- **यूरोप:** यूरोप में सैन्य व्यय में सबसे अधिक क्षेत्रीय वृद्धि दर्ज की गई। रूस-यूक्रेन संघर्ष और नाटो (NATO) की रक्षा प्रतिबद्धताओं में वृद्धि के कारण यहाँ सैन्य खर्च 14% बढ़कर $864 बिलियन हो गया।
- **एशिया और ओशिनिया:** एशिया और ओशिनिया में सैन्य खर्च 8.1% बढ़कर $681 बिलियन हो गया, जो 2009 के बाद की सबसे तीव्र वृद्धि है। इसका मुख्य कारण चीन का सैन्य आधुनिकीकरण और भारत, जापान एवं ताइवान जैसे देशों द्वारा बढ़ता रक्षा निवेश है।
- **मध्य-पूर्व:** मध्य पूर्व में सैन्य व्यय $218 बिलियन पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जो बदलती क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के बीच समेकन के चरण को दर्शाता है।
- **अफ्रीका:** आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद विरोधी अभियानों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण अफ्रीका के सैन्य खर्च में 8.5% की वृद्धि देखी गई, जो $58.2 बिलियन तक पहुँच गया।

भारत-विशिष्ट निष्कर्ष

(A) वैश्विक रैंकिंग और खर्च स्तर

- भारत 2025 में वैश्विक स्तर पर 5वें सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता के रूप में उभरा, जिसका कुल व्यय लगभग $92.1 बिलियन अनुमानित है।
- देश के सैन्य खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

(B) रक्षा व्यय के मुख्य चालक

- भारत का सैन्य व्यय मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ सीमा तनाव और पाकिस्तान के साथ निरंतर सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है।
- पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों पर युद्धक तत्परता बनाए रखने की आवश्यकता ने रक्षा आवंटन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- रक्षा क्षेत्र में सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के कारण घरेलू विनिर्माण और रक्षा अनुसंधान में निवेश में वृद्धि हुई है।

सैन्य खर्च में वृद्धि के निहितार्थ

- **वैश्विक सुरक्षा विरोधाभास:** सैन्य व्यय में निरंतर वृद्धि एक विरोधाभास को दर्शाती है, जहाँ बढ़ा हुआ खर्च आवश्यक रूप से शांति सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि अक्सर राष्ट्रों के बीच अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को तीव्र करता है।
- **आर्थिक समझौता और विकासात्मक प्रभाव:** बढ़ता रक्षा बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को दूसरी ओर मोड़ देता है, जो संभावित रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति में बाधा डाल सकता है।
- **क्षेत्रीय शस्त्र स्पर्धा का जोखिम:** सैन्यीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति शस्त्र स्पर्धा की संभावना को बढ़ाती है, विशेष रूप से यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अस्थिरता में वृद्धि होती है।
- **प्रतिस्पर्धी बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय:** बढ़ता सैन्य व्यय एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बदलाव का संकेत देता है, जिसकी विशेषता सहकारी वैश्विक शासन के बजाय प्रतिस्पर्धी शक्ति गतिशीलता है।

स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) के बारे में

- यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, शस्त्र नियंत्रण और **निरस्त्रीकरण** से संबंधित विषयों पर अनुसंधान के लिए समर्पित है।
- SIPRI की स्थापना **1966** में हुई थी, और यह खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और अनुशंसाएं प्रदान करता है।
- इसे वैश्विक सुरक्षा डेटा के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है और यह 'SIPRI ईयरबुक' तथा 'सैन्य खर्च डेटाबेस' जैसे आधिकारिक संसाधन प्रकाशित करता है।
- **मुख्यालय:** स्टॉकहोम, स्वीडन।

2.7. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 (Global Report on Food Crises, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (GRFC) 2026' एक बिगड़ते वैश्विक भुखमरी संकट को उजागर करती है, जिसमें 47 देशों के 26.6 करोड़ से अधिक लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- GRFC 2026 गंभीर खाद्य असुरक्षा के प्रमुख वैश्विक मूल्यांकन का 10वां संस्करण है।

- इसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं मानवीय एजेंसियों के एक गठबंधन द्वारा जारी किया गया है।
- यह रिपोर्ट गंभीरता, चालकों और प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए IPC/CH जैसे मानकीकृत ढांचे का उपयोग करके खाद्य संकट का विश्लेषण करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **भुखमरी का पैमाना और प्रवृत्तियाँ:**
  - ✓ वर्ष 2025 में 47 देशों के लगभग 26.6 करोड़ लोग (22.9%) उच्च स्तर की गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे।
  - ✓ यह अनुपात 2020 से 20% के ऊपर बना हुआ है और 2016 की तुलना में लगभग दोगुना है, जो निरंतर संरचनात्मक संकट का संकेत देता है।
  - ✓ 2024 की तुलना में दिखाई देने वाली स्थिरता भ्रामक है, क्योंकि यह वास्तविक सुधार के बजाय रिपोर्ट में शामिल देशों की संख्या में कमी के कारण है।
- **संकट का भौगोलिक संकेंद्रण:**
  - ✓ वैश्विक खाद्य-असुरक्षित आबादी का दो-तिहाई हिस्सा केवल 10 देशों में केंद्रित है, जिनमें शामिल हैं: अफगानिस्तान, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DRC), म्यांमार, नाइजीरिया, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यमन और बांग्लादेश।
  - ✓ अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, सूडान और यमन अनुपात और पूर्ण संख्या दोनों में सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
- **बढ़ती गंभीरता: 'कैटस्ट्रोफी' और 'इमरजेंसी' स्तर:**
  - ✓ छह देशों के 14 लाख लोग 'कैटस्ट्रोफी' (IPC चरण 5) की स्थिति में हैं — यह 2016 के बाद से नौ गुना वृद्धि है।
  - ✓ 32 देशों के अतिरिक्त 3.9 करोड़ लोग 'इमरजेंसी' (IPC चरण 4) श्रेणी में हैं।
  - ✓ ये स्तर अत्यधिक खाद्य अभाव, भुखमरी के जोखिम और मृत्यु दर का संकेत देते हैं।
- **बाल कुपोषण और पोषण संकट:**
  - ✓ वर्ष 2025 में 3.55 करोड़ बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार थे, जिनमें से 1 करोड़ बच्चे अति गंभीर कुपोषण से ग्रसित थे।
  - ✓ खाद्य संकट वाले लगभग आधे क्षेत्रों में पोषण संकट भी विद्यमान है, जिसका मुख्य कारण खराब आहार, बीमारियाँ और कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियाँ हैं।
- **मुख्य कारक के रूप में संघर्ष:**
  - ✓ वर्तमान में संघर्ष और असुरक्षा भुखमरी के प्रमुख कारक बन गए हैं, जिन्होंने जलवायु के झटकों को भी पीछे छोड़ दिया है।
  - ✓ वर्ष 2025 में, 19 देशों के 14.74 करोड़ लोग (56%) संघर्ष के कारण प्रभावित हुए — यह संख्या 2018 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है।
  - ✓ गाजा और सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल की घोषणा की गई, जो एक ही वर्ष में कई अकाल घोषणाओं का पहला उदाहरण है।
- **जलवायु और अत्यधिक गर्मी की भूमिका:**
  - ✓ वर्ष 2025 में चरम मौसम ने **8.75 करोड़ लोगों** को प्रभावित किया, हालांकि अन्य कारकों की तुलना में इसका सापेक्ष योगदान कम हुआ है।
  - ✓ खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्टें चेतावनी देती हैं कि अत्यधिक गर्मी एक प्रमुख 'जोखिम गुणक' के रूप में उभर रही है:
    - ■ **30°C** से अधिक तापमान होने पर फसलों की पैदावार में तेजी से गिरावट आती है।
    - ■ तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि प्रमुख फसलों (गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन) की पैदावार को लगभग 6% तक कम कर देती है।
    - ■ ताप तनाव पशुधन की उत्पादकता को कम करता है (जैसे, दूध के उत्पादन में 15-25% तक की गिरावट)।
    - ■ समुद्री हीटवेव्स जो 2024 में 91% महासागरों में देखी गईं— मत्स्य पालन के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।
- **कृषि-खाद्य प्रणालियों पर दबाव:**
  - ✓ गर्मी पौधों के विकास चक्र को बाधित करती है (जैसे, चावल और मक्के में पराग बंध्यता - और श्वसन हानि को बढ़ाती है।
  - ✓ उदाहरण: मोरक्को में, सूखे और अत्यधिक गर्मी के कारण अनाज की पैदावार में 40% से अधिक की गिरावट आई और मुख्य फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं।
  - ✓ अत्यधिक गर्मी अब इस बात को नए सिरे से निर्धारित कर रही है कि भोजन का उत्पादन क्या, कब और कैसे किया जा सकता है।
- **जबरन विस्थापन और संवेदनशीलता:** विस्थापन आजीविका, भोजन तक पहुँच और मानवीय सहायता को बाधित करके खाद्य असुरक्षा को और अधिक तीव्र कर रहा है।
- **घटती धनराशि और डेटा अंतराल:** खाद्य संकट के लिए वित्तीय सहायता 2016-17 के स्तर तक गिर गई है, जिससे संकट से निपटने की क्षमता सीमित हो गई है।
- डेटा संग्रहण की स्थिति कमजोर हो रही है:
  - ✓ विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के सर्वेक्षणों में 2024 की तुलना में 30% की गिरावट आई है।
  - ✓ खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के सर्वेक्षणों में 31% की कमी आई है।

- 18 देशों के पास पर्याप्त डेटा का अभाव था, जिससे संकट की दृश्यता कम हुई और वैश्विक मूल्यांकन प्रभावित हुआ।
- **संरचनात्मक चेतावनी:** रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि वैश्विक भुखमरी अब और अधिक गहरी, संकेंद्रित और गंभीर होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण संघर्ष, जलवायु तनाव, आर्थिक झटके और कमजोर प्रतिक्रिया क्षमता का संयोजन है।

2.8. ओपेक और ओपेक + (OPEC and OPEC+)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) से एक लंबे समय से जुड़े सदस्य के अलग होने की संभावना है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने लगभग छह दशकों के बाद इससे बाहर होने की घोषणा की है।

अन्य संबंधित जानकारी

- UAE ने मई 2026 से OPEC और OPEC+ दोनों समूहों को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य कारण अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति को आगे बढ़ाने और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है।
- यह कदम अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों के बीच उठाया गया है। इस संघर्ष ने तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर धकेला है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों पर दबाव बढ़ा दिया है।

OPEC (तेल निर्यातक देशों के संगठन) के बारे में

- 14 सितंबर 1960 को बगदाद में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई।
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया (1965 में जिनेवा से स्थानांतरित)।
- पश्चिमी तेल कंपनियों ("सेवन सिस्टर्स") के प्रभुत्व का मुकाबला करने और प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता स्थापित करने के लिए बनाया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - ✓ सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना।
  - ✓ उत्पादकों के लिए स्थिर और उचित तेल कीमतें सुनिश्चित करना।
  - ✓ उपभोक्ताओं को नियमित और विश्वसनीय आपूर्ति की गारंटी देना।
  - ✓ तेल क्षेत्र में निवेश पर उचित रिटर्न प्रदान करना।

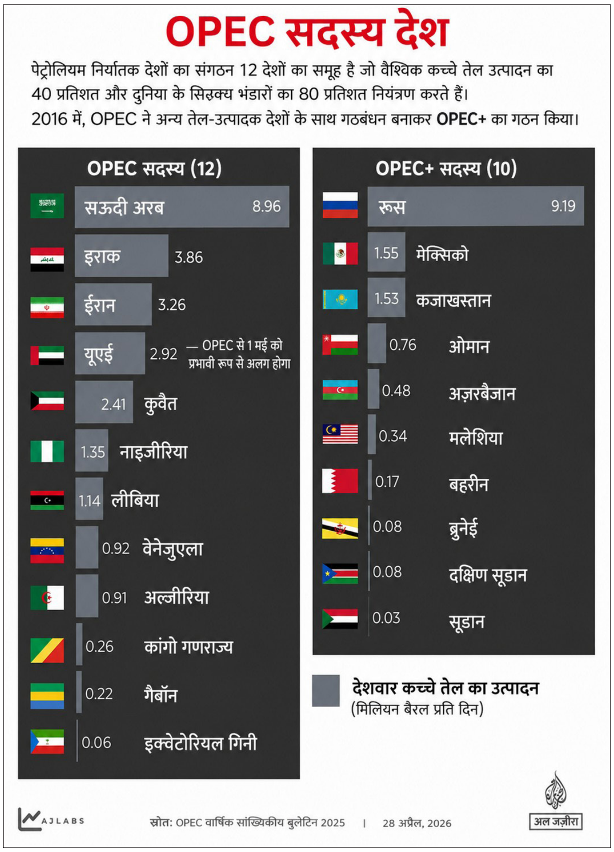

- **कार्यप्रणाली:**
  - ✓ उत्पादन कोटा तय करने के लिए सदस्य नियमित रूप से बैठक करते हैं।
  - ✓ **कम उत्पादन** → आपूर्ति में कमी → कीमतें बढ़ती हैं।
  - ✓ **अधिक उत्पादन** → आपूर्ति में वृद्धि → कीमतें गिरती हैं।
  - ✓ इसने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक तेल बाजारों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसमें COVID-19 (2020) के दौरान मांग में आई भारी गिरावट जैसे संकट शामिल हैं, जब इसने बड़े पैमाने पर उत्पादन कटौती का समन्वय किया था।
- **सदस्यता (UAE के बाहर होने से पहले):** कुल 12 सदस्य - सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेज़ुएला, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।

OPEC+ (विस्तारित तेल गठबंधन)

- इसकी शुरुआत 2016 में "सहयोग की घोषणा" के माध्यम से हुई थी।
- यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, बल्कि ओपेक (OPEC) और गैर-ओपेक उत्पादकों का एक व्यापक गठबंधन है।
- इसमें रूस, कजाकिस्तान और अज़रबैजान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं।

- **उद्देश्य:**
  - ✓ ओपेक के दायरे से बाहर बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन का समन्वय करना।
  - ✓ प्रमुख उत्पादकों के बीच उत्पादन निर्णयों में सामंजस्य स्थापित करके वैश्विक बाजार की स्थिरता को बढ़ाना।
- **क्रमिक विकास:**
  - ✓ 2019 में, "सहयोग के चार्टर" ने इस दीर्घकालिक सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान किया।
  - ✓ यह वैश्विक संकटों के दौरान आपूर्ति के झटकों के प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

2.9. फ़ॉकलैंड द्वीप संप्रभुता विवाद (Falkland Islands Sovereignty Dispute)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।*

संदर्भ

एक लीक हुए अमेरिकी रक्षा ज्ञापन के बाद फ़ॉकलैंड द्वीप विवाद पुनः उभर आया है। इस ज्ञापन में ईरान युद्ध से जुड़े तनावों के बीच यूनाइटेड किंगडम (UK) को मिलने वाले समर्थन पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- UK ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा है कि इन द्वीपों पर संप्रभुता उसी की है। उसने द्वीपवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है।
- एक लीक हुए रक्षा ज्ञापन के माध्यम से, अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह ईरान संघर्ष पर अपने सहयोगियों के रुख को प्रभावित करने के लिए फ़ॉकलैंड जैसे क्षेत्रों के लिए अपने राजनयिक समर्थन का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।
- अर्जेंटीना ने इस मुद्दे को एक "औपनिवेशिक स्थिति" बताते हुए द्विपक्षीय वार्ताओं की अपनी मांग को फिर से जीवित कर दिया है।
- अर्जेंटीना ने संप्रभुता के निर्धारण में द्वीपवासियों की भूमिका को खारिज कर दिया है, जिससे यूनाइटेड किंगडम के साथ राजनयिक तनाव और अधिक गहरा गया है।

फ़ॉकलैंड युद्ध (1982) के बारे में

- **फ़ॉकलैंड युद्ध (1982):** यह दक्षिण अटलांटिक में फ़ॉकलैंड द्वीप समूह (इस्लास मालविनास) की संप्रभुता को लेकर यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष था।
- **औपनिवेशिक मूल:** इस विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल में हैं; जहाँ यूके का 1833 से इस पर निरंतर नियंत्रण रहा है, वहीं अर्जेंटीना इसे अपने क्षेत्र पर एक औपनिवेशिक आरोपण मानता रहा है।

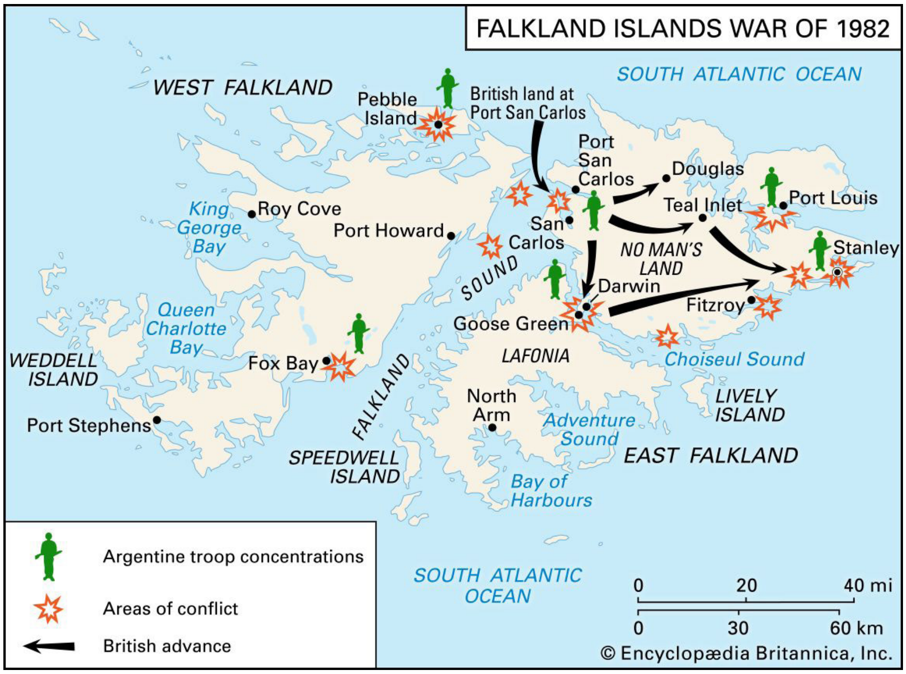

- **युद्ध का घटनाक्रम:** अर्जेंटीना ने 2 अप्रैल 1982 को द्वीपों पर आक्रमण किया था, जिसके प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सेना ने जवाबी कार्रवाई की और लगभग 10 सप्ताह के भीतर नियंत्रण वापस पा लिया।
- **परिणाम:** यह संघर्ष **14 जून 1982** को अर्जेंटीना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद से यूके ने निरंतर प्रशासन बनाए रखा है।
- **राजनीतिक प्रभाव:** इस युद्ध के बड़े राजनीतिक परिणाम हुए; इसने यूके में नेतृत्व को मजबूती प्रदान की, जबकि अर्जेंटीना में सैन्य शासन के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में

- फ़ॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका से लगभग 480 किमी पूर्व में स्थित एक स्वशासी ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है।
- इसकी राजधानी स्टेनली है। इस द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप—'ईस्ट' और 'वेस्ट' फ़ॉकलैंड—तथा लगभग 200 छोटे द्वीप शामिल हैं।
- यहाँ की जलवायु ठंडी और हवादार है, भूदृश्य वृक्षविहीन है, और यहाँ पेंगुइन, सील एवं समुद्री पक्षियों जैसी समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है।
- आर्थिक रूप से यहाँ मत्स्य पालन और उससे जुड़े उद्योगों का वर्चस्व है, जबकि यूके 'माउंट प्लीजेंट' में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है।

2.10. भारत-नॉर्वे संबंध (India-Norway Relations)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय।*

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'हरित रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह यात्रा पिछले 43 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।
- गौरतलब है कि तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर भारत और पांच नॉर्डिक देश अर्थात नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड एक साथ एक मंच पर आए और इसी दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत-नॉर्वे संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से भी सम्मानित किया गया।
- भारत और नॉर्वे ने एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया, जिसमें जलवायु कार्रवाई, समुद्री मामलों, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सतत विकास और बहुपक्षीय शासन में विस्तारित सहयोग की रूपरेखा तैयार करना शामिल है।

यात्रा के मुख्य परिणाम

- **द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करना**
  - ✓ भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'हरित रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया, जो जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा संक्रमण, हरित नौवहन, सतत अवसंरचना, चक्रीय अर्थव्यवस्था और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
  - ✓ दोनों देशों ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को लागू करने में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- **आर्थिक और व्यापार सहयोग**
  - ✓ दोनों पक्षों ने भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के लागू होने का स्वागत किया; इससे नॉर्वे सहित भारत और EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  - ✓ नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री उद्योगों, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, अपतटीय ऊर्जा और सतत मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग के विस्तार पर चर्चा की गई।

भारत–नॉर्वे द्विपक्षीय संबंध

आयाम	विवरण
राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध	• भारत और नॉर्वे ने फरवरी 1947 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए। • नॉर्वे ने भारत में 1952 में (जब केरल में इसका मत्स्य पालन परियोजना शुरू हुआ) और 2015 में मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास खोला। • भारत ने 1957 में ओस्लो में अपना दूतावास खोला।
आर्थिक और व्यापार संबंध	• 2024–25 में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.05 अरब अमेरिकी डॉलर था। • 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में भारत और EFTA (नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और लिकटेनस्टीन) ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए। TEPA अक्टूबर 2025 में लागू हुआ। • नॉर्वे के सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल (GPFG) ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर (दिसंबर 2025 तक) का निवेश किया है। • अप्रैल 2000 – सितंबर 2025 के दौरान नॉर्वे से भारत में FDI प्रवाह 764 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। • प्रमुख सहयोग के क्षेत्र: जहाजरानी, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री खाद्य, उर्वरक, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी।
समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था सहयोग	• हरित जहाजरानी, अपतटीय ऊर्जा, जहाज रीसाइक्लिंग, सतत मत्स्य पालन, महासागर शासन और बंदरगाह आधुनिकीकरण में मजबूत सहयोग। • मई 2026 में नॉर्वे भारत के इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) में शामिल हुआ, जिससे मरिटाइम सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सतत नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग मजबूत हुआ।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतरिक्ष	• भारत ने जुलाई 2008 में नॉर्वे के एलेसुंड, स्वालबार्ड, नॉर्वे में आर्कटिक में अपना पहला स्थायी अनुसंधान स्टेशन 'हिमाद्रि" स्थापित किया। • ISRO नॉर्वे के स्वालबार्ड ग्राउंड स्टेशन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए AR उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने के लिए करता है। • KSAT (नॉर्वे) स्वालबार्ड में ISRO का एंटीना स्थापित कर रहा है। • अंतरिक्ष, आर्कटिक अनुसंधान, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, अपतटीय पवन ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग।
जलवायु और सतत विकास	• जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास पर केंद्रित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (मई 2026) के लिए संबंधों को उन्नत किया गया। • नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिपूत्र अर्थव्यवस्था, सतत शहरीकरण, स्वच्छ शिपिंग और महासागर स्थिरता में सहयोग।
भारतवंशी समुदाय नॉर्वे में	• वर्तमान में नॉर्वे में भारतीय समुदाय लगभग 30,000 है। • नॉर्वे वर्ष 2014 में E-वीज़ा योजना में शामिल हुआ, जिससे भारतीयों और लोगों की आवागमन में सुविधा हुई।

- **समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था सहयोग**
  - ✓ नॉर्वे औपचारिक तौर से 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' (IPOI) में शामिल हो गया है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, महासागर शासन, सतत मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था के विकास में भारत-नॉर्वे सहयोग को सुदृढ़ करता है।
  - ✓ दोनों देशों ने हरित नौवहन, समुद्री रसद, अपतटीय पवन ऊर्जा और सतत महासागर संसाधन प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार**
  - ✓ भारत और नॉर्वे उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्रौद्योगिकियां, अंतरिक्ष सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां और आर्कटिक अनुसंधान शामिल हैं।
  - ✓ दोनों पक्षों ने अनुसंधान साझेदारी, नवाचार-प्रेरित औद्योगिक सहयोग और शैक्षणिक सहयोग को भी बढ़ावा देने पर बल दिया।

2.11. भारत के प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा (Indian Prime Minister's visit to the Netherlands)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।*

संदर्भ

भारत के प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की यात्रा की, जिसके दौरान भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया और एक व्यापक 'रणनीतिक साझेदारी रोडमैप (2026-2030)' को अपनाया।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, प्रवासन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, उच्च शिक्षा, समुद्री सहयोग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में 17 समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों पक्षों ने उभरती प्रौद्योगिकियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हिंद-प्रशांत सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, सतत विकास और नवाचार-प्रेरित आर्थिक विकास में सहयोग पर भी बल दिया।

प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के मुख्य परिणाम

- **रणनीतिक साझेदारी और रोडमैप:** भारत और नीदरलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया।
  - ✓ राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु, समुद्री, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को कवर करने वाले 'भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप (2026-2030)' को अपनाया गया।
- **सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी सहयोग:** सेमीकंडक्टर और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों पर साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - ✓ डच सेमीकॉन कॉम्पिटेंस सेंटर और भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के बीच सहयोग।
  - ✓ डच विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थानों—जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) तथा विभिन्न आईआईटी (IITs) शामिल हैं, के बीच "ब्रेन ब्रिज" सेमीकंडक्टर सहयोग की शुरुआत की गई।
  - ✓ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML ने धोलेरा, गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब सुविधा को समर्थन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
- **रक्षा और सुरक्षा:** रक्षा सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
  - ✓ रक्षा औद्योगिक रोडमैप और लॉजिस्टिक्स सहायता तंत्र की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति बनी।
  - ✓ साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और रक्षा विनिर्माण में सहयोग को बढ़ाया गया।
- **आतंकवाद रोधी सहयोग:** नीदरलैंड ने वर्ष 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की।
  - ✓ दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' के रुख पर बल

भारत–नीदरलैंड द्विपक्षीय संबंध

आयाम	विवरण
ऐतिहासिक संबंध	• भारत और नीदरलैंड ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
आर्थिक संबंध	• नीदरलैंड वैश्विक स्तर पर भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यूरोप में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। • वित्त वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। • नीदरलैंड संचयी निवेश लगभग 55 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। • प्रमुख क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, कृषि, रसायन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
रक्षा संबंध	• दोनों पक्ष रक्षा संवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी में सहयोग करते हैं। • डच नौसैनिक जहाज़ भारतीय बंदरगाहों का नियमित रूप से दौरा करते हैं। • दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग और सैन्य समन्वय को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
ऊर्जा और स्थिरता	• सहयोग में नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परिपत्र अर्थव्यवस्था और जलवायु अनुकूलन शामिल हैं। • नीदरलैंड अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ और ऊर्जा संक्रमण तथा आपदा-रोधी अवसंरचना पहल में भारत के साथ सहयोग करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी / अंतरिक्ष	• भारत और नीदरलैंड अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में सहयोग करते हैं। • इसरो, नूर्डवाइर्क स्थित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ईएसटेक केंद्र के साथ सहयोग करता है। • कई इंडो-डच विश्वविद्यालय साझेदारी और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम सक्रिय हैं।
जल और कृषि सहयोग	• जल प्रबंधन, भारत की जल पर रणनीतिक भागीदारी के तहत एक प्रमुख क्षेत्र है। • सहयोग में नमामी गंगे, बाढ़ प्रबंधन, शहरी जल लचीलापन और अपशिष्ट जल उपचार शामिल हैं। • कृषि सहयोग में उत्कृष्टता केंद्र, बागवानी, डेयरी, एग्री-टेक और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं।
भारतीय प्रवासी	• नीदरलैंड में लगभग 3,00,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिसमें एक बड़ा सुरिनामी-हिंदुस्तानी समुदाय शामिल हैं। • लगभग 3,500 भारतीय छात्र डच विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।

दिया और संयुक्त राष्ट्र में 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय' (CCIT) के भारत के प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

- **व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग:** सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  - ✓ लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार भागीदारी और निवेश सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - ✓ दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से उत्पन्न होने वाले अवसरों का स्वागत किया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन:** 'हरित हाइड्रोजन विकास पर भारत-नीदरलैंड रोडमैप' का शुभारंभ किया गया।
  - ✓ नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संक्रमण में सहयोग को सुदृढ़ किया गया।
- **जल और समुद्री सहयोग:** जल पर रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया गया, जिसमें नदी प्रबंधन, अपशिष्ट जल का पुनरुपयोग और जलवायु-अनुकूल शहरी प्रणालियाँ शामिल हैं।
  - ✓ भारतीय बंदरगाहों को रॉटरडैम बंदरगाह से जोड़ने वाले 'ग्रीन एंड डिजिटल सी कॉरिडोर' पर सहयोग।
- **शिक्षा, संस्कृति और विरासत:** सांस्कृतिक विरासत सामग्रियों के संरक्षण के लिए लीडेन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
  - ✓ उच्च शिक्षा पर समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय-स्तर पर बढ़ते सहयोग को स्वीकृति दी गई।
  - ✓ लीडेन विश्वविद्यालय से चोलकालीन ताम्रपत्रों की भारत वापसी का स्वागत किया गया।

2.12. भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग मध्यस्तथा के निर्णय को खारिज किया (India Rejects Hague Arbitration Ruling on Indus Waters Treaty)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत और उसके पड़ोसी संबंध; भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार।*

संदर्भ

भारत ने सिंधु नदी प्रणाली पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं में अधिकतम जलाशय भंडारण क्षमता से संबंधित द हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय को खारिज कर दिया है और यह दोहराया कि वह इस न्यायाधिकरण को वैध रूप से गठित नहीं मानता है।

अन्य संबंधित जानकारी

- विदेश मंत्रालय ने मध्यस्थता न्यायालय को एक "अवैध रूप से गठित" निकाय करार दिया और इसकी सभी कार्यवाहियों, निर्णयों/पंचाटों और फैसलों को "शून्य और अमान्य" घोषित कर दिया है।
- पाकिस्तान के अनुरोध पर जनवरी 2023 में गठित यह पांच सदस्यीय मध्यस्थता न्यायालय (CoA), सिंधु नदी प्रणाली पर भारत की किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन से संबंधित विवादों की जांच कर रहा है।
- भारत ने इस मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया है, और यह तर्क दिया है कि विवाद तकनीकी प्रकृति के हैं तथा सिंधु जल संधि के तहत प्रदत्त 'तटस्थ विशेषज्ञ' तंत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
- सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर अगस्त 2025 के अपने निर्णय/पंचाट में, मध्यस्थता न्यायालय ने कथित तौर पर अनुमत जलाशय भंडारण क्षमता की भारत की गणना को प्रतिबंधित करके और 'रन-ऑफ-द-रिवर' परियोजनाओं के लिए डिजाइन के लचीलेपन को सीमित करके काफी हद तक पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया था।
- भारत ने जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया था, जो इस संधि के प्रति भारत के रुख में एक बड़े बदलाव को चिन्हित करता है।

सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में

- यह सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक सीमा पार जल-साझाकरण समझौता है, जिसे विश्व बैंक द्वारा करवाया गया था। इसका उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों — सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल वितरण का प्रबंधन करना है।
- ये नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय पर्वतमाला से होकर भारत और पाकिस्तान में बहती हैं, जिससे पाकिस्तान निचला तटवर्ती राज्य बन जाता है।

संधि के मुख्य प्रावधान

- **जल का बँटवारा:**
  - ✓ **पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलज)**: अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित।
  - ✓ **पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, चिनाब, झेलम)**: अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित, जिसमें भारत की गैर-उपभोगकारी कृषि और घरेलू आवश्यकताओं के लिए कुछ अपवाद शामिल हैं।

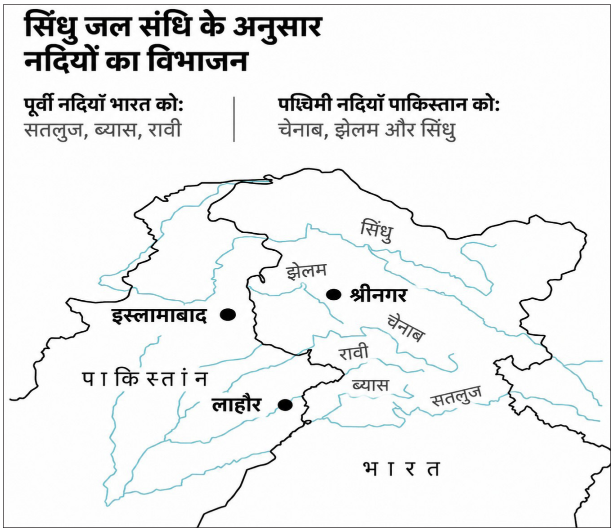

- **भारत के अधिकार और प्रतिबंध:**
  - ✓ सिंधु जल संधि के अनुच्छेद III (1) के अनुसार, "भारत पश्चिमी नदियों के जल को पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होने देने के लिए बाध्य है।"
  - ✓ भारत को 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाएं बनाने की भी अनुमति है, जिनमें जल के जीवंत भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, भारत को परियोजना का विवरण पाकिस्तान के साथ साझा करना अनिवार्य है, जिसके पास इस पर आपत्ति उठाने के लिए 3 महीने का समय होता है।
- **संधि का अनुच्छेद IX एक त्रि-स्तरीय विवाद निवारण तंत्र स्थापित करता है:**
  - ✓ **स्थायी सिंधु आयोग:** यह प्रथम स्तर है, जहाँ दोनों देशों के प्रतिनिधि विवादों पर चर्चा करते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं।
  - ✓ **तटस्थ विशेषज्ञ:** यदि तकनीकी मतभेद या प्रश्न अनसुलझे रहते हैं, तो कोई भी देश निर्णय लेने के लिए विश्व बैंक से एक 'तटस्थ विशेषज्ञ' (NE) नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।
  - ✓ **मध्यस्थता न्यायालय:** यदि कोई भी पक्ष तटस्थ विशेषज्ञ के निर्णय से असहमत होता है या संधि की व्याख्या को लेकर विवाद होता है, तो मामले को मध्यस्थता न्यायालय के पास भेजा जा सकता है।
- संधि के अनुसार, न तो भारत और न ही पाकिस्तान एकतरफा रूप से इस समझौते से पीछे हट सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद XII संधि के प्रावधानों में केवल एक "विधिवत अनुसमर्थित संधि" के माध्यम से ही संशोधनों की अनुमति देता है, जिस पर दोनों सरकारों को पारस्परिक रूप से सहमत होना चाहिए। इसका मूल अर्थ यह है कि किसी भी बदलाव के लिए शामिल दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।

स्थायी सिंधु आयोग

- यह विवाद समाधान प्रक्रिया का पहला चरण (प्रथम स्तर) है।
- इसमें दोनों पक्षों के आयुक्त शामिल होते हैं, जो जल-साझाकरण के मुद्दों, जलविद्युत संबंधी चिंताओं और पारिस्थितिक डेटा-साझाकरण के समाधान के लिए प्रतिवर्ष (या अधिक बार) बैठक करते हैं।

संधि का महत्व

- सिंधु जल संधि (IWT) को दुनिया के सबसे टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय जल-साझाकरण समझौतों में से एक माना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों, सैन्य गतिरोधों और लंबे समय तक चले राजनयिक तनावों के बावजूद कायम रही है।
- प्रतिकूल राजनीतिक संबंधों के बावजूद, इसे अक्सर साझा जल संसाधनों पर संघर्ष प्रबंधन और सहयोग के एक सफल वैश्विक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।
- यह संधि इस सिद्धांत को भी परिलक्षित करती है कि सीमा पार की नदियों को एकतरफा कार्रवाइयों के बजाय कानूनी और संस्थागत तंत्र के माध्यम से शासित किया जाना चाहिए।

2.13. भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा (India's Prime Minister's Visit to the UAE)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री बुनियादी ढांचे और रणनीतिक कनेक्टिविटी (सामरिक जुड़ाव) के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा की।

अन्य संबंधित जानकारी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की।
- दोनों देशों ने **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति, रक्षा सहयोग, जहाज मरम्मत बुनियादी ढांचे, समुद्री कौशल विकास, सुपरकंप्यूटिंग** और निवेश से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- यूएई ने भारत के बैंकिंग, बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्रों में **5 अरब अमेरिकी डॉलर** के निवेश की घोषणा की, जो बढ़ते आर्थिक विश्वास और दीर्घकालिक रणनीतिक अभिसरण को दर्शाता है।

- यह यात्रा **पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य** को लेकर चिंताओं के बीच संपन्न हुई, जिसमें भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा हितों के कारण सुरक्षित समुद्री नौवहन और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेष बल दिया।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौता:** 30 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल के भंडारण और एलएनजी/एलपीजी (LNG/LPG) भंडारण में सहयोग के लिए ISPRL और ADNOC के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)।
  - ✓ यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और आपूर्ति में व्यवधानों के विरुद्ध सुदृढ़ता प्रदान करता है।
- **दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति समझौता:** दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति के लिए IOCL और ADNOC के बीच रणनीतिक सहयोग।
  - ✓ घरेलू उपभोग के लिए विश्वसनीय एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए ढांचा:** रक्षा विनिर्माण, नवाचार, साइबर रक्षा, समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण और सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग।
  - ✓ रक्षा औद्योगिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- **वाडिनार, गुजरात में जहाज मरम्मत क्लस्टर:** जहाज मरम्मत और अपतटीय निर्माण सुविधाओं के लिए CSL और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन।
  - ✓ **महत्व:** समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है और 'मेक इन इंडिया' का समर्थन करता है।
- **जहाज मरम्मत में कौशल विकास:** समुद्री कार्यबल प्रशिक्षण के लिए CSL, DDW और CEMS के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन।
  - ✓ जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत में कुशल जनशक्ति को सुदृढ़ करता है।
- **8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर:** 'इंडिया एआई मिशन' (IndiaAI Mission) के तहत सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए CDAC इंडिया और G42 के बीच साझेदारी।
  - ✓ **महत्व:** भारत के एआई मिशन और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमताओं को गति प्रदान करता है।

भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंध

ऐतिहासिक संबंध	• भारत और यूएई अरब सागर के पार मोतियों, खजूर, मसालों, वस्त्रों और मछली पालन से जुड़े सदियों पुराने व्यापार और सांस्कृतिक संबंध साझा रहे हैं। • राजनयिक संबंध आधिकारिक रूप से 1972 में स्थापित किए गए थे।
राजनीतिक संबंध	• प्रधानमंत्री मोदी की 2015 की यूएई यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। • यह संबंध नियमित उच्च-स्तरीय यात्राओं और BRICS, I2U2 और IMEEC जैसे मंचों में सहयोग के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुआ है।
आर्थिक संबंध	• द्विपक्षीय वस्तु व्यापार पहली बार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार किया, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 101.25 अरब डॉलर तक पहुंचा, और दोनों देशों का लक्ष्य 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। • यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और सातवां सबसे बड़ा निवेशक है, 2000-2025 की अबधि में संचयी FDI लगभग 25.19 अरब अमेरिकी डॉलर है। • प्रमुख निवेश क्षेत्र: अवसंरचना, ऊर्जा, फ़िनटेक, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर और पावर, जबकि यूएई ने भारत के अवसंरचना क्षेत्र में 75 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। • भारत-यूएई CEPA और INR-AED स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली ने व्यापार एकीकरण को मजबूत किया है और डॉलर पर निर्भरता कम की है। • यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का स्रोत है और LNG तथा LPG का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
रक्षा संबंध	• रक्षा सहयोग संयुत्तत रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के मार्गदर्शन में होता है। • सहयोग में सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, रक्षा विनिर्माण, प्रशिक्षण और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है।
सांस्कृतिक संबंध	• भारतीय सिनेमा, योग, शिक्षा और विरासत सहयोग के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। • अबू धाबी में 2024 में उद्घाटित BAPS हिंदू मंदिर गहरे होते सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है।
भारतीय प्रवासी	• लगभग 43 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं, जो देश के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय का निर्माण करते हैं। • भारतीय यूएई की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत को भेजी जाने वाली प्रेषण का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं।

- **यूएई की निवेश प्रतिबद्धताएं:** यूएई ने 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की: एमिरेट्स एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में 3 अरब डॉलर, एडीआईए द्वारा एनआईआईएफ (NIIF) के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर, और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा सम्मान कैपिटल (Sammaan Capital) में 1 अरब डॉलर का निवेश।
  - ✓ पूंजी प्रवाह का विस्तार करता है और रणनीतिक निवेश साझेदारी को मजबूत करता है।

- **मैत्री (MAITRI) का उपयोग करके वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर:** डिजिटल सीमा शुल्क और बंदरगाह कनेक्टिविटी ढांचा।
  - ✓ रसद लागत को कम करता है और कार्गो आवाजाही की दक्षता में सुधार करता है।

2.14. ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन, 2026 (BRICS Foreign Ministers' Summit 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।*

संदर्भ

हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) के अध्यक्ष के रूप में, 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में 'ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन' की मेजबानी की।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह बैठक "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और संधारणीयता/सतत विकास के लिए निर्माण" विषय के अंतर्गत आयोजित की गई थी।
- बैठक के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, आर्थिक सहयोग तथा 'BRICS@20' की प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा की गई।
- पिछली बैठकों के विपरीत, यह शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष विशेष रूप से ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से जुड़े तनाव पर मतभेदों के कारण एक संयुक्त मंत्री-स्तरीय विज्ञप्ति के बिना ही समाप्त हो गया। इसके स्थान पर भारत ने एक "अध्यक्ष का वक्तव्य और निष्कर्ष दस्तावेज़" जारी किया।
- भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स (BRICS) का वर्तमान अध्यक्ष है और वर्ष 2026 की उत्तरार्ध अवधि में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
  - ✓ भारत वर्ष 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत ने वर्ष 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी।

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- **वैश्विक शासन में सुधार**
  - ✓ ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधिमूलक, लोकतांत्रिक तथा समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील/उत्तरदायी बनाने के लिए उनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
  - ✓ भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों और विकासशील देशों, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की।
- **BRICS@20 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना:** भारत के 'BRICS@20' एजेंडे के अंतर्गत चर्चाएं की गईं, जो मुख्य रूप से लचीलेपन, नवाचार, संधारणीयता/सतत विकास, आर्थिक सहयोग तथा वैश्विक दक्षिण के स्वर को सुदृढ़ करने पर केंद्रित थीं।
- **पश्चिम एशिया संघर्ष और आंतरिक मतभेद**
  - ✓ इस शिखर सम्मेलन में जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर व्यापक मतभेद देखे गए, विशेष रूप से ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दृष्टिकोण के संबंध में, जिसने सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाने की राह में बाधा उत्पन्न की।
  - ✓ जहाँ एक ओर सदस्य देशों ने व्यापक रूप से संप्रभुता के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर ईरान, इज़राइल, लाल सागर की सुरक्षा तथा बाहरी शक्तियों की भूमिका के संदर्भ में उनके बीच असहमति रही।
- **आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा सहयोग:** मंत्रियों ने सभी रूपों में आतंकवाद के प्रति अपने सख्त विरोध को दोहराया तथा आतंकवाद, उग्रवाद और पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ उन्नत/संवर्धित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया।

ब्रिक्स के बारे में

- "BRIC" शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने G7 अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ब्राजील, रूस, भारत और चीन की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला था।
- पहला आधिकारिक BRIC (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ (जिससे यह 'BRICS' बन गया)।
- वर्तमान में, इस समूह में 11 देश शामिल हैं: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात।
  - ✓ ब्रिक्स का पहला बड़ा विस्तार वर्ष 2024 में हुआ, जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इसके सदस्य देश बने। इसके बाद, वर्ष 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया।
  - ✓ वर्ष 2023 में अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु बाद में अर्जेंटीना ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जबकि सऊदी अरब द्वारा अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना अभी शेष है।

- ब्रिक्स देश लगभग 3.6 बिलियन (अरब) की संयुक्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 48% है।
  - ✓ क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40% है।
- यह ब्लॉक सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से एक अनौपचारिक समूह है, जिसका कोई निश्चित चार्टर या स्थायी सचिवालय नहीं है।
- वर्ष 2014 में इसका मुख्यालय शंघाई में स्थापित किया गया और 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (NDB), ब्रिक्स देशों तथा अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- ब्रिक्स 'आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था' (CRA) एक वित्तीय सुरक्षा जाल है, जो भुगतान संतुलन के संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को तरलता (नकदी) सहायता प्रदान करता है।

ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक मतभेद:** पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे संघर्षों पर सदस्य देशों के बीच के मतभेद आम सहमति बनाने और सामूहिक कूटनीतिक दृष्टिकोण को लगातार बाधित कर रहे हैं।
- **सामंजस्य के साथ विस्तार का संतुलन:** ब्रिक्स के तीव्र विस्तार ने इसके वैश्विक प्रभाव को तो बढ़ाया है, लेकिन विविध राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों के कारण इसने आंतरिक समन्वय को अधिक जटिल बना दिया है।
- **ब्रिक्स के भीतर आर्थिक विषमता:** समूह के भीतर चीन की प्रमुख/वर्चस्वशाली आर्थिक स्थिति सदस्य देशों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रभाव में असंतुलन को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **संस्थागत सीमाएँ:** ब्रिक्स के पास एक स्थायी सचिवालय और कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव है, जो इसकी क्रियान्वयन क्षमता और दीर्घकालिक नीति समन्वय को सीमित करता है।

सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

3.1. भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog Report on School Education System in India)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन से संबंधित विषय; स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

नीति आयोग ने "भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन के लिए कालिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा" शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह रिपोर्ट एक दशक के दौरान भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का दीर्घकालिक मूल्यांकन करती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप एक नीतिगत रोडमैप प्रस्तावित करती है।
- यह रिपोर्ट पहुँच और नामांकन, बुनियादी ढांचा, समता और समावेशन, तथा अधिगम परिणामों (learning outcomes) जैसे प्रमुख मापदंडों के आधार पर स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का परीक्षण करती है।
- यह रिपोर्ट UDISE+ 2024-25, परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, NAS 2017 और 2021, तथा ASER 2024 के द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।
- यह रिपोर्ट वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति की समीक्षा करती है, उन चुनौतियों की पहचान करती है जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है, और स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में सार्वभौमिक पहुँच, सीखने के मानकों को ऊपर उठाने और समता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप एवं एक कार्यान्वयन रूपरेखा की सिफारिश करती है।

भारत में स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति

पैमाना और पहुँच

- आज भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का विस्तार 14.71 लाख स्कूलों तक है, जो 24.69 करोड़ से अधिक छात्रों को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है। इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है।
- प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) उच्च (90.9%) बना हुआ है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर 78.7% और उच्च माध्यमिक स्तर पर भागीदारी घटकर 58.4% रह जाती है।

अवसंरचना में सुधार

- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** स्कूलों के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं:
  - ✓ 97% से अधिक स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
  - ✓ 96% से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है।
  - ✓ सरकारी स्कूलों में बिजली की पहुंच में व्यापक सुधार हुआ है।
- पिछले एक दशक में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) बुनियादी ढांचे, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है, हालांकि क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं।

समता और समावेशन

- **लिंग समानता सूचकांक (GPI):** शिक्षा के अधिकांश चरणों में 'लिंग समानता सूचकांक' में सुधार हुआ है, जो स्कूली शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
- **समावेशी नामांकन:** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नामांकन में निरंतर वृद्धि हुई है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर।

सरकारी बनाम निजी स्कूलिंग प्रवृत्ति

- रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में नामांकन में क्रमिक गिरावट और कई राज्यों में निजी संस्थानों के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को रेखांकित किया गया है।
- सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्ष 2005 के लगभग 71% से घटकर 2024-25 में तकरीबन 49% रह गया है।

अधिगम परिणामों में कमी

- पहुंच और बुनियादी ढांचे में प्रगति के बावजूद, अधिगम परिणाम एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं:
  - ✓ ASER 2024 के अनुसार, कक्षा 3 के केवल 27% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ (text) पढ़ सकते थे।
  - ✓ कक्षा 5 के केवल 31% छात्र ही 'भाग' के बुनियादी सवाल हल कर सके।
  - ✓ कई राज्यों में गणित और उच्च-स्तरीय तर्क क्षमता में बच्चों का प्रदर्शन विशेष रूप से कम हुआ है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

(A) प्रणालीगत सिफारिशें

- **स्कूली प्रणाली में सुधार और संरचनात्मक निरंतरता सुनिश्चित करना:** एकीकृत/संयुक्त स्कूलों का विस्तार और विभिन्न चरणों के बीच निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करना।
- **स्कूली बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना:** कक्षाओं, बिजली, आईसीटी (ICT), प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और समावेशी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **शासन में सुधार और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि:** डेटा-संचालित शासन, संस्थागत नेतृत्व और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना।
- **स्कूली गुणवत्ता पर राज्य और जिला टास्क फोर्स के माध्यम से "संपूर्ण-समाज" दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना:** बहु-हितधारक समन्वय और विकेंद्रीकृत सुधार निगरानी सुनिश्चित करना।
- **स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs/SDMCs) को सशक्त बनाना और 'बॉटम-अप' योजना को संस्थागत बनाना:** सामुदायिक भागीदारी, विकेंद्रीकृत योजना और स्थानीय जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- **शिक्षक तैनाती, व्यावसायिक क्षमता और करियर प्रगति को उन्नत करना:** शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती, निरंतर प्रशिक्षण और योग्यता-आधारित पदोन्नति सुनिश्चित करना।
- **समावेशी शिक्षा के लिए डिजिटल और ब्रॉडकास्ट-आधारित शिक्षण का सुदृढ़ीकरण और विस्तार:** डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कनेक्टिविटी और प्रसारण शिक्षा का विस्तार करना।
- **समानता और समावेश को बढ़ावा देना:** वंचित समूहों के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।

(B) शैक्षणिक सिफारिशें

- **शिक्षणशास्त्र, मूल्यांकन और आधारभूत शिक्षा में सुधार:** प्रतिस्पर्धा-आधारित शिक्षण), आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) को सुदृढ़ करना तथा मूल्यांकन सुधार।
- **समग्र शिक्षा और छात्र कल्याण को बढ़ावा देना:** मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक-भावात्मक शिक्षण, कला, खेल और जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित करना।
- **स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल एकीकरण को सुदृढ़ करना:** व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना और उद्योग-संबद्ध कौशल विकास सुनिश्चित करना।
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को सुदृढ़ करना:** आंगनवाड़ी-स्कूल एकीकरण और बेहतर 'स्कूल रेडीनेस' कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- **शिक्षण नवाचार और प्रणालीगत तैयारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एकीकरण:** AI-सक्षम व्यक्तिगत शिक्षण और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणालियों का विकास।

3.2. उच्चतम न्यायालय ने RTE के तहत विद्यार्थियों के 'अनिवार्य प्रवेश' की पुष्टि की (SC Upholds Mandatory Admission of Students Under RTE)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व; स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत प्रवेश की अनिवार्य प्रकृति की पुष्टि की है, जिससे समावेशी शिक्षा की कानूनी प्रवर्तनीयता को बल मिला है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में निजी स्कूलों और राज्य अधिकारियों के बीच बार-बार होने वाले विवादों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- यह निर्णय लखनऊ स्थित एक निजी स्कूल द्वारा पड़ोस के स्कूल में 25% RTE कोटे के तहत चयनित बच्चे को राज्य के आवंटन के बावजूद प्रवेश देने से इनकार करने के बाद दिया गया है।
- न्यायालय ने RTE प्रवेशों को विशेष रूप से कमजोर वर्गों के पूर्व-प्राथमिक/कक्षा I के छात्रों के लिए, "राष्ट्रीय मिशन" के रूप में वर्णित किया है, जो शिक्षा तक समान पहुंच के संवैधानिक मूल्य को रेखांकित करता है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य अवलोकन

- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि स्कूल RTE अधिनियम के तहत राज्य द्वारा आवंटित छात्रों को बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं, और वे प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पात्रता या प्रतिपूर्ति से संबंधित विवादों को अलग से सुलझाया जाना चाहिए और इन्हें प्रवेश रोकने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व-प्राथमिक/कक्षा I के छात्रों के लिए धारा 12(1)(c) के तहत 25% आरक्षण एक "राष्ट्रीय मिशन" है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और शैक्षिक असमानता को कम करना है।
- यह अवलोकन किया गया कि RTE ढांचे के तहत प्रवेश से इनकार करना अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- निर्णय में आगे इस बात पर बल दिया गया कि एक बार जब सरकार लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दे देती है, तो निजी स्कूलों के पास ऐसे निर्णयों को रद्द करने का कोई विवेकाधीन प्राधिकार नहीं होता है।
- न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को धारा 38 के तहत 25% कोटे को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि केवल एसओपी (SOP) आधारित दिशा-निर्देशों के बजाय ठोस कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

RTE अधिनियम, 2009 के बारे में

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, संविधान के अनुच्छेद 21A को क्रियान्वित करता है, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था।
- यह 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
- अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रवेश स्तर की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।
- यह अधिनियम स्क्रीनिंग टेस्ट (चयन परीक्षा), कैपिटेशन शुल्क (प्रति व्यक्ति शुल्क) और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, जिससे शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा मिलता है।

निर्णय का महत्व

- **मौलिक अधिकारों का सुदृढ़ीकरण:** यह निर्णय अनुच्छेद 21A की प्रवर्तनीयता को पुष्ट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चों की शिक्षा के अधिकार को संस्थागत या प्रशासनिक बाधाओं द्वारा क्षीण नहीं किया जा सकता है।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा:** EWS प्रवेशों के सख्त अनुपालन को अनिवार्य बनाकर, यह निर्णय विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के एकीकरण को बढ़ावा देता है, जो वास्तविक समानता में योगदान देता है।
- **स्कूलों की मनमानी प्रथाओं पर अंकुश:** यह निर्णय निजी स्कूलों के विवेकाधीन अधिकारों को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा आवंटित प्रवेश बाध्यकारी हों, जिससे सीटों के अनुचित इनकार को रोका जा सके।
- **RTE के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन:** यह निर्णय कानूनी ढांचे को मजबूती और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे विभिन्न राज्यों में धारा 12(1)(c) के कार्यान्वयन में सुधार होगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- निजी स्कूल अक्सर राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति में होने वाली देरी के संबंध में चिंता व्यक्त करते हैं, जो अनुपालन को प्रभावित करता है।
- लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी, दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताएं और प्रशासनिक अक्षमताएं जैसी बाधाएं शिक्षा तक पहुँच को सीमित करना जारी रखती हैं।
- स्कूलों के भीतर सामाजिक भेदभाव और छिपे हुए खर्चों के उदाहरण समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।
- कुछ श्रेणियों के संस्थानों, जैसे कि अल्पसंख्यक स्कूलों को दी गई छूट, RTE प्रावधानों के असमान कार्यान्वयन संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- सरकारों को वित्तीय चिंताओं को दूर करने और सहयोग में सुधार करने के लिए निजी स्कूलों को समय पर और पर्याप्त प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- पारदर्शी और डिजिटल प्रवेश प्रणालियों को अपनाने से विवादों को कम किया जा सकता है और जवाबदेही को बढ़ाया जा सकता है।
- पात्र परिवारों को RTE प्रावधानों का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और आउटरीच कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) जैसे संस्थानों सहित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने से कार्यान्वयन के परिणामों में सुधार हो सकता है।

3.3. भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025,रिपोर्ट (Women and Men in India 2025, Report)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।*

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भुवनेश्वर में "डेटा फॉर डेवलपमेंट" पर आयोजित राष्ट्रीय विचार-विमर्श शिखर सम्मेलन में "भारत में महिलाएँ और पुरुष 2025: चयनित संकेतक और आँकड़े" का 27वां संस्करण जारी किया।

रिपोर्ट के बारे में

- भारत में महिला एवं पुरुष 1995 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा निकाला जाने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है, जो एक व्यापक लिंग-विभेदित सांख्यिकीय संग्रह प्रदान करता है।
- 2025 का संस्करण कई मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के डेटा को संकलित करता है, जिसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- इसमें मेटाडेटा के साथ 50 प्रमुख संकेतक शामिल हैं, जो परिभाषाओं, स्रोतों और कार्यप्रणाली पर स्पष्टता बढ़ाते हैं और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) तथा संयुक्त राष्ट्र (UN) के लिंग संकेतकों जैसे वैश्विक ढांचे के अनुरूप हैं।
- यह रिपोर्ट ग्रामीण-शहरी, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और समय-श्रृंखला आयामों में डेटा प्रस्तुत करती है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और लैंगिक असमानताओं की निगरानी संभव हो पाती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **जनसांख्यिकी और जनसंख्या:** अखिल भारतीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो वर्ष 2017-19 के दौरान 904 था और वर्ष 2021-23 में बढ़कर 917 हो गया है। यह देश में बालिकाओं के अस्तित्व और उनकी समग्र स्थिति में क्रमिक सुधार का संकेत देता है।
  - ✓ यह बढ़ता रुझान सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव और जन्म के समय लैंगिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों को दर्शाता है।

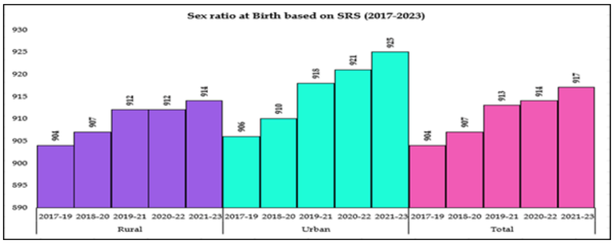

- **स्वास्थ्य संकेतक:** वर्ष 2008 और 2023 के बीच पुरुष और महिला दोनों शिशुओं की शिशु मृत्यु दर (IMR) में निरंतर और सतत गिरावट दर्ज की गई है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करती है।
  - ✓ यह गिरावट देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, उन्नत पोषण और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का संकेत देती है।
- **शिक्षा:** प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता प्राप्त कर ली गई है, जो स्कूली व्यवस्था में लड़कों और लड़कियों की संतुलित भागीदारी को दर्शाती है।
  - ✓ उच्च शिक्षा में, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) वर्ष 2021-22 के 28.5 से बढ़कर 2022-23 में 30.2 हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान पुरुषों के लिए यह 28.3 से बढ़कर 28.9 हो गया।
  - ✓ यह महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और लैंगिक अंतराल के क्रमिक रूप से कम होने को दर्शाता है।
- **आर्थिक भागीदारी:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में वृद्धि हुई है, जो कार्यबल की संलग्नता में व्यापक विस्तार को प्रदर्शित करती है।
  - ✓ विशेष रूप से, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2022 के 37.5% से बढ़कर 2025 में 45.9% हो गई। यह आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की संलिप्तता में महत्वपूर्ण वृद्धि का सुझाव देता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया:** वर्ष 2017 और 2025 के बीच प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 102.54% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पुरुषों के प्रतिनिधित्व में 73.80% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - ✓ यह इंगित करता है कि नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में अधिक रही है, जो कार्यस्थल में निर्णय लेने वाले पदों के भीतर लैंगिक प्रतिनिधित्व में क्रमिक लेकिन सार्थक सुधार को दर्शाता है।

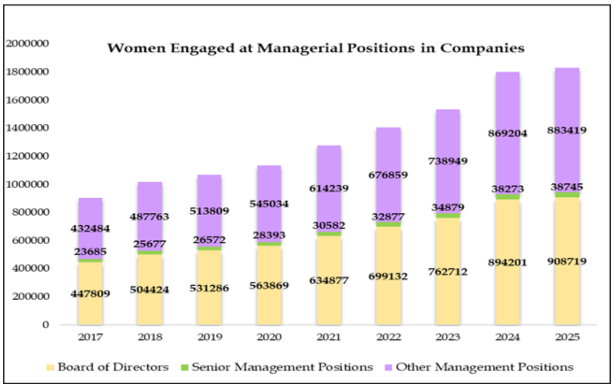

- **डेटा प्रणाली और लैंगिक सांख्यिकी:** 50 संकेतकों के लिए 'मेटाडेटा' की शुरुआत ने वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाया है, जिससे कार्यप्रणाली संबंधी पारदर्शिता में सुधार हुआ है और लैंगिक सांख्यिकी की बेहतर व्याख्या हो पाती है।
  - ✓ लिंग-विभेदित डेटा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण संरचनात्मक

असमानताओं की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों को बेहतर बनाने में सहायता करता है।

✓ यह राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और "कोई भी पीछे न छूटे" के सिद्धांत की निगरानी का भी समर्थन करता है।

- **व्यापक संरचनात्मक अंतर्दृष्टि:** लैंगिक सांख्यिकी को स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन जैसे क्षेत्रों में तेजी से एक अत्याधुनिक और अनिवार्य तत्व के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो समग्र विकास योजना में इनके महत्व को रेखांकित करता है।

✓ रिपोर्ट प्रभावी नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और विकास परिणामों की निगरानी के लिए डेटा-संचालित लैंगिक विश्लेषण की आवश्यकता पर बल देती है।

✓ निरंतर संस्थागत प्रयासों का लक्ष्य जैसे कि लैंगिक सांख्यिकी पर विशेषज्ञ समिति (2025), डेटा अंतराल को पाटने और लिंग-संबंधी डेटा प्रणालियों के समग्र कवरेज का विस्तार करना है।

3.4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 दिशानिर्देश (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram 2.0 Guidelines)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

देश में बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में संपन्न 'सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सर्वोत्तम पद्धतियों और नवाचारों पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन' में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के बारे में

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) का उद्देश्य शीघ्र जांच, पहचान और निःशुल्क उपचार के माध्यम से बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **वित्तीय राहत:** यह बीमारी के बोझ और चिकित्सा पर होने वाले व्यक्तिगत व्यय को कम करने पर केंद्रित है।
- **कवरेज:** यह कार्यक्रम जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है, जिससे जीवन के विभिन्न चरणों में देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित होती है। जांच सामुदायिक और संस्थागत स्तरों पर की जाती है।
- **4Ds दृष्टिकोण:** RBSK चार श्रेणियों पर आधारित है—जन्म दोष, बीमारियाँ, कमियाँ, और विकासात्मक देरी । इसमें लगभग 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच शामिल है।
- **जांच तंत्र:** जांच प्रसव केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में की जाती है। आशा (ASHA) कार्यकर्ता भी HBNC/HBYC कार्यक्रमों के तहत नवजात शिशुओं की जांच करती हैं।
- **उपचार और रेफरल:** स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों को निदान और उपचार के लिए जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (DEICs) में भेजा जाता है। गंभीर मामलों को पैनल में शामिल निजी अस्पतालों सहित तृतीयक देखभाल केंद्रों से जोड़ा जाता है।
- **निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ:** सर्जरी सहित सभी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। यह समय पर उपचार सुनिश्चित करता है और परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करता है।
- **कार्यक्रम की पहुँच:** वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक लगभग 160.82 करोड़ बच्चों की जांच की जा चुकी है। लगभग 5.63 करोड़ बच्चों ने माध्यमिक या तृतीयक देखभाल उपचार प्राप्त किया है।

RBSK 2.0 दिशानिर्देश

- **विस्तारित कार्यक्षेत्र:** RBSK 2.0 गैर-संचारी रोगों (NCDs), मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और व्यवहार संबंधी विकारों को शामिल करके '4Ds' ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करता है। यह बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरती नई चुनौतियों को दर्शाता है।
- **जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण:** यह कार्यक्रम अब जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के व्यापक, जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण पर बल देता है। यह छिटपुट हस्तक्षेपों के बजाय निरंतर देखभाल सुनिश्चित करता है।
- **बेहतर जांच:** जांच के दायरे में अब विकासात्मक विकार, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ और गैर-संचारी रोगों (NCD) के जोखिम कारक भी शामिल हैं। मोबाइल स्वास्थ्य टीमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अपनी पहुँच जारी रखेंगी।
- **सुदृढ़ रेफरल प्रणाली:** स्पष्ट रेफरल मार्ग जांच से लेकर उपचार तक का सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। एक ट्रैकिंग प्रणाली 'ड्रॉपआउट' (बीच में उपचार छोड़ना) को कम करती है और अनुवर्ती देखभाल सुनिश्चित करती है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण:** दिशानिर्देशों में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, वास्तविक समय डेटा प्रणाली और एकीकृत प्लेटफॉर्म पेश किए गए हैं। ये निगरानी, दक्षता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करते हैं।
- **बहु-क्षेत्रीय अभिसरण:** यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र मुख्य सेवा वितरण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।

3.5. जन सुरक्षा योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 11 वर्ष पूर्ण किए (Jan Suraksha Schemes Complete 11 Years of Social Security Coverage)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

9 मई 2015 को शुरू की गई जन सुरक्षा योजनाएं—प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह समाज के संवेदनशील वर्गों तक किफायती बीमा और पेंशन कवरेज के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में

	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	अटल पेंशन योजना (APY)
योजना की मुख्य विशेषताएँ	• यह एक एक-वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। • इसका कार्यान्वयन एलआईसी (LIC) और अन्य जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से किया जाता है।	• यह एक एक-वर्षीय नवीकरणीय दुर्घटना बीमा योजना है, जो सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता के लिए कवर प्रदान करती है।	• यह एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का निर्माण करना है। • इसका प्रशासन पी.एफ.आर.डी.ए. (PFRDA) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत किया जाता है।
पात्रता की शर्तें	• पात्रता: 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक, जिन्होंने 'ऑटो-डेबिट' (खाते से स्वतः राशि कटने) की सहमति दी हो। • नामांकन के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग किया जा सकता है।	• पात्रता: 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक, जिन्होंने 'ऑटो-डेबिट' की सहमति दी हो। • नामांकन के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग किया जा सकता है।	• पात्रता: 18-40 वर्ष की आयु के उन बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं।
नामांकन अवधि	• कवरेज की अवधि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक होती है।	• पात्रता: 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक, जिन्होंने 'ऑटो-डेबिट' की सहमति दी हो। • नामांकन के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग किया जा सकता है। • कवरेज की अवधि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक होती है।	• बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
प्रीमियम	• ऑटो-डेबिट के माध्यम से ₹436 प्रति वर्ष। विलंबित नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम लागू होगा।	• ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रति वर्ष 20 रुपये।	• अंशदान की राशि चुनी गई पेंशन राशि और प्रवेश की आयु के आधार पर भिन्न होती है। अंशदान मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।
लाभ	• किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु पर ₹2 लाख का बीमा कवर देय। • नामांकन की तिथि से 30 दिनों की 'लीन अवधि' (lien period) लागू होती है।	• आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख। आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख की राशि देय है।	• 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की गारंटीकृत मासिक पेंशन। • अंशधारक की मृत्यु के बाद पेंशन पति/पत्नी को जारी रहती है, और उसके पश्चात कुल संचित राशि नामांकित व्यक्ति को लौटा दी जाती है।
उपलब्धियाँ (29 अप्रैल 2026 तक)	• नामांकन का आंकड़ा 27.43 करोड़ के पार पहुंच गया है। • 10.75 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए ₹21,512.50 करोड़ मूल्य के दावों का निपटान किया गया। • महिला नामांकन 12.72 करोड़ रहा, जबकि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाताधारकों के नामांकन का आंकड़ा 8.09 करोड़ तक पहुंच गया।	• कुल नामांकन का आंकड़ा 58.09 करोड़ के पार पहुंच गया है। • 1.84 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए ₹3,667.52 करोड़ मूल्य के दावों का निपटान किया गया। • महिला नामांकन 27.45 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाताधारकों का नामांकन 19.30 करोड़ रहा।	• 9.04 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने योजना के तहत नामांकन कराया है। • कुल अंशधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49% है।

3.6. जननी प्लेटफॉर्म (JANANI Platform)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'जननी' (JANANI - Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

जननी (JANANI) प्लेटफॉर्म के बारे में

- जननी एक सेवा-उन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे प्रजनन आयु की महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की व्यापक रूप से निगरानी करने और उन्हें बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मौजूदा आरसीएच (RCH) पोर्टल के उन्नत संस्करण के रूप में विकसित यह प्लेटफॉर्म, देखभाल के निरंतर क्रम में प्रमुख सेवा वितरण घटनाओं को दर्ज करके एक अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करता है।
- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है, जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, नवजात और छोटे बच्चों की घरेलू देखभाल और परिवार नियोजन शामिल हैं।
- इस प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
  - ✓ क्यूआर (QR) सक्षम डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) कार्ड
  - ✓ बायोमेट्रिक सत्यापन
  - ✓ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए स्वचालित अलर्ट
  - ✓ निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रसव के संभावित स्थान की जानकारी तक पहुँच
- यह नागरिकों को प्रसव पूर्व देखभाल दौरों और टीकाकरण के **समय पर निर्धारण और निगरानी** में सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह अलर्ट और रिमाइंडर भी भेजता है ताकि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण पड़ाव छूट न जाए।
- इस प्लेटफॉर्म को सशक्त अंतरसंचालनीयता विशेषताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो U-WIN और POSHAN जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है। इससे निर्बाध डेटा विनिमय, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच बेहतर समन्वय और विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों की व्यापक निगरानी सुनिश्चित होती है।

3.7. विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2026 (World Health Statistics, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026' रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में वैश्विक प्रगति असमान बनी हुई है और वर्ष 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है।

अन्य संबंधित जानकारी

- विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है, जो WHO के सदस्य देशों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और सतत विकास लक्ष्य संकेतकों को संकलित करता है।
- वर्ष 2026 का संस्करण SDG 3 (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली) तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करता है, और साथ ही WHO के "ट्रिपल बिलियन लक्ष्यों" का भी आकलन करता है।
- यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न किए, जिससे जीवन प्रत्याशा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और रोग नियंत्रण में पिछले कई वर्षों की प्रगति उलट गई है।
- यह आकलन देशों की रिपोर्टिंग प्रणालियों, डब्ल्यूएचओ के डेटाबेस, एसडीजी संकेतकों और कोविड-19 महामारी से जुड़ी अत्यधिक मृत्यु दर के अनुमानों पर आधारित है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की ओर धीमी प्रगति:** WHO ने चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में वैश्विक प्रगति असमान बनी हुई है और वर्ष 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है।
- **संक्रामक रोगों की प्रवृत्तियाँ:** रिपोर्ट में वर्ष 2010 और 2024 के बीच कुछ संक्रामक रोगों में दीर्घकालिक सुधार दर्ज किए गए हैं:
  - ✓ नए एचआईवी (HIV) संक्रमणों में लगभग 40% की कमी आई है।
  - ✓ तपेदिक (टीबी) के मामलों में लगभग 12% की गिरावट दर्ज की गई है।
  - ✓ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के उपचार और

हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में 36% की कमी आई है।
  - ✓ हालांकि, वर्ष 2015 के बाद से वैश्विक मलेरिया के मामलों में 8.5% की वृद्धि हुई है, जो सतत विकास लक्ष्य (SDG) के मार्ग से विचलित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- **कोविड-19 और अत्यधिक मृत्यु दर**
  - ✓ WHO के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020 और 2023 के बीच कोविड-19 महामारी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 22.1 मिलियन अत्यधिक मौतें हुईं, जो आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई 7 मिलियन मौतों से लगभग तीन गुना अधिक हैं।
  - ✓ इस महामारी ने वैश्विक जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (HALE) में पिछले लगभग एक दशक में हासिल की गई बढ़त को समाप्त कर दिया है।
- **मातृ, बाल और गैर-संक्रामक रोग:** 2000 से,
  - ✓ मातृ मृत्यु दर में लगभग 40% की गिरावट आई है।
  - ✓ पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 51% की कमी आई है।
  - ✓ चार प्रमुख गैर-संचारी रोगों जैसे- हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और जीर्ण श्वसन रोग से होने वाली अकाल मृत्यु में 20% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
  - ✓ हालांकि, सतत विकास लक्ष्य (SDG) के दौर में प्रगति धीमी हुई है, और कई देशों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति नहीं देखी गई है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और वित्तीय बोझ**
  - ✓ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति काफी धीमी हो गई है, जिसमें वैश्विक UHC सेवा कवरेज सूचकांक वर्ष 2015 के 68 से बढ़कर वर्ष 2023 में केवल 71 हुआ है।
  - ✓ वैश्विक आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा स्वास्थ्य पर अपनी जेब से होने वाले खर्च के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है, जबकि वर्ष 2022 में लगभग 1.6 बिलियन लोग स्वास्थ्य खर्चों के कारण गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे या वे गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए थे।

WHO के ट्रिपल बिलियन लक्ष्य

- इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक यह सुनिश्चित करना है कि:
  - ✓ 1 बिलियन और अधिक लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से लाभान्वित हों।
  - ✓ 1 बिलियन और अधिक लोग स्वास्थ्य आपातकाल की स्थितियों से बेहतर रूप से सुरक्षित हों।
  - ✓ 1 बिलियन (1 अरब) और अधिक लोग बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली का आनंद ले सकें।

नीतिगत सिफारिशें

- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुदृढ़ करना:** देशों को जेब से होने वाले खर्च और वित्तीय कठिनाइयों को कम करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं तक सस्ती और न्यायसंगत पहुँच का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **महामारी की तैयारी में सुधार:** रोग निगरानी, आपातकालीन तैयारी, टीका प्रणालियों और लचीले सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
- **स्वास्थ्य असमानताओं को पाटना:** सरकारों को बेहतर मातृ स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से संवेदनशील/वंचित आबादी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **स्वास्थ्य डेटा प्रणालियों को मजबूत करना:** WHO ने समय पर मृत्यु दर रिपोर्टिंग, सुदृढ़ नागरिक पंजीकरण प्रणालियों और बेहतर स्वास्थ्य डेटा संग्रह एवं निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।

3.8. रोजगार और सामाजिक रुझानों पर ILO की रिपोर्ट (ILO Report on Employment and Social Trends)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी रिपोर्ट 'रोजगार और सामाजिक रुझान: मई 2026 अपडेट' में यह चेतावनी दी गई है कि मध्य पूर्व के वर्तमान संकट से वैश्विक आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है और इसका श्रम बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह रिपोर्ट व्यापक 'ILO रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 श्रृंखला' के तहत एक अपडेट है, जो वैश्विक श्रम बाजार की स्थितियों और उभरते जोखिमों का आकलन करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर रोजगारों का नुकसान, श्रमिक आय में गिरावट, कार्यदशाओं का बदतर होना और प्रवासी श्रमिकों तथा प्रेषण-आश्रित अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुभेद्यता बढ़ सकती है।
- यह रिपोर्ट विशेष रूप से तेल की बढ़ती कीमतों के वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे पोत परिवहन मार्गों में व्यवधान, पर्यटन गतिविधियों में कमी, मुद्रास्फीति के दबाव और निवेश प्रवाह के कम होने को रेखांकित करती है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक श्रम बाजार जोखिम

- एक गंभीर स्थिति तहत, जहाँ तेल की कीमतें जनवरी-फरवरी 2026 के औसत से लगभग 50% अधिक बढ़ जाती हैं:
  - ✓ वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले कार्य के घंटों में वर्ष 2026 में 0.5% और वर्ष 2027 में 1.1% की गिरावट आ सकती है, जो क्रमशः लगभग 14 मिलियन और 38 मिलियन पूर्णकालिक

नौकरियों के बराबर है।

- ✓ श्रमिकों की वास्तविक आय में वर्ष 2026 में 1.1% और वर्ष 2027 में 3% की कमी हो सकती है, जो क्रमशः लगभग 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि को दर्शाती है।
- ✓ वैश्विक बेरोजगारी दर में वर्ष 2026 में 0.1 प्रतिशत अंक और वर्ष 2027 में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में लगभग 5 मिलियन और वर्ष 2027 में लगभग 20 मिलियन अतिरिक्त लोग बेरोजगार हो सकते हैं।

प्रवासी श्रमिक और प्रेषण अर्थव्यवस्थाएँ सर्वाधिक संवेदनशील हैं

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों के अनुसार, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों में संकट की अवधि के दौरान स्थानीय नागरिकों के रोजगार में होने वाली प्रत्येक 1% की गिरावट की तुलना में, गैर-नागरिकों (प्रवासी श्रमिकों) के रोजगार में लगभग 4% की गिरावट आती है।
- इसलिए, प्रेषण-आश्रित विकासशील देशों को विदेशों में रोजगार के अवसरों में कमी और प्रेषण-प्रवाह के धीमा होने के कारण गंभीर आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

वैश्विक श्रम बाजारों में स्थायी संरचनात्मक कमजोरी

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अपेक्षाकृत स्थिर बेरोजगारी स्तरों के बावजूद, अत्यधिक अनौपचारिकता, बढ़ती असमानताओं, कमजोर उत्पादकता संवृद्धि, युवा बेरोजगारी और रोजगार की स्थिर गुणवत्ता के कारण वैश्विक श्रम बाजार संरचनात्मक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं।
- वैश्विक स्तर पर लगभग 2.1 बिलियन (210 करोड़) श्रमिक अभी भी बिना किसी पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा या श्रम अधिकारों के अनौपचारिक रोजगार में संलग्न हैं।

शिष्ट कार्य और सामाजिक स्थायित्व के लिए जोखिम

- ILO ने चेतावनी दी है कि दीर्घकालिक भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक झटके विशेष रूप से कम आय वाले और विकासशील देशों में गरीबी को बढ़ा सकते हैं, असमानताओं को गहरा कर सकते हैं तथा "शिष्ट कार्य घाटे" में वृद्धि कर सकते हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

- **ऊर्जा और मुद्रास्फीति पर प्रभाव:** कच्चे तेल के आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता इसे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में होने वाली वृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है और श्रम-गहन क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
- **विदेशी रोजगार और प्रेषण के लिए जोखिम:** खाड़ी देशों में भारत के प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है; क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं या श्रम की मांग में किसी भी प्रकार की मंदी रोजगार के अवसरों और प्रेषण-प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।
- **अनौपचारिक और संवेदनशील श्रमिकों पर दबाव:** उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से परिवहन, रसद, एमएसएमई (MSMEs) और निर्माण क्षेत्रों में संलग्न श्रमिकों को।

ILO द्वारा की गईं नीतिगत अनुशंसाएं

- **सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना:** सरकारों को संवेदनशील श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, बेरोजगारी सहायता और श्रम संरक्षणों का विस्तार करना चाहिए।
- **श्रम बाजार के लचीलेपन को बढ़ाना:** बाहरी आर्थिक झटकों को सहन करने के लिए कौशल विकास, कार्यबल अनुकूलनशीलता और रोजगार विविधीकरण में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
- **प्रवासी श्रमिकों का संरक्षण:** रिपोर्ट में प्रवासी श्रमिकों के लिए सशक्त सुरक्षा उपायों, निष्पक्ष भर्ती प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहयोग पर बल दिया गया।
- **समन्वित वैश्विक आर्थिक प्रतिक्रिया:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने, भू-राजनीतिक तनावों को कम करने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया।

3.9. WHO ने इबोला वायरस को 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया (WHO Declares Ebola Outbreak a Public Health Emergency of International Concern)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन में उनके अनुप्रयोग।*

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला के दुर्लभ 'बुंडीबुग्यो स्ट्रेन' के प्रसार के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला के प्रकोप को 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इबोला का यह नवीनतम प्रकोप पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के इतूरी प्रांत से शुरू हुआ और बाद में सीमा पार आवाजाही के माध्यम से युगांडा में फैल गया, जिसके पुष्ट मामले कंपाला में भी दर्ज किए गए हैं।
- यह प्रकोप 'बुंडीबुग्यो इबोलावायरस' (BDBV) स्ट्रेन के कारण हुआ है। दरअसल, इस वायरस की पहचान पहली बार वर्ष 2007 में युगांडा में की गई थी और इसके लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है।
- यह प्रकोप क्षेत्र सशस्त्र संघर्ष, विस्थापन, अत्यधिक छिद्रित सीमाओं और कमजोर स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे से प्रभावित है, जिससे यहाँ नियंत्रण के प्रयासों में जटिलता आ रही है तथा इबोला के व्यापक प्रसार की चिंताएं बढ़ रही हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक समन्वय, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों को दुरस्त करने के लिए इस प्रकोप को 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किया है।

इबोला रोग के बारे में

- रोग (EVD/EBOD) एक दुर्लभ लेकिन गंभीर **पशुजन्य** वायरल बीमारी है, जो 'फिलोविरिडे' कुल के 'ऑर्थोइबोलावायरस' जीनस से संबंधित वायरसों के कारण होती है।
- इस बीमारी की पहचान पहली बार वर्ष 1976 में वर्तमान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में इबोला नदी के निकट की गई थी।
- **फ्रूट बैट्स (फल खाने वाले चमगादड़)** को इस वायरस का प्राकृतिक पोषिता माना जाता है।
- यह बीमारी संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलती है और बाद में संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से अन्य मनुष्यों में फैलती है।
- मानव-से-मानव संचरण रक्त, उल्टी, लार, मूत्र, मल, वीर्य या दूषित सतहों/सामग्रियों के संपर्क में आने से होता है।
- इबोला से संक्रमित व्यक्ति केवल लक्षण दिखाई देने के बाद ही संक्रामक होता है।
- इसके शरीर में रोगजनक के प्रवेश करने से लेकर, रोग के पहले लक्षण प्रकट होने के बीच की समयावधि या उद्भवन अवधि 2 से 21 दिनों की होती है, और लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 8 से 10 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं।
- इसकी औसत मृत्यु दर लगभग 50% है, हालांकि यह स्ट्रेन और उपचार की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

- **मानव रोग का कारण बनने वाले इबोला वायरसों के प्रकार**
  - ✓ इबोला वायरस (EBOV) → इबोला वायरस रोग (EVD)
  - ✓ सूडान वायरस (SUDV) → सूडान वायरस रोग (SVD)
  - ✓ बुंडीबुग्यो वायरस (BDBV) → बुंडीबुग्यो वायरस रोग (BVD)
  - ✓ ताई फॉरेस्ट वायरस
- **निदान:** निदान की पुष्टि प्रयोगशाला जाँचों के माध्यम से की जाती है, जैसे:
  - ✓ आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन)
  - ✓ एलिसा (ELISA) जाँच
  - ✓ एंटिजन-कैप्चर डिटेक्शन जाँच
  - ✓ कोशिका संवर्धन से वायरस आइसोलेशन

How Ebola systematically attacks the human body

Symptoms may appear two to 21 days after contact and can get progresssively worse

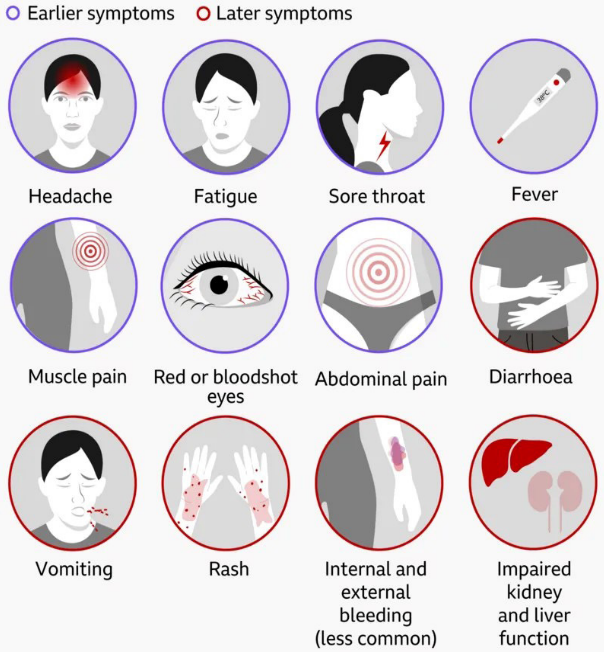

Source: World Health Organization, Cleveland Clinic BBC

- **उपचार और टीके:** शीघ्र गहन सहायक देखभाल, जिसमें पुनर्जलीकरण और लक्षणों का प्रबंधन शामिल है, जीवित रहने की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार करती है।
  - ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन जायरे स्ट्रेन के कारण होने वाले इबोला वायरस रोग के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार, जैसे कि mAb114 (एंसुविमैब) और REGN-EB3 (इन्माज़ेब) की सिफारिश करता है।

- ✓ अनुमोदित टीकों में शामिल हैं: इरवेबो (एकल-खुराक टीका) तथा जैबडेनो और म्वाबेआ (दो-खुराक वाला नियम)।
- ✓ हालाँकि, वर्तमान प्रकोप में शामिल बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है, यद्यपि संभावित टीके विकासाधीन हैं।
- ✓ **रोकथाम और नियंत्रण के उपाय:** रोकथाम और नियंत्रण के उपायों में तत्काल रोगी पृथक्करण, संपर्कों की खोज, सुरक्षित अंतिम संस्कार, सख्त संक्रमण-नियंत्रण अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता अभियान शामिल हैं।
- ✓ स्वास्थ्य कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जबकि लोगों को संक्रमित व्यक्तियों, उनके शारीरिक तरल पदार्थों और संक्रमित वन्यजीवों के संपर्क में आने से बचना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) के बारे में

- PHEIC अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित वैश्विक स्वास्थ्य सतर्कता का सर्वोच्च स्तर है।
- यह तब घोषित किया जाता है जब कोई स्वास्थ्य संबंधी घटना गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशित होती है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का जोखिम होता है, जिसके लिए एकसमन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- PHEIC की घोषणा से निम्नलिखित को सक्षम बनाती है:
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया।
  - ✓ फंड, टीकों और चिकित्सा संसाधनों का त्वरित संग्रहण।
  - ✓ उन्नत रोग निगरानी और तैयारी।
  - ✓ स्क्रीनिंग, यात्रा और रोकथाम के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अस्थायी सिफारिशें जारी करना।
- हालाँकि, PHEIC घोषित होने का स्वतः ही यह अर्थ नहीं होता कि महामारी की घोषणा कर दी गई है।

अर्थव्यवस्था और कृषि

4.1. भारत और न्यूज़ीलैण्ड मुक्त व्यापार समझौता (India and New Zealand Free Trade Agreement)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।*

सामान्य अध्ययन-3: *उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।*

संदर्भ

भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य विस्तारित बाजार पहुंच, उन्नत सेवा सहयोग और निवेश प्रवाह में वृद्धि के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करना है।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत द्वारा किया गया 7वाँ मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें नवीनतम समझौता दिसंबर 2025 में ओमान के साथ किया गया है।
- यह FTA न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क मुक्त या अधिमान्य पहुंच सुनिश्चित करता है, साथ ही यह व्यापक ओशिनिया और प्रशांत द्वीपीय देशों के बाजारों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है।
- दोनों देशों में सभी घरेलू प्रक्रियाओं के पूर्ण होने और अनुसमर्थन के पश्चात यह FTA लागू होगा।

- भारत -ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), 2025
- भारत -यूकें व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA), 2025
- भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) स्विट्ज़रलेंड, नॉर्वे, आइसलेंड और लिकटेंस्टीन के साथ, 2024
- भारत- संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), 2022
- भारत- ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA), 2022
- भारत – मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी (CECPA), 2021

भारत-न्यूज़ीलैंड संबंध

- **वस्तु व्यापार:** वर्ष 2023-24 के 873 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें 49% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **न्यूजीलैंड को वस्तु निर्यात:** वर्ष 2024-25 में बढ़कर 711 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 32% की सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- **सेवा व्यापार:** वर्ष 2024 में न्यूजीलैंड को भारत का सेवा निर्यात 13% बढ़कर 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक तक पहुँच गया।
  - ✓ प्रमुख क्षेत्रों में यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएँ सम्मिलित हैं।
- **आकार:** वर्तमान में, न्यूजीलैंड ओशिनिया क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- **मानव संसाधन:** न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों (NRIs) की संख्या लगभग 3,00,000 है, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 5% है।
- **व्यापार संतुलन:** वर्तमान में न्यूजीलैंड के साथ भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक है।

भारत-न्यूज़ीलैण्ड FTA के मुख्य पहलू

- **टैरिफ की समाप्ति:** यह मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के 100% निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जिसमें सभी टैरिफ लाइनें सम्मिलित हैं।
- **चरणबद्ध उदारीकरण:** भारत ने द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के 95% हिस्से को कवर करने वाली 70.03% टैरिफ लाइनों पर शुल्क उदारीकरण की पेशकश की है, जबकि भारत के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए 29.97% टैरिफ लाइनों को इससे बाहर रखा गया है।
  - ✓ 30% टैरिफ लाइनों पर शुल्क तत्काल समाप्त कर दिया गया है,

जबकि शेष को 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

- **घरेलू सुरक्षा उपाय:** भारत में घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु डेयरी, कॉफी, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल, रबर आदि जैसे कई संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है।
- **निवेश:** न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सुगम बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो विनिर्माण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, सेवाओं और नवाचार जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा।
- **सेवा क्षेत्र का उदारीकरण:** न्यूजीलैंड ने आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन और व्यावसायिक सेवाओं सहित लगभग 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रदान की है, साथ ही 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) की प्रतिबद्धता भी जताई है।
- **श्रम गतिशीलता:** यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारतीय पेशेवरों के लिए किसी भी समय अधिकतम 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश (TEE) वीजा की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आयुष, योग, आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- **कार्य वीजा:** न्यूजीलैंड ने भारत के लिए छात्र गतिशीलता और पढ़ाई के बाद कार्य हेतु एक समर्पित मार्ग (पाथवे) तैयार किया है।
  - ✓ यह भारतीय छात्रों पर लगी सीमा को समाप्त करता है, जिससे वे पढ़ाई के दौरान अंशकालिक कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही, न्यूजीलैंड में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए तीन वर्ष तक तथा शोधार्थियों (PhD) के लिए चार वर्ष तक का पढ़ाई के बाद कार्य वीजा प्रदान किया जाएगा।
- **नियामक पहुंच:** न्यूजीलैंड अन्य उन्नत देशों के समकक्ष नियामकों से प्राप्त उत्कृष्ट विनिर्माण अभ्यास (GMP) और उत्कृष्ट नैदानिक अभ्यास (GCP) निरीक्षण रिपोर्टों को स्वीकार करेगा।
- इससे दोहरे निरीक्षणों में कमी आएगी और उत्पादों की स्वीकृति में तेजी आएगी, जिससे भारत के फार्मा और चिकित्सा उपकरण निर्यात के लिए बाजार में प्रवेश और विकास सुगम होगा।
- **MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विकास:** यह समझौता वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित MSME-चालित और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर विशेष बल देता है।
  - ✓ संरचित MSME सहयोग के अंतर्गत व्यापार संबंधी जानकारी तक पहुँच, निर्यात तत्परता कार्यक्रम और न्यूजीलैंड के SME (लघु एवं मध्यम उद्यम) इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव सम्मिलित है।
- **उत्पत्ति के नियम:** यह मुक्त व्यापार समझौता 'उत्पत्ति के नियम' का एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल वास्तविक निर्यातकों को ही प्राप्त हों।
- **बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण:** न्यूजीलैंड ने 18 महीनों के भीतर भौगोलिक संकेतक (GI) कानूनों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे वाइन और स्पिरिट के अतिरिक्त अन्य भारतीय वस्तुओं का पंजीकरण संभव हो सकेगा।
- **स्वास्थ्य, कल्याण और पारंपरिक चिकित्सा:** अपने मुक्त व्यापार समझौतों में पहली बार, न्यूजीलैंड माओरी (Māori) स्वास्थ्य पद्धतियों के साथ-साथ भारत की आयुष (AYUSH) प्रणालियों के लिए समर्पित बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जिससे चिकित्सा मूल्य यात्रा और कल्याणकारी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

समझौते का महत्व

- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:** सभी उत्पाद श्रेणियों में शून्य-शुल्क पहुँच वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा और विनिर्मित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगी।
- **व्यापार विविधीकरण:** यह समझौता घरेलू हितों के अनुरूप लक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से अपनी व्यापार संरचना को पुनर्गठित करने के भारत के निरंतर प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- **रणनीतिक महत्व:** यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करता है और प्रशांत एवं उन्नत बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार है, जिससे भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति में वृद्धि होती है।
- **संतुलित उदारीकरण:** यह संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए भारतीय व्यवसायों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में अभूतपूर्व शुल्क मुक्त पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **आर्थिक साझेदारी:** वस्तु व्यापार से परे, यह समझौता रोजगार को बढ़ावा देता है, कौशल गतिशीलता को सुगम बनाता है और कई क्षेत्रों में व्यापार एवं निवेश-प्रेरित विकास का समर्थन करता है। इस प्रकार, यह एक अधिक समग्र आर्थिक साझेदारी की ओर संकेत करता है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण:** व्यापार सुगमीकरण और कम की गई बाधाएं भारतीय फर्मों, विशेष रूप से MSMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने में सहायता करेंगी।

4.2. DPI@2047: द रोडमैप टू प्रॉस्पेरिटी (DPI@2047: The Roadmap to Prosperity)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।*

संदर्भ

हाल ही में, नीति आयोग ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के अगले चरण के मार्गदर्शन के लिए DPI@2047 रोडमैप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य समावेशी, गैर-रैखिक और उत्पादकता-आधारित विकास सुनिश्चित करना है।

अन्य संबंधित जानकारी

- नीति आयोग के अंतर्गत 'नीति फ्रंटियर टेक हब' द्वारा 'DPI@2047: द रोडमैप टू प्रॉस्पेरिटी' नामक रिपोर्ट जारी की गई।
- यह रोडमैप DPI के तीन चरणीय विकास (1.0, 2.0, 3.0) को प्रस्तुत करता है, जो आधारभूत डिजिटल समावेशन से शुरू होकर उत्पादकता-प्रेरित और नवाचार-आधारित विकास की ओर अग्रसर है।
- यह दस्तावेज़ आर्थिक अवसरों के विस्तार हेतु आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की सफलताओं पर आधारित है।
- रोडमैप का लक्ष्य सामूहिक आजीविका सशक्तिकरण, मानव क्षमता विकास और प्रणालीगत डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रति व्यक्ति $18,000 आय को लक्षित करना है।
- इस रोडमैप को एकस्टेप फाउंडेशन और डेलॉयट के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है, जो एक सहयोगात्मक और इकोसिस्टम-संचालित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) 2.0 के बारे में

- DPI 2.0 (2025–2035) को भारत को आधारभूत समावेशन से आगे ले जाकर आजीविका-केंद्रित और उत्पादकता-प्रेरित विकास की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार किया गया है। यह DPI 3.0 (2035–2047) के लिए आधार तैयार करेगा, जिसका लक्ष्य व्यापक समृद्धि और उच्च-मूल्य वाले आर्थिक विस्तार को प्राप्त करना है।
- यह पहचान और भुगतान जैसे शुरुआती क्षेत्रों से हटकर, सामूहिक आजीविका सशक्तिकरण, नवाचार के प्रसार और बड़े पैमाने पर आर्थिक भागीदारी की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
- यह रोडमैप 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और $18,000 की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने की परिकल्पना करता है, जो DPI-आधारित परिवर्तन द्वारा समर्थित होगा।
- DPI 2.0 समाज के सभी वर्गों के लिए ज्ञान, बाजार और अवसरों के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विश्वसनीय डेटा प्रणाली और अंतर-संचालनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करता है।

कार्यान्वयन रोडमैप (DPI 2.0 & 3.0)

- **DPI@2047 रोडमैप** दो-चरणीय रणनीति का प्रस्ताव करता है:
  - ✓ **DPI 2.0 (2025–2035):** आजीविका-केंद्रित और उत्पादकता-प्रेरित विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ✓ **DPI 3.0 (2035–2047):** व्यापक समृद्धि और उच्च-आय वाले समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- DPI 2.0 के लिए, यह रोडमैप आठ क्षेत्रीय परिवर्तनों की पहचान करता है और कार्यान्वयन के लिए चार निष्पादन स्तंभों को रेखांकित करता है:
  - ✓ **जिला-स्तरीय मांग एकत्रीकरण:** इसके अंतर्गत DPI पहलों को जिला-स्तरीय विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि अति-स्थानीय स्तर पर इसे अपनाना सुनिश्चित किया जा सके और डिजिटल समाधानों के लिए मांग उत्पन्न की जा सके।
  - ✓ **प्रौद्योगिकी उद्यमिता का विस्तार:** इनक्यूबेटरों, एक्सलेटरों, मिशन-आधारित अनुसंधान एवं विकास (R&D) और सहायक नीतिगत ढांचों के माध्यम से भारत के नवाचार आधार का विस्तार करना, ताकि एक वितरित नवाचार इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके।
  - ✓ **एआई (AI) की गतिशीलता का लाभ उठाना:** संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान के लिए एआई को एक प्रमुख उत्पादकता इंजन के रूप में उपयोग करना और नागरिकों एवं उद्यमों, दोनों के लिए इसकी सुलभता सुनिश्चित करना।
  - ✓ **पार-क्षेत्रीय रणनीतिक समाधान:** इसमें अंतर्दृष्टि और विश्वास-आधारित प्रणालियों के लिए डेटा का उपयोग करना, डिजिटल और भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए एआई का लोकतंत्रीकरण करना, मानव क्षमता एवं ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना और मुक्त नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल लेनदेन का विस्तार करना शामिल है।

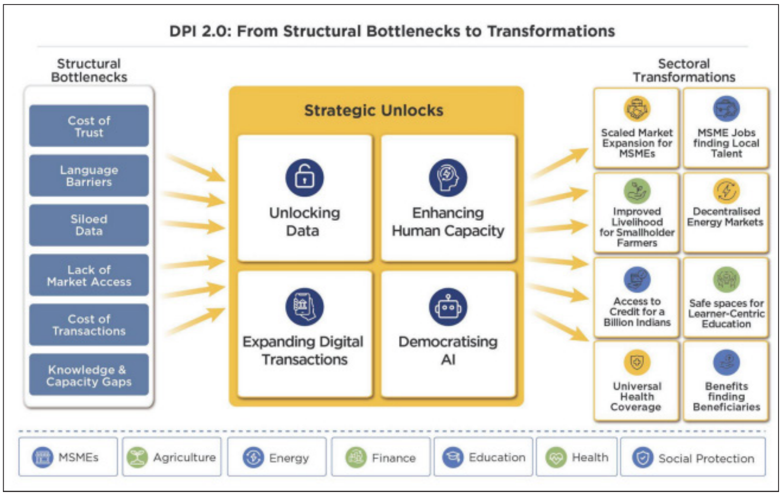

DPI 2.0 के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रीय परिवर्तन

- **व्यापक स्तर पर समावेशन (आजीविका विस्तार):**
  - ✓ **MSME बाज़ार विस्तार:** छोटे उद्यमों के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बाज़ार संबंधी जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करना, बाज़ार संपर्कों में सुधार करना और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
  - ✓ **स्थानीय रोजगार मिलान:** MSMEs को डिजिटल रूप से दृश्यमान बनाना ताकि उन्हें स्थानीय प्रतिभाओं से जोड़ा जा सके, जिससे रोजगार प्राप्ति को कम लागत और उच्च-विश्वास वाले लेनदेन में बदला जा सके।
  - ✓ **लघु सीमांत किसान सशक्तिकरण:** किसानों की आय और लचीलेपन में सुधार के लिए उन्हें परामर्श सेवाएँ, ऋण सुविधा और बेहतर बाज़ार संपर्क प्रदान करना।
- **मानव क्षमता के आधार:**
  - ✓ **शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा इकोसिस्टम:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप सुरक्षित, समावेशी और डिजिटल शिक्षण स्थान बनाना, जिससे स्थानीय भाषाओं में सामग्री की न्यायसंगत पहुँच और निरंतर सीखने के मार्ग सुनिश्चित हों।
  - ✓ **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC):** ऐसी प्रणालियों का निर्माण करना जहाँ स्वास्थ्य संकट परिवारों को गरीबी में न धकेले, और वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित हो।
- **प्रणालीगत सक्षमकर्ता:**
  - ✓ **एक अरब भारतीयों के लिए ऋण की पहुँच:** बड़े पैमाने पर माइक्रो क्रेडिट की पहुँच का विस्तार करने के लिए मुद्रीकरण योग्य संपत्तियों और डिजिटल प्रणालियों का लाभ उठाना।
  - ✓ **विकेंद्रीकृत ऊर्जा बाज़ार:** बढ़ती और अधूरी माँग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल उपयोग को सक्षम बनाना।
  - ✓ **लाभ वितरण प्रणाली:** यह सुनिश्चित करना कि कल्याणकारी लाभ सभी पात्र नागरिकों तक समयबद्ध, पारदर्शी और समावेशी तरीके से पहुँचें।

DPI 1.0 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- भारत के DPI 1.0 ने बड़े पैमाने पर समावेशन और डिजिटल शासन की नींव रखी, जिससे सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों के तीव्र विस्तार को गति मिली:
  - ✓ **आधार:** 1.3 बिलियन से अधिक लोग इसके दायरे में हैं, जिससे प्रतिदिन 80-90 मिलियन प्रमाणीकरण संभव हो रहे हैं।
  - ✓ **UPI:** यह प्रतिदिन करोड़ों लेनदेन का प्रबंधन करता है और विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म बन गया है।
- इसने मुक्त और अंतर संचालनीय डिजिटल प्रणालियों की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वर्तमान में यह GDP में लगभग 1% का योगदान दे रहा है, जिसके 2030 तक 4% तक पहुँचने का अनुमान है।
- **महत्व:**
  - ✓ जनसंख्या के स्तर पर डिजिटल पहचान, भुगतान और वित्तीय समावेशन की शुरुआत की।
  - ✓ उत्पादक क्षेत्रों में DPI 2.0 के विस्तार के लिए आधार तैयार किया।

आगे की राह/कार्रवाई का आह्वान

- प्रासंगिक और विस्तार योग्य समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य-आधारित, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल।
- पुनरावृत्ति-आधारित 2-वर्षीय परिवर्तन चक्र, जो प्रयोग करने, सीखने और सफल मॉडलों के विस्तार की अनुमति देते हैं।
- 2026-27 में प्रारंभिक ध्यान MSMEs और कृषि पर होगा, जिसमें चुनिंदा राज्यों में 'लाइटहाउस पायलट' प्रोजेक्ट्स के बाद व्यापक कार्यान्वयन किया जाएगा।
- DPI की मांग के अनुरूप एक सुदृढ़ उद्यमी इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- सार्वजनिक भलाई के लिए DPI और AI के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु एक वैश्विक DPI सहयोग मंच की स्थापना करना।

4.3. बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (100% Foreign Direct Investment in Insurance Sector)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय; उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।*

संदर्भ

भारत सरकार ने 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019' में संशोधन करते हुए बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को अधिसूचित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस सुधार को 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026' के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। यह 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025' के अनुरूप है, जिसने स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

- यह इस क्षेत्र के उदारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाना, बीमा की पैठ में सुधार करना और भारत के वित्तीय इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है।

सुधार के मुख्य बिंदु

- **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हेतु स्वचालित मार्ग:** विदेशी निवेशक अब बीमा कंपनियों और मध्यस्थों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% तक निवेश कर सकते हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया सरल हो गई है और नियामक विलंब में कमी आई है।
- **नियामक निरीक्षण और सुरक्षा उपाय:** निवेश अभी भी IRDAI के नियमों, दिवाला मानदंडों और शासन संबंधी आवश्यकताओं के अधीन हैं, जो वित्तीय स्थिरता और पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **मध्यस्थों पर लागू होना:** यह सुधार केवल बीमाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बीमा मध्यस्थ भी शामिल हैं, जिससे इस इकोसिस्टम में विदेशी भागीदारी का दायरा व्यापक हो गया है।
- **एलआईसी (LIC) के लिए विशेष प्रावधान:** इस संशोधन में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के लिए एक पृथक सीमा को बरकरार रखा गया है, जहाँ स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अभी भी 20% तक सीमित है।

FDI के बारे में और बीमा में इसका विकास

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से तात्पर्य भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इक्विटी लिखतों के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी में किए गए निवेश से है—किसी असूचीबद्ध कंपनी में किया गया कोई भी निवेश या किसी सूचीबद्ध कंपनी में निर्गम-पश्चात चुकता इक्विटी पूंजी (पूर्णतः मिश्रित आधार पर) का कम से कम 10%, जो इसे पोर्टफोलियो निवेश से अलग करता है।
- भारत का FDI शासन 'समेकित FDI नीति' (DPIIT द्वारा जारी), क्षेत्र-विशिष्ट नियमों और FEMA के तहत 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019' द्वारा शासित होता है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
- **भारत के बीमा क्षेत्र में पिछले दो दशकों में चरणबद्ध उदारीकरण हुआ है:**
  - ✓ **2000:** 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा के साथ इस क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया।
  - ✓ **2015:** FDI की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई।
  - ✓ **2021:** इस सीमा को बढ़ाकर 74% किया गया।
  - ✓ **2025–26:** स्वचालित मार्ग के तहत FDI की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है

बीमा में 100% FDI का महत्व

- **पूंजी अंतर्वाह और क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण:** इस सुधार से स्थिर और दीर्घकालिक वैश्विक पूंजी आकर्षित होने की संभावना है, जिससे बीमाकर्ताओं का वित्तीय आधार मजबूत होगा और कम पैठ वाले इस क्षेत्र में बाजार की गहराई का विस्तार होगा।
- **प्रतिस्पर्धा और नवाचार:** विदेशी कंपनियों के आगमन से उन्नत उत्पाद डिजाइन, डेटा-आधारित जोखिम मूल्यांकन और डिजिटल वितरण मॉडल आ सकते हैं, जो दक्षता और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाएंगे।
- **बीमा पैठ में सुधार:** निवेश और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि से स्वास्थ्य, फसल और सूक्ष्म-बीमा के कवरेज का विस्तार करने में मदद मिल सकती है, जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- **वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन:** यह सुधार वित्तीय समावेशन, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक बचत के संग्रहण का समर्थन करता है, जो समग्र आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **नियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियाँ:** पूर्ण विदेशी स्वामित्व के कारण IRDAI और अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा बढ़ी हुई नियामक सतर्कता की आवश्यकता है, विशेष रूप से दिवाला, मूल्य निर्धारण और सीमा पार जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में।
- **उपभोक्ता संरक्षण जोखिम:** जटिल बीमा उत्पादों और डिजिटल बिक्री चैनलों के प्रसार से सूचना की विषमता और गलत तरीके से बिक्री की समस्या उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर ग्रामीण और कम साक्षरता वाले बाजारों में।
- **घरेलू कंपनियों पर प्रभाव:** बढ़ती प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और छोटी घरेलू कंपनियों पर दबाव डाल सकती है, जिससे उन्हें अपनी दक्षता और नवाचार में सुधार करने की आवश्यकता होगी।
- **लाभ का प्रत्यावर्तन और रणनीतिक चिंताएँ:** अधिक विदेशी स्वामित्व से लाभ का प्रत्यावर्तन बढ़ सकता है और एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह

- **नियामक निरीक्षण का सुदृढ़ीकरण:** वित्तीय स्थिरता और प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियामक क्षमता और निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना।
- **समान अवसर सुनिश्चित करना:** नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच समान अवसर को बढ़ावा देना।
- **उपभोक्ता जागरूकता और पारदर्शिता में वृद्धि:** उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और भ्रामक बिक्री को रोकने के लिए वित्तीय साक्षरता और पारदर्शिता को बढ़ाना।
- **समावेशी बीमा कवरेज का विस्तार:** बीमा की पैठ और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में, समावेशी बीमा विस्तार को प्रोत्साहित करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में

- IRDAI एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जिसे भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण और विकास के लिए 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999' के तहत स्थापित किया गया था।
- इसका गठन मल्होत्रा समिति (1994) की सिफारिशों के बाद किया गया था, जिसने बीमा क्षेत्र के उदारीकरण और एक स्वतंत्र नियामक के निर्माण की वकालत की थी।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य 'IRDA अधिनियम, 1999' और 'बीमा अधिनियम, 1938' में निर्धारित किए गए हैं।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद, भारत में स्थित है।

4.4. राज्यों की राजकोषीय स्थिति में गिरावट (Declining Fiscal Position of States)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी 'मासिक आर्थिक समीक्षा', अप्रैल 2026 में आगाह किया है कि निरंतर राजस्व घाटे और उच्च ऋण भार वाले राज्यों को राजकोषीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से आर्थिक झटकों के दौरान।

MER की मुख्य बिंदु

- **राज्यों में राजस्व घाटे की व्यापकता:**
  - ✓ वर्ष 2026-27 के स्वयं के अनुमानों के अनुसार, 18 बड़े राज्यों में से 9 राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में हैं। सात राज्यों के राजस्व अधिशेष में रहने का अनुमान है, जबकि एक राज्य राजस्व संतुलन की स्थिति में है।
  - ✓ घाटे का परिमाण काफी अधिक है; कुछ राज्यों में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2% से भी अधिक दर्ज किया गया है, जो संरचनात्मक राजकोषीय असंतुलन को दर्शाता है।
- **राजस्व घाटे का परिमाण:** अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजस्व घाटा रखने वाले राज्य इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश (−2.4%), पंजाब (−2.2%), केरल (−2.1%), आंध्र प्रदेश (−1.1%), राजस्थान (−1.1%), हरियाणा (−0.9%), कर्नाटक (−0.7%), महाराष्ट्र (−0.7%), और छत्तीसगढ़ (−0.3%)।

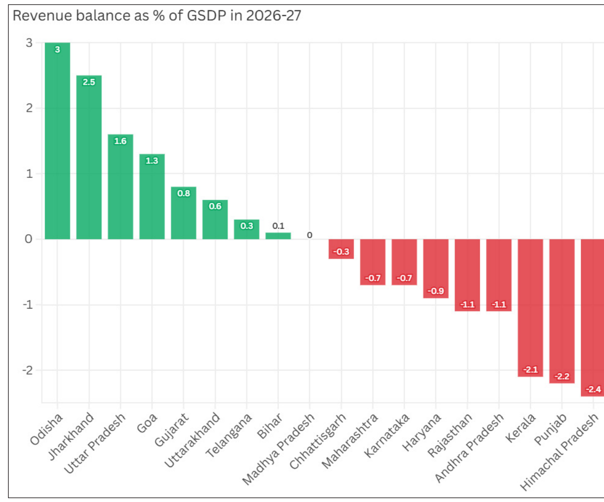

- **उच्च ऋण-सेवा बोझ:**
  - ✓ राजस्व घाटे वाले राज्य ब्याज भुगतान के महत्वपूर्ण दायित्वों से सीमित हैं; छह राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का 15% से अधिक हिस्सा ब्याज भुगतान पर व्यय कर रहे हैं।
  - ✓ पंजाब विशेष रूप से दबाव में है, जहाँ इसकी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 22.8% हिस्सा ब्याज भुगतान में जा रहा है, जो इसकी राजकोषीय लचीलेपन को सीमित करता है।

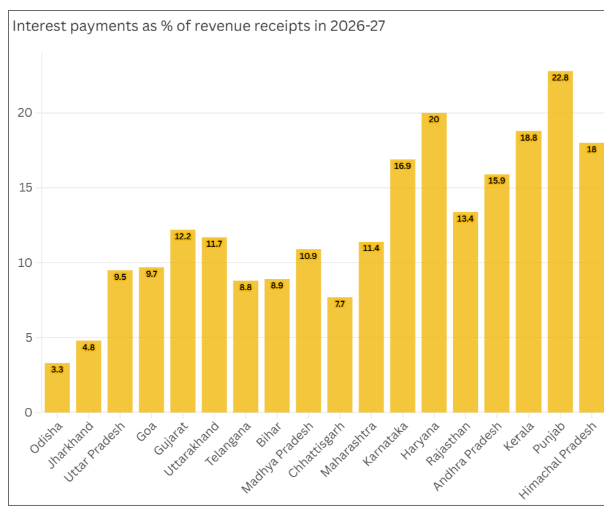

- **राजकोषीय लचीलेपन और आघात अवशोषण में कमी:**
  - ✓ मासिक आर्थिक समीक्षा (MER) इस बात को रेखांकित करती है कि राजस्व घाटे और उच्च ऋण भार वाले राज्यों के पास आर्थिक झटकों के प्रति अनुक्रिया देने के लिए "स्वतंत्रता के स्तर" कम होते हैं।
  - ✓ ऐसे राज्यों को उत्पादक व्यय में कटौती करने या केंद्रीय सहायता पर

निर्भरता बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ सकता है, जो दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को प्रभावित करता है।

- **राज्यों में राजकोषीय तनाव के प्रमुख चालक**
  - ✓ **उच्च प्रतिबद्ध व्यय:** राज्य अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान के लिए आवंटित करते हैं, जिससे उत्पादक व्यय के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है।
  - ✓ **स्वयं के राजस्व संग्रहण में कमी:** कई राज्य अपने कर आधार (जैसे संपत्ति कर, स्टाम्प शुल्क) का विस्तार करने में संघर्ष कर रहे हैं और वे जीएसटी (GST) हस्तांतरण तथा केंद्रीय अनुदान पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  - ✓ **विरासत में मिला ऋण और बजट-बाह्य देनदारियाँ:** अतीत की उच्च उधारी, आकस्मिक देनदारियाँ (जैसे बिजली क्षेत्र का ऋण) और गारंटियाँ राज्यों की वित्तीय स्थिति पर निरंतर दबाव डाल रही हैं।
  - ✓ **पूँजीगत व्यय में कटौती:** अपरिवर्तनीय राजस्व व्यय के कारण, राजकोषीय तनाव के दौरान राज्य अक्सर पूँजीगत व्यय में कटौती करते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ

- **उच्च कुल ऋण और राजकोषीय जोखिम:** राज्यों की कुल बकाया देनदारियाँ बढ़कर जीडीपी के लगभग 27% (2024-25) तक पहुँच गई हैं, जिससे समग्र राजकोषीय स्थिरता और निजी निवेश के 'क्राउडिंग आउट' के संबंध में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **तरलता का दबाव और उधारी का संकट:** कई राज्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances - WMA) और ओवरड्राफ्ट पर तेजी से निर्भर हुए हैं, जो अल्पकालिक तरलता तनाव का संकेत है।
- **विकास और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव:** पूँजीगत व्यय में कटौती बुनियादी ढांचे के विकास को धीमा कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती है।
- **सहकारी संघवाद पर दबाव:** केंद्रीय सहायता और राजकोषीय समर्थन की बढ़ती माँग केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है और राजकोषीय समन्वय को जटिल बना सकती है।

राज्यों के राजकोषीय अनुशासन में सुधार हेतु आवश्यक उपाय

- **स्वयं के राजस्व आधार को सुदृढ़ करना:** राज्यों को कर अनुपालन में सुधार करना चाहिए, कर आधार का विस्तार करना चाहिए और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता कम करने के लिए 'गैर-कर राजस्व' में वृद्धि करनी चाहिए।
- **व्यय का युक्तिकरण:** सब्सिडी को इष्टतम बनाने, वेतन और पेंशन देनदारियों को तर्कसंगत बनाने तथा उत्पादक व्यय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- **ऋण प्रबंधन को उन्नत बनाना:** राज्यों को विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीतियों को अपनाना चाहिए, जिसमें ऑफ-बजट उधारियों में पारदर्शिता और आकस्मिक देनदारियों को सीमित करना शामिल है।
- **पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देना:** बुनियादी ढांचे और उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक राजस्व और आर्थिक विकास उत्पन्न हो सकता है।
- **राजकोषीय ढांचे को मजबूत करना:** संधारणीय राजकोषीय प्रबंधन के लिए एफआरबीएम (FRBM) लक्ष्यों का पालन और राजस्व घाटे को कम करने के रोडमैप (कार्ययोजना) के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** वित्त आयोग के मानदंडों के तहत निगरानी ढांचे को मजबूत करते हुए, केंद्र सरकार 'सशर्त राजकोषीय सहायता' और 'सुधारों से जुड़े प्रोत्साहन' प्रदान कर सकती है।

राजस्व घाटे की समझ

- राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का 'राजस्व व्यय' उसकी 'राजस्व प्राप्तियों' से अधिक हो जाता है; इसका अर्थ है कि उधारियों का उपयोग परिसंपत्ति सृजन के बजाय उपभोग के लिए किया जा रहा है।
- यह लोक वित्त के "स्वर्णिम नियम" का उल्लंघन करता है, जो यह अधिदेश देता है कि उधारी का उपयोग आदर्श रूप से पूँजीगत व्यय और उत्पादक निवेश के लिए किया जाना चाहिए।
- निरंतर राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन में संरचनात्मक कमजोरियों को इंगित करता है, जिससे ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जाता है।

4.5. NARCL द्वारा भारत के तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण (NARCL Strengthens India's Stressed Asset Resolution Framework)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति विकास और रोजगार से संबंधित विषय; सरकारी बजट।*

संदर्भ

तनावग्रस्त बैंकिंग परिसंपत्तियों की वसूली पर हालिया अपडेट संकेत देते हैं कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) देश के तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान फ्रेमवर्क के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है, जो उभरती संस्थागत परिपक्वता को दर्शाता है।

हालिया प्रदर्शन और उपलब्धियाँ

- **अधिग्रहण का लक्ष्य:** मार्च 2026 तक, NARCL ने ₹1,65,862

करोड़ के कुल ऋण जोखिम वाली 33 ऋणी संस्थाओं का अधिग्रहण कर लिया है, जो इसके ₹2 लाख करोड़ के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है।

- **वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रदर्शन:** केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इसने ₹4,364 करोड़ की वसूली की, जो कुल संचयी वसूली का लगभग 70% है।
- **कुल वसूली:** अब तक कुल वसूली लगभग ₹6,345 करोड़ तक पहुँच गई है, जो अधिग्रहण लागत के 48% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है।
- **मूल्य अधिकतमकरण:** विशेष रूप से, कुछ खातों में वसूली दर 100% से अधिक रही है, जो तनावग्रस्त संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाती है।

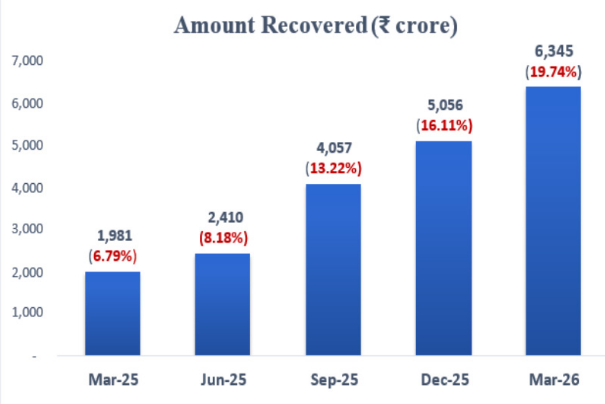

Note: Figures in brackets indicate recovery as a percentage of acquisition cost.

NARCL के बारे में और इसकी कार्यप्रणाली

- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) एक सरकार समर्थित परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है, जिसकी स्थापना बड़े मूल्य वाले एनपीए (NPA - ₹500 करोड़ और उससे अधिक) को एकीकृत करने और उनका समाधान करने के लिए की गई है।
- यह इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) के साथ मिलकर काम करती है, जो समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करती है, जिसमें ऋण पुनर्गठन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण शामिल हैं।
- **कार्य तंत्र:**
  - ✓ **परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण:** NARCL कई ऋणदाताओं के ऋण जोखिमों को एकीकृत करके बैंकों से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करती है, जिससे ऋणदाताओं के बीच समन्वय की समस्याओं को दूर किया जा सके।
  - ✓ भुगतान को निम्नलिखित रूप में संरचित किया गया है:
    - **15% नकद:** अग्रिम नकद भुगतान।
    - **85% प्रतिभूति रिसीट्स (Security Receipts - SRs):** जो एक संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित होती हैं।
  - ✓ वसूली मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से, समाधान की प्रक्रिया **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता** (IBC) की प्रक्रियाओं, पुनर्गठन, या बाजार-आधारित बिक्री के माध्यम से संपन्न की जाती है।

भारत की तनावग्रस्त परिसंपति रिजॉल्युशन इकोसिस्टम

- **बैलेंस शीट की सफाई:** NARCL बैंकों से पुराने एनपीए के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। इससे परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है, पूंजी पर्याप्तता मजबूत होती है और बैंक अपना ध्यान नए और उत्पादक ऋण देने पर पुनः केंद्रित करने में सक्षम होते हैं।
- **एकत्रीकरण और समन्वय:** कई ऋणदाताओं के ऋण जोखिमों को एक ही इकाई में समेकित करके, NARCL अंतर-लेनदार संघर्षों और समन्वय की विफलताओं को कम करती है, जो पहले समाधान प्रक्रियाओं में देरी का कारण बनते थे।
- **IBC ढांचे का पूरक:** NARCL एक ऐसी संस्थागत प्रणाली के रूप में कार्य करती है जो निष्पादन दक्षता में सुधार करके और जटिल तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में तेजी लाकर 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (IBC) की पूरक बनती है।
- **तनावग्रस्त परिसंपत्ति बाजार का विकास:** यह संस्थान मूल्य निर्धारण को बेहतर बनाकर और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक 'द्वितीयक बाजार' के विकास में योगदान देता है।

अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

- **वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना:** NARCL के माध्यम से बड़े एनपीए (NPAs) का समाधान बैंकिंग क्षेत्र की प्रणालीगत कमजोरियों को कम करता है और समग्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ाता है।
- **ऋण वृद्धि को बढ़ावा:** बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ करके, NARCL बैंकों को बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और MSMEs जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण विस्तार करने में सक्षम बनाती है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
- **कुशल पूंजी आवंटन:** तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में फंसी पूंजी की वसूली और उसका पुनर्चक्रण पूरी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन को बढ़ावा देता है।

फ्रेमवर्क की चुनौतियाँ

- **मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दे:** बैंकों और NARCL के बीच मूल्यांकन की अपेक्षाओं में अंतर परिसंपत्ति हस्तांतरण में देरी कर सकता है और वार्ताओं को जटिल बना सकता है, जिससे समाधान की गति प्रभावित होती है।

- **बाहरी प्रक्रियाओं पर निर्भरता:** NARCL की प्रभावशीलता बाहरी तंत्रों की दक्षता पर निर्भर करती है, जैसे कि IBC की कार्यवाही, न्यायिक समय-सीमा और निवेशकों की भागीदारी, जो अक्सर अनिश्चित हो सकते हैं।
- **तनावरहित परिसंपत्ति बाजार तक सीमित पहुँच:** भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षाकृत अविकसित 'द्वितीयक बाजार' तरलता को बाधित करता है और परिसंपत्ति मुद्रीकरण की गति को सीमित करता है।
- **परिचालन संबंधी जटिलता:** बड़ी और विविध परिसंपत्तियों का समाधान, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में, विशेष विशेषज्ञता की मांग करता है और इसमें अक्सर लंबी समय-सीमा लगती है।

आगे की राह

- **संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करना:** NARCL, IDRCL, बैंकों और दिवाला पेशेवरों के बीच बेहतर समन्वय प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है और समाधान के परिणामों में सुधार कर सकता है।
- **मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार:** पारदर्शी और बाजार-संचालित मूल्यांकन ढांचे को अपनाने से विवाद कम हो सकते हैं और परिसंपत्तियों के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा मिल सकती है।
- **तनावरहित परिसंपत्ति बाजारों को बढ़ाना:** वैश्विक निवेशकों, वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) और अन्य परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से तरलता और वसूली दरों में सुधार हो सकता है।
- **कानूनी और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाना:** दिवाला प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और न्यायिक देरी को कम करना, तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान ढांचे की समग्र प्रभावशीलता में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

4.6. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 (Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति विकास और रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और व्यवधानों के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ती इनपुट लागत, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान और मांग की कमजोर स्थितियों का सामना कर रहे व्यवसायों को आपातकालीन नकदी सहायता प्रदान करना है।
- ECLGS 5.0 बाहरी झटकों के दौरान आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए एक प्रति-चक्रीय नीति उपकरण के रूप में लक्षित क्रेडिट गारंटी के निरंतर उपयोग को दर्शाता है।

ECLGS 5.0 के मुख्य बिंदु

- इस योजना को लगभग ₹18,100 करोड़ की सरकारी गारंटी सहायता के साथ अनुमोदित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग ₹2.55 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रवाह सुगम होने का अनुमान है।
- लगभग ₹5,000 करोड़ विशेष रूप से विमानन क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो ईंधन की उच्च लागत और पश्चिम एशिया संकट से जुड़े व्यवधानों के कारण काफी प्रभावित हुआ है।
- इस योजना के अंतर्गत, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।
- पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए अतिरिक्त ऋण पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को 100% गारंटी कवरेज प्राप्त होगा, जबकि गैर-MSME और विमानन क्षेत्र को 90% कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- पात्र व्यवसाय वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4 FY26) में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ निर्धारित की गई है।
- विमानन कंपनियों के लिए, यह सहायता अधिकतम कार्यशील पूंजी उपयोग के 100% तक हो सकती है, जिसकी प्रति उधारकर्ता अधिकतम सीमा ₹1,500 करोड़ है।
- ऋण की अवधि MSMEs और गैर-MSMEs के लिए पाँच वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें एक वर्ष का स्थगन शामिल है। विमानन क्षेत्र के लिए, ऋण की अवधि सात वर्ष है जिसमें दो वर्ष का स्थगन दिया गया है।
- योजना के तहत स्वीकृत ऋण 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध रहेंगे।

ECLGS के बारे में

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) मूल रूप से 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत शुरू की गई थी, ताकि COVID-19 महामारी से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान की जा सके।
- यह योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं को संपार्श्विक-मुक्त और सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण प्रदान करती है।

- इसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो ऋण देने वाले संस्थानों को गारंटी कवरेज प्रदान करती है।
- ECLGS के पिछले चरणों ने महामारी की अवधि के दौरान MSMEs और संवेदनशील क्षेत्रों को संबल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - ✓ पिछले चरणों के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक की गारंटियाँ जारी की गईं।
  - ✓ अनुमोदित कुल गारंटी की राशि ₹3.5 लाख करोड़ से अधिक रही।
- **ECLGS 5.0** इस ढांचे के दायरे का महामारी से संबंधित सहायता से विस्तार करके बाहरी भू-राजनीतिक और आर्थिक व्यवधानों के समाधान तक करता है।

अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

- **MSMEs और रोजगार के लिए सहायता:** MSME क्षेत्र रोजगार, निर्यात और विनिर्माण गतिविधियों का एक प्रमुख स्रोत है। इस योजना से यह अपेक्षा की जाती है कि यह आर्थिक अनिश्चितता के दौरान फर्मों को अपना परिचालन बनाए रखने, नौकरियों को सुरक्षित रखने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को निरंतरता प्रदान करने में सहायता करेगी।
- **अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह का स्थिरीकरण:** संप्रभु गारंटी के माध्यम से बैंकों के सामने आने वाले क्रेडिट जोखिम को कम करके, ECLGS 5.0 निरंतर ऋण देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक अस्थिरता की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति को अत्यधिक खराब होने से रोकता है।
- **बाहरी आर्थिक झटकों से सुरक्षा:** यह योजना भू-राजनीतिक व्यवधानों के 'स्पिलओवर' प्रभावों, विशेष रूप से बढ़ती ऊर्जा कीमतों, शिपिंग व्यवधानों और पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी व्यापारिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक वित्तीय बफर के रूप में कार्य करती है।
- **विमानन और सेवा क्षेत्र को सहायता:** विमानन कंपनियों को समर्पित सहायता से परिचालन निरंतरता बनाए रखने, कनेक्टिविटी सुरक्षित रखने और पर्यटन, रसद तथा व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में तनाव कम होने की संभावना है।
- **आर्थिक लचीलेपन में वृद्धि:** समय पर तरलता सहायता मिलने से अस्थायी तनाव को दिवालियापन में बदलने से रोका जा सकता है, जिससे व्यापक-आर्थिक स्थिरता और आर्थिक सुधार को बल मिलता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **राजकोषीय और आकस्मिक देयताओं में वृद्धि:** व्यापक संप्रभु गारंटी सरकार के राजकोषीय जोखिम को बढ़ा सकती है, यदि गारंटीकृत ऋणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंततः तनावग्रस्त या गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में परिवर्तित हो जाता है।
- **नैतिक जोखिम का खतरा:** गारंटी कवरेज का उच्च स्तर कभी-कभी उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं दोनों के बीच अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर ऋण अनुशासन में कमी ला सकता है।
- **भविष्य में NPA की संभावना:** यदि वैश्विक आर्थिक स्थिति और खराब होती है या सुधार असमान रहता है, तो योजना के तहत प्रदान की गई अस्थायी तरलता सहायता के बावजूद बैंकों को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
- **कार्यान्वयन और लक्ष्यीकरण संबंधी मुद्दे:** ECLGS 5.0 की प्रभावशीलता ऋणों के समय पर वितरण, बैंकों की सक्रिय भागीदारी और वास्तव में तनावग्रस्त लेकिन व्यवहार्य उद्यमों की सटीक पहचान पर निर्भर करेगी।

4.7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए व्यवहार्यता योजना 2.0 (Viability Plan 2.0 for Regional Rural Banks)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के कायाकल्प की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा अनुमोदित व्यवहार्यता योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य इन बैंकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और आधुनिक बनाना है।

व्यवहार्यता योजना 2.0 के प्रमुख बिन्दु

- व्यवहार्यता योजना 2.0 में **30 प्रदर्शन मानकों** को शामिल किया गया है, जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के कामकाज और उनके वित्तीय स्वास्थ्य का समग्र मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है।
- यह योजना मुख्य रूप से चार स्तंभों पर आधारित है: **परिचालन उत्कृष्टता (Operational Excellence), परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality), लाभप्रदता (Profitability), और संवृद्धि (Growth)**।
- इन चारों स्तंभों के अंतर्गत प्रमुख महत्वपूर्ण संकेतकों में शामिल हैं: **पूँजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR)**, ऋण-जमा अनुपात, डिजिटल अंगीकरण, **गैर-निष्पादित आस्ति (NPA) स्तर**, वसूली प्रदर्शन, लाभप्रदता अनुपात और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदर्शन।
- इस संशोधित ढांचे को **वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

- यह योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लागू की गई पिछली व्यवहार्यता योजना पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन की निगरानी को संस्थागत बनाना और शासन मानकों में सुधार करना था।

योजना का महत्व

- **ग्रामीण ऋण वितरण का सुदृढ़ीकरण:** व्यवहार्यता योजना 2.0 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होने की अपेक्षा है, जिससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को समय पर और किफायती ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** डिजिटल अंगीकरण और परिचालन दक्षता पर बल देकर, यह ढांचा अल्प-सेवा वाले ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को मजबूत कर सकता है।
- **शासन और जवाबदेही में सुधार:** मापने योग्य प्रदर्शन संकेतकों की शुरुआत से RRBs में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत निगरानी में सुधार होगा।
- **ग्रामीण आर्थिक विकास का समर्थन:** सशक्त RRB ग्रामीण उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और MSMEs के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
- **वित्तीय सुभेद्यताओं में कमी:** परिसंपत्ति गुणवत्ता और वसूली प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देने से NPA को कम करने और ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना सबसे पहले 1975 में **नरसिम्हम कार्य समूह (1975)** की सिफारिशों पर की गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के अंतर को कम किया जा सके और समाज के कमजोर वर्गों को सहायता दी जा सके।
- इन्हें **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी।
- RRBs का स्वामित्व संयुक्त रूप से निम्नलिखित के पास होता है:
  - ✓ भारत सरकार (50%)
  - ✓ संबंधित राज्य सरकार (15%)
  - ✓ प्रायोजक बैंक (35%)
- इनका प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित को किफायती ऋण प्रदान करना है:
  - ✓ छोटे और सीमांत किसान
  - ✓ कृषि श्रमिक
  - ✓ ग्रामीण कारीगर
  - ✓ MSMEs और ग्रामीण उद्यमी
- RRB **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** और **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)** के विनियामक पर्यवेक्षण के तहत कार्य करते हैं।
  - ✓ RBI उनके बैंकिंग परिचालन और विवेकपूर्ण मानदंडों को विनियमित करता है।
  - ✓ NABARD उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है और क्षमता निर्माण तथा ग्रामीण ऋण योजना में सहायता करता है।
- वाणिज्यिक बैंकों के समान, RRBs के लिए भी RBI के पास **नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** और निर्धारित तरल संपत्तियों में **सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)** बनाए रखना अनिवार्य है।
- RRBs पर उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का **75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL)** मानदंड लागू होता है, जिसमें ऋण का एक बड़ा हिस्सा कृषि और संबद्ध ग्रामीण गतिविधियों की ओर निर्देशित होता है।
- समेकन के कई चरणों के बाद, RRBs की संख्या में काफी कमी आई है और वर्तमान में पूरे भारत में **28 RRB** कार्यरत हैं।

4.8. EAC-PM ने 'देखभाल अर्थव्यवस्था' पर कार्यपत्र जारी किया (EAC-PM Releases Working Paper on Care Economy)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास और उससे संबंधित विषय।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने " देखभाल अर्थव्यवस्था की पुनर्कल्पना: निजी बोझ से सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना तक" शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया, जो भारत के देखभाल इकोसिस्टम को औपचारिक रूप देने और सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस कार्यपत्र में तर्क दिया गया है कि तीव्र जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसंख्या का वृद्ध होना, शहरीकरण, परिवारों का एकल होना और महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि, पेशेवर देखभाल सेवाओं की मांग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं।
- यह इस बात पर बल देता है कि देखभाल के कार्य को केवल एक निजी घरेलू जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाना चाहिए।

कार्य पत्र की मुख्य सिफारिशें

- **एकीकृत देखभाल संरचना का सृजन:** यह कार्यपत्र एक अंतर-मंत्रालयी संस्थागत ढांचे की सिफारिश करता है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, श्रम, कौशल विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित मंत्रालय शामिल हों, ताकि सार्वजनिक नीति और सेवा वितरण में देखभाल को मुख्यधारा में लाया जा सके।
- **परिवार सेवा कोष:** यह पत्र वित्त मंत्रालय के अंतर्गत "परिवार सेवा कोष" नामक परिणाम-आधारित सार्वजनिक वित्तपोषण तंत्र को प्रस्तावित करता है, जो समुदाय- संचालित और बहु-पीढ़ीगत देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा।
- **समर्पित वित्तपोषण तंत्र:** यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में "केयरप्रेन्योर फंड" (Carepreneur Fund) बनाने की सिफारिश करता है, ताकि देखभाल क्षेत्र के उद्यमियों और सहकारी समितियों को रियायती वित्त उपलब्ध कराया जा सके।
    - ✓ यह कार्यपत्र शिशु देखभाल, वृद्धों की देखभाल और दिव्यांगता देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और विस्तार को समर्थन देने के लिए 'केयर इंक्यूबेटर्स' की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है।
- **सीएसआर (CSR) और परोपकारी वित्तपोषण का संग्रहण:** यह कार्यपत्र कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और परोपकारी निधियों को देखभाल क्षेत्र की परियोजनाओं और अवसंरचना विकास की ओर मोड़ने के लिए 'राष्ट्रीय और राज्य सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल्स' के उपयोग की सिफारिश करता है।
- **कुशल देखभाल कार्यबल का विकास:** यह वर्ष 2050 तक 3.1 से 3.8 करोड़ देखभाल कर्मियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए मानकीकृत प्रमाणन, कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार मार्गों के माध्यम से देखभाल करने वालों के बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण का प्रस्ताव करता है।
- **लिंग-संवेदनशील श्रम और सामाजिक नीतियां:** यह कार्यपत्र 'पैरेंटल लीव' नीतियों में चरणबद्ध सुधारों की वकालत करता है, जिसकी शुरुआत निजी क्षेत्र में वैधानिक वैतनिक पितृत्व अवकाश से की जाए और अंततः लिंग-संतुलित पैरेंटल फ्रेमवर्क की ओर बढ़ा जाए।
    - ✓ यह महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल के अत्यधिक बोझ को कम करने और उनकी श्रम बल भागीदारी में सुधार लाने के लिए लचीली कार्य व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा उपायों और सहायक कार्यस्थल नीतियों का भी आह्वान करता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था के बारे में

- देखभाल अर्थव्यवस्था (केयर इकोनॉमी) में बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य सहायता, घरेलू कार्य, दिव्यांगता सहायता और सामुदायिक देखभाल से संबंधित वैतनिक और अवैतनिक दोनों गतिविधियाँ शामिल हैं।
- देखभाल कार्य प्रत्यक्ष (जैसे- भोजन कराना, पढ़ाना, नर्सिंग, भावनात्मक सहायता) या अप्रत्यक्ष (जैसे- खाना बनाना, सफाई करना, घरेलू प्रबंधन) हो सकता है।
- भारत में देखभाल कार्य का एक बड़ा हिस्सा अवैतनिक और अनौपचारिक बना हुआ है, जिसमें महिलाएं घरेलू और देखभाल की जिम्मेदारियों का अत्यधिक असमान हिस्सा वहन करती हैं।
- इस कार्यपत्र के अनुसार, भारत में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का अनुमानित आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 15-17% है, हालांकि यह पारंपरिक आर्थिक लेखांकन से काफी हद तक बाहर रहता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण की आवश्यकता

- **लैंगिक असमानता और समय के अभाव का समाधान:** भारत में महिलाएँ प्रतिदिन लगभग 289 मिनट अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों पर व्यय करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह समय लगभग 88 मिनट है। यह स्थिति शिक्षा, औपचारिक रोजगार और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी का समर्थन:** शिशु देखभाल (चाइल्डकेयर) और वृद्धों की देखभाल जैसी औपचारिक सेवाएँ अवैतनिक घरेलू बोझ को कम कर सकती हैं और श्रम बाजार में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बना सकती हैं, जिससे वे आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं।
- **जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रति अनुक्रिया:** भारत में वृद्धों की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 21% होने की संभावना है, जिससे संगठित वृद्ध देखभाल सेवाओं की आवश्यकता बढ़ जाएगी।
- **रोजगार सृजन की क्षमता:** देखभाल अवसंरचना में निवेश में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। कार्यपत्र के अनुसार, देखभाल क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2% के बराबर निवेश से लगभग 11 मिलियन रोजगारों का सृजन हो सकता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए।
- **अदृश्य श्रम को मान्यता:** औपचारिकरण से देखभाल करने को आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य के रूप में मान्यता देने और व्यापक विकास नियोजन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में देखभाल संबंधी योगदान को एकीकृत करने में सहायता मिलेगी।

4.9. भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया (Reserve Bank of India Cancels Paytm Payments Bank Licence)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।*

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके लिए आरबीआई ने गंभीर विनियामक और शासन संबंधी विफलताओं का हवाला दिया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने धारा 22(4) के तहत लाइसेंस रद्द किया, जिससे बैंक को तत्काल प्रभाव से अधिनियम की धारा 5(b) और 6 के तहत किसी भी बैंकिंग गतिविधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- केंद्रीय बैंक, बैंक के समापन (winding up) के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा; हालाँकि, इसने स्पष्ट किया है कि बैंक के पास सभी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है।
- यह कार्रवाई कई उल्लंघनों पर आधारित थी, जिनमें शामिल हैं:
  - ✓ जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल संचालन (धारा 22(3)(b))
  - ✓ प्रबंधन की दोषपूर्ण प्रकृति (धारा 22(3)(c))
  - ✓ निरंतरता की अनुमति देने में जनहित का अभाव (धारा 22(3)(e))
  - ✓ लाइसेंस की शर्तों का अननुपालन (धारा 22(3)(g))
- आरबीआई मार्च 2022 से ही प्रतिबंधों को सख्त कर रहा था (नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी), जिसके बाद निरंतर अनुपालन विफलताओं के कारण 2024 में जमा, क्रेडिट और वॉलेट टॉप-अप को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश जारी किए गए।
- यह कदम मुख्य रूप से एक प्रक्रियात्मक पराकाष्ठा है, जिसका मूल कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही अपने परिचालन को भागीदार बैंकों में स्थानांतरित कर दिया था।

पेमेंट्स बैंकों के बारे में

- पेमेंट्स बैंक (भुगतान बैंक) एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ छोटे पैमाने पर संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- इसे नचिकेत मोर समिति (2014) की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त आबादी को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - ✓ प्रवासी श्रमिकों, निम्न-आय वाले परिवारों और छोटे उद्यमियों को सेवा प्रदान करना।
  - ✓ अनिवार्य बैंकिंग सेवाएँ जैसे जमा, भुगतान और प्रेषण प्रदान करना।
  - ✓ भारत में डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को सुगम बनाना।
- **नियामक फ्रेमवर्क:**
  - ✓ **पंजीकृत है:** कंपनी अधिनियम, 2013
  - ✓ **शासित होता है:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007.
- **पेमेंट्स बैंक की मुख्य विशेषताएँ**
  - ✓ **विभेदित बैंक:** सार्वभौमिक बैंकों के विपरीत, इनकी परिचालन संबंधी विशिष्ट सीमाएँ होती हैं।
  - ✓ **लघु स्तरीय संचालन:** इनका मुख्य ध्यान 'कम मूल्य' और 'उच्च संख्या' वाले लेनदेन पर होता है।
- **पूँजीगत आवश्यकताएँ**
  - ✓ **न्यूनतम चुकता पूँजी:** ₹100 करोड़।
  - ✓ **प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान:** पहले पाँच वर्षों के लिए चुकता इक्विटी पूँजी का कम से कम **40%**।
- **कार्य**
  - ✓ **जमा स्वीकार करना:** प्रति ग्राहक **₹2,00,000** तक की जमा राशि।
  - ✓ **बचत और चालू खाते** की सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु **सावधि जमा** की अनुमति नहीं है।
  - ✓ **डेबिट कार्ड जारी करते हैं** लेकिन **क्रेडिट कार्ड** नहीं।
  - ✓ **जमा राशि का निवेश:** प्राप्त जमा राशि का 75% वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) प्रतिभूतियों में और शेष 25% अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में रखना अनिवार्य है।
  - ✓ **भुगतान और प्रेषण:** ये व्यक्तिगत भुगतान और सीमा-पार धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं।

विभेदित बैंकों के बारे में

- **विभेदित बैंक:** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंकिंग सेवाओं से वंचित तथा कम सुविधा प्राप्त आबादी तक औपचारिक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने के लिए लघु वित्त बैंक (SFBs) और भुगतान बैंक (PBs) सहित 'विभेदित बैंकों' की अवधारणा पेश की गई थी।

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** इस पर पहली बार 2007 में चर्चा की गई थी और बाद में इसे आरबीआई के 2013 के शोध पत्र **"भारत में बैंकिंग संरचना – आगे की राह"** में औपचारिक रूप दिया गया, जिसके बाद नचिकेत मोर समिति की सिफारिशें आईं।
- **विशिष्ट कार्यक्षेत्र:** ये बैंक सार्वभौमिक बैंकों की तरह सभी सेवाएँ प्रदान करने के बजाय, भुगतान, जमा या ऋण जैसे विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं।

पेमेंट बैंक बनाम वाणिज्यिक बैंक

विशेषताएँ	पेमेंट्स बैंक	वाणिज्यिक बैंक
अधिकतम जमा सीमा	प्रति ग्राहक ₹ 2 लाख	कोई सीमा नहीं
ऋण देना और क्रेडिट	अनुमति नहीं है (कोई ऋण नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं)	अनुमति है (ऋण, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट)
उत्पाद की रेंज	सामान्य: बचत/चालू खाता, डेबिट कार्ड, यूपीआई, बिल पेमेंट्स	व्यापक: FDs, RDs, ऋण, कार्ड, बीमा, संपत्ति उत्पाद
पूंजीगत आवश्यकता	₹ 100 करोड़ न्यूनतम	सामान्यतः ₹500 करोड़+
NRI/सावधि जमा	अनुमति नहीं है	अनुमति है
परिचलनात्मक फोकस	डिजिटल-फर्स्ट, लघु स्तरीय लेनदेन	पूर्ण-सेवा खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग
खाते की सुलभता	जीरो बैलेंस, तत्काल ऑनबोर्डिंग	प्रायः न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है, सख्त KYC मानदंड
जमा बीमा (DICGC)	हाँ, ₹ 5 लाख तक (प्रभावी रूप से सभी जमाओं को कवर करता है)	हाँ, प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख

4.10. श्रम संहिता नियम, 2026 (Labour Codes Rules, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।*

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से सभी चार श्रम संहिताओं के तहत अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही भारत के उन श्रम कानून सुधारों को पूर्णतः क्रियाशील कर दिया गया है, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में एकीकृत करते हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- चार श्रम संहिताएं — पारिश्रमिक संहिता, 2019; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSH) संहिता, 2020 — पहले ही 21 नवंबर, 2025 को लागू हो चुकी थीं, लेकिन विस्तृत कार्यान्वयन नियम लंबित थे।
- अधिसूचित नियम कार्यान्वयन के लिए कानूनी ढांचे को पूर्ण करते हैं और राज्यों को अपने स्वयं के नियम बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, क्योंकि श्रम, समवर्ती सूची का विषय है।

सभी चार श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ

वेतन संहिता, 2019:

- **फ्लोर वेज और न्यूनतम वेतन:** केंद्र सरकार न्यूनतम जीवन स्तर, भोजन, कपड़े, आवास और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए एक राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' (न्यूनतम आधारभूत वेतन) निर्धारित करेगी।
  - ✓ राज्य सरकारें इस 'फ्लोर वेज' से नीचे न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती हैं, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक की गणना के मानदंड केंद्र सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेशों के माध्यम से अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
- **कार्य के घंटे:** दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए सामान्य कार्य के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जबकि अन्य श्रमिकों के लिए साप्ताहिक कार्य के घंटों की अधिकतम सीमा 48 घंटे तय की गई है।
  - ✓ नियमों में ओवरटाइम वेतन और कम से कम एक साप्ताहिक अवकाश का भी प्रावधान है।
- **मजदूरी प्रशासन:** नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में परिश्रमिक स्लिप जारी करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नियमों ने कटौती, जुर्माने, अग्रिम राशि, नुकसान की भरपाई और ऋण से संबंधित प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया है।
  - ✓ कर्मचारियों के लिए एक औपचारिक नामांकन तंत्र भी शुरू किया गया है।
- **वेतन का व्यापक दायरा:** यह संहिता 'फ्लोर वेज' की अवधारणा के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार की पेशकश करती है।
  - ✓ यह मजदूरी के समय पर भुगतान को भी सुनिश्चित करती है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** नियम सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक असंगठित श्रमिक हेतु आधार-संबद्ध पंजीकरण अनिवार्य करते हैं।

✓ यह संहिता पहली बार औपचारिक रूप से 'गिग' और 'प्लेटफ़ॉर्म' श्रमिकों को भी मान्यता देती है।

- **गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक:** एग्रीगेटर्स को एक निर्दिष्ट सरकारी पोर्टल पर गिग/प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को वास्तविक समय में पंजीकृत करना होगा और उनके कार्य छोड़ने के विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

✓ संसद, राज्यों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाएगा।

- **सामाजिक सुरक्षा विस्तार:** यह संहिता सामाजिक सुरक्षा के दायरे को औपचारिक क्षेत्र से आगे बढ़ाकर एक व्यापक कार्यबल को इसमें शामिल करती है। यह कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और ईपीएफ (EPF) तंत्र से संबंधित नियमों में भी बदलाव पेश करती है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

- **शिकायत निवारण:** 20 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए एक शिकायत निवारण समिति स्थापित करना अनिवार्य है, जिसमें नियोक्ताओं और श्रमिकों का समान प्रतिनिधित्व होगा।

✓ इस समिति में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें महिला श्रमिकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

- **ट्रेड यूनियन की मान्यता:** किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 30% सदस्यता वाली ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- **छंटनी और ले-ऑफ:** 300 तक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को अब छंटनी, ले-ऑफ या बंदी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले यह सीमा 100 श्रमिकों की थी।
- **हड़ताल संबंधी नियम:** श्रमिक हड़ताल से 60 दिन पहले नोटिस दिए बिना और 14 दिनों की अनिवार्य नोटिस अवधि का पालन किए बिना हड़ताल पर नहीं जा सकते।

✓ हड़ताल की परिभाषा को भी व्यापक बनाया गया है, जिसमें एक ही दिन में 50% से अधिक श्रमिकों द्वारा लिए गए सामूहिक आकस्मिक अवकाश को भी शामिल किया गया है।

- **स्थायी आदेश:** यह संहिता श्रमिकों के वर्गीकरण, सेवा शर्तों, उपस्थिति, अवकाश और अनुशासन या कदाचार प्रक्रियाओं के संबंध में मॉडल स्थायी आदेशों को अधिसूचित करती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSH) संहिता, 2020

- **महिला श्रमिक और रात्रिकालीन पाली:** महिलाओं को उनकी लिखित सहमति के साथ शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कार्य करने की अनुमति है।

✓ नियोक्ताओं को सुरक्षित और पर्याप्त रोशनी वाले कार्यस्थल के साथ-साथ आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करनी होगी।

नए श्रम संहिताओं का महत्व

1 व्यवसाय करने में सरलीकरण और सुगमता

संहिताएँ 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करती हैं और एकल पंजीकरण, पूरे भारत में एकल लाइसेंस, और एकल रिटर्न तंत्र शुरू करती हैं, जिससे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम होता है।

2 रोजगार का औपचारीकरण

अनिवार्य नियुक्ति पत्र, मानकीकृत वेतन रिकॉर्ड, और रोजगार दस्तावेजीकरण पारदर्शिता, रोजगार सुरक्षा, और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देते हैं।

3 सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

संहिताएँ असंगठित, गिग, और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक विस्तारित करती हैं, जिससे श्रम संरक्षण में समावेशिता में सुधार होता है।

4 लैंगिक समावेशन और श्रमिक कल्याण

महिलाओं को सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति है, जबकि श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान, ओवरटाइम मुआवजा, साप्ताहिक अवकाश, स्वास्थ्य जांच और बेहतर कार्यस्थल सुरक्षा का लाभ मिलता है।

5 वेतन का युक्तिकरण और डिजिटल शासन

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करने का उद्देश्य न्यूनतम वेतन में एकरूपता लाना है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, वेतन पर्ची, प्रवासी श्रमिक डेटाबेस, और वेब-सक्षम निरीक्षण पारदर्शिता और निगरानी में सुधार करते हैं।

- **स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय:** नियम सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य बनाते हैं और 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान करते हैं।

✓ यह संहिता सभी पालियों में महिलाओं के लिए समान वेतन, कार्य और अवसर भी सुनिश्चित करती है।

- **सुरक्षा समितियां:** 500 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर 'सुरक्षा समितियों' का गठन करना अनिवार्य है।
- **प्रवासी श्रमिक डेटाबेस:** नियोक्ताओं को निर्दिष्ट सरकारी पोर्टलों के माध्यम से अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों और कार्यस्थल सुरक्षा विवरणों से संबंधित डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.11. सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन हेतु योजना (Scheme for Promotion of Surface Coal/ Lignite Gasification Projects)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कोयला गैसीकरण को गति देने के लिए ₹37,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन हेतु योजना को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह योजना भारत के कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने और 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करना है, जैसे: एलएनजी (LNG) (50% से अधिक आयातित), यूरिया (लगभग 20% आयातित), अमोनिया (लगभग 100% आयातित), और मेथनॉल (लगभग 80-90% आयातित)।
- यह पहल सिनगैस और उससे जुड़े उत्पादों जैसे कि उर्वरक, रसायन और सिंथेटिक ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करके कोयले के स्वच्छ और अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है।
- एक महत्वपूर्ण सहवर्ती सुधार के रूप में, सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र (NRS) लिंकेज नीलामी ढांचे के तहत कोयला लिंकेज की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष तक कर दिया है। इससे दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता सुनिश्चित होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

कोयला गैसीकरण क्या है?

- कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयला या लिग्नाइट, उच्च तापमान और दाब पर ऑक्सीजन एवं भाप के साथ अभिक्रिया करके संश्लेषण गैस (सिनगैस) उत्पन्न करते हैं, जो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से निर्मित होती है।
- गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित सिनगैस का उपयोग मेथेनॉल, अमोनिया, संश्लेषित प्राकृतिक गैस (SNG), उर्वरक, रसायन, हाइड्रोजन और अन्य अनुप्रवाह औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- कोयले के प्रत्यक्ष दहन के विपरीत, गैसीकरण कोयला संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को सक्षम बनाता है और अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा औद्योगिक उपयोग की संभावना प्रदान करता है।

योजना की आवश्यकता

- भारत के पास विश्व के सबसे बड़े कोयला भंडारों (लगभग 401 बिलियन टन) और लिग्नाइट भंडारों (लगभग 47 बिलियन टन) में से एक है, जबकि देश के ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी अभी भी 55% से अधिक है। यह घरेलू कोयला संसाधनों के अधिक कुशल और मूल्यवर्धित उपयोग को आवश्यक बनाता है।
- कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट को सिनगैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग ईंधन, उर्वरक, रसायन, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिससे उच्च-मूल्य वाले आयात पर निर्भरता कम होगी।
- वित्तीय वर्ष 2025 में एलएनजी (LNG), यूरिया, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, डीएमई (DME) और कोकिंग कोल जैसे उत्पादों का भारत का आयात बिल लगभग ₹2.77 लाख करोड़ था। यह वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलताओं को रेखांकित करता है।
- यह नई योजना राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन (2021) और जनवरी 2024 में अनुमोदित पूर्ववर्ती ₹8,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण योजना पर आधारित है, जिसके तहत ₹6,233 करोड़ की लागत वाली आठ परियोजनाएं पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

वित्तीय और संस्थागत ढाँचा

- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹37,500 करोड़ है, जिसका उद्देश्य सिनगैस और उससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन के लिए नई सतह कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत लगभग 75 मिलियन टन कोयला/लिग्नाइट के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- पात्र परियोजनाओं के लिए संयंत्र और मशीनरी की लागत के अधिकतम **20%** तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- योजना में वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं:
  - ✓ एकल परियोजना के लिए अधिकतम ₹5,000 करोड़।
  - ✓ एकल उत्पाद श्रेणी के लिए अधिकतम ₹9,000 करोड़ (संश्लेषित प्राकृतिक गैस और यूरिया को छोड़कर)।
  - ✓ सभी परियोजनाओं में एकल इकाई समूह के लिए अधिकतम ₹12,000 करोड़।
- परियोजनाओं का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जो परियोजना की लागत, कोयला इनपुट दक्षता और सिनगैस आउटपुट जैसे मानदंडों पर आधारित होगी।
- इस योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन, वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था तथा अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त होंगे।

प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास

- यह योजना प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण के अनुरूप है, साथ ही स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनके विकास को प्रोत्साहित करती है।
- इसका उद्देश्य भारत के घरेलू कोयला गैसीकरण इकोसिस्टम को मजबूत करना और विदेशी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) ठेकेदारों पर निर्भरता को कम करना है।

योजना का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन:** यह योजना घरेलू कोयला संसाधनों के विविधीकृत उपयोग को बढ़ावा देती है और उच्च-मूल्य वाले आयात पर निर्भरता कम करती है। इससे भारत वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों से सुरक्षित होगा।
- **आत्मनिर्भर भारत और औद्योगिक विकास को समर्थन:** सिनगैस और उससे जुड़े उत्पादों के बढ़ते घरेलू उत्पादन से रणनीतिक उद्योगों को मजबूती मिलेगी और 'आत्मनिर्भर भारत' तथा 'मेक इन इंडिया' के उद्देश्यों को गति प्राप्त होगी।
- **निवेश और रोजगार सृजन:** इस योजना से ₹2.5–3 लाख करोड़ का निवेश जुटने और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में लगभग 25 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।
- **राजस्व सृजन और क्षेत्रीय विकास:** लगभग 75 मिलियन टन कोयला/लिग्नाइट के गैसीकरण से सालाना करीब ₹6,300 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही, जीएसटी (GST) और संबंधित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम का विकास:** स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करके और विदेशी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) ठेकेदारों पर निर्भरता कम करके, इस योजना का लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में भारत की घरेलू तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करना है।

4.12. भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड (India's First Mega Greenfield Shipyard)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह आदि।*

संदर्भ

भारत ने भारत- कोरिया गणराज्य व्यापक फ्रेमवर्क 'VOYAGES' के तहत थूथुकुडी, तमिलनाडु में देश के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस समझौते पर एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (HD KSOE), नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क - तमिलनाडु (NSHIP-TN) और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ने हस्ताक्षर किए हैं। SMFCL पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इस परियोजना को भारत-कोरिया समुद्री सहयोग ढांचे "VOYAGES" (विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड एसिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल) के तहत विकसित किया जा रहा है, जो जहाज निर्माण, शिपिंग और समुद्री रसद (लॉजिस्टिक्स) में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच गहरे होते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।
- यह परियोजना भारत के 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' (MAKV 2047) का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत को विश्व के शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है और इसका लक्ष्य 2047 तक प्रति वर्ष 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज (GT) जहाज निर्माण उत्पादन का है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

- थूथुकुडी में प्रस्तावित मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज (GT) परिकल्पित की गई है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक जहाज निर्माण सुविधाओं में से एक और MAKV 2047 के वार्षिक 4.5 मिलियन GT जहाज निर्माण उत्पादन के लक्ष्य में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाती है।
- इस परियोजना से सहायक उद्योगों, समुद्री इंजीनियरिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं, रसद सेवाओं और समुद्री विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के माध्यम से लगभग 15,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के साथ-साथ पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होने की अपेक्षा है।
- प्रस्तावित मेगा शिपयार्ड को थूथुकुडी में NSHIP-TN द्वारा विकसित किए जा रहे थूथुकुडी शिपबिल्डिंग क्लस्टर की मुख्य सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।

परियोजना का महत्व

- **भारत के समुद्री विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना:** एक बड़े स्तर के एकीकृत जहाज निर्माण क्लस्टर का विकास घरेलू विनिर्माण, समुद्री उपकरणों के स्थानीयकरण और वैश्विक समुद्री मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- **रणनीतिक और आर्थिक लचीलेपन में वृद्धि:** घरेलू जहाज निर्माण क्षमता का विस्तार विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता को कम कर सकता है, समुद्री रसद के लचीलेपन को मजबूत कर सकता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।

- **रोजगार और तटीय औद्योगीकरण को बढ़ावा:** इस परियोजना से सागरमाला कार्यक्रम के तहत सहायक उद्योगों, रसद बुनियादी ढांचे, समुद्री सेवाओं और तटीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर दक्षिण भारत में औद्योगीकरण को गति मिलने की उम्मीद है।
- **भारत-दक्षिण कोरिया रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करना:** यह परियोजना उन्नत विनिर्माण, समुद्री प्रौद्योगिकी, रसद और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है।

भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र का सिंहावलोकन

- वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जो चीन (47%), दक्षिण कोरिया (25%) और जापान (18%) से काफी पीछे है। ये देश उन्नत तकनीक और एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं।
- अपनी सीमित वैश्विक हिस्सेदारी के बावजूद, भारत को पास महत्वपूर्ण समुद्री लाभ प्राप्त हैं:
  - ✓ 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा।
  - ✓ 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख (गौण) बंदरगाह।
  - ✓ देशभर में 30 से अधिक शिपयार्ड।
  - ✓ एक सुदृढ़ समुद्री कार्यबल, जिसमें भारत दुनिया के लगभग 10% नाविकों का योगदान देता है।
- भारत के जहाज निर्माण उद्योग में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है, जिसका उद्योग मूल्यांकन वर्ष 2022 के लगभग 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं, वर्ष 2024 में वैश्विक जहाज निर्माण बाजार का मूल्य लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत विदेशी शिपिंग कंपनियों को प्रति वर्ष लगभग 75–90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल ढुलाई शुल्क भी भुगतान करता है, जो घरेलू जहाज निर्माण और समुद्री रसद क्षमताओं को मजबूत करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

4.13. भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में MSMEs (MSMEs Strengthening India's Domestic Economy and Inclusive Growth)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास और इससे संबंधित विषय।*

संदर्भ

भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, निर्यात और समावेशी विकास के सबसे सुदृढ़ स्तंभों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें सरकार औपचारिकीकरण, ऋण सहायता और डिजिटल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

MSMEs के बारे में

- MSMEs को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के तहत शासित किया जाता है।
- MSME का वर्गीकरण संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में निवेश (भूमि और भवन को छोड़कर) की लागत और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित है।
- संशोधित वर्गीकरण ढांचे को उद्यम पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

एमएसएमई के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंड

श्रेणी	निवेश सीमा	वार्षिक टर्नओवर सीमा
सूक्ष्म उद्यम	अधिकतम ₹2.5 करोड़ तक पहले: ₹1 करोड़	अधिकतम ₹10 करोड़ तक पहले: ₹5 करोड़
लघु उद्यम	अधिकतम ₹25 करोड़ तक पहले: ₹10 करोड़	अधिकतम ₹100 करोड़ तक पहले: ₹50 करोड़
मध्यम उद्यम	अधिकतम ₹125 करोड़ तक पहले: ₹50 करोड़	अधिकतम ₹500 करोड़ तक पहले: ₹250 करोड़

1 अप्रैल 2025 से लागू | निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर संयुक्त मानदंड

MSMEs की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- **व्यापक औपचारिकीकरण अभियान:** उद्यम पोर्टल के तहत लगभग 4.72 करोड़ उद्यम पंजीकृत हुए हैं।
  - ✓ उद्यम सहायक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 3.21 करोड़ अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को शामिल किया गया है।
  - ✓ जुलाई 2021 से MSME दिशानिर्देशों के तहत खुदरा और थोक व्यापारियों को शामिल करने से औपचारिक कवरेज का विस्तार हुआ है।
- **बेहतर ऋण सहायता:** केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत क्रेडिट गारंटी योजना की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई है।
  - ✓ ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए 85% तक की बढ़ी हुई गारंटी कवरेज के साथ विशेष प्रावधान पेश किए गए हैं।
  - ✓ ECLGS (आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) ने ₹3.61 लाख करोड़ मूल्य की गारंटी जारी की है, जिससे 1.19 करोड़ ऋणकर्ता लाभान्वित हुए हैं।
- **इक्विटी और उद्यमिता को बढ़ावा देना:** आत्मनिर्भर भारत (SRI) कोष

ने ₹15,442 करोड़ के निवेश के साथ 682 MSMEs को सहायता प्रदान की है।

- ✓ PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) ने 5.8 लाख से अधिक परियोजनाओं का समर्थन किया और लगभग 36.3 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया।
- ✓ पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख से अधिक शिल्पकारों ने पंजीकरण कराया और लगभग ₹5,050 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए।

- **डिजिटलीकरण और त्वरित भुगतान:** GeM, TReDS, समाधान, MSME चैंपियंस पोर्टल और पीएम विश्वकर्मा पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों ने बाजार पहुंच और पारदर्शिता में सुधार किया है।
  - ✓ विलंबित भुगतान निगरानी तंत्र के माध्यम से MSMEs को ₹1.65 लाख करोड़ की बकाया राशि का भुगतान किया गया।
  - ✓ विलंबित भुगतान के मामलों के डिजिटल समाधान के लिए जून 2025 में ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल लॉन्च किया गया।

MSMEs का महत्व

- **रोजगार सृजन:** MSME क्षेत्र कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और यह लगभग 32.8 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** शहरी केंद्रों में केंद्रित बड़े उद्योगों के विपरीत, MSME विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण को बढ़ावा देते हैं और गांवों तथा छोटे शहरों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हैं।
- **निर्यात प्रोत्साहन और विनिर्माण विकास:** भारत के कुल निर्यात में MSMEs का योगदान लगभग आधा है और विनिर्माण उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 35.4% है, जो घरेलू उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करती है।
- **उद्यमिता और समावेशी विकास:** MSME क्षेत्र स्वरोजगार, पारंपरिक शिल्पकारों, पहली पीढ़ी के उद्यमियों और स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को सहायता प्रदान करता है, जिससे समावेशी और जमीनी स्तर के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ

- **वहनीय ऋण तक सीमित पहुँच:** कई MSMEs, विशेष रूप से अनौपचारिक और ग्रामीण उद्यमों को अभी भी समय पर संस्थागत वित्त और कार्यशील पूंजी सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **विलंबित भुगतान:** MSMED अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, खरीदारों और संस्थानों से होने वाले विलंबित भुगतान MSMEs के नकदी प्रवाह और परिचालन स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं।
- **उच्च अनौपचारिकता:** बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम उचित पंजीकरण, दस्तावेज़ीकरण और वित्तीय रिकॉर्ड के बिना औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर काम करते हैं।
- **तकनीकी और बाजार संबंधी बाधाएँ:** कई MSMEs को कम डिजिटल अंगीकरण, कमजोर बाजार संबंधों, अपर्याप्त तकनीकी उन्नयन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सीमित एकीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **ऋण और इक्विटी सहायता को सुदृढ़ करना:** संपार्श्विक-मुक्त ऋण का विस्तार करना, जोखिम पूंजी की उपलब्धता में सुधार करना और ग्रामीण तथा पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को गहरा करना।
- **औपचारिकीकरण और डिजिटल एकीकरण में तेजी लाना:** अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल बाजारों में एकीकृत करने के लिए उद्यम (Udyam), UAP, GeM और TReDS प्लेटफार्मों को और अधिक बढ़ावा देना।
- **समय पर भुगतान और कानूनी प्रवर्तन सुनिश्चित करना:** भुगतान में देरी को कम करने और MSME की तरलता को मजबूत करने के लिए 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों' (MSE Facilitation

Councils) और 'ऑनलाइन विवाद समाधान' (ODR) तंत्र की दक्षता में सुधार करना।

- **कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना:** MSMEs को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने, कौशल उन्नयन, निर्यात प्रोत्साहन और नवाचार सहायता को प्रोत्साहित करना।

4.14. लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, 2025 (Logistics Ease Across Different States Report, 2025)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।*

संदर्भ

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने नई दिल्ली में आयोजित 'लीप्स (LEAPS) पुरस्कार 2025' समारोह के दौरान 'लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स' (LEADS) रिपोर्ट 2025 का सातवां संस्करण जारी किया।

LEADS रिपोर्ट के बारे में

- विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (LEADS), राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसद (लॉजिस्टिक्स) प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 2018 में शुरू किया गया DPIIT का एक प्रमुख राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क है।
- यह रिपोर्ट बुनियादी ढांचे, रसद सेवाओं, नियामक वातावरण, परिचालन दक्षता और वस्तुओं की आवाजाही की सुगमता के आधार पर रसद दक्षता का मूल्यांकन करती है।
- LEADS 2025 ने एक संशोधित चार-स्तरीय प्रदर्शन वर्गीकरण पेश किया और मूल्यांकन की पारदर्शिता एवं सुस्पष्टता में सुधार के लिए वस्तुनिष्ठ तथा साक्ष्य-आधारित संकेतकों को लगभग 59% भारांश प्रदान किया।
- यह रिपोर्ट एकीकृत, बहुविध और लागत-कुशल रसद प्रणालियों को बढ़ावा देकर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय रसद नीति के उद्देश्यों का समर्थन करती है।

LEADS 2025 के मुख्य निष्कर्ष

- **चार-स्तरीय वर्गीकरण की शुरुआत:** LEADS 2025 ने पूर्ववर्ती त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर एक नया चार-स्तरीय ढांचा अपनाया है:
  - ✓ एक्सेम्पलर्स
  - ✓ हाई परफॉर्मर्स
  - ✓ एक्सेलरेटर्स
  - ✓ ग्रोथ-सीकर्स
- **एक्सेम्पलर्स (शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश):** इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रसद बुनियादी ढांचे, नीतिगत समर्थन, सेवा वितरण और नियामक ढांचे में निरंतर उत्कृष्टता प्रदर्शित की है।
  - ✓ **तमिलनाडु** – तटीय राज्य
  - ✓ **उत्तर प्रदेश** – स्थलबद्ध राज्य
  - ✓ **मिजोरम** – उत्तर-पूर्वी राज्य
  - ✓ **दिल्ली** – केंद्र शासित प्रदेश
- **हाई परफॉर्मर्स (High Performers):** इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अधिकांश प्रदर्शन संकेतकों में मजबूत और सतत रसद परिणाम प्रदर्शित किए हैं।
  - ✓ **तटीय राज्य:** गुजरात, केरल, महाराष्ट्र
  - ✓ **स्थलबद्ध राज्य:** हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार
  - ✓ **उत्तर-पूर्वी राज्य:** त्रिपुरा, मेघालय
  - ✓ **केंद्र शासित प्रदेश:** जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी
- **एक्सेलरेटर्स (Accelerators):** इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने तीव्र सुधार और सुधार-उन्मुख रसद विकास का प्रदर्शन किया है।
  - ✓ **तटीय राज्य:** आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक
  - ✓ **स्थलबद्ध राज्य:** पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
  - ✓ **उत्तर-पूर्वी राज्य:** नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम
  - ✓ **केंद्र शासित प्रदेश:** दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप
- **ग्रोथ-सीकर्स (Growth-Seekers):** ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रसद इकोसिस्टम और संस्थागत विकास के आधारभूत चरण में हैं।
  - ✓ पश्चिम बंगाल
  - ✓ राजस्थान
  - ✓ सिक्किम
  - ✓ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- **महत्वपूर्ण बिंदु:**
  - ✓ उत्तर प्रदेश ने 2022-2024 तक "अचीवर" के रूप में वर्गीकृत रहने के बाद उच्चतम "एक्सेम्पलर" दर्जा प्राप्त किया है, जो रसद बुनियादी ढांचे और औद्योगिक कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
  - ✓ जम्मू और कश्मीर ने 2023 में "एस्पायरर्स" और 2024 में "फास्ट मूवर" श्रेणी से सुधार करते हुए 2025 में "हाई परफॉर्मर" का दर्जा प्राप्त किया है।

✓ LEADS 2025 मापनीय संकेतकों और साक्ष्य-आधारित रसद सुधारों पर अधिक बल देता है।

✓ इस रिपोर्ट का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रसद प्रदर्शन के बेंचमार्किंग और क्षेत्रीय अंतराल की पहचान करने में सक्षम बनाकर सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है।

4.15. राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो नीति, 2026 का मसौदा (Draft National Water Metro Policy, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।*

संदर्भ

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने देश के 18 शहरों में 'वॉटर मेट्रो' सेवाओं को शुरू करने की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही, मंत्रालय ने जल-आधारित शहरी गतिशीलता के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर-मंत्रालयी और राज्य परामर्श के लिए 'राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो नीति, 2026 के मसौदे' को परिचालित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- प्रथम चरण के शहरों में गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज शामिल हैं, जबकि असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को द्वितीय चरण के तहत प्रस्तावित किया गया है।
- यह पहल कोच्चि जल मेट्रो की परिचालन सफलता पर आधारित है और इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को कुशल, पर्यावरण-अनुकूल और एकीकृत शहरी परिवहन गलियारों में बदलना है।

वॉटर मेट्रो/वॉटर बस/वॉटर टैक्सी के बारे में

- वॉटर मेट्रो अंतर्देशीय, तटीय और अन्य जल निकायों में संचालित होने वाली एक यांत्रिक रूप से संचालित जन-यात्री परिवहन प्रणाली है, जिसका उपयोग यात्रियों और जहाँ लागू हो, वाहनों के व्यवस्थित आवागमन के लिए किया जाता है।
- यह नदियों, नहरों, झीलों, बैकवॉटर (पश्चजल), ज्वारनदमुख, खाड़ियों और तटीय जल में इंट्रा-सिटी (शहर के भीतर), इंटर-सिटी (एक शहर से दूसरे शहर), तटीय और अंतर-द्वीपीय गलियारों में संचालित हो सकती है।
- सुनियोजित जल-आधारित शहरी परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए वॉटर मेट्रो प्रणालियाँ आधुनिक जहाजों/नौकाओं, तैरते हुए जेट्टी, स्वचालित किराया प्रणालियों और यात्री सूचना प्रणालियों का उपयोग करती हैं।
- पारंपरिक फेरी (नौका) सेवाओं के विपरीत, वॉटर मेट्रो प्रणालियों को उच्च-आवृत्ति वाले शहरी गतिशीलता नेटवर्क के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो दैनिक आवागमन, पर्यटन, मनोरंजन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सहायता प्रदान करते हैं।
- यह प्रणाली भूमि अधिग्रहण की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ मौजूदा जलमार्गों का उपयोग करके एक कम लागत, कम उत्सर्जन वाला और भीड़भाड़-मुक्त गतिशीलता विकल्प प्रदान करती है।

वॉटर मेट्रो की मुख्य विशेषताएँ

- **हरित और कम उत्सर्जन वाली गतिशीलता:** कार्बन उत्सर्जन और ईंधन की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक, बैटरी-संचालित, सौर-सहायता प्राप्त और हाइब्रिड फेरी को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें लंबे मार्गों और कठिन परिचालन स्थितियों के लिए हाइब्रिड जहाजों का उपयोग किया जाता है।
- **जन-सार्वजनिक परिवहन प्रणाली:** यह दैनिक शहरी गतिशीलता के लिए एक निर्धारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करती है, साथ ही पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को भी सहायता प्रदान करती है।
- **मानकीकरण और सुरक्षा:** यह राष्ट्रीय समुद्री और अंतर्देशीय जलयान सुरक्षा विनियमों के अनुपालन में मानकीकृत जहाज डिज़ाइनों, चार्जिंग प्रणालियों, टर्मिनलों और नौवहन अवसंरचना को सुनिश्चित करता है।
- **मल्टीमॉडल एकीकरण:** यह वॉटर मेट्रो सेवाओं को मेट्रो रेल, बसों, सड़कों, फीडर प्रणालियों, पैदल यात्री मार्गों और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी अवसंरचना के साथ एकीकृत करता है।
- **इकोसिस्टम आधारित विकास:** यह जहाजों, पोंटूनों, जेट्टियों, चार्जिंग और बंकरिंग सुविधाओं, यात्री टर्मिनलों, नौवहन सहायकों, डिजिटल प्रणालियों और आपातकालीन बचाव सहायता सहित एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है।
- **स्वदेशी विनिर्माण:** यह लागत को कम करने और विस्तार क्षमता में सुधार करने के लिए मानकीकरण और थोक खरीद के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत भारतीय जहाजरानी कारखानों द्वारा जहाज निर्माण को बढ़ावा देता है।
- **लचीले वित्तपोषण मॉडल:** यह केंद्र-राज्य संयुक्त वित्तपोषण, राज्य-वित्तपोषित परियोजनाओं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और रणनीतिक राष्ट्रीय जलमार्ग गलियारों के लिए पूर्णतः केंद्र-वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- **शहरी और जलवायु लचीलापन:** यह सुदूर और जल-अवरुद्ध क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करता है, शहरी भीड़भाड़ को कम करता है, तथा बाढ़ और अवसंरचना व्यवधानों के दौरान परिवहन लचीलापन प्रदान करता है।

राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो नीति, 2026

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा तैयार किया गया 'राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो नीति, 2026 का मसौदा', भारत के शहरी परिवहन इकोसिस्टम में अंतर्देशीय जलमार्गों को एकीकृत करने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेगा।
- इसका उद्देश्य टिकाऊ, मल्टी-मॉडल और कम उत्सर्जन वाली शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए वॉटर मेट्रो प्रणालियों को अन्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) जैसे कि मेट्रो रेल, बीआरटीएस (BRTS) और ट्रामवे के समकक्ष स्थापित करना है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** यह नीति हरित प्रणोदन प्रौद्योगिकियों (इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड नौकाएं), जहाज और टर्मिनल डिज़ाइन में मानकीकरण, यात्री सुरक्षा, तकनीकी दक्षता, किफायती सार्वजनिक परिवहन, मल्टी-मॉडल एकीकरण और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
- **नियोजन मानदंड:** वॉटर मेट्रो परियोजनाओं को उन शहरों में प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ निरंतर या अर्ध-निरंतर नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध हैं, जिनकी शहरी आबादी 10 लाख से अधिक है, जो पर्यटन-प्रधान गलियारे हैं, या जो बाढ़-प्रवण तथा जल-अवरुद्ध क्षेत्र हैं जहाँ कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता है।
- **परिचालन और अवसंरचना घटक:** यह ढांचा आधुनिक टर्मिनलों और तैरते हुए जेट्टियों, यात्री सुविधाओं, स्वचालित किराया संग्रह प्रणालियों, यात्री सूचना प्रणालियों, चार्जिंग और बंकरिंग अवसंरचना, जीपीएस/एआईएस-आधारित नौवहन सहायकों, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों और बैकअप पावर अवसंरचना का प्रावधान करता है।
- **इकोसिस्टम-आधारित विकास दृष्टिकोण:** यह नीति एक एकीकृत इकोसिस्टम मॉडल को अपनाती है जिसमें जहाजों, पोंटूनों, टर्मिनलों, चार्जिंग अवसंरचना, नौवहन प्रणालियों और मौजूदा परिवहन नेटवर्कों के साथ निर्बाध मल्टीमॉडल एकीकरण को शामिल किया गया है।
- **किराया और राजस्व ढांचा:** यह नीति लाभ को अधिकतम करने के बजाय किफायती और समावेशी सार्वजनिक परिवहन पर जोर देती है, जबकि विज्ञापन, खुदरा स्थानों, वॉटरफ्रंट वाणिज्यिक विकास और पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से गैर-किराया राजस्व को बढ़ावा देती है।
- **वित्तपोषण मॉडल:** कार्यान्वयन के लिए कई मॉडलों का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें संयुक्त केंद्र-राज्य वित्तपोषण, पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित परियोजनाएं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और पूर्णतः केंद्र-वित्तपोषित पहल शामिल हैं।
- **प्रदर्शन निगरानी:** प्रदर्शन का मूल्यांकन सुरक्षा मानकों, समय की पाबंदी, यात्रियों की संख्या, परिचालन दक्षता, ईंधन की बचत और पर्यावरणीय परिणामों जैसे संकेतकों के आधार पर किया जाएगा।

कानूनी और संवैधानिक फ्रेमवर्क

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) अधिनियम, 1985:** यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने का अधिकार देता है, साथ ही राष्ट्रीय जलमार्गों से बाहर के जलमार्गों के लिए परामर्शी सहायता भी प्रदान करता है।
- **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021:** यह जलयानों के निर्माण, संचालन, प्रदूषण नियंत्रण और यात्री सुरक्षा के मानक निर्धारित करके भारत में यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयानों को विनियमित करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौवहन संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है।

4.16. मल्टी-लेन फ्री फ्लो बाधा-रहित टोलिंग प्रणाली (Multi-Lane Free Flow Barrier-less Tolling System)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढाँचा: सड़कें।*

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में NH-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बाधा-रहित टोलिंग प्रणाली लॉन्च की।

MLFF (मल्टी-लेन फ्री फ्लो) के बारे में

- MLFF एक अगली पीढ़ी की डिजिटल टोलिंग प्रणाली है जो बाधा-रहित आवाजाही, तीव्र यातायात प्रवाह और कुशल राजमार्ग संचालन को सक्षम बनाती है।
- यह 2014 में शुरू किए गए FASTag-आधारित 'इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह' (ETC) का एक उन्नत संस्करण है।
- इस प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है; जब वाहन गति में होते हैं, तभी टोल वसूल लिया जाता है।
- यह स्वचालित टोल कटौती के लिए FASTag (RFID-आधारित प्रणाली) और ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) तकनीक का उपयोग करता है।
- सत्यापन और प्रवर्तन के लिए इस प्रणाली को 'वाहन' (VAHAN - राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री) डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है।

- यह इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन रिकॉर्ड और नोटिफिकेशन जनरेट करता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 'इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड' (IHMCL) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

MLFF की मुख्य विशेषताएँ

- **बाधा-रहित और निरंतर आवाजाही:** यह प्रणाली टोल बूथों और अधिक बाधाओं की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे बिना रुके वाहनों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है।
- **दोहरी पहचान और सत्यापन:** सटीक और विश्वसनीय वाहन पहचान के लिए यह FASTag (RFID) और ANPR-आधारित नंबर प्लेट पहचान तकनीक का समन्वय करती है।
- **रियल टाइम में स्वचालित टोल संग्रह:** यह तत्काल लेनदेन रिकॉर्डिंग और उपयोगकर्ता अधिसूचना के साथ निर्बाध टोल कटौती को सक्षम बनाता है।
- **एकीकृत तकनीकी ढांचा:** यह वाहन सत्यापन और नियमों के प्रवर्तन के लिए टोल संग्रह प्रणाली को 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस के साथ जोड़ता है।
- **स्वचालित उल्लंघन और प्रवर्तन:**
  - ✓ यह प्रणाली अमान्य FASTag, वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) के मिलान न होने, या भुगतान न किए जाने वाले मामलों की पहचान करती है।
  - ✓ उल्लंघन का विवरण देते हुए संबंधित वाहन स्वामी को डिजिटल माध्यम से ई-नोटिस भेजे जाते हैं।
  - ✓ भुगतान के लिए 72 घंटे की समय-सीमा प्रदान की जाती है, जिसके दौरान केवल मूल टोल शुल्क ही लागू होता है।
  - ✓ यदि भुगतान 72 घंटे के बाद किया जाता है, तो मूल शुल्क पर दोगुना टोल जुर्माना लगाया जाता है।
  - ✓ इसमें शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र शामिल है, जो समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है।
- **नियमाकीय समर्थक उपाय:**
  - ✓ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) के सटीक संचालन के लिए वाहनों पर 'हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' (HSRP) का होना अनिवार्य है।
  - ✓ दुरुपयोग रोकने के लिए "एक वाहन, एक फास्टैग" नीति
- **न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप:** यह प्रणाली मानवीय भागीदारी को कम करती है, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो जाती है और परिचालन दक्षता में सुधार होता है।

MLFF का महत्व

- **बेहतर यातायात प्रवाह और कम जाम:** टोल प्लाजा पर ठहराव को समाप्त करके, MLFF बाधाओं को काफी कम करता है और राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही में सुधार करता है।
- **समय और ईंधन की बचत एवं पर्यावरणीय लाभ:** वाहनों की निरंतर आवाजाही से यात्रा के समय में कमी आती है, ईंधन की खपत कम होती है और टोल की कतारों के कारण होने वाले विलंब में कमी आती है। टोल प्लाजा पर वाहनों की 'आइडलिंग' (इंजन चालू रखकर खड़े रहना) में कमी से उत्सर्जन कम होता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है।
- **उपयोगकर्ता सुविधा और 'ईज ऑफ लिविंग':** MLFF प्रतीक्षा समय को कम करके और तनाव मुक्त यात्रा का वातावरण बनाकर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है।
- **लॉजिस्टिक्स और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा:** माल की तीव्र और अनुमानित आवाजाही से रसद दक्षता बढ़ती है, जिससे ट्रांसपोर्टरों, बेड़ा संचालकों और व्यवसायों को लाभ होता है।
- **टोल राजस्व दक्षता में सुधार:** यह प्रणाली राजस्व रिसाव को कम करती है, नियमों के अनुपालन को बढ़ाती है और डिजिटल निगरानी के माध्यम से सटीक टोल संग्रह सुनिश्चित करती है।
- **डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा:** यह वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के अनुरूप है और 'स्मार्ट हाईवे' के विकास का समर्थन करती है।
- **देशव्यापी विस्तार:** सभी चार-लेन और उससे ऊपर के राजमार्गों पर इसे लागू करने की योजना है, जिसके लिए मार्च 2029 तक देशव्यापी कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया है।

4.17. कैबिनेट ने सीजन 2026-27 के लिए गन्ने के FRP को मंजूरी दी (Cabinet Approves FRP for Sugarcane for Season 2026-27)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से संबंधित विषय तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026-27 चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को बढ़ाकर ₹365 प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह 2025-26 के पिछले ₹355 प्रति क्विंटल के FRP की तुलना में ₹10 (लगभग 2.81%) की वृद्धि को दर्शाता है, जो गन्ना किसानों को दिए गए सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।
- ₹365 प्रति क्विंटल का FRP 10.25% की बुनियादी चीनी रिकवरी दर पर आधारित है।
  - ✓ **प्रीमियम:** 10.25% से ऊपर रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए ₹3.56 प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा।
  - ✓ **कटौती:** 10.25% से नीचे प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए FRP में ₹3.56 प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी।
- हालाँकि, किसानों के हितों की रक्षा के लिए, 9.5% से कम रिकवरी दर वाली मिलों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी, जिससे इन मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को ₹338.3 प्रति क्विंटल का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित होगा।
- चीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत (A2 + FL) ₹182/क्विंटल है। इस प्रकार, 10.25% की रिकवरी दर पर ₹365/क्विंटल का FRP, उत्पादन लागत से 100.5% अधिक है।

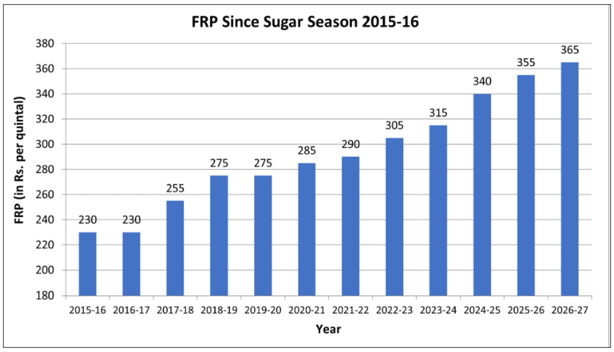

FRP में वृद्धि का महत्व

- **किसानों के हितों की रक्षा:** FRP में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि बाजार की बदलती स्थितियों के बीच गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
- **ग्रामीण आजीविका को समर्थन:** गन्ना खेती लगभग 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मिल श्रमिकों को काम देती है, जिससे यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उच्च FRP सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को बनाए रखने में मदद करता है।
- **रिकवरी दर में निष्पक्षता सुनिश्चित करना:** संशोधित नीति बेहतर चीनी रिकवरी के लिए प्रीमियम प्रदान करती है और कम रिकवरी दर वाले किसानों को ₹338.3 प्रति क्विंटल का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित करके सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रोत्साहन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाती है।
- **चीनी उत्पादन पर प्रभाव:** FRP में वृद्धि का उद्देश्य किसानों को गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, विशेष रूप से हाल के वर्षों में चीनी उत्पादन में आई गिरावट को देखते हुए।
  - ✓ भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा विनिर्माण संघ के अनुसार, 2024-25 सीजन के लिए कुल चीनी उत्पादन लगभग 264 लाख मीट्रिक टन (LMT) था, जो 2023-24 सीजन के लगभग 319 LMT से कम है।

गणना मूल्य निर्धारण नीति

- गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
  - ✓ गन्ना एकमात्र ऐसी कृषि फसल है जिसे वैधानिक मूल्य समर्थन प्राप्त है।
  - ✓ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वाली अन्य फसलों को कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है, इसलिए यदि सरकार खरीद में विफल रहती है, तो किसान कानूनी अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकते।
  - ✓ हालाँकि, FRP का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को FRP भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी चीनी मिलों (मुख्यतः निजी) की होती है। भुगतान न होने की स्थिति में, गन्ना आयुक्त मिल के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।
- 2009-10 चीनी सीजन से पहले, केंद्र सरकार गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP) तय करती थी, और किसान चीनी मिल के साथ 50:50 के आधार पर लाभ साझा करने के हकदार थे।
- चूंकि लाभ का यह साझाकरण लागू नहीं हो पाया था, इसलिए 2009 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश में संशोधन के माध्यम से SMP को FRP से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
- CACP द्वारा FRP के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है:
  - ✓ गन्ने की उत्पादन लागत
  - ✓ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता।
  - ✓ चीनी की रिकवरी दर
  - ✓ वैकल्पिक फसलों से प्राप्त होने वाला प्रतिफल, आदि।

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के बारे में

- यह सरकार द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम मूल्य है जिसे किसानों को उनकी उपज के लिए चुकाने हेतु चीनी मिलें कानूनी रूप से बाध्य हैं।

- यह एक बुनियादी 'चीनी रिकवरी दर' से जुड़ा होता है, जिसमें अधिक रिकवरी होने पर किसानों को प्रीमियम दिया जाता है।
  - ✓ बुनियादी चीनी रिकवरी पेराई किए गए गन्ने से उत्पादित चीनी का प्रतिशत है।
- FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है।
- गन्ने के लिए FRP का निर्णय प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्य सरकारों तथा चीनी उद्योग के अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया जाता है।
- **राज्य-परामर्शित मूल्य (SAPs):** उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्य अपना स्वयं का SAP घोषित करते हैं, जो आमतौर पर स्थानीय उत्पादन लागत और उत्पादकता स्तरों को दर्शाते हुए FRP से अधिक होता है।

गन्ने की फसल के बारे में

- **जलवायु और मिट्टी की आवश्यकताएँ:**
  - ✓ यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में उगता है।
  - ✓ इसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान वाली गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
  - ✓ वार्षिक वर्षा 75 सेमी से 100 सेमी के बीच होनी चाहिए; कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई अनिवार्य है।
  - ✓ गन्ना काली, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो, में सबसे अच्छी तरह से पनपता है।
- **उत्पादन आँकड़े:**
  - ✓ भारत, ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
  - ✓ **शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार।
  - ✓ विश्व स्तर पर गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है।
- **उपयोग:** यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरे का मुख्य स्रोत है, जिसका उपयोग इथेनॉल उत्पादन में भी किया जाता है।

4.18. कपास उत्पादकता मिशन (2026–27 से 2030–31) {Mission for Cotton Productivity (2026–27 to 2030–31)}

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं; किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कपास क्षेत्र में आ रही बाधाओं, घटती विकास दर और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन (2026-27 से 2030-31) हेतु ₹5,659.22 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है।

कपास उत्पादकता मिशन के बारे में

- इस मिशन का उद्देश्य कपास की उत्पादकता को बढ़ाना, कपास की गुणवत्ता में सुधार करना, कपास मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर कपास उत्पादक के रूप में स्थापित करना है।
- यह भारत सरकार के 5F विजन के अनुरूप है: फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → फॉरेन।
- यह मिशन वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू किया जाएगा।
- इस मिशन के लिए कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय ₹5,659.22 करोड़ है।
- **संस्थागत ढाँचा:** इस मिशन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।
  - ✓ इसमें 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान, 1 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) संस्थान, कपास पर 10 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAUs) शामिल होंगे।

- मिशन के प्रारंभिक चरण में 14 राज्यों के 140 जिले शामिल होंगे और इसमें 2,000 जिनिंग और प्रसंस्करण कारखाने कवर किए जाएंगे।
- मिशन का लक्ष्य 2031 तक कपास के उत्पादन को 498 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) तक पहुँचाना है।
  - ✓ इसका उद्देश्य लिंट उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है।
  - ✓ इस मिशन से लगभग 32 लाख किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

प्रमुख फोकस क्षेत्र

- **कपास के उन्नत बीजों का विकास:** यह मिशन अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV), जलवायु-अनुकूल बीजों, और कीट एवं रोग-प्रतिरोधी कपास की किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - ✓ यह कपास की उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार के लिए उन्नत उत्पादन और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देता है।
- **आधुनिक कपास खेती प्रौद्योगिकियों का प्रचार:** मिशन आधुनिक कृषि पद्धतियों के बड़े पैमाने पर अपनाए जाने को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि सघन वृक्षारोपण प्रणाली (HDPS), क्लोजर स्पेसिंग (CS), एकीकृत कपास प्रबंधन और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास की खेती।
  - ✓ प्रौद्योगिकी का प्रसार राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के माध्यम से किया जाएगा।
- **गुणवत्ता में सुधार और प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण:** यह मिशन जिनिंग मिलों और कपास प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण का समर्थन करता है।
  - ✓ यह न्यूनतम संदूषण वाली कपास की आपूर्ति और बेहतर फाइबर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रसंस्करण पद्धतियों को भी बढ़ावा देता है।
- **कपास परीक्षण बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण:** मिशन का उद्देश्य आधुनिक, मानकीकृत और मान्यता प्राप्त कपास परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना है।
  - ✓ ये सुविधाएं विश्वसनीय गुणवत्ता मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगी और भारत को वैश्विक बेंचमार्किंग मानकों को पूरा करने में मदद करेंगी।
- **ब्रांडिंग और ट्रैसेबिलिटी:** मिशन भारतीय कपास को एक प्रीमियम और संधारणीय वैश्विक उत्पाद के रूप में स्थापित करने के लिए 'कस्तूरी कॉटन भारत' की ट्रैसेबिलिटी, प्रमाणीकरण और ब्रैंडिंग को बढ़ावा देता है।
  - ✓ इसका लक्ष्य कपास में कचरे की मात्रा को 2% से कम करना भी है।
- **मंडियों का डिजिटल एकीकरण:** मिशन का लक्ष्य पारदर्शी मूल्य निर्धारण, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए बाजार मंडियों को ई-प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और संधारणीयता:** मिशन कपास अपशिष्ट पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  - ✓ इसका उद्देश्य संसाधन दक्षता में सुधार करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न करना है।
- **प्राकृतिक रेशों का विविधीकरण:** मिशन सन (flax), रैमी (ramie), सिसल (sisal), मिल्कवीड, बांस और केले जैसे वैकल्पिक प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - ✓ यह पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय वस्त्र उत्पादन का समर्थन करता है और बदलती वैश्विक मांग के अनुरूप है।

मिशन का महत्व

- **भारत की कपास अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार:** यह मिशन घटती उत्पादकता, कीटों के कारण फसल का नुकसान, फाइबर (रेशे) की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और कपास क्षेत्र को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करता है।
- **किसान आय और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि:** उच्च उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता वाली कपास और बेहतर बाजार पहुंच से किसानों की आय में वृद्धि होने और लगभग **32 लाख कपास किसानों** को लाभ होने की उम्मीद है।
- **भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूती:** उच्च गुणवत्ता वाली और संदूषण मुक्त कपास की उपलब्धता घरेलू कपड़ा उद्योग को समर्थन देगी और वैश्विक कपड़ा विनिर्माण में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी।
- **कपास निर्यात और वैश्विक ब्रांडिंग को प्रोत्साहन:** 'कस्तूरी कॉटन भारत' (ब्रांडिंग और ट्रैसेबिलिटी तंत्र अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कपास को एक प्रीमियम और संधारणीय उत्पाद के रूप में बढ़ावा देंगे।
- **संधारणीय और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा:** यह मिशन जलवायु-अनुकूल खेती, कुशल संसाधन उपयोग, पुनर्चक्रण प्रथाओं और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय फाइबर विविधीकरण का समर्थन करता है।
- **आयात निर्भरता में कमी और आत्मनिर्भरता:** उच्च घरेलू कपास उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती औद्योगिक मांग को पूरा करने और कपास आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी।
- **सरकार के 5F विजन की दिशा में आगे बढ़ना:** यह मिशन फार्म → फाइबर → फैक्ट्री → फैशन → फॉरेन तक कपास मूल्य श्रृंखला के एकीकरण को मजबूत करता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी 'टेक्सटाइल हब' बनने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करता है।

4.19. विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 (Viksit Bharat – G RAM G Act, 2025)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।*

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

हाल ही मे, केंद्र सरकार ने VB–G RAM G अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन को अधिसूचित किया है, जो 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण देश में प्रभावी होगा। यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान लेगा।

VB–G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में

- **विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB–G RAM G] अधिनियम, 2025** एक नवीन वैधानिक ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका ढाँचा है, जिसे **विकसित भारत @2047** की परिकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है।
- यह अधिनियम **गारंटीकृत मजदूरी रोजगार** को **दीर्घकालिक ग्रामीण विकास, आजीविका सृजन, जलवायु तथा ग्राम-स्तरीय नियोजन** के साथ एकीकृत करता है।
- यह **1 जुलाई 2026** से भारत के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाएगा।
- **अधिनियम चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है—**
  - ✓ जल सुरक्षा संबंधी कार्य,
  - ✓ मूल ग्रामीण अवसंरचना,
  - ✓ आजीविका-संबंधी अवसंरचना,
  - ✓ चरम मौसम न्यूनीकरण कार्य।
- **वित्तीय आवंटन:** केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ₹95,692.31 करोड़ आवंटित किए हैं, जो किसी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय प्रावधान है।
- **व्यय साझेदारी प्रतिरूप**
  - ✓ पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु — 90:10
  - ✓ अन्य राज्यों तथा विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों हेतु — 60:40
  - ✓ बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों हेतु — 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- **मनरेगा से संक्रमण:** वर्तमान मनरेगा कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेंगे तथा उन्हें नए ढाँचे में समाहित किया जाएगा।
  - ✓ e-KYC सत्यापित वर्तमान जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं किए जाते।
  - ✓ लंबित e-KYC के आधार पर किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **संवर्धित रोजगार गारंटी:** यह अधिनियम प्रति वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को **100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन** करता है।

वीबी–जी आरएएम जी अधिनियम की आवश्यकता और महत्व

एमजीएनआरईजीए को नए ढांचे के साथ प्रतिस्थापित करना

- सरकार ने मुख्य रूप से मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से अधिक एकीकृत और विकास-उन्मुख ग्रामीण ढांचे की ओर बढ़ने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम से प्रतिस्थापित किया।
- यह अधिनियम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत आजीविका सृजन, बुनियादी ढांचा विकास, जलवायु लचीलेपन और दीर्घकालिक ग्रामीण परिवर्तन को जोड़ता है।

रोजगार और आय सुरक्षा को बढ़ाना

- यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका और आय सुरक्षा में सुधार करते हुए, गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है।

ग्राम पंचायत योजना को सशक्त बनाना

- विकासित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) के माध्यम से, यह अधिनियम ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित और ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित सहभागी और अभिसरण-आधारित ग्रामीण योजनाओं को बढ़ावा देता है।

जलवायु लचीलापन और सतत विकास

- यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अत्यधिक मौसम शमन कार्यों को शामिल करता है।

अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

- डीबीटी मजदूरी भुगतान, फ़ेस-ऑथेंटिकेशन उपस्थिति, जनता बोर्ड, और सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियां पारदर्शिता और कार्यान्वयन में सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं।

आत्मनिर्भर गांवों को बढ़ावा

- "एकल-योजना, बहु-वित्त पोषण" दृष्टिकोण का उद्देश्य सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का निर्माण करना है।

- ✓ मांग के **15 दिनों के भीतर** रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे।
- **मजदूरी भुगतान और मुआवजा:** मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर खातों में **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** (DBT) के माध्यम से जारी रहेगा।
  - ✓ भुगतान साप्ताहिक रूप से या मस्टर रोल बंद होने के **15 दिनों के भीतर** किया जाना अनिवार्य है।
  - ✓ यदि मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है, तो श्रमिक **विलंब मुआवजे** के पात्र होंगे।
- **बेरोजगारी भत्ता:** निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में:
  - ✓ श्रमिकों को पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का कम से कम **एक-चौथाई (1/4)** हिस्सा मिलेगा।
  - ✓ शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का कम से कम **आधा (1/2)** हिस्सा दिया जाएगा।
- **महिला-अनुकूल प्रावधान:** कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल की सहायता प्रदान की जाएगी।
  - ✓ जहां भी पांच साल से कम उम्र के **पांच या उससे अधिक बच्चे** मौजूद होंगे, वहां बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला कार्यकर्ता नियुक्त की जाएगी।
- **कार्यस्थल और श्रम प्रावधान:** अनिवार्य सुविधाओं में सुरक्षित पेयजल, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा शामिल हैं।
  - ✓ **ठेकेदारों का प्रवेश प्रतिबंधित है** और जहां तक संभव हो, श्रम-विस्थापन करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता।
  - ✓ यदि कार्य गांव से **5 किमी से अधिक** दूरी पर प्रदान किया जाता है, तो श्रमिकों को **10% अतिरिक्त मजदूरी मुआवजा** मिलेगा।
- **उपस्थिति और पारदर्शिता:** उपस्थिति को **चेहरा-प्रमाणीकरण** आधारित प्रणाली के माध्यम से दर्ज किया जाएगा, जिसमें कनेक्टिविटी या तकनीकी समस्याओं के लिए अपवाद तंत्र शामिल हैं।
  - ✓ कार्यस्थलों पर कार्य विवरण और व्यय प्रदर्शित करने वाले **"जनता बोर्ड"** लगाए जाने अनिवार्य हैं।
  - ✓ साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें और सार्वजनिक डिजिटल पारदर्शिता प्रणालियाँ अनिवार्य की गई हैं।
- **विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं:** अधिनियम के तहत सभी कार्य **विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPPs)** से उत्पन्न होने चाहिए, जो ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित हों।
  - ✓ VGPPs अभिसरण-आधारित स्थानीय विकास योजनाएं हैं, जो दीर्घकालिक ग्रामीण परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

4.20. पीएम मित्र पार्क (PM MITRA Park)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन – 3: *अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के वारंगल में 'पीएम मित्र पार्क' का उद्घाटन किया, जो सरकार के 5F विज़न "फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन" के अंतर्गत विकसित भारत का पहला कार्यात्मक पीएम मित्र पार्क है।

पीएम मित्र पार्क

- पीएम मित्र पार्क की स्थापना वारंगल स्थित काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क (KMTP) में ₹1,695.54 करोड़ की कुल परियोजना लागत से की गई है तथा यह 1,327 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह पार्क प्रस्तावित नागपुर–विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (NH-163G) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-163 के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है, जिससे रेलवे नेटवर्क एवं समुद्री बंदरगाहों से सुदृढ़ संपर्क सुनिश्चित होता है।
- इसे विश्वस्तरीय वस्त्र औद्योगिक पारितंत्र (TIE) के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें आंतरिक सड़कें, समर्पित विद्युत उपकेंद्र, सुनिश्चित जल आपूर्ति, श्रमिक आवास, सामान्य बॉयलर सुविधाएँ तथा 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पार्क में शून्य द्रव अपशिष्ट (ZLD) प्रौद्योगिकी पर आधारित एक सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (CETP) भी स्थापित किया गया है।
- पार्क का लगभग 62% भाग पहले ही उद्योगों को आवंटित किया जा चुका है तथा यहाँ स्थापित इकाइयाँ प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS) एवं वस्त्र क्षेत्र हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

पीएम मित्र योजना

- PM MITRA का पूर्ण रूप 'प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान योजना' (Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme) है।
- इस योजना को अक्टूबर 2021 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य एकीकृत बड़े पैमाने के वस्त्र विनिर्माण पारितंत्रों के माध्यम से भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाना है।
- यह योजना सरकार के 5F **विज़न — "फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन"** को क्रियान्वित करती है तथा कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई से लेकर परिधान निर्माण एवं निर्यात तक संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने का प्रयास करती है।
- योजना का उद्देश्य लगभग **₹70,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना तथा लगभग 20 लाख रोजगार अवसरों** का सृजन करना है।

- **कार्यान्वयन एवं वित्तपोषण:** प्रथम चरण के अंतर्गत **तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश** में सात पीएम मित्र पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक पार्क कम-से-कम 1,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा।

✓ PM MITRA पार्कों का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें **राज्य सरकारों की 51% तथा केंद्र सरकार की 49%** इक्विटी होगी।

- ✓ इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय वर्ष **2027-28 तक ₹4,445 करोड़** निर्धारित किया गया है।
- ✓ केंद्र सरकार कोर अवसंरचना हेतु **विकास पूंजी सहायता** (DCS) तथा विनिर्माण इकाइयों के लिए **प्रति पार्क ₹300 करोड़ की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता** (CIS) प्रदान करती है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:** इन पार्कों में **प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण सुविधाएँ**, साझा अवसंरचना, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक सहायता, श्रमिक छात्रावास, कौशल विकास केंद्र तथा अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
  - ✓ पूर्ववर्ती वस्त्र पार्क योजनाओं के विपरीत, PM MITRA बड़े पैमाने पर एकीकृत उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर स्थापित कर लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके।
  - ✓ पूर्ववर्ती वस्त्र पार्क योजनाओं के विपरीत, PM MITRA बड़े पैमाने पर एकीकृत उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर स्थापित कर लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके।

4.21. भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (Bharat Maritime Insurance Pool)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक नौवहन परिचालन के प्रति बढ़ते जोखिमों के बीच, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने भारतीय नौवहन और व्यापार के लिए निर्बाध तथा किफायती समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' (BMIP) का शुभारंभ किया।

भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) के बारे में

- भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल क्षमता वाला एक घरेलू समुद्री बीमा तंत्र है।
- इसे अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹12,980 करोड़) की संप्रभु गारंटी का समर्थन प्राप्त है।
- इस पूल का निर्माण बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिबंधों के जोखिम और वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित करने वाली बीमा लागतों में वृद्धि के जवाब में किया गया है।
- भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC Re) को इस पूल के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है।
- पूल के कामकाज, बीमा मानकों और संप्रभु गारंटी के आह्वान की निगरानी के लिए एक शासी निकाय और एक बीमांकक समिति का गठन किया गया है।
- कवरेज और बीमा सुरक्षा:
  - ✓ BMIP निम्नलिखित के लिए समुद्री बीमा कवरेज प्रदान करता है:
    - ■ भारतीय ध्वज वाले जहाज
    - ■ भारतीय-नियंत्रित जहाज
    - ■ वे जहाज जिनका मूल स्थान या गंतव्य भारत है।
  - ✓ यह पूल प्रमुख समुद्री जोखिमों को कवर करता है, जिनमें शामिल हैं:
    - ■ हल एंड मशीनरी (Hull and Machinery) बीमा
    - ■ कार्गो (माल) बीमा
    - ■ सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (P&I) बीमा
    - ■ युद्ध जोखिम बीमा
  - ✓ P&I बीमा के अंतर्गत तेल प्रदूषण, कार्गो क्षति (माल की क्षति), मलबे को हटाने, चालक दल की चोट एवं उनके स्वदेश वापसी, और जहाजों के टकराव से उत्पन्न होने वाली देनदारियों जैसे तीसरे पक्ष के दायित्वों को कवर किया जाता है।
  - ✓ इस पहल का उद्देश्य समुद्री जोखिम कवरेज के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और इंटरनेशनल ग्रुप प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी (IGP&I) क्लब्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है।
- **परिचालन तंत्र:**
  - ✓ बीमा पॉलिसियाँ इस पूल के सदस्य घरेलू बीमाकर्ताओं द्वारा उनकी संयुक्त बीमांकक क्षमता का उपयोग करके जारी की जाएंगी।
  - ✓ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के दावों का निपटान पूल द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा।
  - ✓ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के दावों को, पूल के आरक्षित कोष, सदस्य योगदान और पुनर्बीमा सहायता के समाप्त होने के बाद, संप्रभु गारंटी के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
  - ✓ शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान, 'द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' द्वारा 'होजर ऑफशोर एंड मरीन प्राइवेट लिमिटेड' को पहली 'मरीन हल एंड मशीनरी वॉर पॉलिसी' जारी की गई।

BMIP का महत्व

- **समुद्री व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करना:** BMIP भू-राजनीतिक संघर्षों या प्रतिबंधों के दौरान भी उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों के लिए निर्बाध बीमा कवरेज सुनिश्चित करता है।
- **विदेशी बीमा प्रणालियों पर निर्भरता में कमी:** यह पहल महत्वपूर्ण समुद्री जोखिम कवरेज के लिए विदेशी बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और इंटरनेशनल ग्रुप पी एंड आई (P&I) क्लबों पर भारत की निर्भरता को कम करती है।

- **भारत की वित्तीय संप्रभुता को सुदृढ़ करना:** यह पूल समुद्री व्यापार पर संप्रभु नियंत्रण को बढ़ाता है और बाहरी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों से भारतीय नौवहन हितों की रक्षा करता है।
- **किफायती और स्थिर बीमा प्रदान करना:** संकट के समय अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बीमा बाजारों की तुलना में BMIP से प्रतिस्पर्धी और स्थिर प्रीमियम दरें प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- **समुद्री सुरक्षा और व्यापार लचीलापन को बढ़ाना:** यह तंत्र भारत के समुद्री जोखिम संरक्षण ढांचे में सुधार करता है और अस्थिरता की अवधि के दौरान सुरक्षित वैश्विक व्यापार संचालन का समर्थन करता है।
- **घरेलू समुद्री बीमा क्षमता के विकास को प्रोत्साहन:** BMIP भारत में एक सुदृढ़ स्वदेशी 'प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी' (P&I) इकोसिस्टम और घरेलू पुनर्बीमा क्षमता विकसित करने की आधारशिला रखता है।

4.22. खरीफ़ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2026-27 (Minimum Support Price for Kharif Crops, 2026-27)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न -सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं; किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ़ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- खरीफ़ फसलों के MSP में यह वृद्धि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- MSP में सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि की घोषणा सूरजमुखी के बीज (₹622 प्रति क्विंटल) के लिए की गई, इसके बाद कपास (₹557), रामतिल/नाइजरसीड (₹515) और तिल/सेसमम (₹500) का स्थान है।
- उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ का मार्जिन सबसे अधिक मूँग (61%) के लिए है, इसके बाद बाजरा और मक्का (56%) तथा तुअर/अरहर (54%) का स्थान है। शेष फसलों के लिए यह मार्जिन 50% अनुमानित है।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि दालों, तिलहनों और पोषक अनाजों (श्री अन्न) के लिए उच्च MSP का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पारंपरिक अनाजों (जैसे चावल-गेहूँ) पर निर्भरता को कम करना है।

किसानों पर राष्ट्रीय आयोग (स्वामीनाथन समिति)

- यह सिफारिश की गई थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए।
- इसने उत्पादन लागत के तीन स्तरों का सुझाव दिया था:
  - ✓ **A2:** फसल उगाने के लिए किए गए सभी प्रकार के नकद खर्च, जैसे- बीज, खाद, रसायन, श्रम लागत, ईंधन लागत और सिंचाई लागत।
  - ✓ **A2+FL:** इसमें A2 के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य भी शामिल होता है।
  - ✓ **C2:** C2 के अंतर्गत, A2+FL में अनुमानित भूमि किराया और खेती के लिए, लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज की लागत को भी जोड़ा जाता है।
- सरकार की कम से कम 50% मार्जिन प्रदान करने की MSP नीति मुख्य रूप से A2+FL लागत अवधारणा पर आधारित है, हालांकि कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) MSP की सिफारिश करते समय C2 लागत अनुमानों पर भी विचार करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- MSP भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकों (किसानों) को कृषि कीमतों में एकाएक और भारी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करना है।
- MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा बुवाई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। यह घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ चुनिंदा फसलों के लिए की जाती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - ✓ किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
  - ✓ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए खरीद के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - ✓ आवश्यक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा करना।

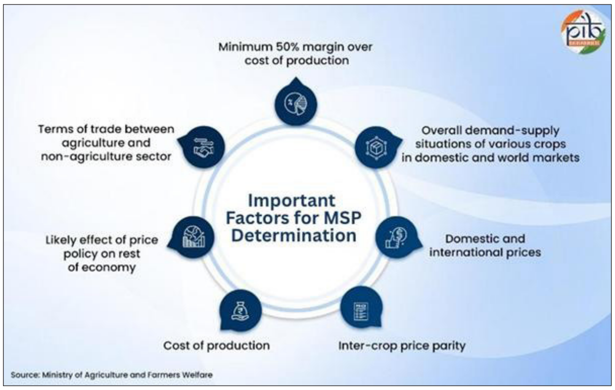

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए सिफारिशें तैयार करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) विभिन्न कारकों पर विचार करता है जैसे-
  - ✓ उत्पादन लागत (A2+FL पद्धति)
  - ✓ मांग और आपूर्ति की स्थिति
  - ✓ अंतर-फसल मूल्य समता
  - ✓ सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
  - ✓ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, आदि।
- वर्तमान में, सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा करती है।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, तोरिया और बिना छिलके वाले नारियल के MSP क्रमशः सरसों/तोरिया और खोपरा के निर्धारित MSP के आधार पर तय किए जाते हैं।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

- CACP भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह जनवरी 1965 में 'कृषि मूल्य आयोग' के रूप में अस्तित्व में आया था। बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया।
- वर्तमान में, आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, एक सदस्य (सरकारी) और दो सदस्य (गैर-सरकारी) शामिल हैं।
  - ✓ गैर-सरकारी सदस्य किसान समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं और आमतौर पर किसान समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं।

गन्ने के लिए मूल्य निर्धारण नीति के बारे में

- गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा शासित होता है।
- 2009-10 से पहले, सरकार गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (Statutory Minimum Price - SMP) निर्धारित करती थी।
- वर्ष 2009 में, गन्ना (नियंत्रण) आदेश में संशोधन के बाद SMP को उचित और लाभकारी मूल्य प्रणाली से बदल दिया गया।

फसलों का वर्गीकरण

- फसलों की सूची निम्नानुसार है –

अनाज (7)	धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार (सोरघम), बाजरा (मोती बाजरा), जौ और रागी
तिलहन (7)	मूंगफली, रेपसीड-सरसों (+ तोरिया), सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजरसीड
दलहन (5)	चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर (दाल)
वाणिज्यिक फसलें (4)	कपास, गन्ना, कपास (कपास रेशा) और कच्चा जूट.

- इनमें से 14 फसलें खरीफ मौसम में हैं, और 6 रबी मौसम में हैं।

खरीफ फसलें (14)	धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, नाइजरसीड, कपास.
रबी फसलें (6)	गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों (+ तोरिया), सूरजमुखी.
अन्य फसलें (3)	गन्ना, कच्चा जूट, नारियल (छिलका रहित नारियल)

कुल फसलें: 23 (खरीफ 14 + रबी 6 + अन्य 3)

- FRP में एक वैधानिक कारक के रूप में "जोखिम और लाभ के कारण उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन" शामिल है।
- **FRP निर्धारित करते समय विचार किए जाने वाले कारक:** कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करता है:
  - ✓ गन्ने की उत्पादन लागत
  - ✓ वैकल्पिक फसलों से प्राप्त होने वाला लाभ
  - ✓ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता
  - ✓ चीनी की कीमतें
  - ✓ गन्ने से चीनी की रिकवरी दर
  - ✓ उप-उत्पादों (जैसे शीरा, खोई और प्रेस मड) का मूल्य
  - ✓ किसानों के लिए उचित लाभ मार्जिन
- राज्य, राज्य परामर्शित मूल्य (State Advisory Price - SAP) की घोषणा भी कर सकते हैं, जो आमतौर पर केंद्र द्वारा निर्धारित FRP से अधिक होता है।

पर्यावरण

5.1. वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, 2026 (Global Forest Goals Report, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।*

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्य (GFG) रिपोर्ट 2026 जारी की है, जो इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि सतत वन प्रबंधन और वन-संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में वैश्विक प्रयास 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026, 'वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना (UNSPF) 2017-2030' के तहत निर्धारित छह वैश्विक वन लक्ष्यों और उनसे संबंधित 26 लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति पर आधारित दूसरी वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है।
- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) और संयुक्त राष्ट्र वन फोरम (UNFF) सचिवालय द्वारा तैयार की गई है।
- यह मूल्यांकन मुख्य रूप से 48 देशों द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक राष्ट्रीय रिपोर्टों (VNRs) पर आधारित है, जो वैश्विक वन क्षेत्र के लगभग 51% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA) 2025 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
- इस रिपोर्ट को मई 2026 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के 21वें सत्र (UNFF21) के दौरान लॉन्च किया गया था।

वैश्विक वन लक्ष्य (GFGs) और उनसे संबंधित लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र वनों के लिए रणनीतिक योजना (UNSPF) 2017–2030

1 वन आच्छादन हानि को उलटना

- 1.1 विश्वभर में वन क्षेत्र में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।
- 1.2 विश्व के वन कार्बन भंडार को बनाए रखा जाए।
- 1.3 2020 तक, सतत प्रबंधन के सभी प्रकार के वनों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वनों की कटाई रोकी जाए, degraded वनों को बहाल किया जाए और वैश्विक स्तर पर वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाए।
- 1.4 सभी प्रकार के वनों की प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति लचीलापन एवं अनुकूलन क्षमता को significantly सशक्त किया जाए।

2 वन के लाभ और आजीविका में सुधार

- 2.1 सभी वन-निर्भर लोगों के लिए चरम गरीबी का उन्मूलन किया जाए।
- 2.2 छोटे स्तर के वन उद्यमों द्वारा वित्त और बाजार तक पहुँच में सुधार किया जाए।
- 2.3 खाद्य सुरक्षा में वनों के योगदान को बढ़ाया जाए।
- 2.4 विकास के लिए वनों-आधारित उद्योगों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के योगदान को बढ़ाया जाए।
- 2.5 जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में वनों की भूमिका को सुदृढ़ किया जाए।

3 वनों की रक्षा करें और सतत वन उत्पादों का उपयोग करें

- 3.1 संरक्षित या संरक्षित किए गए वनों के रूप में नामित वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए।
- 3.2 दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं के तहत वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाए।
- 3.3 सतत प्रबंधित वनों से प्राप्त वन उत्पादों का अनुपात बढ़ाया जाए।

4 संसाधनों को जुटाएं

- 4.1 सतत वन प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए।
- 4.2 सार्वजनिक, निजी और अन्य स्रोतों से वन-संबंधी वित्त को बढ़ाया जाए।
- 4.3 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए।
- 4.4 वन वित्त तक पहुंच वाले देशों की संख्या बढ़ाई जाए।
- 4.5 वन-संबंधी डेटा, निगरानी और सूचना प्रणालियों में सुधार किया जाए।

5 समावेशी वन शासन को बढ़ावा दें

- 5.1 राष्ट्रीय सतत विकास और गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में वनों को एकीकृत किया जाए।
- 5.2 वन कानूनों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करें और अवैध कटाई को कम करें।
- 5.3 नीति समन्वय और हितधारक सहभागिता में सुधार करें, जिसमें आदिवासी लोग भी शामिल हों।
- 5.4 वनों को भूमि उपयोग योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकृत किया जाए।

6 क्षेत्रों के बीच सहयोग करें और साथ मिलकर कार्य करें

- 6.1 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर वन-संबंधी कार्यक्रमों के सुसंगतता में सुधार किया जाए।
- 6.2 अंतराष्ट्रीय वन-संबंधी संगठनों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाए।
- 6.3 वनों की कटाई और वन क्षरण से निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए।
- 6.4 सतत वन प्रबंधन और संकेतकों की एक साझा समझ को बढ़ावा दिया जाए।
- 6.5 प्रमुख समूहों और स्थानीय समुदायों सहित हितधारकों की भागीदारी को सुदृढ़ किया जाए।

ये छह वैश्विक वन लक्ष्य (GFGs) और उनसे संबंधित 26 लक्ष्य 2030 तक वैश्विक वन एजेंडा का मार्गदर्शन करते हैं और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की उपलब्धि में योगदान देते हैं।

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र वनों के लिए रणनीतिक योजना 2017–2030

वैश्विक वन लक्ष्यों (GFGs) के बारे में

- वैश्विक वन लक्ष्यों (GFGs) को 'वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना (UNSPF) 2017–2030' के तहत सभी प्रकार के वनों के सतत प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए एक सार्वभौमिक स्वैच्छिक फ्रेमवर्क के रूप में अपनाया गया था।
- इस फ्रेमवर्क में 6 वैश्विक वन लक्ष्य और 26 संबद्ध लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।
- वैश्विक वन लक्ष्य (GFGs), सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ निकटता से संबद्ध है, विशेष रूप से वे लक्ष्य जो जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली और सतत आजीविका से संबंधित हैं।

UNSPF (2017–2030) के बारे में

- यह एक वैश्विक फ्रेमवर्क है जिसे सभी प्रकार के वनों और वनों के बाहर के वृक्षों के संरक्षण तथा उनके सतत प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2017 में अपनाई गई इस योजना में 6 स्वैच्छिक एवं सार्वभौमिक 'वैश्विक वन लक्ष्य' तथा 26 विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है, जो 'सतत विकास हेतु एजेंडा 2030' को समर्थन प्रदान करते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

वैश्विक वन लक्ष्यों में समग्र प्रगति

- मूल्यांकन के अनुसार, 26 वैश्विक वन लक्ष्य (GFG) लक्ष्यों में से:
  - ✓ 7 लक्ष्य व्यापक रूप से पूरे कर लिए गए हैं,
  - ✓ 17 लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त हुए हैं, और
  - ✓ 2 लक्ष्य — वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि (लक्ष्य 1.1) और वनों पर निर्भर सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन (लक्ष्य 2.1) — अपने निर्धारित पथ से विचलित हो गए हैं (अर्थात लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पिछड़ रहे हैं)।

वैश्विक वन हानि की निरंतरता

- 2015 और 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की गिरावट आई (वर्ष 2015 में 4.18 बिलियन हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2025 में 4.14 बिलियन हेक्टेयर), जिसमें लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वनों का नुकसान शामिल है।
- दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, जहाँ प्रति वर्ष 4.1 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ, जबकि अफ्रीका में प्रति वर्ष लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ।

निर्धनता और आजीविका संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं

- वनों पर निर्भर आबादी में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य अभी भी अपने पथ से विचलित है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में, जहाँ निर्धनता उन्मूलन के सीमित प्रयास किए गए हैं।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक औपचारिक वन अर्थव्यवस्था का वार्षिक मूल्य लगभग **1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** है, हालांकि अनौपचारिक वन अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के योगदान का अभी भी अपर्याप्त मापन किया जाता है।

वित्तीय और शासन अंतराल

- सतत वन प्रबंधन (SFM) के लिए वैश्विक वित्तपोषण 2023 में लगभग 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो 2030 तक आवश्यक लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता से काफी कम है।
- निम्न-आय और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में वित्तपोषण अंतराल विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ सार्वजनिक वित्तपोषण पर अधिक निर्भरता बनी हुई है और नवीन वित्तपोषण तंत्र अभी भी अल्पविकसित हैं।

नीतिगत सिफारिशें

- **वन संरक्षण में तेजी लाना:** देशों को वनोन्मूलन को रोकने, वनों के क्षरण को पलटने, प्राथमिक वनों की रक्षा करने तथा पुनर्वनीकरण और वनीकरण की पहलों का विस्तार करने के प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- **शासन और समन्वय को सशक्त बनाना:** वनोन्मूलन के चालकों के समाधान के लिए बेहतर वन शासन, अवैध कटाई के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और कृषि, खनन एवं बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के बीच सशक्त समन्वय अनिवार्य है।
- **वित्त और सामुदायिक समर्थन जुटाना:** सतत वन प्रबंधन के लिए सार्वजनिक, निजी और जलवायु वित्त की अधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही, वनों पर निर्भर समुदायों और स्वदेशी लोगों के लिए भूमि स्वामित्व की सुरक्षा और आजीविका सहायता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **डेटा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार:** जवाबदेही बढ़ाने और 2030 तक 'वैश्विक वन लक्ष्यों' की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए सुदृढ़ वन निगरानी प्रणालियों, डेटा ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UN DESA)

- UN DESA संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक विभाग है, जो नीतिगत अनुसंधान, सांख्यिकीय विश्लेषण और सदस्य देशों को क्षमता निर्माण में सहायता के माध्यम से सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है।
- यह विभाग सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और वन-संबंधी शासन ढांचों सहित वैश्विक विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (UNFF)

- **UNFF (वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच)** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक सहायक निकाय है, जिसे सभी प्रकार के वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था।
- यह 'वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना' (UNSPF) के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी मंच है।

5.2. वाहनों में उच्च इथेनॉल सम्मिश्रण (Higher Ethanol Blends in Vehicles)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा।*

संदर्भ

भारत ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधनों को प्रस्तावित किया है ताकि E85 और E100 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रणों के अनुकूल वाहनों को सक्षम बनाया जा सके। यह कदम 100% इथेनॉल-आधारित ईंधन इकोसिस्टम की ओर बढ़ने का संकेत है।

संशोधन के मुख्य बिंदु

- इस मसौदे में वाहन उत्सर्जन और 'टाइप-अप्रूवल' मानकों के अंतर्गत E85 (85% इथेनॉल) और E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रणों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।
- गैसोलीन अनुकूलता मानदंडों को E10 से बढ़ाकर E20 कर दिया गया है, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप E25, E27 और E35 जैसे उच्च मिश्रणों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
- बायोडीजल के वर्गीकरण को B10 से बढ़ाकर B100 कर दिया गया है, जिससे 100% बायोडीजल ईंधन के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
- स्पष्टता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन शब्दावली को "हाइड्रोजन+CN" से संशोधित कर "हाइड्रोजन +CNG" कर दिया गया है।
- उत्सर्जन मानकों के अंतर्गत सकल वाहन भार (GVW) की सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम कर दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय हल्के वाणिज्यिक वाहन मानकों के अनुरूप है।
- उत्सर्जन मेट्रिक्स में सुधार किया गया है (Mg/kWh के स्थान पर mg/kWh), और 'वर्ल्ड-हार्मोनाइज्ड नॉट-टू-एक्सीड' (WNTE) उत्सर्जन सीमा को 60 से संशोधित कर 600 कर दिया गया है।
- ये संशोधन सभी श्रेणियों में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए नियामक मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनमें दुपहिया वाहन, यात्री वाहन और भारी शुल्क वाले परिवहन वाहन शामिल हैं।
- अंतिम रूप दिए जाने से पहले, यह मसौदा 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु उपलब्ध है।

इथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में

- **इथेनॉल सम्मिश्रण:** उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है।
- **मिश्रण का अनुपात:** E10 में 10% इथेनॉल होता है, जबकि E20 में 20% इथेनॉल होता है।
  - ✓ **E20 (इथेनॉल 20):** यह 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। यह एक जैव-ईंधन है जो आमतौर पर गन्ने, मक्का या अधिशेष अनाज से प्राप्त किया जाता है।
- **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP):** इस कार्यक्रम ने आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में भी सहायता की है।
  - ✓ वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने तथा भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जनवरी 2003 में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पेट्रोल प्रतिस्थापन के माध्यम से 2014–15 से अब तक ₹1.40 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की है।
- भारत ने जून 2022 में समय से पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात, 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025–26 कर दिया गया है। देश के कई हिस्सों में कई ईंधन स्टेशनों पर पहले से ही E20 की बिक्री की जा रही है।
- COP26 में घोषित अपनी 'पंचामृत' रणनीति के हिस्से के रूप में, भारत 2030 तक अपनी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को (2005 के स्तर से) 45% कम करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के बारे में

- **फ्लेक्स-फ्यूल वाहन:** इन वाहनों को इथेनॉल और पेट्रोल के किसी भी मिश्रण—E20 से E100 तक—पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें लगे 'ऑनबोर्ड सेंसर' स्वचालित रूप से इंजन के मापदंडों को समायोजित कर लेते हैं।
- **तकनीकी परिवर्तन:** उच्च-इथेनॉल मिश्रणों को अपनाने के लिए वाहनों के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। इसमें इथेनॉल के संक्षारक गुणों को सहन करने के लिए ईंधन पाइपों को उन्नत करना और इंजन प्रबंधन प्रणाली को पुन: अनुकूलित करना शामिल है।
- **वैश्विक उदाहरण:** ब्राजील ने वर्ष 2003 में विश्व का सबसे परिपक्व फ्लेक्स-फ्यूल कार्यक्रम शुरू किया था। इसने जीवाश्म पेट्रोल की तुलना में 'लाइफसाइकिल कार्बन उत्सर्जन' में 90% तक की कमी प्राप्त की है।

इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए सरकार की पहल

- **इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप (2020–25):** वर्ष 2021 में "भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण हेतु रोडमैप 2020–25" जारी किया गया था, जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- **प्रधानमंत्री जी-वन (JI-VAN) योजना:** प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली एकीकृत बायोइथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018:** इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए नवीकरणीय फीडस्टॉक से घरेलू जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसके माध्यम से 20% इथेनॉल और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

इथेनॉल के बारे में

- इथेनॉल यह एक निर्जल एथिल अल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र C_2H_5OH है। इसका उत्पादन गन्ने, मक्का, गेहूं आदि से किया जा सकता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है।
- भारत में, इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ने के शीरे से तैयार किया जाता है। चूंकि यह पादप स्रोतों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे एक नवीकरणीय ईंधन माना जाता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा में भूमिका:** इथेनॉल को गैसोलीन (पेट्रोल) के साथ मिलाकर विभिन्न मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होने के कारण यह ईंधन के दहन में सुधार करता है।
  - ✓ **पर्यावरणीय लाभ:** इसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन में कमी आती है, पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है और यह स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण में सहायक सिद्ध होता है।

5.3. भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र (India's First Green Methanol Plant)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव और क्षरण; बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह।*

संदर्भ

भारत कांडला बंदरगाह पर अपना पहला हरित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसके अंतर्गत आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा को स्वच्छ समुद्री ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा। यह पहल देश के ऊर्जा संक्रमण और समुद्री डी-कार्बोनाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरित मेथनॉल संयंत्र के बारे

- यह संयंत्र दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में स्थित है और इसका निर्माण थर्मेक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसमें पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली अंकुर साइंटिफिक एनर्जी टेक्नोलॉजीज की गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
- एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में, यह संयंत्र प्रतिदिन पाँच टन मेथनॉल का उत्पादन करेगा।
- **उत्पादन प्रक्रिया:**
  - ✓ **चरण 1 — गैसीकरण (अंकुर साइंटिफिक):** प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसे सिनगैस जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO_2 का मिश्रण है, में विखंडित किया जाता है। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद, यह अभिक्रिया अपनी स्वयं की ऊष्मा को बनाए रखती है, जिसमें 30 मिनट के स्टार्टअप के लिए केवल 10-15 लीटर तेल की आवश्यकता होती है।
  - ✓ **चरण 2 — मेथनॉल संश्लेषण (थर्मेक्स ऊर्जा):** तत्पश्चात सिनगैस को मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है, जो समुद्री ईंधन के रूप में उपयोग के लिए तैयार होता है।
    - ■ यह संयंत्र बगास (गन्ने की खोई) और कपास के डंठल जैसे अन्य कृषि अवशेषों पर संचालित होने के लिए भी प्रमाणित है।
- शिपिंग (नौवहन) क्षेत्र में मेथनॉल का उपयोग भारी "बंकर तेल" के एक स्वच्छ विकल्प के रूप में किया जाता है। जहाँ पारंपरिक मेथनॉल गैस या कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त किया जाता है, वहीं हरित मेथनॉल में बायोमास का उपयोग होता है।
  - ✓ ई-मेथनॉल, जो कि अगला चरण है, का उत्पादन पूर्णतः नवीकरणीय विद्युत द्वारा संचालित हरित हाइड्रोजन और कैप्चर की गई CO_2 का उपयोग करके किया जाता है।

प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा के बारे में

- प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा कच्छ में 'गांडो बावल', उत्तर भारत में 'विलायती कीकर' और तमिलनाडु में 'वेलीकाथन' के नाम से जाना जाता है। यह मैक्सिकन मूल का एक मरुद्भिद, कांटेदार झाड़ी/वृक्ष है जो 'लेगुमिनोसी' परिवार से संबंधित है। इसे विश्व की शीर्ष 100 आक्रामक प्रजातियों में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे 1920 के दशक में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए और बाद में 1961 में गुजरात वन विभाग द्वारा कच्छ के रण में लवणीय मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए पेश किया गया था।
- यह प्रजाति शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु में पनपती है। यह लगभग 40–45°C के उच्च तापमान और 150–750 मिमी की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सुगमता से विकसित होती है।
- यह पादप जुलिफ्लोरिन, क्वेरसेटिन और मेस्किटोल जैसे जैव-सक्रिय यौगिकों से समृद्ध है। इसकी पत्तियों और फलियों में टैनिन, फ्लेवोनोइड्स, अल्कलॉइड्स और टेरपेन्स पाए जाते हैं, जिन्हें इथेनॉल और जल के उपयोग से कुशलतापूर्वक निकाला जा सकता है।
- यह विभिन्न औषधीय गुण प्रदर्शित करता है, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, ज्वरनाशक, अल्सर-रोधी, रोगाणुरोधी और कृमिनाशक प्रभाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसका काष्ठीय बायोमास और शर्करा युक्त फलियाँ इसे हरित मेथनॉल जैसे जैव-ईंधन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।

संयंत्र का महत्व

- **पर्यावरणीय लाभ:** 'मेथनॉल इंस्टीट्यूट' के अनुसार, हरित मेथनॉल जहाजों के CO_2 उत्सर्जन को 95% तक कम कर सकता है, NOx को 80% तक घटा सकता है और सल्फर ऑक्साइड तथा पार्टिकुलेट मैटर (PM) को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। यह इसे पारंपरिक समुद्री बंकर ईंधन का एक अत्यंत प्रभावी विकल्प बनाता है।
- **राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा:** 'अंकुर साइंटिफिक' का अनुमान है कि बगास (गन्ने की खोई) और कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेष, अपनी अधिकतम क्षमता पर, भारत के तेल आयात के एक-तिहाई हिस्से को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
  - ✓ यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी कुल आवश्यकता के 85-90% कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है।
- **नीति संरेखण:** यह संयंत्र कई राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है:
  - ✓ **भारत का 'हरित सागर' – हरित पत्तन दिशानिर्देश:** यह पहल पत्तनों के परिचालन में पर्यावरण के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
  - ✓ **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** यह मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों (जैसे हरित मेथनॉल) के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
  - ✓ **2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य:** भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 'नेट-जीरो' तक ले जाने की वैश्विक प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - ✓ **IMO की 2023 ग्रीनहाउस गैस रणनीति:** अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वर्ष 2050 तक शिपिंग क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को शुद्ध-शून्य करने का लक्ष्य रखा है।
  - ✓ **आर्थिक और जलवायु प्राथमिकता:** भारत का लगभग 90% व्यापार (मात्रा के अनुसार) बंदरगाहों के माध्यम से होता है। अतः शिपिंग का डी-कार्बोनाइजेशन एक गौण मुद्दा नहीं, बल्कि देश की केंद्रीय आर्थिक और जलवायु प्राथमिकता है।
- **पारिस्थितिकी बहाली:** यह संयंत्र प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा को हटाने के लिए पहला ठोस आर्थिक आधार प्रदान करता है, जिसने दशकों से कच्छ के बन्नी घास के मैदानों को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार, यह एक पारिस्थितिक बाधा को राष्ट्रीय ऊर्जा परिसंपत्ति में परिवर्तित कर रहा है।

चुनौतियाँ

- **लागत अंतराल:** हरित मेथनॉल (लगभग $700–800/टन) और ई-मेथनॉल (लगभग $2,000/टन) पारंपरिक मेथनॉल (यूक्रेन युद्ध से पूर्व ₹30/किग्रा और युद्ध के बाद ₹70–80/किग्रा) की तुलना में काफी महंगे बने हुए हैं। इसके कारण इनका अपनाया जाना मूल्य-संचालित होने के बजाय मुख्य रूप से यूरोपीय संघ (EU) के नियमों के तहत दंड से बचने की विवशता पर आधारित है।
- **पैमाने की सीमा:** वर्तमान 5 टन प्रतिदिन (TPD) का प्रदर्शन संयंत्र वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए आवश्यक 100–500 TPD के पैमाने से बहुत नीचे है, हालांकि APL का 150 TPD संयंत्र इस अंतराल को पाटने की दिशा में एक शुरुआत है।
- **ऊर्जा स्रोत संबंधी समस्या:** यह संयंत्र वर्तमान में परिचालन के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली पर निर्भर है। वैश्विक कार्बन-तीव्रता मानकों को पूरा करने के लिए पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण आवश्यक होगा।
- **जल-ऊर्जा-खाद्य अंतर्संबंध:** भारत की खंडित नीति व्यवस्था, जिसमें सब्सिडी वाली बिजली के कारण अत्यधिक भूजल निष्कर्षण (कुछ क्षेत्रों में वार्षिक 1 मीटर से अधिक की गिरावट) और ₹1.5 लाख करोड़ की वार्षिक सब्सिडी शामिल है, एक संधारणीय ऊर्जा संक्रमण की दिशा में संरचनात्मक बाधाएं उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना:** अंतरराष्ट्रीय कार्बन-तीव्रता मानकों को पूरा करने के लिए ग्रिड बिजली को सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- **कच्चे माल का विविधीकरण:** उत्पादन बढ़ाने और तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बगास (गन्ने की खोई) और कपास के डंठल जैसे कृषि अवशेषों को 'राष्ट्रीय ऊर्जा परिसंपत्ति' के रूप में माना जाना चाहिए।

- **नीतिगत समर्थन को सुदृढ़ करना:** मौजूदा उपायों, जैसे कि हरित-ईंधन वाले जहाजों के लिए 30% फ्लैट सब्सिडी (अगस्त 2023), हरित पत्तन दिशानिर्देश और हाइड्रोजन मिशन को और अधिक गहन बनाने तथा निरंतरता के साथ लागू करने की आवश्यकता है।
- **एकीकृत नीति सुधार:** दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए जल, ऊर्जा और कृषि नीतियों को मूल्य निर्धारण सुधारों और स्मार्ट मीटरिंग के साथ एक एकीकृत अंतर्संबंध-आधारित ढांचे के माध्यम से शासित किया जाना चाहिए।

5.4. अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (Atlantic Meridional Overturning Circulation)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ।*

संदर्भ

हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के कमजोर होने के संबंध में नई चिंताएँ उत्पन्न की हैं। AMOC एक प्रमुख महासागरीय परिसंचरण प्रणाली है जो वैश्विक जलवायु और मौसम पैटर्न को विनियमित करती है।

मुख्य निष्कर्ष

- हालिया अध्ययनों के अनुसार, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) में वर्ष 2100 तक लगभग 59% तक कमजोरी आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप सहित विश्व की जलवायु प्रणालियों पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- पूर्ववर्ती अध्ययनों में पिछले 50 वर्षों के दौरान AMOC में लगभग 15% मंदन का अनुमान लगाया गया था, किंतु वास्तविक समय महासागरीय मापन पर आधारित नवीन शोध अधिक तीव्र गिरावट की ओर संकेत करते हैं। इनके अनुसार वर्ष 2100 तक महासागरीय धाराओं की शक्ति में लगभग 59% तक कमी हो सकती है।
- वैज्ञानिक प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि निरंतर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा ग्रीनलैंड हिमचादरों के पिघलने से उत्तरी अटलांटिक महासागर में ताजे जल की बढ़ती मात्रा, ताप-लवण परिसंचरण को बाधित कर सकती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह प्रणाली एक महत्वपूर्ण "परिवर्तन बिंदु" को पार कर जाती है, तो वैश्विक जलवायु तंत्र में आकस्मिक एवं संभावित रूप से अपरिवर्तनीय व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें वर्षा प्रतिरूपों, महासागरीय परिसंचरण तथा तापीय वितरण में व्यापक परिवर्तन सम्मिलित हैं।

अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के बारे में

- अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) महासागरीय धाराओं की एक विशाल प्रणाली है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म सतही जल को उत्तर अटलांटिक की ओर ले जाती है तथा ठंडे गहरे जल को पुनः दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करती है।
- यह वैश्विक महासागरीय "कन्वेयर बेल्ट" अथवा ताप-लवण परिसंचरण का एक प्रमुख घटक है तथा निम्नलिखित के नियमन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है—
  - ✓ वैश्विक ऊष्मा वितरण,
  - ✓ महासागरीय लवणता,
  - ✓ वर्षा प्रणालियाँ,
  - ✓ तथा क्षेत्रीय जलवायु दशाएँ।
- यह परिसंचरण मुख्यतः तापमान, लवणता तथा समुद्री जल के घनत्व में अंतर के कारण संचालित होता है। इसके परिणामस्वरूप गर्म एवं अधिक लवणीय जल उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, उत्तर अटलांटिक में ठंडा होकर नीचे अवतलित होता है तथा गहरे महासागरीय प्रवाह के रूप में दक्षिण की ओर लौटता है। वहाँ से यह अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा के माध्यम से सभी महासागरीय बेसिनों में वितरित हो जाता है।
  - ✓ गल्फ स्ट्रीम AMOC का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो पश्चिमी यूरोप में अपेक्षाकृत सौम्य तापमान बनाए रखने में सहायक होती है।
- AMOC को प्रायः "जलवायु परिवर्तन-सीमांत तत्व" कहा जाता है, क्योंकि इसकी उल्लेखनीय कमजोरी स्व-प्रबलित (Self-Reinforcing) तथा संभावित रूप से अपरिवर्तनीय जलवायवीय परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकती है।

AMOC के कमजोर होने के कारण

- **ग्रीनलैंड हिमचादर एवं आर्कटिक हिम के पिघलने का प्रभाव:** ग्रीनलैंड हिमचादर तथा आर्कटिक समुद्री हिम के तीव्र पिघलाव से उत्तर अटलांटिक महासागर में विशाल मात्रा में ताजे जल का प्रवाह हो रहा है। इससे समुद्री जल की लवणता में कमी आती है तथा सघन एवं शीतल जल के निमज्जन की प्रक्रिया कमजोर होती है, जो AMOC को संचालित करने वाली प्रमुख शक्ति है।
- **जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय ऊष्मीकरण:** वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जल का घनत्व घटता है तथा ताप-लवण परिसंचरण की वह प्रक्रिया बाधित होती है, जो AMOC को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
- **मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** दीर्घकालिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने वैश्विक ऊष्मीकरण तथा महासागरीय ऊष्मीय असंतुलन को तीव्र किया है, जिसके कारण AMOC की अस्थिरता की संभावना बढ़ गई है।

AMOC के कमजोर होने के संभावित वैश्विक प्रभाव

- **वैश्विक जलवायु प्रणालियों में व्यवधान:** AMOC की कमजोरी वायुमंडलीय परिसंचरण तथा वैश्विक ऊष्मा वितरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे अचानक एवं व्यापक जलवायवीय परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं।
- **यूरोप में शीतलन की प्रवृत्ति:** वैश्विक ऊष्मीकरण के बावजूद पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट तथा अधिक कठोर शीत ऋतु की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गर्म महासागरीय जल का उत्तर की ओर परिवहन कम हो जाएगा।
- **उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र-स्तर वृद्धि:** AMOC की मंदता उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र-स्तर वृद्धि को तीव्र कर सकती है, क्योंकि महासागरीय परिसंचरण प्रतिरूप क्षेत्रीय समुद्र-स्तर को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **वर्षा प्रतिरूपों में परिवर्तन:** उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रणालियाँ, जैसे अफ्रीकी एवं अमेज़न वर्षा पट्टियाँ, स्थानांतरित अथवा कमजोर हो सकती हैं, जिससे सूखा तथा पारिस्थितिकीय तनाव का जोखिम बढ़ सकता है।

भारत पर प्रभाव

- **भारतीय मानसून पर प्रभाव:** AMOC की कमजोरी उष्णकटिबंधीय ऊष्मा वितरण तथा वायुदाब प्रणालियों में परिवर्तन के माध्यम से मानसूनी परिसंचरण को बाधित कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के अनेक भागों में मानसूनी वर्षा में कमी आ सकती है।
- **एल नीनो प्रभाव की संभावित तीव्रता:** अध्ययनों से संकेत मिलता है कि AMOC की मंदता के साथ अधिक शक्तिशाली अथवा अधिक बार घटित होने वाली एल नीनो घटनाएँ भारत में मानसूनी वर्षा को और अधिक दबा सकती हैं तथा सूखे की आशंका बढ़ा सकती हैं।
- **कृषि एवं जल सुरक्षा के लिए चुनौती:** कम तथा अनियमित मानसूनी वर्षा निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है—
  - ✓ कृषि उत्पादकता,
  - ✓ भूजल पुनर्भरण,
  - ✓ जलविद्युत उत्पादन,
  - ✓ तथा मानसून-निर्भर क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा।

आगे की राह

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना AMOC की दीर्घकालिक कमजोरी तथा उससे जुड़े जलवायु जोखिमों को सीमित करने की सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति है।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत वैश्विक जलवायु शमन प्रयासों को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन-सीमांत बिंदुओं तथा पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों में व्यापक व्यवधानों से बचा जा सके।
- विभिन्न देशों को जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना, उन्नत महासागरीय निगरानी प्रणालियों, अनुकूलनशील कृषि पद्धतियों तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग में निवेश बढ़ाना चाहिए, जिससे उभरते जलवायु जोखिमों के प्रति तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके।

5.5. वर्ष 2085 तक चरम जलवायु से एक-तिहाई स्थलीय आवासों को खतरा (Climate Extremes Threaten Over One-Third of Global Terrestrial Habitats by 2085)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।*

संदर्भ

'नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन' में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि जलवायु-प्रेरित चरम मौसमी घटनाएं 2085 तक प्रजातियों के वर्तमान स्थलीय आवासों के 36% हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह अध्ययन पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया था, जिसमें जलवायु परिदृश्यों के तहत वैश्विक जैव विविधता जोखिम का विश्लेषण किया गया है।
- यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जोखिमों का आकलन करने के लिए जलवायु अनुमानों, प्रभाव मॉडलों और प्रजाति वितरण डेटा का उपयोग करता है।
- इसमें "मिश्रित चरम सीमाओं" की अवधारणा केंद्रीय है, जहाँ कई खतरे एक साथ या क्रमिक रूप से उत्पन्न होते हैं, जिससे पारिस्थितिक क्षति और बढ़ जाती है।
- निष्कर्ष संकेत देते हैं कि वर्तमान संरक्षण रणनीतियाँ अपर्याप्त हो सकती हैं, क्योंकि वे अक्सर अचानक और ओवरलैपिंग चरम घटनाओं को ध्यान में रखने में विफल रही हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- **36% स्थलीय जीवों के लिए आवास जोखिम:** उच्च-उत्सर्जन परिदृश्य के तहत 2085 तक, लगभग 36% स्थलीय कशेरुकी आवास कई चरम मौसमी घटनाओं की चपेट में आ सकते हैं, जो जैव विविधता के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों में भारी वृद्धि का संकेत देता है।

- **व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन:** यह अध्ययन 794 पारिस्थितिक क्षेत्रों में 33,936 प्रजातियों के व्यापक विश्लेषण पर आधारित है, जो इसे जलवायु-प्रेरित आवास सुभेद्यता के सबसे विस्तृत वैश्विक मूल्यांकनों में से एक बनाता है।
- **लू (हीटवेव्स) का प्रभुत्व: लू** को सबसे व्यापक और प्रमुख खतरे के रूप में पहचाना गया है, जिसके बाद वनाग्नि, सूखा और बाढ़ का स्थान है। ये सभी कारक पारिस्थितिक तंत्र के तनाव और आवास क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **2050 तक अनुमानित जोखिम:** 2050 तक, **लू** के लगभग 74% आवासों को प्रभावित करने का अनुमान है, जबकि वनाग्नि, सूखा और बाढ़ क्रमशः लगभग 16%, 8% और 3% आवासों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **2085 तक जोखिम में वृद्धि:** शताब्दी के अंत तक, जोखिम की तीव्रता और पैमाने में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। लू संभावित रूप से प्रजातियों के 93% भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, साथ ही वनाग्नि, सूखे और बाढ़ के जोखिमों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- **सुभेद्यता के हॉटस्पॉट:** अमेज़न बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में जोखिम और पारिस्थितिक तनाव का उच्चतम स्तर होने की आशंका है।
- **मिश्रित जोखिमों में तीव्रता:** कई चरम घटनाओं की चपेट में आने वाले पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 2050 तक 22 से बढ़कर 2085 तक 236 होने का अनुमान है, जो मिश्रित जलवायु जोखिमों की तेजी से तीव्र होती प्रकृति को दर्शाता है।
- **पारिस्थितिक क्षति के प्रमाण:** पिछली चरम घटनाओं ने पहले ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षति पहुँचाई है, जिसमें 100 से अधिक प्रलेखित मामलों में जनसंख्या में 25% से अधिक की गिरावट और स्थानीय स्तर पर प्रजातियों के विलुप्त होने की घटनाएँ शामिल हैं।
- **शमन की क्षमता:** अध्ययन दर्शाता है कि यदि वैश्विक उत्सर्जन को 'नेट-जीरो' तक कम कर दिया जाता है, तो कई चरम घटनाओं के प्रति आवासों का जोखिम काफी घटकर लगभग 9% रह सकता है। यह जलवायु शमन प्रयासों के अत्यधिक महत्व को रेखांकित करता है।

निष्कर्षों के निहितार्थ

- **जैव विविधता की हानि में तीव्रता:** मिश्रित चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता कई प्रजातियों को उनकी पारिस्थितिक सहिष्णु सीमा से बाहर करके जैव विविधता के नुकसान को तीव्र कर सकती है, जिससे उनके विलुप्त होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता:** ये चरम घटनाएँ परागण, पोषक चक्र और खाद्य श्रृंखला की गतिशीलता जैसी प्रमुख पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में दीर्घकालिक अस्थिरता बनी रहती है और उसका क्षरण होता है।
- **प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता में कमी:** बार-बार होने वाले और ओवरलैपिंग जलवायु तनावों की स्थिति में प्रजातियों की अनुकूलन करने, पलायन करने या उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण रूप से बाधित होती है, विशेष रूप से स्थानिक और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित प्रजातियों के लिए।
- **पारंपरिक संरक्षण दृष्टिकोणों के समक्ष चुनौतियाँ:** पारंपरिक संरक्षण रणनीतियाँ, जो मुख्य रूप से क्रमिक जलवायु परिवर्तनों पर आधारित हैं, अब अपर्याप्त होती जा रही हैं। इनके स्थान पर गतिशील, जलवायु-अनुकूल और जोखिम-आधारित नियोजन ढाँचों को अपनाने की आवश्यकता है।
- **पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और मानव कल्याण को खतरा:** जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और जलवायु नियमन जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करता है, जिससे मानवीय आजीविका और आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

स्थलीय जैव विविधता के संरक्षण हेतु वैश्विक पहल

- **जैव विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity - CBD):** CBD जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का न्यायसंगत बँटवारा सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक ढाँचा प्रदान करता है।
- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (2022):** यह फ्रेमवर्क महत्वाकांक्षी वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें 2030 तक 30% स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण (30×30 लक्ष्य) और क्षय हो चुके पारिस्थितिक तंत्रों की बहाली शामिल है।
- **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES):** CITES लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है ताकि उनके अत्यधिक दोहन को रोका जा सके और उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।
- **पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021–2030):** इस पहल का उद्देश्य क्षय हो चुके पारिस्थितिक तंत्रों की बहाली के प्रयासों को व्यापक बनाना है, जिससे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के विरुद्ध लचीलापन बढ़ाया जा सके।
- **जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES):** IPBES वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता हेतु वैज्ञानिक आकलन और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

5.6. तमिलनाडु और मेघालय में 'ग्रासरूट बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस' ('Grassroots Biodiversity Governance' in Tamil Nadu and Meghalaya)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।*

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने समुदाय-नेतृत्व वाली योजना और अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने के लिए एक पांच वर्षीय (2025-2030) परियोजना शुरू की है।

परियोजना के बारे में

- "जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण" शीर्षक वाली यह परियोजना भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक संयुक्त पहल है, जिसके लिए 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया है।
- इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) में एकीकृत करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संरक्षण केवल एक अलग पर्यावरण गतिविधि के बजाय ग्राम-स्तरीय शासन का एक मुख्य घटक बने।
- शासन की संरचना 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जिसमें पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) एक केंद्रीय प्रबंधकीय भूमिका निभाती हैं, जिन्हें जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- यह परियोजना "होल-ऑफ-गवर्नमेंट" (संपूर्ण सरकार) और "होल-ऑफ-सोसायटी" (संपूर्ण समाज) दृष्टिकोण भी अपनाती है, जो विभिन्न विभागों, संस्थानों और समुदायों के बीच अभिसरण सुनिश्चित करती है।
- यह परियोजना दो पारिस्थितिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों पर आधारित है:
  - ✓ **तमिलनाडु (सत्यमंगलम परिदृश्य):** यह क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी घाटों के संगम पर स्थित है, जिसमें मुदुमलई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं। इस क्षेत्र में वन-सीमावर्ती (forest-fringe) समुदाय रहते हैं जो पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों, विशेष रूप से हाथियों और बाघों के लिए रक्षक के रूप में कार्य करते आए हैं।
  - ✓ **मेघालय (गारो हिल्स क्षेत्र):** इसमें नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सिजू वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। यह सरकारी वनों और आरक्षित वनों का एक मिश्रित रूप (mosaic) बनाता है जहाँ संरक्षण को ग्राम रोजगार परिषदों (VECs) में एकीकृत किया गया है, जो ग्राम पंचायतों के समकक्ष हैं।
- ये परिदृश्य समुदाय-नेतृत्व वाले, परिदृश्य-स्तरीय जैव विविधता शासन मॉडल के लिए पायलट क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं।
- **मुख्य उद्देश्य और रणनीतिक घटक:**
  - ✓ **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) का हरितीकरण (ग्रीनिंग):** स्थानीय विकास योजनाओं में जैव विविधता को मुख्यधारा में शामिल करना ताकि समुदाय के स्वामित्व वाले और वित्तपोषित संरक्षण ढांचे तैयार किए जा सकें।
  - ✓ **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की क्षमताओं को बढ़ाना और वन विभागों, राजस्व अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं नागरिक समाज को शामिल करते हुए बहु-हितधारक मंच स्थापित करना।
  - ✓ **अभिनव वित्तपोषण तंत्र:** संरक्षण को स्थायी आजीविका से जोड़ने के लिए 'पहुंच और लाभ साझाकरण', कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सह-वित्तपोषण, और हरित सूक्ष्म-उद्यमों को बढ़ावा देना।
  - ✓ **ज्ञान प्रबंधन और प्रतिकृति:** राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के मंचों के माध्यम से नवाचारों और सर्वोत्तम अभ्यासों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करना।
  - ✓ **समावेशी शासन:** जैव विविधता शासन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातीय समुदायों की आर्थिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देना।

पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) के बारे में

- ABS **(पहुंच और लाभ साझाकरण)** जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक तंत्र है, जो जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के उचित और समान वितरण को सुनिश्चित करता है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत, कंपनियों या शोधकर्ताओं को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य है, जिससे संरक्षण जमीनी स्तर पर एक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन में परिवर्तित हो जाता है।

नीति संरेखण और वैश्विक जुड़ाव

- भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP 2024-2030)
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत 30×30 लक्ष्य

- पेरिस समझौते के तहत भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
- राज्य-स्तरीय विज़न जैसे कि तमिलनाडु विज़न 2030 और मेघालय विज़न 2030

महत्व

- **वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को क्रियान्वित करना:** समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण और OECMs (अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय) के माध्यम से 30×30 लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक व्यावहारिक मॉडल प्रदान करता है।
- **पर्यावरण शासन का विकेंद्रीकरण:** जैव विविधता को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) में शामिल करना, जिससे 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सक्रिय संरक्षण इकाइयों में परिवर्तित किया जा सके।
- **जलवायु कार्यवाही पर बल देना:** स्थानीय जैव विविधता संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और अनुकूलन रणनीतियों के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं से जोड़ना।
- **सतत आजीविका को बढ़ावा देना:** 'पहुंच और लाभ साझाकरण' (ABS), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) वित्तपोषण और हरित सूक्ष्म-उद्यमों के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन सुनिश्चित करना।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी:** सत्यमंगलम और गारो हिल्स जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गलियारों में सामुदायिक रक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना।
- **हाशियाई समुदायों का सशक्तिकरण:** जैव विविधता शासन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातीय समूहों की भागीदारी और नेतृत्व को सुदृढ़ करना।
- **स्केलेबल (विस्तार योग्य) शासन मॉडल को सक्षम बनाना:** सम्पूर्ण भारत के जिलों में सफल जैव विविधता वित्तपोषण और शासन नवाचारों को संकलित करना और उनकी पुनरावृत्ति करना।
- **समावेशी विकास विजन का समर्थन:** सतत और सहभागी विकास के माध्यम से संरक्षण को "विकसित भारत" के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित करना।

5.7. हिन्दू कुश हिमालय की हिम में 27% की गिरावट (Hindu Kush Himalaya Sees 27% Snow Decline)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान- अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं (जल-स्त्रोत और हिमावरण सहित)।*

संदर्भ

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) द्वारा जारी 'हिन्दू कुश हिमालय (HKH) स्नो अपडेट 2026' की रिपोर्ट में हिम स्थिरता में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्रीय जल संकट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- हिन्दू कुश हिमालय (HKH) स्नो अपडेट 2026 शीतकालीन महीनों (नवंबर-मार्च) के दौरान हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्र में मौसमी बर्फ की विसंगतियों का एक वार्षिक मूल्यांकन है।
- यह हिम स्थायित्व को उस समयावधि के अंश के रूप में परिभाषित करता है जब बर्फबारी के बाद जमीन पर बर्फ टिकी रहती है। यह पर्वतीय जल भंडार का एक प्रमुख संकेतक है।
- यह रिपोर्ट 12 प्रमुख नदी घाटियों में बर्फ की स्थिति का विश्लेषण करती है, जो सामूहिक रूप से जल आपूर्ति, कृषि और जलविद्युत के माध्यम से लगभग दो अरब लोगों का भरण-पोषण करती हैं।
- नदियों के वार्षिक अपवाह में हिम के पिघलने का योगदान लगभग 23–25% होता है, जिससे मौसमी हिम ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर जल की उपलब्धता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष रूप से पश्चिमी घाटियों में।

हिन्दू कुश हिमालय के बारे में (HKH)

- हिन्दू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र 3,500 किमी से अधिक विस्तृत है, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक आठ देशों के हिस्सों में फैला हुआ है—इसका कुल अनुमानित क्षेत्रफल 3.44 मिलियन वर्ग किमी है।
- यह विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो एशिया की दस प्रमुख नदी प्रणालियों का स्रोत है: अमु दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र (यारलुंग सांगपो), इरावदी, साल्विन (नू), मेकांग (लैंकांग), यांग्त्ज़ी (जिनशा), पीली नदी (ह्वांग हे), और तारिम (दयान)।
- ये नदियाँ लगभग 1.9 बिलियन (190 करोड़) लोगों का भरण-पोषण करती हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है, जबकि स्वयं HKH क्षेत्र लगभग 240 मिलियन (24 करोड़) लोगों के जीवन का आधार है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **हिम स्थायित्व में रिकॉर्ड गिरावट:**
  - ✓ शीतकालीन सत्र 2025–26 में हिम स्थायित्व दीर्घकालिक औसत से 27.8% कम रही, जो पिछले दो दशकों में सबसे न्यूनतम स्तर है।
  - ✓ यह पिछले रिकॉर्ड घटने (2024–25 में 23.6%) से भी अधिक है।
  - ✓ यह लगातार चौथा वर्ष है जब हिम स्थायित्व सामान्य से कम रही है और यह एक आवर्ती दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है (2003 के

बाद से ऐसे 14 शीतकाल देखे गए हैं)।

- **घाटी-वार भिन्नताएँ:** 12 में से 10 नदी घाटियों में हिम स्थायित्व सामान्य से कम दर्ज की गई।
  - ✓ औसत से अधिक हिम स्थायित्व केवल गंगा बेसिन (+16.3%) और इरावदी बेसिन (+21%) में दर्ज किया गया।
  - ✓ सबसे तीव्र गिरावट मेकांग बेसिन (–59.5%), तिब्बती पठार (–47.4%) और साल्विन बेसिन (–41.8%) में देखी गई।
- **हिम के पिघलने पर उच्च निर्भरता:**
  - ✓ नदी प्रवाह में हिम के पिघलने का महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष रूप से पश्चिमी घाटियों में जैसे अमु दरिया (~74.4%), हेलमंद (~77.5%), सिंधु (~39.7%), और तारिम (~23.9%)।
  - ✓ अतः, हिम के घटते स्तर इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।
- **जल सुरक्षा के लिए निहितार्थ:**
  - ✓ हिम स्थिरता में कमी के कारण ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर नदियों का अपवाह कम हो जाता है, जिससे भूजल निष्कर्षण में वृद्धि होती है और सूखे का जोखिम बढ़ जाता है।
  - ✓ इन प्रभावों का निचले क्षेत्रों तक विस्तार होता है, जिससे कृषि, जलविद्युत उत्पादन और आजीविका प्रभावित होती है।
- **जलवायु परिवर्तन से संबंध और क्रायोस्फीयर तनाव:**
  - ✓ वर्ष 2000 के बाद से हिन्दू कुश हिमालय के हिमनद दोगुनी गति से पिघल रहे हैं, जो क्रायोस्फेरिक नुकसान की तीव्रता को इंगित करते हैं।
  - ✓ यह क्षेत्र, जिसे "एशिया के वाटर टावर" के रूप में जाना जाता है, में 60,000 से अधिक हिमनद और लगभग 6,000 घन कि.मी. हिम है।

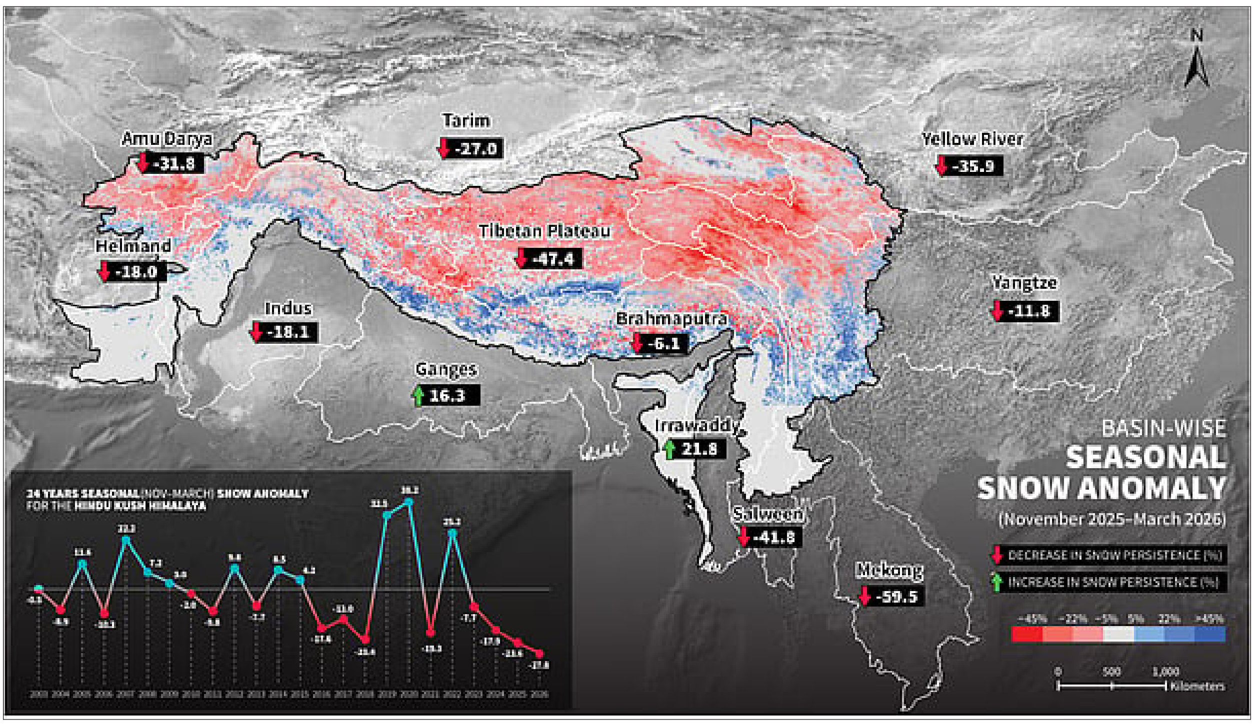

- **नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता:** हिन्दू कुश हिमालय (HKH) की 12 में से 10 नदी घाटियों में हिम स्थायित्व घटने के साथ, तत्काल और बेसिन-स्तरीय लक्षित हस्तक्षेपों की अत्यधिक आवश्यकता है।
  - ✓ देशों को नकारात्मक हिम विसंगतियों और उभरती सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित करनी चाहिए।
  - ✓ साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय में सुधार के लिए हिम विसंगति डेटा को प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जाना चाहिए।
  - ✓ सरकारों को हिम-संबंधित डेटा को राष्ट्रीय जल रणनीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जलविद्युत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए।
  - ✓ जल की उपलब्धता में होने वाली परिवर्तनशीलता को संतुलित करने के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे, जैसे कि मौसमी जल भंडारण प्रणालियों में निवेश करने की आवश्यकता है।

✓ जल प्रणालियों पर तनाव कम करने के लिए हिम के पिघलने, संसाधनों के कुशल और संधारणीय उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
✓ नीति-निर्माण को दीर्घकालिक क्रायोस्फेरिक परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए विज्ञान-आधारित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित होना चाहिए।
✓ साझा हिम संकट से निपटने और पूरे हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्र में दीर्घकालिक खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है।

5.8. जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण पर पहला सम्मेलन (First Conference on Transition from Fossil Fuels)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।*

संदर्भ

जीवाश्म ईंधन से संक्रमण पर विशेष रूप से केंद्रित प्रथम वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया के सांता मार्टा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सह-मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड द्वारा की गई थी।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस सम्मेलन में लगभग 57 देशों ने भाग लिया—जो विश्व की अर्थव्यवस्था के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं—और कोयला, तेल तथा गैस से दूरी बनाने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की।
- यह सम्मेलन COP28 (दुबई, 2023) में बनी गति पर आधारित है, जहाँ पहली बार देश ऊर्जा प्रणालियों में "जीवाश्म ईंधन से दूर जाने" पर सहमत हुए थे।
- यह वैश्विक जलवायु विमर्श में मानक-निर्धारण से हटकर कार्यान्वयन की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है, विशेष रूप से पेरिस समझौते के तहत 1.5°C के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में।
- शिखर सम्मेलन के समापन पर, तुवालु और आयरलैंड को जीवाश्म ईंधन से संक्रमण पर दूसरे सम्मेलन के सह-मेजबान के रूप में घोषित किया गया, जो 2027 में प्रशांत द्वीप राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।

सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- **जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध समापन का परिचालन:** 57 देशों के गठबंधन ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को धीरे-धीरे कम करने के लिए एक कार्य-उन्मुख रोडमैप पर सहमति व्यक्त की है। यह पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को केवल लक्ष्य निर्धारण से हटाकर उनके वास्तविक कार्यान्वयन की ओर एक स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है।
- **कार्यान्वयन वर्कस्ट्रीम्स का शुभारंभ:** प्रतिबद्धताओं को कार्यरूप में बदलने के लिए तीन प्रमुख कार्यधाराएं शुरू की गई हैं:
  ✓ **संक्रमण रोडमैप:** एनडीसी पार्टनरशिप और एक नवनिर्मित विज्ञान पैनल के सहयोग से, देशों को उनके 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDC) के अनुरूप विज्ञान-आधारित मार्ग विकसित करने में सहायता प्रदान करना।
  ✓ **वित्त और व्यापक आर्थिक सुधार:** वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश जुटाना, साथ ही ऋण बाधाओं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर वित्तीय प्रणालियों जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना।
  ✓ **उत्पादक-उपभोक्ता संरेखण** जीवाश्म ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना ताकि एक नियोजित चरणबद्ध समापन सुनिश्चित किया जा सके, व्यापारिक व्यवधानों और 'फंसी हुए संपत्तियों' को कम किया जा सके तथा जीवाश्म ईंधन मुक्त व्यापार प्रणाली की ओर संक्रमण को सक्षम बनाया जा सके।
- **जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FFNPT) पर बहस:** सम्मेलन में FFNPT पर नए सिरे से बहस देखी गई, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के नए विस्तार को रोकना, इसके निष्पक्ष चरणबद्ध समापन का प्रबंधन करना और एक न्यायोचित संक्रमण का समर्थन करना है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राष्ट्रों ने इसे प्रबल समर्थन दिया है।
  ✓ यद्यपि इस संधि को औपचारिक रूप से नहीं अपनाया गया है, लेकिन इसके विचार ने अधिक राजनीतिक दृश्यता प्राप्त की है और अब यह 2027 के द्वितीय सम्मेलन में प्रमुखता से शामिल होने के लिए तैयार है।
- **देश-स्तरीय घोषणाएं और नीतिगत संकेत:** सम्मेलन में कई देशों ने जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध समापन हेतु ठोस रोडमैप के संकेत दिए, जिनमें शामिल हैं:
  ✓ फ्रांस ने प्रत्येक ईंधन के लिए अलग से चरणबद्ध समापन का रोडमैप तैयार किया है—2030 तक कोयला, 2045 तक तेल और 2050 तक गैस।
  ✓ कोलंबिया, ब्राजील, नीदरलैंड, तुवालु और आयरलैंड जैसे देश अपने राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण को 'निर्यातित उत्सर्जन और व्यापार' पर TAFF कार्यों के साथ संरेखित करेंगे।
- **विज्ञान-आधारित संक्रमण:** 'ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन' के लिए एक विज्ञान पैनल का गठन किया गया है, जो देशों को 1.5°C के लक्ष्य के अनुरूप साक्ष्य-आधारित मार्ग दिखाएगा और कार्यान्वयन में आने वाली कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगा।

वैश्विक जलवायु शासन के लिए महत्व

- **प्रतिबद्धताओं से कार्यान्वयन की ओर:** यह सम्मेलन जलवायु संबंधी घोषणात्मक वादों से हटकर कार्ययोजना आधारित रणनीतियों की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के 'क्या' के बजाय 'कैसे' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **समानांतर जलवायु मंच का उदय:** यह जलवायु कार्रवाई के लिए एक लचीले और गठबंधन-आधारित दृष्टिकोण के उदय का प्रतिनिधित्व करता है, जो UNFCCC प्रक्रिया के पूरक के रूप में कार्य करता है और इच्छुक देशों के बीच तीव्र प्रगति को सक्षम बनाता है।
- **न्यायोचित संक्रमण के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना:** इक्विटी (समानता), वित्तपोषण और सामाजिक सुरक्षा पर बल देकर, यह सम्मेलन न्यायोचित और समावेशी ऊर्जा संक्रमण पर वैश्विक ध्यान को सुदृढ़ करता है।
- **नीतिगत नवाचार और वैश्विक समन्वय:** कार्यों और राष्ट्रीय रोडमैप की शुरुआत नीतिगत नवाचार, ज्ञान साझाकरण और समन्वित वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैसे प्रमुख उत्सर्जकों की अनुपस्थिति या सीमित भागीदारी इस पहल के समग्र प्रभाव को कम करती है।
- विकासशील देशों को जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और ऋण के बोझ से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके संक्रमण प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- इस सम्मेलन में कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जिससे इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- बड़े पैमाने पर जलवायु वित्त जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप स्पष्ट, समयबद्ध राष्ट्रीय संक्रमण रणनीतियां विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- 2027 के सम्मेलन सहित भविष्य के मंचों को मजबूत वैश्विक समन्वय की दिशा में कार्य करना चाहिए, साथ ही 'न्यायोचित संक्रमण' नीतियों जैसे कि पुनर्कौशल, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना चाहिए।

5.9. 17वाँ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद (17th Petersberg Climate Dialogue)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।*

संदर्भ

COP31 से पहले, बर्लिन में 17वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया गया। यह आयोजन ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं।

17वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के बारे में

- जर्मनी द्वारा तुर्की (COP31 की अध्यक्षता) और वार्ता भागीदार ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आयोजित किया गया।
- यह 2010 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय मंच है। यह 'यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (UNFCCC) के तहत औपचारिक वार्ताओं से बाहर स्पष्ट राजनीतिक चर्चाओं के लिए अवसर प्रदान करता है ताकि आगामी COP निर्णयों के लिए आधार तैयार किया जा सके।
- इसमें लगभग 40 देशों के 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मंत्री, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक समुदाय, वित्तीय संस्थान और उद्योग जगत के हितधारक शामिल थे।
- **मुख्य केंद्र क्षेत्र (2026):**
  - ✓ पेरिस समझौते का कार्यान्वयन।
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त (अनुकूलन + शमन सहायता)।
  - ✓ भू-राजनीतिक लचीलापन और ऊर्जा सुरक्षा।
- **चर्चा के मुख्य बिंदु:**
  - ✓ राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं और 2035 तक उत्सर्जन मार्गों की समीक्षा।
  - ✓ नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार पर ज़ोर, जो वैश्विक स्तर पर नई विद्युत क्षमता का लगभग 75% है।
  - ✓ ऊर्जा संक्रमण के अगले चरण के रूप में गतिशीलता और हीटिंग के विद्युतीकरण पर बल।
  - ✓ यह स्वीकार किया गया कि अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है (जैसे, यूरोप में ~23%), जो अप्रयुक्त क्षमता की ओर संकेत करती है।
  - ✓ जलवायु नीति, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास के बीच संबंध।
  - ✓ नवीकरणीय ऊर्जा में असमान वैश्विक निवेश और विकासशील देशों को मिलने वाले सीमित जलवायु वित्त पर चिंता।
- UNFCCC प्रक्रिया द्वारा समर्थित यह संवाद, बॉन इंटरसेशनल वार्ता और COP31 वार्ताओं से पहले गति बनाने में मदद करता है।

महत्व

- **COP31 से पूर्व महत्वपूर्ण कार्यसूची का निर्धारण:** यह औपचारिक COP31 वार्ताओं से पहले बातचीत की प्राथमिकताओं को आकार देता है, राजनीतिक गठबंधन बनाता है और उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ विभिन्न देश एक मत हो सकें।
- **पेरिस समझौते का संचालन:** यह ध्यान को दीर्घकालिक लक्ष्यों से हटाकर कार्यान्वयन मार्गों (2035 के क्षितिज तक) पर केंद्रित करता है, जिसमें क्षेत्रीय संक्रमण और विद्युतीकरण शामिल हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु का संगम:** यह दर्शाता है कि कैसे भू-राजनीतिक संकट (जैसे हॉर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान) नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को गति दे रहे हैं और जीवाश्म ईंधन की संवेदनशीलता को कम कर रहे हैं।
- **संरचनात्मक अंतराल को उजागर करना (वित्त और निष्पक्षता):** यह जलवायु वित्त में निरंतर कमी और नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में असमानता को उजागर करता है, जो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को प्रभावित कर रहा है—इन विषयों के COP31 वार्ताओं में हावी रहने की संभावना है।

5.10. वैश्विक मीथेन निगरानी प्रणाली (Global Methane Monitoring System)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।*

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने कोयला खदानों और अपशिष्ट केंद्रों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन की निगरानी (ट्रैकिंग) के लिए अपने 'मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम' (MARS) का विस्तार किया है।

'मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम' (MARS) के बारे में

मीथेन के बारे में

- IPCC के अनुसार, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मीथेन (CH_4), वर्तमान वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) के लगभग एक-तिहाई हिस्से के लिए उत्तरदायी है।
- मीथेन 20 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, हालांकि यह वायुमंडल में लगभग एक दशक तक ही बनी रहती है।
- मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत कृषि (लगभग 40%), जीवाश्म ईंधन (35%), और अपशिष्ट एवं अपशिष्ट जल (20%) हैं।
- वैश्विक तापन को 1.5°C तक सीमित करने के लिए, मीथेन उत्सर्जन में 2030 तक 2020 के स्तर से 30-60% की कमी आनी चाहिए।

मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MARS) के बारे में

- MARS एक उपग्रह-आधारित मीथेन निगरानी प्रणाली है, जिसे 2023 में UNEP की 'इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी' (IMEO) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह विश्व भर में मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों ("सुपर-एमिटर्स") का पता लगाने के लिए 35 से अधिक उपग्रहों के डेटा का उपयोग करता है।
- यह प्रणाली सरकारों और उद्योगों को अलर्ट (चेतावनी) भेजती है ताकि मीथेन रिसाव को तेजी से नियंत्रित किया जा सके।
- MARS इस बात को भी ट्रैक करता है कि शमन उपायों के कार्यान्वयन के बाद उत्सर्जन में कमी आई है या नहीं।
- इससे पहले, MARS मुख्य रूप से 'ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0' (OGMP 2.0) के तहत तेल और गैस केंद्रों पर केंद्रित था।
- अब इस प्रणाली का विस्तार कर इसमें कोयला खदानों और लैंडफिल (कचरा भराव क्षेत्र) सहित अपशिष्ट केंद्रों को भी शामिल किया गया है।
- अपनी शुरुआत के बाद से, MARS ने 11 देशों में मीथेन के 41 'सुपर-एमिटर' स्रोतों का पता लगाने और उनके शमन में मदद की है, जिनसे अनुमानित 1.2 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन हो रहा था।

5.11. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन, 2026 (International Big Cat Alliance Summit 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।*

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1-3 जून, 2026 तक नई दिल्ली में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट, लोगो और एक प्रचार फिल्म लॉन्च की।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में

- यह एक अंतर-सरकारी वैश्विक गठबंधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में मैसूरु में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था।
- इस गठबंधन का उद्देश्य सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA), पर्यावास क्षरण, अवैध शिकार, वन्यजीवों के अवैध व्यापार और वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों की कमी जैसे खतरों के समाधान हेतु 'बिग कैट रेंज' देशों, पर्यवेक्षक देशों, वैज्ञानिक संगठनों, संरक्षण भागीदारों और कॉर्पोरेट घरानों को एक साथ लाता है।

- भारत की सफल संरक्षण पहलें जैसे कि 'प्रोजेक्ट टाइगर', 'एशियाई शेर संरक्षण' और 'प्रोजेक्ट चीता' इस गठबंधन के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आधारशिला हैं।
- आगामी शिखर सम्मेलन में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर प्रथम वैश्विक घोषणापत्र को अपनाने की उम्मीद है, जिसे "दिल्ली घोषणा" शीर्षक दिया गया है, जो परिदृश्य-आधारित और सहकारी संरक्षण ढांचे को बढ़ावा देगा।

5.12. पुनर्वास, प्रौद्योगिकी और कानूनी सुधारों के माध्यम से बाँध सुरक्षा नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण (India Strengthens Dam Safety Network Through Rehabilitation, Technology, and Legal Reform)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप।*

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढाँचा; आपदा प्रबंधन।*

संदर्भ

भारत अपनी पुरानी होती जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति लचीलेपन में सुधार करने के लिए संरचनात्मक पुनर्वास, तकनीकी आधुनिकीकरण और कानूनी सुधारों के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े बाँध पुनर्वास और सुरक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में से एक का संचालन कर रहा है।

भारत में बाँधों की स्थिति

- **भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद बड़े बाँधों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है,** जिसमें 6,628 निर्दिष्ट बाँध शामिल हैं; इनमें 6,545 परिचालन में हैं और 83 निर्माणाधीन हैं।
  - ✓ इन बाँधों की कुल सकल भंडारण क्षमता लगभग 330 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिससे ये सिंचाई, जलविद्युत, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं।

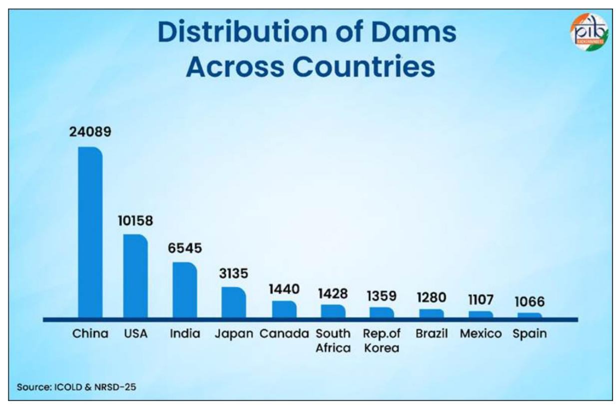

- भारत के लगभग 98.5% (6,448 बाँध) बाँध राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व में 49 बाँध (0.7%), निजी संस्थाओं के स्वामित्व में 36 बाँध (0.6%) और केंद्र सरकार के स्वामित्व में 12 बाँध (0.2%) हैं।
- महाराष्ट्र में निर्दिष्ट बाँधों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है।
- तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे पुराना बाँध, कल्लनाई (ग्रैंड एनीकट), पिछले लगभग 2,000 वर्षों से कार्य कर रहा है, जो भारत में जल अवसंरचना की चिरस्थायी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है।

भारत में बाँध अवसंरचना के समक्ष चुनौतियाँ

- **पुराना होता बुनियादी ढाँचा:**
  - ✓ भारत के लगभग 26% (1,681) बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिनमें लगभग 291 बाँध ऐसे हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक

पुराने हैं, जबकि लगभग 42% बाँध 25-50 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं।

✓ बाँधों की बढ़ती समयावधि ने संरचनात्मक सुरक्षा, परिचालन दक्षता और रखरखाव की आवश्यकताओं को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है।

- **अवसाद और भंडारण क्षमता में कमी आना:**
  - ✓ केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा 439 जलाशयों के विश्लेषण से पता चलता है कि अवसादन (गाद जमा होने) के कारण उनकी कुल सकल भंडारण क्षमता में औसतन 19% की कमी आई है, जबकि इन जलाशयों की औसत आयु लगभग 42 वर्ष है।
  - ✓ भंडारण क्षमता में होने वाली औसत वार्षिक हानि लगभग 0.74% अनुमानित है, जो प्रति जलाशय सालाना लगभग 1.81 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) के बराबर है; यह स्थिति सिंचाई, जलविद्युत और बाढ़ नियंत्रण कार्यों को प्रभावित कर रही है।
- **जलवायु और जल विज्ञान संबंधित जोखिम:**
  - ✓ परिवर्तित होते जलविज्ञान संबंधी पैटर्न, बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता, अत्यधिक वर्षा, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) और भूकंपीय संवेदनशीलताएं, बाँध अवसंरचना के लिए नए परिचालन और सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर रही हैं।
  - ✓ जलवायु-प्रेरित ऐसे जोखिमों के लिए व्यवस्थित पुनर्वास, बेहतर जलाशय प्रबंधन और उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों की आवश्यकता है।
- **आपदा सुभेद्यता:** वर्ष 2023 में सिक्किम में अचानक आई बाढ़ (फ़्लैश फ्लड), जिसने चुंगथांग बाँध को अत्यधिक क्षति पहुँचायी थी और वर्ष 2001 में गुजरात में आया भुज भूकंप, जिसने बाँधों की नींव को प्रभावित किया था—जैसी घटनाएं बाँध अवसंरचना और उनके निचले प्रवाह क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की बढ़ती आपदा संवेदनशीलता को उजागर करती हैं।

बाँध सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रमुख पहल

बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)

- **बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP):** वर्ष 2012 में विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई DRIP, संरचनात्मक मरम्मत, स्पिलवे) के आधुनिकीकरण, गेटों के सुदृढ़ीकरण और उन्नत निगरानी प्रणालियों के माध्यम से बाँध सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- **DRIP को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है:**
  - ✓ **DRIP चरण I (2012-2021) के** अंतर्गत सात राज्यों के 223 बाँधों को शामिल किया गया था।
  - ✓ **DRIP चरण II और III** वर्ष 2021 से संचालित है और इसके अंतर्गत, 19 राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों के 736 बाँधों को कवर होते हैं।

बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021

- **बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** यह बाँध के खराब होने से जुड़ी आपदाओं को रोकने के लिए निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **यह अधिनियम एक चार-स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित करता है, जिसमें शामिल हैं:**
  - ✓ राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति (NCDS)
  - ✓ राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)
  - ✓ राज्य बाँध सुरक्षा समिति (SCDS)
  - ✓ राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO)
- यह बाँधों के लिए नियमित निरीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन कार्य योजनाएं, मापन प्रणालियां, अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) को अनिवार्य बनाता है।

प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण और डिजिटल निगरानी

- भारत ने 'धर्मा' (DHARMA – डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल निरीक्षण रिकॉर्ड, सुरक्षा आकलन और रखरखाव ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित बाँध सुरक्षा प्रबंधन को अपनाया है।
  - ✓ सभी 6,628 निर्दिष्ट बाँधों को 'धर्मा' प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा चुका है, जबकि डिजिटल रूप से प्रबंधित रिकॉर्ड के साथ सालाना लगभग 13,000 बाँधों का निरीक्षण किया जाता है।
- भारत ने बाँध अवसंरचना से संबंधित भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए MNIT जयपुर में 'राष्ट्रीय बाँध भूकंपीय सुरक्षा केंद्र' की भी स्थापना की है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

6.1. डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क (Doppler Weather Radar Network)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

भारत ने अपनी मौसम निगरानी और पूर्वानुमान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए पिछले एक दशक में अपने डॉप्लर वेदर रडार (DWR) नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारत का डॉप्लर वेदर रडार (DWR) नेटवर्क 2014 के 14 रडारों से बढ़कर 2026 में लगभग 50 हो गया है, जो 250% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
- वर्तमान नेटवर्क भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 85–87% हिस्से को कवर करता है, जिससे वास्तविक समय की मौसम निगरानी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- सरकार की 'मिशन मौसम' पहल के तहत, कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त रडार लगाने की योजना है, विशेष रूप से तटीय, पर्वतीय और आपदा-संभावित क्षेत्रों में।
- भविष्य की योजनाओं का लक्ष्य इस नेटवर्क को 100 से अधिक रडारों तक विस्तारित करना है, जिससे लगभग संपूर्ण राष्ट्रीय कवरेज और पूर्वानुमान की सटीकता सुनिश्चित हो सके।
- इस विस्तार के साथ-साथ डुअल-पोलराइजेशन रडार (dual-polarization radar) तकनीक में भी प्रगति हुई है, जो विभिन्न प्रकार के वर्षण (जैसे बारिश, ओले, बर्फ) के बीच अंतर करने की क्षमता को बढ़ाती है।

डॉप्लर वेदर रडार (DWR) के बारे में

- डॉप्लर वेदर रडार (DWR) एक सुदूर संवेदन प्रणाली है, जो वर्षा की बूंदों, हिमपात और ओलों जैसे वायुमंडलीय कणों के वेग और गति को मापने के लिए डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करती है।
- यह सूक्ष्म तरंगों को उत्सर्जित करके और गतिमान वस्तुओं से परावर्तित होकर वापस आने वाले संकेतों के आवृत्ति विस्थापन का विश्लेषण करके कार्य करता है।
- आधुनिक डॉप्लर वेदर रडार वर्षण, पवन के प्रतिरुप और तूफान की तीव्रता पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करते हैं, जिससे अल्पकालिक पूर्वानुमान या 'नाउकास्टिंग' संभव हो पाती है।

- ये रडार चक्रवातों, गरज के साथ आने वाले तूफानों और गंभीर मौसम प्रणालियों की उच्च सटीकता के साथ निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **DWR के प्रकार:**
  - ✓ **S-बैंड रडार:** S-बैंड रडार लंबी तरंगदैर्ध्य पर कार्य करते हैं और लंबी दूरी की पहचान के लिए विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। यह इन्हें चक्रवात जैसी बड़े पैमाने की प्रणालियों की निगरानी के लिए आदर्श बनाता है।
  - ✓ **C-बैंड रडार:** C-बैंड रडार सीमा और रिज़ॉल्यूशन के बीच संतुलन प्रदान करते हैं। इनका व्यापक रूप से सामान्य मौसम निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, विशेषकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
  - ✓ **X-बैंड रडार:** X-बैंड रडार छोटी तरंगदैर्ध्य पर कार्य करते हैं और कम दूरी पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले आंकड़े प्रदान करते हैं। यह स्थानीय स्तर की मौसम निगरानी और शहरी बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं।

मिशन मौसम के बारे में

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए (2024–2026) शुरू की गई ₹2,000 करोड़ की एक पहल है।
- इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) और उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करके भारत को 'वेदर रेडी' (Weather Ready) और 'क्लाइमेट स्मार्ट' (Climate Smart) बनाना है, ताकि चरम मौसम की घटनाओं के लिए सटीक प्रारंभिक चेतावनी प्रदान की जा सके।

DWR की कार्यप्रणाली

- रडार वायुमंडल में विद्युतचुंबकीय तरंगों के स्पंदन प्रसारित करता है, जो वर्षा की बूंदों जैसे वर्षण कणों से टकराकर वापस परावर्तित होते हैं।

- संकेत के वापस आने में लगने वाला समय मौसम प्रणाली की दूरी निर्धारित करने में मदद करता है, जबकि आवृत्ति विस्थापन (डॉप्लर शिफ्ट) गति की गति और दिशा को दर्शाता है।
- उन्नत डॉप्लर वेदर रडार (DWR) दोहरी-ध्रुवीकरण तकनीक का उपयोग करते हैं, जो वर्षण के प्रकार और आकार की पहचान करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में संकेत भेजते हैं।
- एकत्रित आंकड़ों को संसाधित किया जाता है और सटीक पूर्वानुमान तथा प्रारंभिक चेतावनी उत्पन्न करने के लिए उन्हें मौसम संबंधी मॉडलों के साथ एकीकृत किया जाता है।

DWR के अनुप्रयोग

- **मौसम पूर्वानुमान और 'नाउकास्टिंग':** डॉप्लर वेदर रडार (DWR) वर्षा, गरज के साथ आने वाले तूफानों और गंभीर मौसम की घटनाओं की सटीक अल्पकालिक भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे पूर्वानुमान की विश्वसनीयता में सुधार होता है।
- **अपदा प्रबंधन:** ये चक्रवात, बाढ़ और आकाशीय बिजली के लिए प्रारंभिक चेतावनी जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जान-माल की हानि को कम करने में सहायता मिलती है।
- **कृषि और जल प्रबंधन:** किसानों को फसल नियोजन, सिंचाई और कीट प्रबंधन के लिए समय पर मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि जल अधिकारी इसका उपयोग जलाशयों के प्रबंधन के लिए करते हैं।
- **विमानन और समुद्री सुरक्षा:** DWR के आंकड़े सुरक्षित उड़ान संचालन और नौवहन में सहायक होते हैं, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान।
- **शहरी नियोजन और जलवायु लचीलापन:** उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले आंकड़े शहरी बाढ़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचा नियोजन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में सहायता प्रदान करते हैं।

डॉप्लर प्रभाव

- डॉप्लर प्रभाव एक भौतिक परिघटना है जिसमें स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण तरंग की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है।
- जब कोई वस्तु प्रेक्षक की ओर बढ़ती है, तो परावर्तित तरंगें संकुचित हो जाती हैं, जिससे उच्च आवृत्ति (या लघु तरंगदैर्ध्य) प्राप्त होती है। इसके विपरीत, प्रेक्षक से दूर जाने पर तरंगें फैल जाती हैं, जिससे निम्न आवृत्ति (या दीर्घ तरंगदैर्ध्य) उत्पन्न होती है।
- मौसम विज्ञान में, डॉप्लर वेदर रडार इस सिद्धांत का उपयोग वर्षा की बूंदों जैसे गतिमान कणों के वेग और दिशा को मापने के लिए करते हैं। इससे पवन के स्वरूप और तूफान की गति का पता लगाना संभव हो पाता है।
- यह प्रभाव दैनिक जीवन में भी देखा जाता है, जैसे कि पास से गुजरते हुए सायरन की आवाज (पिच) में बदलाव। सायरन जब करीब आता है तो इसकी आवाज तीक्ष्ण सुनाई देती है और दूर जाने पर कम हो जाती है।
- इस परिघटना का वर्णन सबसे पहले 1842 में क्रिश्चियन डॉप्लर द्वारा किया गया था, जिनके नाम पर इस प्रभाव का नाम रखा गया है।

6.2. व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार (Vehicle-to-Everything Communication)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय।*

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'व्हीकल-टू-एवरीथिंग' (V2X) संचार हेतु विनियामक फ्रेमवर्क विकसित करने पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह परामर्श पत्र V2X के परिनियोजन के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग मॉडल, अंतर-संचालनीयता मानक और सुरक्षा ढांचे जैसे प्रमुख मुद्दों पर हितधारकों से सुझाव मांगने हेतु जारी किया गया है।
- इसमें 5.9 गीगाहर्ट्ज (GHz) स्पेक्ट्रम बैंड की पहचान भारत की कार्यान्वयन रणनीति के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में की गई है—जिसे वैश्विक स्तर पर V2X के लिए निर्धारित किया गया है।
- यह सड़क सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य की स्वायत्त गतिशीलता को सक्षम करने में 5G-सक्षम संचार प्रणालियों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

प्रस्तावित नियामकीय फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ

- **स्पेक्ट्रम प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का चयन:** यह रूपरेखा 5.9 गीगाहर्ट्ज (GHz) बैंड के इष्टतम उपयोग का परीक्षण करती है और विश्वसनीय तथा न्यून-विलंबता संचार के लिए 'सेलुलर V2X' (C-V2X) जैसी प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल्यांकन करती है।
- **अवसंरचना और इकोसिस्टम का विकास:** यह निर्बाध संचार और वास्तविक समय की चेतावनियों की सुविधा के लिए वाहनों में 'ऑन-बोर्ड यूनिट्स' (OBUs) और सड़क के किनारे 'रोडसाइड यूनिट्स' (RSUs) की तैनाती पर बल देता है।
- **अंतर-संचालनीयता और मानकीकरण:** V2X प्रणालियों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों, नेटवर्क और क्षेत्रों के बीच साझा मानकों और अंतर-संचालनीयता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- **सुरक्षा, गोपनीयता और दायित्व:** यह रूपरेखा साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और कानूनी दायित्व से संबंधित चिंताओं को संबोधित करती है, जो सुरक्षित और विश्वसनीय कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

V2X संचार के बारे में

- **व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार:** यह वाहनों और उनके आसपास के वातावरण के बीच वास्तविक समय की सूचनाओं के आदान-प्रदान को संदर्भित करता है, जो बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने को सक्षम बनाता है।
- **सुरक्षा संवर्धन:** यह वाहनों को वायरलेस अलर्ट और डेटा विनिमय (जैसे: गति, स्थान, ट्रैफ़िक सिग्नल और टकराव की चेतावनी) के माध्यम से "दृष्टि रेखा से परे" खतरों का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार होता है।
- **संचार मोड:** इसमें कई संचार मोड शामिल हैं जैसे:
  - ✓ व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V)
  - ✓ व्हीकल-टू-इन्फ्रास्ट्रक्चर (V2I)
  - ✓ व्हीकल-टू-पेडेस्ट्रीयन (V2P)
  - ✓ व्हीकल-टू-नेटवर्क (V2N)
- प्रारंभिक V2X प्रणालियाँ 'डेडिकेटेड शॉर्ट-रेंज कम्युनिकेशंस' (DSRC) पर निर्भर थीं, वहीं अब 'सेलुलर V2X' (C-V2X) की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इसका कारण 4G/5G नेटवर्क का लाभ उठाने की इसकी क्षमता, व्यापक कवरेज प्रदान करना और मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना के साथ अधिक निर्बाध रूप से एकीकृत होना है।

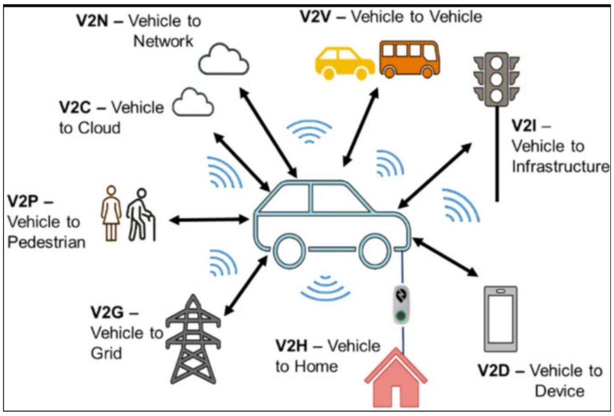

V2X संचार का महत्व

- **सड़क सुरक्षा संवर्धन:** V2X टकराव, सड़क के खतरों और यातायात की स्थिति के संबंध में वास्तविक समय में चेतावनी सक्षम बनाता है, जिससे दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी आती है।
- **यातायात दक्षता में सुधार:** यह स्मार्ट यातायात प्रबंधन, भीड़भाड़ में कमी और मार्ग अनुकूलन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे शहरी गतिशीलता में सुधार होता है।
- **स्वायत्त वाहनों को सक्षम बनाना:** स्वायत्त ड्राइविंग प्रणालियों के लिए विश्वसनीय संचार अनिवार्य है, जो V2X को भविष्य की गतिशीलता के लिए एक आधारभूत प्रौद्योगिकी बनाता है।
- **डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना:** यह 5G अवसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग को बढ़ाता है, जो भारत के व्यापक डिजिटल रूपांतरण में योगदान देता है।

V2X संचार की चुनौतियाँ

- **स्पेक्ट्रम आवंटन और नीतिगत संतुलन:** भारत को सुरक्षा-महत्वपूर्ण V2X सेवाओं के लिए 5.9 गीगाहर्ट्ज (GHz) बैंड के आवंटन और अन्य प्रतिस्पर्धी दूरसंचार मांगों के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि सड़क सुरक्षा उद्देश्यों से समझौता किए बिना स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- **अवसंरचनात्मक तत्परता और इकोसिस्टम की कमियाँ:** V2X की तैनाती के लिए वाहनों, सड़क किनारे की अवसंरचना और दूरसंचार नेटवर्क में एक साथ अपग्रेड की आवश्यकता है; वर्तमान में समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र की तत्परता का अभाव एक बड़ी बाधा बना हुआ है।
- **लागत, मानकीकरण और अंतर-संचालनीयता संबंधी मुद्दे:** उच्च कार्यान्वयन लागत, समान मानकों की अनुपस्थिति और DSRC तथा C-V2X प्रौद्योगिकियों के बीच सह-अस्तित्व की चुनौतियां बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जोखिम:** V2X प्रणालियां साइबर खतरों और डेटा के दुरुपयोग के जोखिमों के प्रति सुभेद्य हैं, जिसके लिए विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता है।
- **विनियामक और दायित्व संबंधी अनिश्चितता:** दुर्घटनाओं में दायित्व, डेटा स्वामित्व और जवाबदेही के संबंध में अस्पष्ट विनियामक ढांचे प्रभावी विनियमन के लिए निरंतर चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

आगे की राह

- **व्यापक विनियामक और स्पेक्ट्रम रूपरेखा:** भारत को 5.9 गीगाहर्ट्ज (GHz) स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग और कार्यान्वयन मॉडल पर स्पष्ट नीतियां स्थापित करनी चाहिए, जिससे सुरक्षा-महत्वपूर्ण V2X उपयोग को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके।
- **मानक विकसित करना और अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करना:** भारत को 3GPP और ITS-WAVE जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के समन्वय में 'ऑन-बोर्ड यूनिट्स' (OBUs) और 'रोडसाइड यूनिट्स' (RSUs) के लिए भारत-विशिष्ट मानक विकसित करने चाहिए और C-V2X/DSRC के निर्बाध सह-अस्तित्व को सक्षम बनाना चाहिए।
- **अवसंरचना और इकोसिस्टम की तत्परता:** बड़े पैमाने पर इसे अपनाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से 5G नेटवर्क, सड़क किनारे की अवसंरचना और 'कनेक्टेड व्हीकल' प्रणालियों के प्रसार में तेजी लानी चाहिए।

- **साइबर सुरक्षा और डेटा गवर्नेंस ढांचा:** विश्वास और सुरक्षित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा, डेटा स्वामित्व, उपयोगकर्ता की सहमति और दुर्घटना की स्थितियों में दायित्व को संबोधित करने वाला एक समर्पित ढांचा तैयार करना चाहिए।

6.3. गुजरात में दो नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी (Cabinet Approves Two New Semiconductor Projects in Gujarat)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत दो नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गैलियम नाइट्राइड (GaN) तकनीक पर आधारित भारत की पहली व्यावसायिक Mini/Micro-LED डिस्प्ले इकाई और गुजरात में एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई शामिल है।

परियोजनाओं के बारे में

- **क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड (CML) परियोजना:** क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में 'कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन' और ATMP (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) के लिए एक एकीकृत सुविधा स्थापित करेगी।
  - ✓ इस परियोजना में लगभग ₹3,068 करोड़ का संचयी निवेश शामिल है।
  - ✓ यह सुविधा **गैलियम नाइट्राइड (GaN)** तकनीक पर आधारित Mini/Micro-LED डिस्प्ले मॉड्यूल का विनिर्माण करेगी और 6-इंच के वेफर्स पर 'एपिटैक्सी' सहित GaN फाउंड्री सेवाएं प्रदान करेगी।
  - ✓ यह इकाई सालाना 72,000 वर्ग मीटर Mini/Micro-LED डिस्प्ले पैनल और सालाना RGB GaN एपिटैक्सी वेफर्स के 24,000 सेट तैयार करेगी।
  - ✓ इन उत्पादों का उपयोग टीवी और वाणिज्यिक साइनेज के लिए बड़े डिस्प्ले, टैबलेट, स्मार्टफोन और इन-कार सिस्टम के लिए मध्यम आकार के डिस्प्ले, और XR ग्लास व स्मार्टवॉच के लिए माइक्रो-डिस्प्ले में किया जाएगा।
- **सुचि सेमीकन प्राइवेट लिमिटेड (SSPL) परियोजना: सुचि** सेमीकन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के सूरत में एक 'आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट' (OSAT) सुविधा स्थापित करेगी।
  - ✓ इस परियोजना में लगभग ₹868 करोड़ का निवेश शामिल है।
  - ✓ यह सुविधा 'डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स' का निर्माण करेगी और 'लीड फ्रेम' (lead frame) तथा 'वायरबॉन्ड' पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
  - ✓ इस सुविधा की कुल उत्पादन क्षमता 1,033.20 मिलियन चिप्स प्रति वर्ष होगी, जिसमें सालाना 673 मिलियन SOIC (स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट) इकाइयाँ और 263 मिलियन 'ट्रांजिस्टर आउटलाइन' (TO) इकाइयाँ शामिल हैं।
  - ✓ इन सेमीकंडक्टर्स का उपयोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs), औद्योगिक प्रणालियों, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरी प्रबंधन प्रणालियों और सौर इनवर्टर में किया जाएगा।
  - ✓ इन दोनों परियोजनाओं से मिलकर लगभग 2,230 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है, जबकि अकेले SSPL परियोजना से लगभग 630 प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की संभावना है।

परियोजनाओं का महत्व

- **भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती:** इन मंजूरियों के साथ, ISM के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिनमें लगभग ₹1.64 लाख करोड़ का संचयी निवेश शामिल है। यह फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।
- **भारत की पहली व्यावसायिक डिस्प्ले इकाई:** CML परियोजना भारत की पहली व्यावसायिक Mini/Micro-LED डिस्प्ले निर्माण सुविधा की स्थापना का प्रतीक है, जो उन्नत डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों में आयात पर निर्भरता को कम करेगी।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन:** ये परियोजनाएं एक्सटेंडेड रियलिटी (XR), स्मार्ट वियरेबल्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम उपकरणों जैसी भविष्य की तकनीकों का समर्थन करेंगी।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और रणनीतिक महत्व:** सेमीकंडक्टर विनिर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है। ये परियोजनाएं 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
- **डिज़ाइन और विनिर्माण आधार का विस्तार:** भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को 315 शैक्षणिक संस्थानों और 104 स्टार्टअप्स को डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही, दो स्वीकृत परियोजनाओं ने व्यावसायिक शिपमेंट शुरू कर दिया है और दो अन्य के जल्द ही शिपमेंट शुरू करने की उम्मीद है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के बारे में

- भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) को 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत में एक पूर्ण 'फुल-स्टैक' सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
  - ✓ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (फैब्स)।
  - ✓ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स।
  - ✓ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग।
  - ✓ डिस्प्ले विनिर्माण।
  - ✓ चिप डिज़ाइन और नवाचार।
- यह योजना पात्र सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परियोजनाओं के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **ISM 1.0 की मुख्य विशेषताएं:**
  - ✓ इसका मुख्य ध्यान सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग बुनियादी ढांचे को आकर्षित करने पर रहा।
  - ✓ इसने घरेलू चिप विनिर्माण और असेंबली क्षमताओं को प्रोत्साहित किया।
  - ✓ इसने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की।
  - ✓ इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।
- **ISM 2.0 का मुख्य फोकस होगा:**
  - ✓ सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री विनिर्माण।
  - ✓ स्वदेशी सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा (IP)।
  - ✓ उन्नत तकनीक नोड्स जैसे कि 3 nm और 2 nm चिप्स।
  - ✓ घरेलू और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना।
  - ✓ उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र।
- **क्षेत्रीय परिदृश्य:**
  - ✓ भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में $38 बिलियन अनुमानित था, जिसके 2030 तक $100–110 बिलियन पहुँचने का अनुमान है।
  - ✓ 2029 तक, भारत का लक्ष्य घरेलू मांग के लगभग 70–75% के लिए आवश्यक चिप्स का डिज़ाइन और निर्माण करना है।
  - ✓ 2035 तक, भारत का लक्ष्य विश्व के अग्रणी सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होना है।

6.4. चीन ने 11वें चंद्र खनिज की खोज की (China Discovers 11th Lunar Mineral)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव; सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।*

संदर्भ

चीनी वैज्ञानिकों ने हाल ही में 'सीरियम-मैग्नीशियम चेंगासाइट' नामक एक नए चंद्र खनिज की पहचान की है, जिसे 'मैग्नेसियोचेंगासाइट-(Ce)' के रूप में भी जाना जाता है। यह खोज ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह खोज अलौकिक पदार्थों की बढ़ती सूची में एक नया अध्याय जोड़ती है और इसके साथ ही विश्व स्तर पर ज्ञात चंद्र खनिजों की कुल संख्या 11 हो गई है।
- इस खनिज की खोज 'पाकेपाके 005' (Pakepake 005) नामक 44 ग्राम के एक चंद्र उल्कापिंड में की गई थी, जिसे जनवरी 2024 में चीन के शिनजियांग स्थित टकलामकान मरुस्थल से बरामद किया गया था।
  - ✓ यह उल्कापिंड इसलिए विशेष है क्योंकि यह चीन में पाया गया पहला चंद्र उल्कापिंड है, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पहुँचे चंद्रमा के पदार्थों के अध्ययन का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।
- नए खनिज को आधिकारिक तौर पर 'इंटरनेशनल मिनरलॉजिकल एसोसिएशन' (IMA) द्वारा अनुमोदित और वर्गीकृत किया गया है, जो खनिज नामकरण पर वैश्विक प्राधिकरण है।
- इस खोज के साथ, चीन ने अब तक चार चंद्र खनिजों की पहचान कर ली है, जिससे वह चंद्र खनिज खोजों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष पहुँच गया है।

नए चंद्र खनिज के बारे में

- **संरचना और वर्गीकरण:** सीरियम-मैग्नीशियम चेंगासाइट एक दुर्लभ मृदा-युक्त फॉस्फेट खनिज है। इसमें सीरियम, मैग्नीशियम और लोहा जैसे तत्व शामिल हैं और यह मेरिलाइट खनिज समूह से संबंधित है।
- **भौतिक विशेषताएँ:** यह खनिज रंगहीन, पारदर्शी और भंगुर है। इसमें काँच जैसी चमक होती है और इसकी टूटने की बनावट शंख के समान होती है।
- **प्रतिदीप्ति गुण:** इस खनिज का एक उल्लेखनीय गुण पराबैंगनी (UV) प्रकाश के नीचे इसकी प्रतिदीप्ति है। यह गुण सीरियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है।
- **सूक्ष्म प्रकृति:** यह अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, जो सामान्यतः 3 से 25 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। इसके अधिकांश कण 10 माइक्रोमीटर से भी कम माप के होते हैं।
- **वैज्ञानिक महत्व:** इसकी अद्वितीय रासायनिक संरचना और क्रिस्टल संरचना चंद्रमा की मैग्मा प्रक्रियाओं, ग्रहों के निर्माण और चंद्रमा के आंतरिक गतिज विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करती है।

खोज का महत्व

- **चंद्र भूविज्ञान में प्रगति:** यह खोज चंद्रमा की उत्पत्ति, विकास और ज्वालामुखीय इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण खनिज साक्ष्य प्रदान करती है, जिससे वैश्विक ग्रह विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है।
- **दुर्लभ मृदा तत्वों पर अंतर्दृष्टि:** सीरियम और अन्य दुर्लभ मृदा तत्वों की उपस्थिति वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि ग्रहों के निर्माण के दौरान ऐसे तत्व कैसे वितरित और पृथक होते हैं। इसका पृथ्वी और अंतरिक्ष संसाधन अध्ययन दोनों के लिए अत्यधिक महत्व है।
- **तकनीकी क्षमता:** इस खनिज के दीप्तिमान (प्रतिदीप्ति) गुण अगली पीढ़ी के LED पदार्थों और उन्नत ऑप्टिकल प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान दे सकते हैं, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के व्यावहारिक लाभों को रेखांकित करते हैं।
- **उल्कापिंड अध्ययन की भूमिका:** यह खोज प्राकृतिक नमूनों के रूप में चंद्र उल्कापिंडों के महत्व को सिद्ध करती है। यह 'सैंपल-रिटर्न' (नमूना वापसी) मिशनों की आवश्यकता के बिना वैज्ञानिक जाँच के लिए सुलभ सामग्री प्रदान करके अंतरिक्ष मिशनों के पूरक के रूप में कार्य करती है।
- **रणनीतिक और वैज्ञानिक नेतृत्व:** यह खोज अंतरिक्ष विज्ञान, खनिज विज्ञान और उन्नत विश्लेषणात्मक प्रौद्योगिकियों में चीन की बढ़ती क्षमताओं को पुष्ट करती है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान परिदृश्य में उसकी स्थिति बेहतर होती है।

6.5. WHO ने नवजात और शिशुओं के लिए अब तक के पहले मलेरिया उपचार को प्री-क्वालिफाई किया (WHO Prequalifies First-Ever Malaria Treatment for Newborns and Infants)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।*

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।*

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विशेष रूप से नवजात और शिशुओं के लिए तैयार किए गए पहले मलेरिया उपचार को प्री-क्वालिफाइड किया है, जो वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अन्य संबंधित जानकारी

- मलेरिया वैश्विक स्तर पर बीमारी और मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में बच्चों के बीच। वर्ष 2022 में, मलेरिया के 24.9 करोड़ मामले और 6,08,000 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 80% मौतें पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हुई थीं।
- 5 किग्रा से कम वजन वाले शिशुओं के लिए आयु-उपयुक्त औषधीय फॉर्मूलेशन उपलब्ध नहीं थे। इसके कारण बड़े बच्चों के लिए बनी दवाओं की खुराक को समायोजित करके शिशुओं को दिया जाता था, जिससे सुरक्षा और प्रभावकारिता को लेकर चिंताएं बनी रहती थीं।
- WHO ने अब **आर्टेमेथर-ल्यूमफेंट्रिन** (artemether-lumefantrine) के एक नए शिशु-विशिष्ट फॉर्मूलेशन को प्री-क्वालिफाइड किया है। यह सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करेगा और इसके वैश्विक स्तर पर खरीद एवं वितरण को सुगम बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त, WHO ने तीन नए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDTs) को भी प्री-क्वालिफाइड किया है। ये टेस्ट HRP2/HRP3 जीन विलोपन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी वजह से पहले मलेरिया के गलत-नकारात्मक परिणाम आते थे।
- लक्षित उपचार और बेहतर निदान में यह संयुक्त प्रगति सबसे संवेदनशील आबादी (शिशुओं) में रोग का अधिक सटीक पता लगाने और सुरक्षित प्रबंधन को सक्षम बनाकर वैश्विक मलेरिया नियंत्रण प्रयासों को बढ़ावा देती है।

WHO प्री-क्वालिफिकेशन के बारे में

- **WHO प्री-क्वालिफिकेशन:** यह एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है, जो दवाओं, टीकों और निदान उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता मानकों का मूल्यांकन करती है।
- **खरीद में सुगमता:** यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, सरकारों और वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों द्वारा स्वास्थ्य उत्पादों की खरीद को सरल बनाता है।
- **पहुँच सुनिश्चित करना:** यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में विश्वसनीय चिकित्सा उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नए उपचार के बारे में

- हाल ही में प्री-क्वालिफाइड की गई यह दवा आर्टेमेथर-ल्यूमफेंट्रिन (Coartem® Baby) का शिशुओं के अनुकूल एक विशेष फॉर्मूलेशन है। इसे नोवार्टिस द्वारा 'मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर' के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह विशेष रूप से 2 से 5 किग्रा वजन वाले नवजात शिशुओं और शिशुओं के लिए डिज़ाइन किया गया पहला मलेरिया-रोधी उपचार है।
- यह फॉर्मूलेशन सटीक खुराक (accurate dosing) और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह वयस्कों या बड़े बच्चों की दवाओं के 'ऑफ-लेबल' (अनौपचारिक रूप से खुराक घटाकर) उपयोग से जुड़े जोखिमों का समाधान करता है।
- इसे आसानी से देने के लिए डिज़ाइन किया गया है (जैसे कि माँ के दूध या अन्य तरल पदार्थों में घुलनशील), जिससे उपचार के अनुपालन में

सुधार और उपयोग में आसानी सुनिश्चित होती है।

- यह दवा WHO के कड़े मानकों को पूरा करती है और इसके स्थानिक क्षेत्रों में काफी हद तक गैर-लाभकारी आधार पर आपूर्ति किए जाने की संभावना है, जिससे इसकी वहनीयता बढ़ेगी।

महत्व

- **उपचार के महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना**: शिशुओं के लिए विशिष्ट मलेरिया-रोधी फॉर्मूलेशन की उपलब्धता वयस्कों की दवाओं की खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। इससे विषाक्तता और अप्रभावी उपचार के जोखिम कम हो जाते हैं।
- **शिशु मृत्यु दर में कमी**: सबसे संवेदनशील समूहों में से एक को लक्षित करके, यह हस्तक्षेप विशेष रूप से उच्च-बोझ वाले क्षेत्रों में शिशुओं के बीच मलेरिया से होने वाली मौतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की क्षमता रखता है।
- **वैश्विक मलेरिया नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण**: उपचार और निदान में संयुक्त प्रगति रोग के शीघ्र पता लगाने और प्रभावी मामला प्रबंधन को बढ़ाती है, जो वैश्विक मलेरिया उन्मूलन प्रयासों का समर्थन करती है।
- **स्वास्थ्य सेवा में समानता को बढ़ावा**: सुरक्षित, सस्ती और उपयुक्त उपचार की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच में सुधार करती है, विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।
- **उपेक्षित रोगों में नवाचार को प्रोत्साहन**: यह विकास लक्षित अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs) के समाधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सफलता को दर्शाता है।

मलेरिया के बारे में

- मलेरिया एक जीवन-घातक बीमारी है जो **प्लाज्मोडियम** परजीवियों के कारण होती है। यह संक्रमित मादा **एनोफिलीज** मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है।
- मनुष्यों में मलेरिया पैदा करने वाली प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां हैं। इनमें से दो प्रजातियां – **पी. फाल्सीपेरम** और **पी. विवैक्स**– स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं।
- इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और थकान शामिल हैं। यदि समय पर उपचार न किया जाए, तो यह गंभीर जटिलताओं (जैसे अंग का खराब होना या एनीमिया) का रूप ले सकता है।
- यह बीमारी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है, विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में।

भारत में मलेरिया की उपस्थिति

- भारत ने मलेरिया नियंत्रण में महत्वपूर्ण सुधार किया है। मामले 2015 के लगभग 11.7 लाख से घटकर 2023 में 2.27 लाख और 2025 में लगभग 2 लाख रह गए हैं।
- मलेरिया से होने वाली मौतें 2015 की 384 से घटकर 2023 में 83 हो गईं। हाल के वर्षों में यह आंकड़ा सालाना 50-80 के बीच रहा है, जो बेहतर मामला प्रबंधन का संकेत है।
- भारत वैश्विक मलेरिया बोझ में लगभग 1-3% का योगदान देता है, लेकिन WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में यह अभी भी सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है।
- अब 90% से अधिक जिले कम संचरण स्तर (API < 1) की रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि, जनजातीय, वन क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में 'हॉटस्पॉट' अभी भी बने हुए हैं।
- वर्ष 2024 में, भारत WHO के 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (HBHI) समूह से बाहर हो गया, जो मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर में आई भारी गिरावट को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत, भारत का लक्ष्य 2027 तक मलेरिया मुक्त होना और 2030 तक इस बीमारी का पूर्ण उन्मूलन करना है।

मलेरिया के नियंत्रण और निवारण के लिए शुरू की गईं पहल

- **राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP), 1953:** इसे 1953 में 'इनडोर रेसिड्यूअल स्प्रेइंग' (DDT छिड़काव), निगरानी और उपचार की रणनीतियों के साथ शुरू किया गया था। बाद में 1958 में इसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (NMEP) में बदल दिया गया।
- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC):** यह मलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नोडल निकाय (पूर्व में NVBDCP) के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य ध्यान एकीकृत वेक्टर प्रबंधन और निगरानी पर है।
- **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (2016–2030):** यह राष्ट्रीय रोडमैप 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया मामलों और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023–2027):** यह योजना निदान और उपचार तक सार्वभौमिक पहुँच, सुदृढ़ निगरानी और मलेरिया उन्मूलन को गति देने के लिए उच्च-बोझ वाले जिलों में लक्षित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

6.6. मिशन दृष्टि (Mission Drishti)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।*

संदर्भ

भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने तब एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जब GalaxEye द्वारा विकसित विश्व के प्रथम OptoSAR उपग्रह, 'मिशन दृष्टि', को वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।

मिशन दृष्टि के बारे में

- मिशन दृष्टि बेंगलुरु स्थित GalaxEye द्वारा विकसित 190 किलोग्राम का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो इसे भारत में निजी तौर पर निर्मित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाता है।
- इसे स्पेसएक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
- यह उपग्रह विश्व का प्रथम OptoSAR प्लेटफॉर्म है, जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (EO) और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसर को एक एकल परिचालन प्रणाली में एकीकृत करता है।
- यह सभी प्रकार के मौसमों और दिन-रात इमेजिंग को सक्षम बनाता है, जिससे उन पारंपरिक उपग्रहों की सीमाओं को पार किया जा सकता है जो केवल ऑप्टिकल या रडार डेटा पर निर्भर होते हैं।
- मिशन दृष्टि एक 'दोहरे उपयोग' वाला उपग्रह है, जिसके अनुप्रयोग रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और बुनियादी ढांचा नियोजन जैसे क्षेत्रों में विस्तृत हैं।
- उच्च-आवृत्ति और विश्वसनीय पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करने की इसकी क्षमता ने सरकारी और वाणिज्यिक हितधारकों, दोनों की ओर से महत्वपूर्ण वैश्विक रुचि आकर्षित की है।
- यह मिशन पाँच वर्षों से अधिक के अनुसंधान एवं विकास (R&D) का चरमोत्कर्ष है और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) जैसे संस्थानों द्वारा समर्थित, भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बढ़ती क्षमताओं को प्रतिबिंबित करता है।

6.7. भारत का पहला राज्य-नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (India's first state-led Centre of Excellence for Space Technology)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।*

संदर्भ

कर्नाटक ने अंतरिक्ष अनुसंधान और उसके वाणिज्यिक उपयोग के बीच की खाई को पाटने के लिए बेंगलुरु में भारत के प्रथम राज्य-स्तरीय 'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र' का शुभारंभ किया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र के बारे में

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर्नाटक सरकार द्वारा 'कर्नाटक नवाचार और प्रौद्योगिकी सोसायटी' (KITS) के माध्यम से 'सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (SIA-India) के सहयोग से की गई है।
- इसका उद्देश्य व्यावहारिक अनुसंधान, उद्योग सहयोग और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करके अंतरिक्ष नवाचार को बड़े पैमाने पर बाजार-उपयुक्त समाधानों में परिवर्तित करना है।
- यह पहल निम्नलिखित बिंदुओं पर बल देती है:
  - ✓ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान और नवाचार।
  - ✓ उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण और प्रतिभा विकास।
  - ✓ स्टार्टअप इंक्यूबेशन और इकोसिस्टम का निर्माण।
  - ✓ कृषि, जलवायु, आपदा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, जीवन विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतर-क्षेत्रीय अनुप्रयोग।
- यह केंद्र अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमता और वाणिज्यिक परिनियोजन के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास करता है, जिससे भारतीय कंपनियां वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपना विस्तार करने में सक्षम हो सकें।
- यह सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग हितधारकों को एकीकृत करने वाले एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा।
- सरकार ने विकसित होती तकनीकी आवश्यकताओं और साझा क्षमताओं का समर्थन करने के लिए एक 'साझा अवसंरचना सुविधा' (CIF) की आवश्यकता पर बल दिया है।
- यह पहल "सामाजिक प्रभाव के लिए अंतरिक्ष तकनीक" विषय के अनुरूप है, जिसमें अंतिम-उपयोगकर्ता और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए उपग्रह विकास की योजनाएं शामिल हैं।
- इससे उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उत्पन्न होने, नवाचार को बढ़ावा मिलने और कर्नाटक को भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की अपेक्षा है।

6.8. थोरियम-आधारित संयंत्रों के लिए ANEEL ईंधन (ANEEL Fuel for Thorium-based Reactors)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।*

संदर्भ

अमेरिका स्थित परमाणु ईंधन कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE) ने इडाहो नेशनल लेबोरेटरी के 'एडवांस्ड टेस्ट रिएक्टर' में अपने पेटेंटेड थोरियम-आधारित ANEEL ईंधन का उच्च-बर्नअप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस ईंधन ने 60 GWd/MTU से अधिक का बर्नअप स्तर प्राप्त किया है, जो उन्नत परमाणु ईंधन विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
  - ✓ बर्नअप का तात्पर्य परमाणु ईंधन से निकाली गई ऊर्जा की मात्रा से है; उच्च बर्नअप बेहतर ईंधन उपयोग और कम 'स्पेंट फ्यूल' (व्ययित ईंधन) उत्पादन का संकेत देता है।
- रिपोर्ट किया गया बर्नअप स्तर पारंपरिक PHWR (प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर) और CANDU रिएक्टर ईंधनों के सामान्य डिस्चार्ज बर्नअप से आठ गुना अधिक है।
- यह विकास विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए प्रासंगिक है, जिनके पास विशाल थोरियम भंडार हैं और जो थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा मार्गों की खोज कर रहे हैं।

ANEEL थोरियम ईंधन के बारे में

- ANEEL (एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ) एक पेटेंटेड थोरियम-आधारित परमाणु ईंधन है, जिसे 'क्लीन कोर थोरियम एनर्जी' (CCTE) द्वारा प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) और CANDU प्रकार के रिएक्टरों में उपयोग के लिए विकसित किया गया है।
- इस ईंधन का नाम भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों में से एक, अनिल काकोडकर के सम्मान में रखा गया है। यह भारत के थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान को मान्यता देता है।
- ANEEL ईंधन थोरियम को हाई-असे लो-एनरिच्ड यूरेनियम (HALEU) के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य ईंधन दक्षता, रिएक्टर प्रदर्शन और दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार करना है।

महत्व

- **थोरियम-आधारित परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति:** सफल परीक्षण थोरियम-आधारित ईंधन चक्रों की संभावनाओं को सुदृढ़ करता है, जिन्हें पारंपरिक यूरेनियम ईंधन प्रणालियों की तुलना में अधिक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प माना जाता है।
- **ईंधन दक्षता में सुधार और अपशिष्ट में कमी:** उच्च बर्नअप स्तर ईंधन की दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं, स्पेंट परमाणु ईंधन की मात्रा को कम कर सकते हैं और समग्र रिएक्टर अर्थशास्त्र को बेहतर बना सकते हैं।
- **भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रासंगिकता:** भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है और वह लंबे समय से त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए थोरियम-आधारित रिएक्टरों का उपयोग करना है।

6.9. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास; सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।*

संदर्भ

भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1998 के सफल पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों की स्मृति मे मनाया जाता है और विज्ञान, नवाचार व स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में भारत की प्रगति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

- भारत में हर साल **11 मई** को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए समर्पित है।
- यह दिन **11 मई 1998** को राजस्थान में किए गए सफल **पोखरण-II** परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु-सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और देश की स्वदेशी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया।
- पूर्व प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी** के नेतृत्व में, भारत सरकार ने 1999 में आधिकारिक तौर पर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने भारत की तकनीकी प्रगति में योगदान दिया।
- यह दिन **डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम** के योगदान को भी रेखांकित करता है, जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाई और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता के प्रतीक बने।
- इस वर्ष की थीम **"समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार"** **(Responsible Innovation for Inclusive Growth)** है। यह स्वदेशी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप-टेक नवाचार और समावेशी तकनीकी विकास पर केंद्रित है।

भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ
1998 से अब तक

परमाणु और रक्षा प्रगति

- भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला के विकास, परमाणु अवसंरचना के विस्तार, तथा भूमि, वायु और समुद्र-आधारित प्रतिरोधक प्रणालियों के साथ परमाणु त्रयी (न्यूक्लियर ट्रायड) की दिशा में प्रगति के माध्यम से अपनी रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत किया है।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों ने भी मिसाइल प्रणालियों, रड़ार प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, हाइपरसोनिक अनुसंधान, मानवरहित प्रणालियों और तेजस लड़ाकू विमान कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम की वृद्धि

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत भारत ने चंद्रयान मिशनों, मंगल ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान), और PSLV तथा GSLV प्रक्षेपण वाहनों जैसे प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए हैं।
- भारत ने संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह नेटवर्क का भी विस्तार किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन

- भारत सॉफ्टवेयर निर्यात, स्टार्ट-अप, फिनटेक और डिजिटल अवसंरचना में तेज़ वृद्धि के साथ एक वैश्विक आईटी और सॉफ्टवेयर हब के रूप में उभरा है।
- आधार, UPI और डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसी पहल ने वित्तीय समावेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक आधुनिकीकरण को सुदृढ़ किया है।

विज्ञान और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति

- भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अर्धचालक निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, सुपरकंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और वैक्सीन उत्पादन में अनुसंधान और नवाचार का विस्तार किया है।
- "मेक इन इंडिया" जैसी सरकारी पहलों और गहन-प्रौद्योगिकी नवाचार के समर्थन ने भारत की प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत किया है।

रणनीतिक महत्व

- 1998 के बाद से वैज्ञातिक और प्रौद्योगिकीय प्रगूति ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रौद्योगिकीय स्थिति को मजबूत किया है।
- प्रौद्योगिकी तेजी से भारत की उभरती वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा का केंद्र बन गई है, साथ ही विकास, नवाचार और रणनीतिक क्षमताओं के संतुलन को बनाए रखते हुए।

पोखरण-II परमाणु परीक्षण के बारे में

- पोखरण-II परमाणु परीक्षण, जिसका कोड-नाम **'ऑपरेशन शक्ति'** था, भारत द्वारा 11 और 13 मई, 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में आयोजित किया गया था।
- भारत ने कुल **पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण** किए, जिनमें एक थर्मोन्यूक्लियर (संलयन) डिवाइस और चार विखंडन डिवाइस शामिल थे।
- **डिवाइसों के नाम:** इन पाँचों डिवाइसों को निम्नलिखित नाम दिए गए थे:
  - ✓ शक्ति-I
  - ✓ शक्ति-II
  - ✓ शक्ति-III
  - ✓ शक्ति-IV
  - ✓ शक्ति-V
- पहले तीन परीक्षण **11 मई** को आयोजित किए गए थे, जबकि शेष दो परीक्षण **13 मई** को संपन्न हुए।
- पोखरण-II भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद आयोजित किया गया था, जो 1974 में **'स्माइलिंग बुद्धा'** कोड-नाम के तहत किया गया था।
- ये परीक्षण अत्यधिक गोपनीयता के साथ किए गए थे। अंतरराष्ट्रीय तकनीकी प्रतिबंधों के बावजूद, इसने भारत की स्वदेशी वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं का लोहा मनवाया।
- 11 मई, 1998 को परमाणु परीक्षणों के साथ-साथ **त्रिशूल मिसाइल** का सफल परीक्षण और स्वदेशी विमान **हंसा-3** (Hansa-3) की पहली उड़ान भी संपन्न हुई थी।

पोखरण-II का महत्व

- **रणनीतिक महत्व:** पोखरण-II ने आधिकारिक तौर पर भारत को एक **परमाणु हथियार संपन्न देश** के रूप में स्थापित किया और इसकी रणनीतिक निवारण क्षमता को मजबूत किया।
  - ✓ इन परीक्षणों ने दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव किया और भारत के **'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण'** के सिद्धांत की नींव रखी।
- **वैज्ञानिक और तकनीकी महत्व:** इस ऑपरेशन ने परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की उन्नत **स्वदेशी क्षमताओं** का प्रदर्शन किया।
  - ✓ इससे घरेलू अनुसंधान, वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा।
- **राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव:** परीक्षणों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए।
  - ✓ अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद, भारत धीरे-धीरे एक **जिम्मेदार परमाणु शक्ति** के रूप में उभरा और अपने वैश्विक रणनीतिक जुड़ाव का विस्तार किया।
- **आत्मनिर्भरता का प्रतीक:** पोखरण-II भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता, तकनीकी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया।
  - ✓ इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में स्वदेशी नवाचार और रणनीतिक प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया।

6.10. भारत की पहली SME-आधारित ATMP/OSAT सुविधा (India's First SME-Led ATMP/OSAT Facility)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव;देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

राजस्थान ने भिवाड़ी में एक नए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) के साथ-साथ भारत की पहली SME-आधारित सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, चिह्नांकन और पैकेजिंग (ATMP/OSAT) सुविधा के व्यावसायिक संचालन के साथ देश के रणनीतिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) के बारे में

- ELCINA द्वारा राजस्थान में सालारपुर औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी में विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) को ₹46.09 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 50.3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है।
- भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) योजना के अंतर्गत ₹20.24 करोड़ की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है।
- इस क्लस्टर में परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र और एक समर्पित कौशल विकास केंद्र है।
- इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) ने 20 कंपनियों द्वारा ₹1,200 करोड़ से अधिक के नियोजित निवेश को आकर्षित किया है।
- वर्तमान में ग्यारह कंपनियाँ ₹900 करोड़ से अधिक के संचयी निवेश और 2,700 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के साथ संचालित हो रही हैं।

सेमीकंडक्टर ATMP/OSAT सुविधा के बारे में

- सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर ATMP/OSAT सुविधा, सेमीकंडक्टर चिप्स का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के प्रोत्साहन संवर्धन

योजना (SPECS) के तहत विकसित, इस सुविधा को ₹150 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ स्थापित किया गया है।

- इस 57,000 वर्ग फुट की सुविधा में श्रेणी 10K और 100K क्लीनरूम हैं।
- यह सुविधा मुख्य रूप से मेमोरी चिप्स, एलईडी ड्राइवर आईसी, ई-सिम और आरएफआईडी (RFID) उत्पादों की पैकेजिंग करेगी।
- इस इकाई की वर्तमान वार्षिक पैकेजिंग क्षमता 60 मिलियन सेमीकंडक्टर इकाइयाँ है और आगामी 2-3 वर्षों में इसे सालाना 400-600 मिलियन (40 से 60 करोड़) इकाइयों तक बढ़ाने की योजना है।
- इसके उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल सहित वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जा रहा है।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से संबंधित सरकारी योजनाएँ

- इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण संवर्धन योजना (SPECS) को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण की अक्षमताओं को दूर करना है।
  - ✓ यह योजना चिह्नांकित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सूची के पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें अधोगामी मूल्य श्रृंखला शामिल है।
  - ✓ फरवरी 2026 तक, SPECS योजना के परिणामस्वरूप ₹18,609 करोड़ का संचयी निवेश हुआ है और 64,443 रोजगारों का सृजन हुआ है।
- **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम:** सरकार ने डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल विनिर्माण तक एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
  - ✓ सरकार ने लगभग ₹1.6 लाख करोड़ के निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और माइक्रोन (Micron) तथा कायन्स (Kaynes) के संयंत्रों से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।
  - ✓ इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कंपनियों ने ताइवान, जापान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), यूनाइटेड किंगडम (UK) और मलेशिया की वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी की है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC और EMC 2.0) योजनाएँ:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स (रसद) और 'प्लग-एंड-प्ले' सुविधाएँ प्रदान करने के लिए EMC (2012) और EMC 2.0 (2020) योजनाओं की शुरुआत की थी।
  - ✓ इन योजनाओं के अंतर्गत, 18 राज्यों में 30 ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) और 5 सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs) स्थापित किए गए हैं।
  - ✓ इन क्लस्टरों ने ₹30,000 करोड़ से अधिक का निवेश जुटाया है और लगभग 90,000 नौकरियों का सृजन किया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS):** सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और देश में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ECMS की शुरुआत की थी।
  - ✓ इस योजना का उद्देश्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs), पैसिव कंपोनेंट्स (निष्क्रिय घटकों), इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, सब-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल और ऑप्टिकल ट्रांसीवर में निवेश आकर्षित करना है।
  - ✓ अब तक, ECMS के तहत स्वीकृत 75 आवेदनों से ₹61,671 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और 65,040 नौकरियों का सृजन होने की अपेक्षा है।

महत्व

- **सेमीकंडक्टर उद्योग में राजस्थान का प्रवेश:** राजस्थान ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है।
- **भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा:** यह घटनाक्रम 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टरों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) आधारित सेमीकंडक्टर विनिर्माण:** भारत ने अपनी पहली लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) आधारित चिप विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन के साथ अपनी सेमीकंडक्टर आकांक्षाओं में एक उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है।
- **निर्यात-उन्मुख सेमीकंडक्टर उत्पादन:** इस सुविधा के 60 प्रतिशत से अधिक उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जा रहा है, जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित करता है।
- **विनिर्माण केंद्र के रूप में भिवाड़ी का विकास:** राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 का उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निकटवर्ती क्षेत्र को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
  - ✓ पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जाने जाने वाला भिवाड़ी, अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है।

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

7.1. 'नेवल एंटी-शिप मिसाइल–शॉर्ट रेंज (Naval Anti-Ship Missile–Short Range)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट के पास एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से 'नेवल एंटी-शिप मिसाइल–शॉर्ट रेंज' (NASM–SR) का पहला 'साल्वो' प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया।

'नेवल एंटी-शिप मिसाइल–शॉर्ट रेंज' (NASM–SR) के बारे में

- NASM-SR स्वदेशी रूप से विकसित, वायु-प्रक्षेपित छोटी दूरी की पोत-रोधी मिसाइल है, जिसे नौसैनिक हेलीकॉप्टरों से तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह निकट-दूरी की समुद्री मारक क्षमता संवर्धित करती है।
- अपने पहले साल्वो परीक्षण में, एक ही हेलीकॉप्टर से दो मिसाइलें एक के बाद एक करके प्रक्षेपित की गईं। इसने सटीक 'वॉटरलाइन' हिट सटीकता के साथ-साथ उन्नत 'साल्वो' क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
- इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 55 किमी है और यह उच्च उप-सबसोनिक गति पर संचालित होती है। यह दुश्मन के रडार प्रणालियों से बचने के लिए अत्यंत कम ऊंचाई (sea-skimming) पर उड़ान भरने में सक्षम है।
- यह लगभग 100 किलोग्राम के वारहेड (आयुध) से लैस है और एक 'दागो और भूल जाओ' (Fire-and-forget) प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें लचीले लक्ष्य निर्धारण हेतु 'प्रक्षेपण के उपरांत लॉक-ऑन' की क्षमता विद्यमान है।
- तकनीकी रूप से, इसमें एक ठोस प्रणोदक बूस्टर और एक लॉन्ग-बर्न सस्टेनर शामिल है, जो इसे विस्तारित संचालित उड़ान में सक्षम बनाता है।
- इसके मार्गदर्शन समूह में फाइबर-ऑप्टिक जायरोस्कोप-आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली, रेडियो अल्टीमीटर, उन्नत नियंत्रण एल्गोरिदम और एक उच्च-बैंडविड्थ दो-तरफा डेटा लिंक के साथ-साथ एक स्वदेशी 'जेट-वेन' नियंत्रण प्रणाली शामिल है।
- इस मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) द्वारा कई DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है और भारतीय उद्योगों तथा स्टार्टअप्स के सहयोग से इसका उत्पादन किया जा रहा है।
- **भावी संस्करण:** एक मध्यम दूरी का संस्करण (NASM-MR) वर्तमान में विकास के चरण में है और इसे मिग-29K (MiG-29K) जैसे नौसैनिक विमानों पर प्रदर्शित किया गया है।

7.2. विक्रम VT 21 (Vikram VT 21)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय सेना की 'फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल' (FICV) आवश्यकता के लिए एक संभावित समाधान के रूप में 'विक्रम VT 21 एडवांस्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म' का अनावरण किया है।

विक्रम VT 21 के बारे में

- **विक्रम VT 21:** यह अगली पीढ़ी का एक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म (AAP) है, जिसे आधुनिक युद्धक्षेत्र की स्थितियों के लिए उच्च गतिशीलता, संवर्धित उत्तरजीविता और श्रेष्ठ मारक क्षमता के संयोजन के साथ डिज़ाइन किया गया है।

- **सह-विकास:** इसे DRDO के वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (VRDE) द्वारा 'टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड' और 'भारत फोर्ज लिमिटेड' के सहयोग से तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के समर्थन से विकसित किया गया है।
- **प्लेटफॉर्म विन्यास:** यह प्लेटफॉर्म दो विन्यासों में प्रस्तुत किया गया है:
  - ✓ **पहिये वाला (Wheeled) संस्करण:** यह अधिक तीव्र, रखरखाव में सरल और सड़कों, शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिचालन के लिए उपयुक्त है।
  - ✓ **ट्रैक्ड (Tracked) संस्करण:** यह ऊबड़-खाबड़ मार्गों, ऑफ-रोड और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्कृष्ट कर्षण, स्थिरता और प्रदर्शन प्रदान करता है।

- यह प्लेटफॉर्म स्वचालित ट्रांसमिशन युक्त उच्च क्षमता वाले इंजन द्वारा संचालित है, जो उत्कृष्ट 'शक्ति-से-वजन अनुपात', उच्च गति और बाधाओं (खाइयों, ढलानों) को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी मारक क्षमता सड़क पर लगभग 400 किमी और ऊबड़-खाबड़ मार्गों पर लगभग 300 किमी है।
- यह वाहन उभयचर है, जो नदीय परिचालन के लिए हाइड्रो-जेट प्रणोदन का उपयोग करता है।
- यह वाहन एक स्वदेशी 30 मिमी क्रू रहित बुर्ज, 7.62 मिमी PKT मशीन गन से लैस है और तीसरी पीढ़ी की एटीजीएम (नाग मिसाइल) प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
- यह STANAG लेवल 4/5 सुरक्षा, मॉड्यूलर कवच, विस्फोट-संरक्षित सीटिंग और CBRN (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु) सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें भविष्य की सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों के लिए भी प्रावधान है। चालक दल स्थिर दृष्टि और अग्नि-नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके 'हल' (Hull) के भीतर से संचालन करता है।
- यह प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर है और वर्तमान में लगभग 65% स्वदेशी है (जिसे बढ़ाकर 90% करने का लक्ष्य है)।

महत्व

- **पुराने होते BMP-2 बेड़े का प्रतिस्थापन:** भारतीय सेना का BMP-2 'सारथ' बेड़ा, जिसे 1980 के दशक में शामिल किया गया था, आधुनिक युद्ध प्रणाली में उत्तरजीविता और युद्धक्षेत्र की जागरूकता के संदर्भ में सीमाओं का सामना कर रहा है।
- **स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन:** यह DRDO, निजी उद्योगों और MSMEs के बीच बढ़ते स्वदेशीकरण और सहयोग के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बल प्रदान करता है।
- **अवरुद्ध FICV कार्यक्रम का पुनरुद्धार:** 'फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल' (FICV) परियोजना, जिसे पहले अनुमोदित किया गया था किंतु जिसमें विलंब हुआ, उसे 'विक्रम VT 21' के रूप में एक विश्वसनीय और तैयार प्रोटोटाइप समाधान मिलने से नई गति प्राप्त हुई है।
- **विविध भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन लचीलापन:** दोहरा विन्यास (पहिये वाला + ट्रैक्ड) और उभयचर क्षमता इसे मैदानी इलाकों, रेगिस्तानों, नदीय क्षेत्रों और चीन तथा पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है।

7.3. सिनबैक्स-II 2026 (CINBAX-II 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

भारतीय सेना ने 4 से 17 मई 2026 तक निर्धारित भारत-कंबोडिया द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास CINBAX-II के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया में अपनी एक सैन्य टुकड़ी तैनात की है।

CINBAX-II के बारे में

- CINBAX-II 2026 भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण है, जिसका आयोजन कंबोडिया के कम्पोंग स्पेउ प्रांत में स्थित टेचो सेन फ्नोम थोम म्रियास प्रांतीय रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स ट्रेनिंग सेंटर (कैंप बेसिल) में किया जा रहा है।
- यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय VII के ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है और एक 'सब-कन्वेंशनल' (उप-पारंपरिक) वातावरण में कंपनी-स्तरीय संयुक्त अभियानों पर केंद्रित है।
- भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 कर्मी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मराठा

लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं, जबकि कंबोडिया की ओर से रॉयल कंबोडियन सेना के 160 कर्मियों को तैनात किया गया है।

- यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों की बदलती गतिशीलता के अनुरूप है, विशेष रूप से उन चुनौतियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों के दौरान सामने आती हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामरिक अभ्यास, संरचित चर्चाएँ और एक अंतिम सत्यापन अभ्यास शामिल है।
- परिचालन तत्परता बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रोन संचालन, मोर्टार हैंडलिंग और स्नाइपर रणनीति जैसे विशिष्ट मॉड्यूल भी इस अभ्यास का हिस्सा हैं।
- CINBAX-II का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर-संचालनीयता, समन्वय और परिचालन तालमेल में सुधार करना है।
- यह सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान और परिचालन अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है, विशेष रूप से अर्ध-शहरी युद्ध परिवेश के संदर्भ में।

7.4. INS महेंद्रगिरी (INS Mahendragiri)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

भारतीय नौसेना ने हाल ही में मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड से स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि प्राप्त किया है।

INS महेंद्रगिरि के बारे में

- INS महेंद्रगिरि प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी-श्रेणी का छठा स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट है। इसे भारतीय नौसेना के 'वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो' द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा निर्मित किया गया है।
- यह एक बहु-भूमिका वाला युद्धपोत है जो उन्नत हथियारों और सेंसरों की सहायता से सतह-विरोधी, वायु-विरोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध लड़ने में सक्षम है।
- जहाज का विस्थापन लगभग 6,670 टन है, जो इसे अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत फ्रिगेट्स में शामिल करता है। इसमें उच्च स्तर का स्वचालन और बेहतर उत्तरजीविता शामिल है।
- इसमें रडार क्रॉस-सेक्शन को कम करने के लिए उन्नत स्टील्थ फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिससे इसे रडार पर पकड़ना कठिन होता है।
- यह CODOG (Combined Diesel or Gas) अभिविन्यास का अनुसरण करता है, जिसमें नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर लगे हैं, जो इष्टतम गति और ईंधन दक्षता सुनिश्चित करते हैं।
- लगभग 75% स्वदेशी सामग्री के साथ, यह प्लेटफॉर्म भारत की घरेलू रक्षा क्षमता को दर्शाता है। इसके निर्माण में 200 से अधिक MSMEs शामिल रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है।

प्रोजेक्ट 17A के बारे में

- प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक-श्रेणी) का एक उन्नत अनुवर्ती कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य बेहतर स्टील्थ, स्वचालन और युद्ध क्षमताओं वाले सात गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण करना है।
- इस कार्यक्रम में दो प्रमुख शिपयार्ड शामिल हैं: मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL): 4 जहाज। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE): 3 जहाज।
- सात फ्रिगेट्स के नाम: नीलगिरी, हिमगिरि, उदयगिरि, दूनागिरि, तारागिरि, महेंद्रगिरि और विंध्यगिरि।
- इस प्रोजेक्ट में मॉड्यूलर (एकीकृत) निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे निर्माण दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और निर्माण समय में कमी आई है।
- P17A फ्रिगेट पिछली शिवालिक-श्रेणी की तुलना में स्वदेशी नौसैनिक डिजाइन, अगली पीढ़ी की युद्ध प्रणालियों और उन्नत उत्तरजीविता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाते हैं।

7.5. स्वदेशी TARA ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण (Maiden Flight-Trial of Indigenous TARA Glide Weapon System)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना ने ओडिशा के तट पर टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (TARA) हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किया।

टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (TARA) हथियार प्रणाली के बारे में

- TARA भारत की पहली स्वदेशी 'ग्लाइड हथियार प्रणाली' (Glide Weapon System) है। इसे पारंपरिक गैर-निर्देशित वारहेड्स को

जमीन पर स्थित लक्ष्यों को भेदने वाले सटीक-निर्देशित हथियारों में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) और DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया है।
- यह प्रणाली कम लागत वाले हवाई हथियारों की रेंज, सटीकता और मारक क्षमता में वृद्धि करती है।
- यह प्रणाली विमानों को स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है, जिससे विमान दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणाली के दायरे से बाहर रहकर हथियार छोड़ सकते हैं।
- इस हथियार प्रणाली को 'डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर्स' (DcPPs) और भारतीय रक्षा उद्योगों के सहयोग से विकसित किया गया है।

7.6. भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (India's new Chief of Defence Staff)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का सचिव नियुक्त किया है। वह 30 मई, 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका स्थान लेंगे।

अन्य संबंधित जानकारी

- लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि वर्तमान में सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अधीन **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय** (NSCS) में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
- उन्होंने इससे पहले थल सेना के उप प्रमुख और मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया है।
- दिसंबर 1985 में **गढ़वाल राइफल्स** की 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त करने वाले सुब्रमणि के पास चार दशकों से अधिक का परिचालन, कमांड, निर्देशात्मक और स्टाफ अनुभव है। इसमें 'ऑपरेशन राइनो' के तहत असम में उग्रवाद विरोधी अभियान और पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन, **2 कोर** (2 Corps) की कमान संभालना शामिल है।
- उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) से सम्मानित किया गया है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के बारे में

- 1999 की **कारगिल समीक्षा समिति** और 2001 की मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट की लंबे समय से लंबित सिफारिशों के बाद दिसंबर 2019 में CDS का पद बनाया गया था।
- CDS 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' (COSC) के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में कार्य करते हैं और तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के **प्रधान सैन्य सलाहकार** होते हैं।
- CDS रक्षा मंत्रालय के भीतर 2019 में बनाए गए सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य नागरिक-सैन्य एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- CDS के कार्यालय का लक्ष्य एकीकृत योजना, संयुक्त रसद, **थिएटर कमांड**, आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा खरीद के माध्यम से थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय बढ़ाना है।
- जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर, 2019 को भारत के पहले CDS बने थे।

7.7. DRDO ने 1,200 सेकंड के स्क्रैमजेट परीक्षण में हासिल की बड़ी उपलब्धि (DRDO Achieves 1,200-Second Scramjet Test Milestone)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।*

संदर्भ

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हैदराबाद स्थित 'स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट' (SCPT) सुविधा में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल-स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का लंबी अवधि का सफल परीक्षण किया। यह भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ी प्रगति है।

परीक्षण की मुख्य विशेषताएं

- यह परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL), हैदराबाद में आयोजित किया गया था।
- परीक्षण के दौरान, स्क्रैमजेट कम्बस्टर ने **1,200 सेकंड** से अधिक का निरंतर रनटाइम हासिल किया, जो जनवरी 2026 में किए गए 700 सेकंड के पिछले परीक्षण से काफी अधिक है।
- इस सफल ग्राउंड टेस्ट ने उन्नत 'एक्टिवली कूल्ड' स्क्रैमजेट कम्बस्टर के डिजाइन की पुष्टि की और लंबी अवधि के हाइपरसोनिक परीक्षण के लिए SCPT सुविधा की क्षमता का प्रदर्शन किया।

स्क्रैमजेट तकनीक के बारे में

- स्क्रैमजेट इंजन **मैक 5 (6,100 किमी/घंटा से अधिक)** से ऊपर की गति से यात्रा करने में सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है।
- यह इंजन लंबी अवधि तक उच्च गति वाली उड़ान बनाए रखने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर 'सुपरसोनिक कम्बशन' (सुपरसोनिक दहन) का उपयोग करता है।
- कम्बस्टर में एक उन्नत फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक का उपयोग किया गया है जो **1.5 किमी प्रति सेकंड** से अधिक की वायु गति पर भी निरंतर दहन बनाए रखती है।

विकसित स्वदेशी तकनीकें

- परीक्षण में DRDL और उद्योग भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित **स्वदेशी तरल हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन** का सत्यापन किया गया। यह ईंधन हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान बेहतर कूलिंग और आसान इग्निशन (प्रज्वलन) प्रदान करता है।
- DRDL और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विकसित एक उन्नत **सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग** का भी परीक्षण किया गया, जो हाइपरसोनिक गति पर उत्पन्न होने वाले अत्यधिक तापमान को सहन करने में सक्षम है।

7.8. 10वाँ हिंद महासागर संवाद (10th Indian Ocean Dialogue)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

भारत ने 07-08 मई 2026 को नई दिल्ली में "परिवर्तनकारी विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र" विषय के तहत हिंद महासागर संवाद के 10वें संस्करण (IOD-10) की मेजबानी की।

10वें IOD की मुख्य विशेषताएं

- इस संवाद का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा **भारतीय विश्व मामले परिषद** (ICWA) और **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन** (IORA) सचिवालय के सहयोग से किया गया था।
- 10वां संस्करण विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत वर्तमान में **2025-27** की अवधि के लिए IORA की अध्यक्षता कर रहा है।
- भारत ने अपने विजन **'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति)**, **'सागर'** (SAGAR) सिद्धांत और **'नेबरहुड फर्स्ट'** (पड़ोस पहले) नीति से निर्देशित एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

हिंद महासागर संवाद (IOD) के बारे में

- हिंद महासागर संवाद, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की एक प्रमुख **ट्रैक 1.5** पहल है, जिसकी स्थापना 2013 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 13वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद की गई थी।
  - ✓ **ट्रैक 1.5 कूटनीति** एक मिश्रित संवाद मॉडल है जिसमें आधिकारिक सरकारी (ट्रैक 1) और गैर-आधिकारिक, विशेषज्ञ-स्तरीय (ट्रैक 2) सहभागिता शामिल होती है।
- यह एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है जो IORA सदस्य देशों और संवाद भागीदारों के नीति निर्माताओं, राजनयिकों, विद्वानों, थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञों को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से संबंधित प्रमुख रणनीतिक और विकासात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है।
- यह संवाद समुद्री सुरक्षा, **ब्लू इकोनॉमी** (नीली अर्थव्यवस्था), व्यापार और कनेक्टिविटी, आपदा लचीलापन, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के बारे में

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एक अंतर-सरकारी क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इसका मुख्यालय **एबेने, मॉरीशस** में है। वर्तमान में IORA में 23 सदस्य देश और 12 संवाद भागीदार शामिल हैं, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

7.9. 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (5th-Generation Advanced Medium Combat Aircraft)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुट्टपार्थी, आंध्र प्रदेश में एक विशाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास, जो भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह परियोजना "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" पहलों के तहत रक्षा स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भरता और उन्नत एयरोस्पेस विनिर्माण की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की गई है।
- ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलुरु के स्थापित एयरोस्पेस इकोसिस्टम के निकट होने के कारण यह परियोजना पुट्टपार्थी को एक प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण केंद्र में बदल सकती है।
- AMCA परियोजना के साथ-साथ, आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में एक नौसेना प्रणाली विनिर्माण सुविधा का भी शिलान्यास किया गया है, जो भारत के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम में इस राज्य की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

- AMCA रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजना का अनुमानित कुल परिव्यय लगभग ₹15,000 करोड़ है और इसे आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले में विकसित किया जा रहा है।
- इस परियोजना का एक प्रमुख घटक वैमानिकी विकास एजेंसी का 'कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर' है, जिसे लगभग ₹2,000 करोड़ की अनुमानित लागत से पुट्टपार्थी में स्थापित किया जा रहा है।
- इस परियोजना से एयरोस्पेस विनिर्माण, एविओनिक्स, परीक्षण, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों में महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के साथ-साथ लगभग 7,500 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है।
- यह सुविधा उन्नत एविओनिक्स, स्टील्थ तकनीक, आंतरिक हथियार कक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान के एकीकरण, परीक्षण और भविष्य के विकास में सहायता प्रदान करेगी।

एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के बारे में

- AMCA भारतीय वायु सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) द्वारा विकसित किया जा रहा भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान कार्यक्रम है।
  - ✓ यह कार्यक्रम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस कार्यक्रम से प्राप्त तकनीकी अनुभव पर आधारित है।
- पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आम तौर पर उन्नत स्टील्थ, सुपरक्रूज क्षमता, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणालियों, एकीकृत एविओनिक्स और बहु-भूमिका वाले लड़ाकू कौशल को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करते हैं।
- AMCA को एक 25-टन वाले द्विन-इंजन स्टील्थ विमान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें रडार की पकड़ में न आने की उन्नत क्षमता, आंतरिक हथियार कक्ष, उन्नत एविओनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ और लगभग 6.5 टन की गुप्त आंतरिक ईंधन क्षमता जैसी उन्नत विशेषताएं शामिल हैं।
- AMCA Mk1 संस्करण को अमेरिकी मूल के GE F414 इंजन (लगभग 98 kN थ्रस्ट वर्ग) द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है, जबकि अधिक उन्नत AMCA Mk2 संस्करण के लिए 110–120 kN वर्ग के इंजन का उपयोग करने की योजना है, जिसे भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) और फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी सैफ्रान के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया जा रहा है।
- **हाल के घटनाक्रम:**
  - ✓ भारत और अमेरिका ने भारत में GE F414 लड़ाकू जेट इंजनों के सह-उत्पादन के लिए समझौतों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है, जो कथित तौर पर विनिर्माण इकोसिस्टम के लगभग 80% हिस्से को कवर करता है।

AMCA का महत्व

- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा:** यह कार्यक्रम आयातित लड़ाकू विमानों पर निर्भरता कम करने और उन्नत एयरोस्पेस डिजाइन, एविओनिक्स, स्टील्थ प्रणालियों तथा रक्षा विनिर्माण में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **स्वदेशी एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:** AMCA कार्यक्रम से भारत में घरेलू अनुसंधान एवं विकास (R&D), उन्नत सामग्री विनिर्माण, एविओनिक्स विकास, परीक्षण बुनियादी ढांचे और उच्च स्तरीय एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- **भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करना:** AMCA के शामिल होने से भारतीय वायु सेना को अपनी स्वीकृत 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या के करीब पहुँचने और दीर्घकालिक परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग को सुदृढ़ करना:** यह परियोजना सार्वजनिक और निजी उद्योगों को शामिल करने वाले सहयोगात्मक निष्पादन मॉडल के माध्यम से भारत के रक्षा एयरोस्पेस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित करती है।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

8.1. वंदे मातरम को दंडनीय अपराध बनाने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी (Cabinet Nod to Make Insult to Vande Mataram a Punishable Offence)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।*

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' में संशोधन के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी, ताकि 'वंदे मातरम' का अपमान करने या इसके गायन में बाधा उत्पन्न करने को एक दंडनीय अपराध बनाया जा सके।

अन्य संबंधित जानकारी

- मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' की धारा 3 में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की है, जो वर्तमान में राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें बाधा डालने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- प्रस्तावित संशोधन भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान ही कानूनी आधार प्रदान करने का प्रयास करता है।
- संसद द्वारा अधिनियमित होने के पश्चात, वंदे मातरम के गायन के दौरान जानबूझकर बाधा डालना, अशांति उत्पन्न करना या राष्ट्रगीत का अनादर करने के लिए तीन वर्ष तक का कारावास, अर्थदंड या दोनों का प्रावधान किया जा सकता है।
- यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और अन्य सरकारी निकायों को जारी हालिया निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें आधिकारिक और औपचारिक अवसरों पर वंदे मातरम के सभी छह छंदों के गायन को प्रोत्साहित किया गया है। ऐसा विशेष रूप से इस गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है।
  - ✓ एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जब किसी आयोजन में दोनों बजाए जाएं, तो राष्ट्रगान से पूर्व वंदे मातरम का गायन किया जाना चाहिए।

वंदे मातरम के बारे में

- वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी और बाद में इसे उनके उपन्यास 'आनंदमठ' (1882) में सम्मिलित किया गया था।
- यह गीत मुख्य रूप से अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ बंगाली भाषा में लिखा गया है और इसमें मातृभूमि का आह्वान एक दैवीय मातृ शक्ति के रूप में किया गया है।
- इस गीत को पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ इसके शुरुआती जुड़ाव को दर्शाता है।
- बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन (1905) के दौरान, वंदे मातरम उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के एक शक्तिशाली नारे के रूप में उभरा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गया।
- 1937 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले दो छंदों का उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि बाद के छंदों में हिंदू देवी-देवताओं के स्पष्ट भक्ति संदर्भ हैं, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के समावेशी-जन-चरण के दौरान कुछ समुदायों ने आपत्तिजनक और अपवर्जक पाया था।
- 1950 में, संविधान सभा ने वंदे मातरम को 'राष्ट्रीय गीत' का दर्जा प्रदान किया, जबकि 'जन गण मन' को 'राष्ट्रगान' के रूप में अपनाया गया।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

- इस अधिनियम को भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिनमें शामिल हैं:
  - ✓ राष्ट्रीय ध्वज ✓ भारत का संविधान ✓ राष्ट्रगान
- अधिनियम की धारा 3 वर्तमान में राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में संलग्न सभा में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए दंड निर्धारित करती है।
- अधिनियम के तहत दंड की अवधि तीन वर्ष तक का कारावास, या अर्थदंड, या दोनों हो सकती है।
- प्रस्तावित संशोधन वंदे मातरम को भी इसी तरह का वैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।

8.2. रबींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती (165th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय।*

संदर्भ

'पोचिशे बोइशाख' के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने रबींद्रनाथ टैगोर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी 165वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्मृति समारोहों का आयोजन किया गया।

रबींद्रनाथ टैगोर के बारे में

- रबींद्रनाथ टैगोर का जन्म **7 मई, 1861** को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था।
- वे एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, संगीतकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और चित्रकार थे। उन्होंने आधुनिक गद्य, नए छंद रूपों और बोलचाल की भाषा के प्रयोग के माध्यम से बंगाली साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन किए।
- उनकी प्रमुख रचनाओं में मानसी, सोनार तरी, गोरा, चोखेर बाली, शेषेर कोबिता और घरे-बाइरे शामिल हैं।
- पूर्वी बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) के उनके अनुभवों, विशेष रूप से पद्मा नदी के तट पर बिताए समय ने ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाओं पर उनके लेखन को गहराई से प्रभावित किया।
- उनके काव्य संग्रह **'गीतांजलि'** के लिए उन्हें **1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। वे साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और पहले गैर-यूरोपीय व्यक्ति थे।
- 1901 में टैगोर ने शांतिनिकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में 1921 में **विश्व-भारती विश्वविद्यालय** बना।
- उन्हें 1915 में 'नाइटहुड' की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 के **जलियांवाला बाग हत्याकांड** के विरोध में उन्होंने इसे वापस कर दिया।

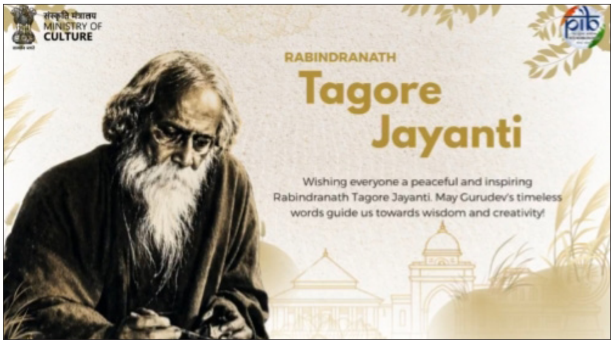

टैगोर की विरासत

- शांति, सार्वभौमिक मानवतावाद और सांस्कृतिक सद्भाव का उनका दर्शन दक्षिण एशिया की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखता है।
- उनके गीतों को सामूहिक रूप से 'रवींद्र संगीत' के रूप में जाना जाता है, जो बंगाली सांस्कृतिक पहचान का केंद्र हैं।
- वे दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं: भारत का **"जन गण मन"** और बांग्लादेश का **"आमार सोनार बांग्ला"**।
- साहित्य, शिक्षा, संगीत और कला में उनके योगदान आज भी दुनिया भर में सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को आकार दे रहे हैं।

8.3. महाराणा प्रताप की जयंती (Birth Anniversary of Maharana Pratap)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।*

संदर्भ

भारतीय प्रधानमंत्री ने महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मेवाड़ और मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए उनके अद्वितीय साहस, देशभक्ति और अटूट प्रतिबद्धता को याद किया।

महाराणा प्रताप के बारे में

- महाराणा प्रताप का जन्म **9 मई, 1540** को राजस्थान के **कुंभलगढ़ किले** में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंता बाई थीं, जो मेवाड़ के शासक सिसोदिया राजपूत वंश से संबंधित थे।
- उत्तराधिकार के विवादों के बावजूद, मेवाड़ के सामंतों ने उनकी बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ राजपूत चरित्र के कारण 1572 में उन्हें शासक के रूप में ताज पहनाया।
- सम्राट अकबर के अधीन तेजी से होते मुगल विस्तार के दौरान, महाराणा प्रताप ने मुगल सर्वोच्चता को स्वीकार करने या अधीनस्थ शासक बनने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।
- उनके प्रतिरोध के परिणामस्वरूप राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ प्रसिद्ध **हल्दीघाटी का युद्ध** (1576) हुआ। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने **भील आदिवासी समुदाय** के महत्वपूर्ण सहयोग से अरावली की पहाड़ियों से छापामार युद्ध और तीव्र घुड़सवार रणनीति का उपयोग करते हुए अपना संघर्ष जारी रखा।
- बाद में उन्होंने मेवाड़ के कई हिस्सों पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसमें 1582 **का दिवेर का युद्ध** (Battle of Dewair) एक बड़ी सफलता थी।

विरासत

- महाराणा प्रताप को भारत के महानतम योद्धा राजाओं में से एक और स्वतंत्रता, साहस तथा अटूट स्वाभिमान के शाश्वत प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
- उनका वफादार घोड़ा **चेतक**, जिसने हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान घातक रूप से घायल होने के बावजूद उनकी जान बचाई, भारतीय लोककथाओं में प्रसिद्ध हो गया।
- झाला मान का बलिदान और भीलों का समर्थन उनकी वीरता की कहानी का अभिन्न अंग बना हुआ है।
- ब्रिटिश इतिहासकार **कर्नल जेम्स टॉड** ने उनकी अदम्य भावना और विषम परिस्थितियों में प्रतिरोध के लिए उन्हें **"राजस्थान का लियोनिडास"** (Leonidas of Rajasthan) कहा था।
- उनका जीवन आज भी देशभक्ति, बलिदान, सत्यनिष्ठा और मातृभूमि के प्रति भक्ति के आदर्शों के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

8.4. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष (75 Years of Reconstuction of Somnath Temple)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।*

संदर्भ

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 11 मई 2026 को सोमनाथ मंदिर का दौरा किया। यह दौरा वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के पुन: उद्घाटन और प्राण-प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस अवसर को "सोमनाथ अमृत महोत्सव" और "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व" के माध्यम से मनाया जा रहा है, जो मंदिर के चिरस्थायी सभ्यतागत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है।
- यह आयोजन 1026 ईस्वी में महमूद गज़नवी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले आक्रमण के 1,000 वर्ष पूरे होने को भी दर्शाता है, जिससे यह मंदिर जिजीविषा, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक बन जाता है।

सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम के रूप में पूजनीय है और ऐतिहासिक रूप से भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ केंद्रों में से एक रहा है।
- अपने धार्मिक महत्व और रणनीतिक तटीय स्थिति के कारण, यह मंदिर पश्चिमी भारत में व्यापार, समुद्री गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा।
- इस मंदिर पर शताब्दियों तक कई बार आक्रमण हुए और इसे ध्वस्त कर दिया गया। 1026 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने इस पर पहला आक्रमण किया, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत और उत्तर मध्यकाल के दौरान भी इस पर हमले हुए।
- बार-बार ध्वस्त किए जाने के बावजूद, विभिन्न शासकों और भक्तों द्वारा सोमनाथ का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, जो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं की निरंतरता और सांस्कृतिक जिजीविषा को दर्शाता है।
  - ✓ ऐसा माना जाता है कि सोलंकी शासक भीम प्रथम ने गज़नवी के आक्रमण के पश्चात मंदिर के प्रारंभिक जीर्णोद्धार का कार्य करवाया था।
  - ✓ बारहवीं शताब्दी के दौरान चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।
  - ✓ अठारहवीं शताब्दी में, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर ने मूल स्थल के समीप एक नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया और सोमनाथ में तीर्थाटन गतिविधियों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतंत्र भारत में मंदिर का पुनर्निर्माण

- स्वतंत्रता के पश्चात, सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की पहल की।
- उनके पुनर्निर्माण के प्रयासों को के.एम. मुंशी और सोमनाथ ट्रस्ट का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पुनर्निर्माण सरकारी वित्त पोषण के बजाय सार्वजनिक अंशदान के माध्यम से किया जाए।

- पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया, जिन्होंने सोमनाथ का वर्णन भारत की आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय पुनरुद्धार के प्रतीक के रूप में किया था।

स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व

- वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण मारु-गुर्जर (चालुक्य) स्थापत्य शैली में किया गया है, जो अपनी जटिल नक्काशी, ऊंचे शिखरों और अलंकृत मंदिर विन्यास के लिए जानी जाती है।
- मंदिर का "बाण स्तंभ" प्रतीकात्मक रूप से यह इंगित करता है कि दक्षिण दिशा में एक सीधी रेखा में सोमनाथ और अंटार्कटिका के बीच कोई भू-भाग स्थित नहीं है।
- सोमनाथ शैव उपासना, तीर्थाटन पर्यटन और भारत की मंदिर परंपराओं के संरक्षण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है।

विविध

9.1. विश्व बौद्धिक संपदा दिवस (World Intellectual Property Day)

संदर्भ

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के अवसर पर खेल से संबंधित सभी बौद्धिक संपदा (IP) पंजीकरणों पर तीन साल की शुल्क माफी की घोषणा की है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह शुल्क माफी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, पारंपरिक ज्ञान और भौगोलिक संकेत (GI) पर लागू होगी। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, हितधारकों को सहायता प्रदान करना और भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
- सरकार मौजूदा योजनाओं के तहत सुविधा सहायता भी प्रदान करेगी, जिससे नवाचारों, छात्रों और शिल्पकारों को अपने विचारों को बौद्धिक संपदा संपत्ति (IP assets) में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- मंत्रालय ने 'विकसित भारत डिजिटल मैट्रिक्स 2026 – डिजाइन हैकथॉन', GI-टैग प्राप्त कश्मीर विलो क्रिकेट बैट के प्रचार और जम्मू-कश्मीर एवं मेरठ जैसे क्षेत्रों में खेल विनिर्माण क्लस्टर के विकास जैसी पहलों पर प्रकाश डाला।

विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में

- प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
- वर्ष 2000 में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों ने 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में नामित किया था। यह तिथि 1970 में 'WIPO कन्वेंशन' के लागू होने का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा (IP) के बारे में जन जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है।
- इसका उद्देश्य नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकारों (पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन) की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- वर्ष 2026 का विषय "IP and Sports: Ready, Set, Innovate" है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि बौद्धिक संपदा किस प्रकार वैश्विक स्तर पर खेलों में तकनीकी प्रगति, ब्रांडिंग और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देती है।

9.2. IN–SLN DIVEX 2026

संदर्भ

भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में 21–28 अप्रैल, 2026 तक द्विपक्षीय डाइविंग (गोताखोरी) अभ्यास 'IN–SLN DIVEX 2026' के चौथे संस्करण का आयोजन किया।

IN–SLN DIVEX 2026 के बारे में

- IN–SLN DIVEX भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक डाइविंग (गोताखोरी) अभ्यास है, जिसका उद्देश्य जटिल अंतर्जलीय परिचालनों में अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना है।

- 2026 संस्करण में श्रीलंकाई डाइविंग टीमों के साथ आईएनएस निरीक्षक जो एक डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू पोत है, को तैनात किया गया। इसका मुख्य फोकस 'मिश्रित गैस डाइविंग ड्रिल' सहित उन्नत गहरे समुद्र में गोताखोरी पर था।
- गोताखोरों ने बंदरगाह और खुले समुद्र में गोताखोरी की और 55 मीटर से अधिक की गहराई तक गोता लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया।
- ये ऑपरेशन कोलंबो के तट पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय के मलबों, जैसे एसएस वर्सेस्टर (SS Worcester) और एसएस पर्सियस (SS Perseus) पर चलाए गए, जिससे अंतर्जलीय खोज, बचाव और साल्वेज क्षमताओं में वृद्धि हुई।

- इस अभ्यास में तट स्वच्छता, खेल और योग सत्र जैसी संयुक्त गतिविधियाँ भी शामिल थीं। साथ ही, 'आरोग्य मैत्री' पहल के तहत 'भीष्म (BHISHM) क्यूब्स' सौंपकर मानवीय सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

महत्व

- यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय, तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक तालमेल को बढ़ाता है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में गहरे समुद्र में बचाव और साल्वेज (Salvage) परिचालनों के संदर्भ में।
- यह मानवीय सहायता और आपदा तैयारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुद्री सहयोग, विश्वास और रक्षा कूटनीति को सुदृढ़ करता है।
- भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अनुरूप, IN–SLN DIVEX 2026 हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

9.3. ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स एलायंस ग्लोबल फोरम (BRICS Entrepreneurs Alliance Global Forum)

संदर्भ

डॉ. भास्कर ज्योति सोनोवाल को 2026-27 के कार्यकाल के लिए 'ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स एलायंस ग्लोबल फोरम' का अध्यक्ष चुना गया है। यह BRICS+ आर्थिक इकोसिस्टम में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है।

'ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स एलायंस (BEA) ग्लोबल फोरम' के बारे में

- यह एक वैश्विक मंच है जो सहयोग, विश्वास-आधारित साझेदारी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए BRICS+ देशों के उद्यमियों, नीति निर्माताओं और व्यावसायिक नेताओं को जोड़ता है।
- इसे औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2025 को ब्राजील के नेशनल कांग्रेस में 'पारंपरिक मूल्यों पर द्वितीय ब्रिक्स मंच' के दौरान सांसदों, व्यावसायिक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक संयुक्त घोषणा के माध्यम से लॉन्च किया गया था।
- पारंपरिक व्यावसायिक मंचों के विपरीत, BEA एक विश्वास-आधारित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जो पारदर्शिता, अखंडता और विश्वसनीयता पर बल देने वाली आचार संहिता द्वारा निर्देशित है।
- यह ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रमुख बाधा—विश्वसनीय सीमा-पार व्यापार नेटवर्क की कमी—को दूर करने का प्रयास करता है, जो अक्सर निवेश और सहयोग में बाधा उत्पन्न करती है।
- इसके प्रमुख कार्यों में विश्वसनीय भागीदारों की एक रजिस्ट्री बनाना, बाजार-प्रवेश सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और उद्यमियों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- BEA पारस्परिक सम्मान, सहयोग, अखंडता और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल मूल्यों द्वारा निर्देशित है, साथ ही यह दीर्घकालिक साझेदारी और साझा विकास को बढ़ावा देता है।

9.4. सचेत आपातकालीन चेतावनी प्रणाली (SACHET Emergency Alert System)

संदर्भ

भारत ने नागरिकों को त्वरित और भौगोलिक रूप से लक्षित (geo-targeted) आपदा चेतावनी प्रदान करने के लिए 'सचेत' (SACHET) पोर्टल के अंतर्गत एक स्वदेशी 'सेल ब्रॉडकास्ट' आधारित आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया।

SACHET (एकीकृत चेतावनी प्रणाली) के बारे में

- सचेत (जिसका अर्थ है "सावधान") एक एकीकृत चेतावनी प्रणाली है, जिसे नागरिकों को वास्तविक समय में आपदा और आपातकालीन चेतावनी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
- इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से दूरसंचार विभाग के अंतर्गत 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स' (C-DOT) द्वारा विकसित किया गया है।

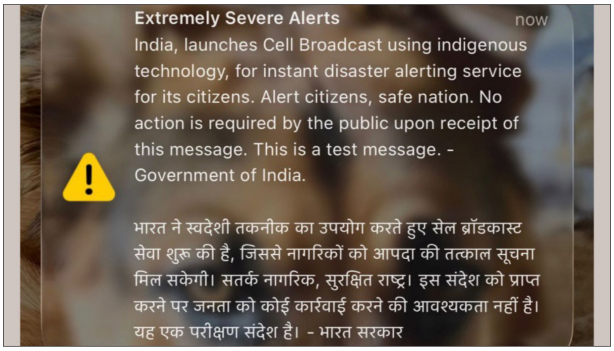

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - ✓ आपात स्थितियों (प्राकृतिक या मानव-जनित) के दौरान त्वरित प्रसार।
  - ✓ समावेशी पहुँच के लिए बहुभाषी चेतावनी।
  - ✓ इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी कार्य करने में सक्षम।
  - ✓ व्यापक विस्तार और विश्वसनीयता के लिए निर्मित।

- **प्रौद्योगिकीय पूर्वाग्रह:**
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा अनुशंसित 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल' (CAP) पर आधारित।
  - ✓ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट चेतावनी भेजने हेतु भौगोलिक रूप से लक्षित संचार का उपयोग।
- **कार्यप्रणाली:**
  - ✓ मोबाइल नेटवर्क टावरों के माध्यम से कार्य करती है (इंटरनेट की आवश्यकता नहीं)।
  - ✓ एक-तरफ़ा संचार प्रणाली, जो प्रभावित क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को सीधे चेतावनी पहुँचाती है।
  - ✓ चेतावनी स्थानीयकृत या राष्ट्रव्यापी हो सकती है।
- **सेल ब्रॉडकास्ट (CB) एकीकरण:**
  - ✓ SMS-आधारित चेतावनियों के पूरक के रूप में नवीन रूप से प्रस्तुत।
  - ✓ एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी उपकरणों पर एक साथ संदेश भेजता है।
  - ✓ निकट-वास्तविक समय में सूचना का वितरण सुनिश्चित करता है, जो भूकंप, सुनामी, वज्रपात (आकाशीय बिजली), गैस रिसाव और रासायनिक खतरों जैसी उच्च-प्रभाव वाली घटनाओं के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

9.5. थॉमस और उबेर कप 2026 (Thomas & Uber Cup 2026)

संदर्भ

थॉमस और उबेर कप विश्व बैडमिंटन की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं। ये क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों के लिए 'विश्व टीम चैंपियनशिप' के रूप में जानी जाती हैं।

थॉमस और उबेर कप 2026 के बारे में

- यह टूर्नामेंट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) द्वारा आयोजित और बैडमिंटन डेनमार्क द्वारा आयोजित थॉमस कप का 34वां संस्करण और उबेर कप का 31वां संस्करण था।
- सर जॉर्ज थॉमस और पुत्री उबेर के नाम पर रखे गए थॉमस कप (पुरुष) और उबेर कप (महिला), द्विवार्षिक टीम चैंपियनशिप हैं जो बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीमों का निर्धारण करती हैं।
- इस प्रतियोगिता में प्रत्येक श्रेणी में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसकी शुरुआत ग्रुप चरण (4 टीमों के 4 समूह) से हुई और उसके बाद नॉकआउट दौर आयोजित किए गए।
- अंतिम परिणामों में, चीन ने फ्रांस को 3-1 से हराकर थॉमस कप पर अपना कब्जा बरकरार रखा (अपना दबदबा जारी रखते हुए), जबकि दक्षिण कोरिया ने चीन को 3-1 से हराकर अपना तीसरा उबेर कप खिताब जीता।
- मेजबान के रूप में डेनमार्क और गत विजेता के रूप में चीन ने स्वचालित रूप से क्वालीफाई किया, जबकि शेष टीमों ने महाद्वीपीय चैंपियनशिप और विश्व रैंकिंग के माध्यम से क्वालीफाई किया।
- भारत ने थॉमस और उबेर कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन वह नॉकआउट चरण तक नहीं पहुँच सका।

9.6. प्रोजेक्ट दीपक (Project Deepak)

संदर्भ

सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट दीपक ने शिमला में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, जो पश्चिमी हिमालय में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के छह दशकों से अधिक के सफर को चिह्नित करता है।

प्रोजेक्ट दीपक के बारे में

- प्रोजेक्ट दीपक BRO की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसकी स्थापना मई 1961 में कर्नल एस. एन. पुंज के नेतृत्व में हुई थी और इसका मुख्यालय शिमला में स्थित है।
- प्रारंभ में इसे ऐतिहासिक हिंदुस्तान-तिब्बत रोड के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जो भारत की सबसे कठिन सड़क परियोजनाओं में से एक है। समय के साथ, चुनौतीपूर्ण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता गया।
- इस परियोजना की जिम्मेदारी का दायरा मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जिलों शिमला, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति तक है। पूर्व में इसका कार्यक्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक भी विस्तृत था।
- इसे 1,100 किलोमीटर से अधिक के महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क के रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें रक्षा रसद के लिए आवश्यक उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्र और सीमावर्ती सड़कें शामिल हैं।
- प्रोजेक्ट दीपक ने मनाली-लेह धुरी और ऋषिकेश-जोशीमठ-माणा सड़क जैसे रणनीतिक मार्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कारगिल युद्ध के दौरान, भारी सैन्य यातायात के बावजूद इसने मनाली-सरचू जैसे वैकल्पिक मार्गों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके महत्व को रेखांकित करता है।
- इस परियोजना ने अटल टनल जैसी ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा पहलों में भी योगदान दिया है। सुरंग के निर्माण का कार्य प्रारंभ में इसी के पर्यवेक्षण में शुरू किया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग परियोजना इकाई बनाई गई थी।
- "दीपक" नाम दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, विकास और आशा की किरण पहुँचाने के इसके मिशन का प्रतीक है।

9.7. भारत की पहली पोर्टेबल MRI प्रणाली (India's First Portable MRI System)

संदर्भ

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ने भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड MRI प्रणाली पेश की है, जो क्रिटिकल केयर डायग्नोस्टिक्स (गंभीर देखभाल निदान) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

MRI (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) के बारे में

- MRI एक गैर-आक्रामक इमेजिंग तकनीक है जो शरीर की आंतरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है।
- यह कोमल ऊतकों, जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और अंगों की इमेजिंग के लिए विशेष रूप से प्रभावी है।
- इसमें सीटी स्कैन या एक्स-रे के विपरीत आयनीकरण विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है।
- पारंपरिक MRI मशीनें विशाल और स्थिर होती हैं, जिनके लिए विशेष बुनियादी ढांचे और रोगी को लाने-ले जाने की आवश्यकता होती है।

पोर्टेबल MRI प्रणाली के बारे में

- यह एक अल्ट्रा-लो-फील्ड MRI उपकरण है जिसे सीधे रोगी के बिस्तर के किनारे तक ले जाया जा सकता है। इससे अलग MRI सूट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यह प्रणाली स्ट्रोक, दर्दनाक मस्तिष्क चोट और ऑपरेशन के बाद की निगरानी जैसी स्थितियों के लिए वास्तविक समय में मस्तिष्क की इमेजिंग करने में सक्षम बनाती है।
- इसमें AI-सहायता प्राप्त इमेज रिकंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है, जो स्कैन की दक्षता और नैदानिक सटीकता में सुधार करता है।
- इसे परिरक्षित कक्षों जैसे विशिष्ट बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है, जो इसे ICU और संसाधन-सीमित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाता है।

महत्व

- **बेहतर क्रिटिकल केयर:** अस्थिर रोगियों को इमेजिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के जोखिमों को समाप्त करके यह प्रणाली रोगी की सुरक्षा बढ़ाती है।
- **त्वरित निदान और उपचार:** यह स्ट्रोक और आघात जैसी न्यूरोलॉजिकल आपात स्थितियों में तेजी से नैदानिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जिससे उपचार के परिणामों में सुधार होता है।
- **स्वास्थ्य सेवा सुलभता:** इसका पोर्टेबल और कम बुनियादी ढांचे वाला डिजाइन उन्नत इमेजिंग तक पहुँच का विस्तार करता है और भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में AI और पॉइंट-ऑफ-केयर (point-of-care) प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को दर्शाता है।

9.8. पुलित्जर पुरस्कार (Pulitzer Prize)

संदर्भ

दो भारतीय पत्रकारों, आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा, ने डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी पर प्रकाश डालने वाले अपने कार्य के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है।

पुरस्कार के विजेताओं के कार्य के बारे में

- उन्होंने 'सचित्र रिपोर्टिंग और कमेंट्री' (Illustrated Reporting and Commentary) श्रेणी में यह पुरस्कार जीता, और 'ब्लूमबर्ग' की "trAPPed" नामक परियोजना के लिए पत्रकार नताली ओबिको पियर्सन के साथ इसे साझा किया।
- "trAPPed" ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित एक सचित्र खोजी परियोजना (illustrated investigative project) है, जो "डिजिटल अरेस्ट" घोटालों की घटना का अन्वेषण करती है, जिसमें पीड़ितों को डिजिटल माध्यमों से मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित और प्रताड़ित किया जाता है।
- यह परियोजना एक भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट के मामले का विवरण देती है, जिसे कथित तौर पर साइबर अपराधियों ने उसके फोन के माध्यम से लंबे समय तक डिजिटल दबाव बनाकर अपने जाल में फंसाया था।
- यह कार्य साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए खोजी रिपोर्टिंग को प्रभावशाली चित्रणों और दृश्यात्मक विवरणों के साथ जोड़ता है।
- पुलित्जर बोर्ड ने इस परियोजना को उभरते डिजिटल खतरों और ऑनलाइन घोटालों से उत्पन्न खतरों के एक प्रभावी वृत्तांत के रूप में वर्णित किया है।

पुलित्जर पुरस्कार के बारे में

- पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है।
- इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के माध्यम से की गई थी और इसका प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।
- यह पुरस्कार खोजी रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, कमेंट्री (टीका), फोटोग्राफी, फिक्शन (काल्पनिक साहित्य) और इतिहास जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करते हैं।

9.9. किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 (Kimberley Process Intersessional Meeting 2026)

संदर्भ

भारत ने अपनी अध्यक्षता में मुंबई में किम्बरली प्रोसेस (KP) इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें उत्तरदायित्वपूर्ण और संधारणीय वैश्विक हीरा व्यापार पर चर्चा की गई।

अन्य संबंधित जानकारी

- 11 से 14 मई, 2026 तक मुंबई में आयोजित होने वाली इस चार दिवसीय बैठक में KP सदस्य देशों, उद्योग निकायों और नागरिक समाज संगठनों ने भाग लिया।
- चर्चा का मुख्य केंद्र निगरानी और अनुपालन तंत्र, आर्टिसनल (शिल्पकार) और जलोढ़ हीरा उत्पादन, व्यापार सांख्यिकी और प्राकृतिक हीरा मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता को बढ़ाने पर रहा।

- 2026 के लिए भारत की अध्यक्षता का विषय (थीम) "3Cs" — **विश्वसनीयता** (Credibility), **अनुपालन** (Compliance), **और उपभोक्ता विश्वास** (Consumer Confidence) पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जिम्मेदारी से प्राप्त प्राकृतिक हीरों को बढ़ावा देना है।

किम्बरली प्रोसेस और भारत की भूमिका के बारे में

- किम्बरली प्रोसेस (KP) एक त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसमें शामिल हैं:
  - ✓ सरकारें
  - ✓ अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग
  - ✓ नागरिक समाज संगठन
- **उद्देश्य:** "कन्फ्लिक्ट डायमंड्स" (संघर्षरत हीरों) के व्यापार को रोकना। ये वे कच्चे हीरे होते हैं जिनका उपयोग विद्रोही समूहों द्वारा वैध सरकारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्षों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- भारत ने **1 जनवरी, 2026** को किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली।
  - ✓ भारत इससे पहले 2008 और 2019 में किम्बरली प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका है।
- दुनिया के अग्रणी हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्रों में से एक होने के नाते, भारत वैश्विक हीरा व्यापार में पारदर्शिता, स्थिरता और जिम्मेदार सोर्सिंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9.10. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2026 (World Press Freedom Index, 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *शासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के महत्त्वपूर्ण आयाम; महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ एवं मंच — उनकी संरचना एवं अधिदेश।*

संदर्भ

हाल ही में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (3 मई) के अवसर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जारी किया। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया की स्वायत्तता में आई गंभीर गिरावट को रेखांकित किया गया है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

- यह सूचकांक वर्ष **2002 से प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित** किया जाता है, जो विश्व के **180 देशों एवं क्षेत्रों में प्रेस स्वतंत्रता** की स्थिति का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है।
  - ✓ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय **पेरिस, फ्रांस** में स्थित है।
  - ✓ इसे संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक

संगठन तथा यूरोप परिषद में परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है।

- **मूल्यांकन के मानदंड:** प्रत्येक देश अथवा क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन **पाँच संदर्भात्मक संकेतकों** के आधार पर किया जाता है—
  - ✓ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
  - ✓ कानूनी ढाँचा
  - ✓ आर्थिक परिप्रेक्ष्य
  - ✓ सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य
  - ✓ पत्रकारों की सुरक्षा
- इस सूचकांक द्वारा देशों को **0 से 100 तक अंक** प्रदान किया जाता है, जहाँ 100 सर्वोत्तम स्थिति को दर्शाता है। इसके आधार पर देशों को **पाँच रंग-आधारित श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जाता है।

[85 - 100 अंक]	अच्छा (हरा)
[70 - 85 अंक]	संतोषजनक (पीला)
[55 - 70 अंक]	समस्याजनक (हल्का नारंगी)
[40 - 55 अंक]	कठिन (गहरा नारंगी)
[0 - 40 अंक]	बहुत गंभीर (गहरा लाल)

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2026 के सूचकांक में यह पाया गया कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 25 वर्षीय इतिहास में प्रेस स्वतंत्रता अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुँच गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र पत्रकारिता पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
- वर्ष 2002 में **सूचकांक की शुरुआत के बाद पहली बार विश्व के आधे से अधिक देशों और क्षेत्रों** को प्रेस स्वतंत्रता की "कठिन" अथवा "अत्यंत गंभीर" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रेस स्वतंत्रता के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त पाँच संकेतकों में से इस वर्ष **कानूनी संकेतक** में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मीडिया संगठनों की **आर्थिक अस्थिरता** को वैश्विक स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया।
- **नॉर्वे** ने लगातार **दसवें वर्ष सूचकांक में प्रथम स्थान** बनाए रखा, जबकि **इरिट्रिया लगातार तीसरे वर्ष अंतिम स्थान** पर रहा।
- **शीर्ष तीन देश:** नॉर्वे, नीदरलैंड तथा एस्टोनिया।
- **निम्नतम तीन देश:** इरिट्रिया, उत्तर कोरिया तथा चीन।

भारत की रैंकिंग एवं क्षेत्रीय तुलना

- भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में **180 देशों में 157वाँ स्थान** प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2025 की 151वीं रैंकिंग से छह स्थान नीचे है।
- भारत का कुल स्कोर 100 में से **31.96** रहा, जिसके आधार पर इसे प्रेस स्वतंत्रता की **"अत्यंत गंभीर"** श्रेणी में रखा गया।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत में मीडिया स्वामित्व के केंद्रीकरण, कानूनी दबाव तथा पत्रकारों के ऑनलाइन उत्पीड़न को प्रमुख चिंताओं के रूप में रेखांकित किया।
- भारत के पड़ोसी देशों में **नेपाल 87वें, मालदीव 108वें, श्रीलंका 134वें, भूटान 150वें, बांग्लादेश 152वें तथा पाकिस्तान 153वें स्थान** पर रहे, जबकि भारत इन देशों से नीचे रहा।
- हालाँकि, भारत की स्थिति म्यांमार (166वाँ), अफगानिस्तान (175वाँ) तथा चीन (178वाँ) से बेहतर रही।

	इंडेक्स 2026		इंडेक्स 2025	
रैंक	157 / 180		▼ 151 / 180	
स्कोर	31.96		32.96	
राजनीतिक संकेतक	160	21.16	155	24.30
आर्थिक संकेतक	144	32.63	132	34.17
कानूनी संकेतक	141	39.59	141	42.64
सामाजिक संकेतक	157	33.65	160	32.38
सुरक्षा संकेतक	158	32.77	155	31.30

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष **3 मई** को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना, पत्रकारों के योगदान एवं बलिदान का सम्मान करना तथा सरकारों को मीडिया की स्वायत्तता बनाए रखने हेतु प्रेरित करना है।
- इसे वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की 1991 की सिफारिश तथा **विंडहोक घोषणा** के आधार पर स्थापित किया गया था।
- **वर्ष 2026 की थीम: "मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा हेतु प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हुए शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण"।**

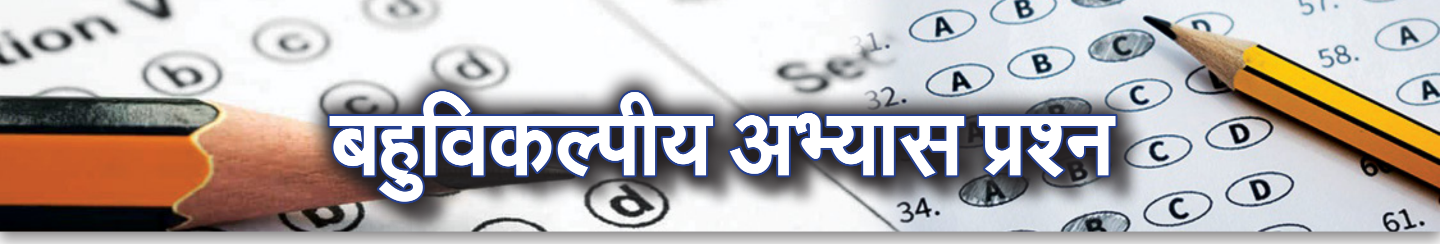

बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न

Q 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **कथन I:** प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा दुनिया की शीर्ष 100 आक्रामक प्रजातियों में सूचीबद्ध है और इसे 1920 के दशक में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को हरा-भरा करने के लिए भारत में लाया गया था।
2. **कथन II:** प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु में पनपता है, जो लगभग 40-45°C के उच्च तापमान और 150-750 मिमी की वार्षिक वर्षा में बढ़ता है।
3. **कथन III:** इसकी लकड़ी की बायोमास और चीनी से भरपूर फली इसे हरे मेथनॉल जैसे जैव ईंधन उत्पादन के लिए मूल्यवान बनाती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक सही है, और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

Q 2. वाहनों में उच्च इथेनॉल मिश्रण की दिशा में भारत के कदम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में किए गए मसौदा संशोधनों द्वारा वाहन उत्सर्जन और प्रकार-अनुमोदन (टाइप-अप्रूवल) मानकों के अंतर्गत E85 तथा E100 ईंधनों को आधिकारिक तौर पर पेश किया गया है।
2. पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) 2013 में शुरू किया गया था।
3. भारत ने जून 2022 में निर्धारित समय से पहले पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल कर लिया।
4. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 3. जीवाश्म ईंधन से संक्रमण पर पहले सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सम्मेलन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था।
2. जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FFNPT) को सम्मेलन में औपचारिक रूप से अपनाया गया था।
3. जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण पर एक अनुवर्ती सम्मेलन 2027 के लिए निर्धारित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Q 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) वाहनों को बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने में सक्षम बनाता है, और FASTag और ANPR को VAHAN डेटाबेस के साथ एकीकृत करके वाहनों के चलते रहने के दौरान टोल एकत्र किए जाते हैं।
2. MLFF के तहत, अमान्य FASTag या भुगतान न करने जैसे उल्लंघनों के परिणामस्वरूप बिना किसी पूर्व सूचना या अनुग्रह अवधि के तुरंत जुर्माना लगाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 5. व्हीकल-टू-एवरीथिंग (V2X) संचार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. V2X वाहनों को वास्तविक समय में बुनियादी ढांचे, पैदल चलने वालों और नेटवर्क के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है।
2. 5.9 GHz स्पेक्ट्रम बैंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर V2X संचार के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया है।
3. समर्पित लघु-श्रेणी संचार (DSRC) को 5G नेटवर्क के साथ इसकी अनुकूलता के कारण सेलुलर V2X (C-V2X) पर तेजी से पसंद किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 6. महानदी नदी विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ओडिशा, एक डाउनस्ट्रीम राज्य होने के नाते, छत्तीसगढ़ में अपस्ट्रीम परियोजनाओं के कारण पानी के प्रवाह में कमी पर चिंता जताई है।
2. महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2018 में नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 7. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 और भारत के विदेशी नागरिक (OCI) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नियम एक पूरी तरह से डिजिटल OCI प्रणाली पेश करते हैं जहां सभी आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखे जाएंगे।
2. सरकार केवल भौतिक OCI कार्ड रद्द कर सकती है, जबकि ई-OCI पंजीकरण रद्द नहीं किए जा सकते।
3. भारत के विदेशी नागरिक (OCI) योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था ताकि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को लंबी अवधि की आप्रवासन स्थिति प्रदान की जा सके, जबकि दोहरी नागरिकता के खिलाफ भारत की स्थिति को बनाए रखा जा सके।
4. संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता के स्वैच्छिक अधिग्रहण के परिणामस्वरूप भारतीय नागरिकता का नुकसान होता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 8. भारत में FDI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में 10% से कम का कोई भी विदेशी निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
2. भारत में समेकित FDI नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 9. वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा (अप्रैल 2026) में दर्शाये गए भारत में राजस्व घाटे वाले राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 18 प्रमुख राज्यों में से नौ के 2026-27 में राजस्व घाटे में रहने का अनुमान है।
2. पंजाब उन राज्यों में से है जहां उसकी राजस्व प्राप्तियों का 20% से अधिक ब्याज भुगतान की ओर जाता है।
3. इनमें से कई राज्यों में राजस्व घाटा उनके संबंधित GSDP के 2% से अधिक है, जो संरचनात्मक राजकोषीय असंतुलन का संकेत देता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 10. लिपुलेख दर्रे पर भारत-नेपाल विवाद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विवाद सुगौली की संधि से जुड़ा है, जिसने काली नदी के साथ सीमा को परिभाषित किया था, और मुख्य मुद्दा काली नदी का अनिश्चित उद्गम स्थल है।
2. भारत ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर लिपुलेख पर नेपाल के क्षेत्रीय दावों को उचित मानता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 11. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है और लगभग 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए स्क्रीनिंग करता है।
2. RBSK के तहत स्क्रीनिंग केवल सरकारी अस्पतालों और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (DEICs) में आयोजित की जाती है।
3. वित्त वर्ष 2014-15 से, कार्यक्रम के तहत लगभग 5.63 करोड़ बच्चों को माध्यमिक या तृतीयक देखभाल उपचार प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 12. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अग्रिम नकदी और एक संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित सुरक्षा रसीदों के संयोजन के माध्यम से बैंकों से तनावग्रस्त संपत्तियों का अधिग्रहण करता है।
2. यह समाधान प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान को स्वतंत्र रूप से करता है।
3. यह बैंक बैलेंस शीट में सुधार और नए ऋण वृद्धि को सक्षम करने के लिए बड़े मूल्य की गैर-निष्पादित संपत्तियों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

Q 13. गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलें किसानों को गन्ने के लिए कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।
2. FRP का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से सीधे किसानों को किया जाता है।
3. FRP गन्ने से चीनी की रिकवरी दर से जुड़ा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

Q 14. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की संख्या के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को अनुच्छेद 368 के तहत केवल एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 को न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कई बार संशोधित किया गया है।
3. हालिया प्रस्ताव में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या को 38 तक बढ़ाने की मांग की गई है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 15. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत हाल ही में अनुमोदित सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड (CML) धोलेरा, गुजरात में गैलियम नाइट्राइड (GaN) तकनीक पर आधारित भारत की पहली वाणिज्यिक मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा।
2. सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड (SSPL) परियोजना उन्नत 3 एनएम और 2 एनएम चिप्स के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पर केंद्रित है।
3. ISM पात्र सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परियोजनाओं के लिए 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 16. कपास उत्पादकता मिशन (2026-27 से 2030-31) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मिशन का लक्ष्य 2031 तक 498 लाख गांठ कपास उत्पादन प्राप्त करना है।
2. मिशन केवल वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
3. मिशन का लक्ष्य कपास में कचरे की मात्रा को 5% से कम करना है।
4. मिशन सन, रेमी, सिसल, बांस और केले जैसे वैकल्पिक प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 17. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना सरकार की गारंटी कवरेज द्वारा समर्थित संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
2. ECLGS 5.0 के तहत, एयरलाइंस सहित सभी पात्र उधारकर्ताओं को सरकार से 100% गारंटी कवरेज प्राप्त होता है।
3. यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

Q 18. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. RRBs की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण की उपलब्धता में सुधार के लिए की गई थी।
2. RRBs का संयुक्त स्वामित्व केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और एक प्रायोजक बैंक के पास होता है।
3. RRBs को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने से छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

Q 19. विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मध्य-2024 तक लगभग 304 मिलियन लोग अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे थे, जो वैश्विक जनसंख्या का 3.7% था।
2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात गलियारा विश्व का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा बन गया।
3. आपदा से संबंधित आंतरिक विस्थापन 2024 में रिकॉर्ड 45.8 मिलियन तक पहुंच गया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 20. निम्नलिखित में से कौन सा देश वियतनाम के साथ स्थल सीमा साझा करता है?

1. चीन
2. लाओस
3. कंबोडिया
4. थाईलैंड

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 21. केयर इकोनॉमी पर EAC-PM के वर्किंग पेपर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पेपर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का समर्थन करने के लिए एक परिणाम-आधारित वित्तपोषण तंत्र के रूप में "परिवार सेवा कोष" के निर्माण का प्रस्ताव करता है।
2. पेपर शहरी नियोजन ढांचे के भीतर आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में देखभाल के बुनियादी ढांचे को पहचानने की सिफारिश करता है।
3. पेपर राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति में संशोधन के माध्यम से सभी अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य को प्रत्यक्ष जीडीपी गणना के तहत लाने का प्रस्ताव करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **कथन-I:** 2024 में भारत में संज्ञेय अपराधों में समग्र गिरावट के बावजूद, साइबर अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
2. **कथन-II:** 2024 में धोखाधड़ी साइबर अपराधों के पीछे प्रमुख कारण था, जो कुल साइबर अपराध मामलों का 70% से अधिक था।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है
(b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या नहीं है
(c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
(d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

Q 23. वंदे मातरम के इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सूची I (वर्ष)		**सूची II (घटना)**
1. 1870 का दशक	–	बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम की रचना
2. 1882	–	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति
3. 1905	–	बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक प्रमुख नारे के रूप में उभरा
4. 1937	–	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सभाओं में आधिकारिक तौर पर गीत के केवल पहले दो छंदों (स्टेंजा) का उपयोग करने का निर्णय लिया

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 24. MGNREGS और VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MGNREGS प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों तक के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जबकि VB-G RAM G अधिनियम, 2025 प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
2. VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार सृजन को बुनियादी ढांचा विकास और जलवायु लचीलापन कार्यों के साथ एकीकृत करता है।
3. VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत, कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्रीय योजना से केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण के साथ एक केंद्र प्रायोजित मॉडल में बदल जाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 25. जन सुरक्षा योजनाओं की निम्नलिखित विशेषताओं को सही योजना के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I (विशेषता)	सूची II (योजना)
A. ऑटो-डेबिट के माध्यम से ₹20 प्रति वर्ष का प्रीमियम	1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
B. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹1,000–₹5,000 की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन	2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
C. 30 दिनों की लियन अवधि के साथ, किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु पर ₹2 लाख का देय बीमा कवर	3. अटल पेंशन योजना (APY)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) A-2, B-3, C-1 (b) A-1, B-2, C-3
(c) A-2, B-1, C-3 (d) A-3, B-2, C-1

Q 26. नीति आयोग की रिपोर्ट "भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन के लिए अस्थायी विश्लेषण और नीति रोडमैप" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में खंडित स्कूली शिक्षा संरचनाओं और शिक्षा में निरंतरता की कमी को एक प्रमुख प्रणालीगत चुनौती के रूप में पहचानती है।
2. रिपोर्ट मूलभूत सीखने के परिणामों को मजबूत करने के लिए योग्यता-आधारित शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन सुधारों की सिफारिश करती है।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे और डिजिटल पहुंच में सुधार के कारण पिछले दो दशकों में सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार बढ़ा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

Q 27. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के घटकों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सूची I (घटक)	सूची II (प्राथमिक उद्देश्य/फोकस)
1. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली
2. प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)	सूक्ष्म सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना
3. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM)	कृषि में कार्बन व्यापार (कार्बन ट्रेडिंग)
4. कृषि-वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)	फसलों और पशुधन के साथ पेड़ों का एकीकरण

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चारों

Q 28. PM MITRA योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PM MITRA का अर्थ प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम है।
2. PM MITRA पार्क राज्य सरकारों की भागीदारी के बिना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।
3. यह योजना सरकार के 5F विजन - "फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन" को क्रियान्वित करती है।
4. इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय 2027-28 तक ₹4,445 करोड़ है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 29. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MIRV तकनीक एक बैलिस्टिक मिसाइल को स्वतंत्र रूप से विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ कई वारहेड तैनात करने में सक्षम बनाती है।
2. MIRV प्रणालियों में, पोस्ट-बूस्ट वाहन विभिन्न प्रक्षेपवक्रों के साथ क्रमिक रूप से री-एंट्री वाहन जारी करता है।
3. MIRV-सुसज्जित मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) प्रणालियों के खिलाफ कम प्रभावी माना जाता है क्योंकि वारहेड वायुमंडलीय पुनः प्रवेश से पहले अलग हो जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q 30. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सूची I	सूची II
1. नॉर्वे	लगातार दसवीं बार पहले स्थान पर रहा
2. इरिट्रिया	सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहने वाला देश
3. भारत	"कठिन" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत
4. नेपाल	श्रीलंका और बांग्लादेश की तुलना में उच्च स्थान पर

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

Q 31. अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. AMOC मुख्य रूप से समुद्र के तापमान, लवणता और समुद्री जल घनत्व में अंतर से संचालित होता है।
2. गल्फ स्ट्रीम AMOC प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है।
3. AMOC के कमजोर होने से उत्तरी अटलांटिक में गर्म नमकीन पानी का उत्तर की ओर परिवहन मजबूत होने की उम्मीद है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Q 32. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 1998 के सफल पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों की याद में 11 मई को मनाया जाता है।
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का विषय "समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार" है।
3. पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण "ऑपरेशन शक्ति" कोड नाम के तहत किए गए थे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q 33. विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से 125 दिनों तक की वैधानिक ग्रामीण रोजगार गारंटी को बढ़ाता है।
2. लंबित ई-केवाईसी सत्यापन MGNREGA से संक्रमण के दौरान रोजगार से इनकार कर सकता है।
3. अधिनियम के तहत सभी कार्य ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPPs) से उत्पन्न होने चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q 34. सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सोमनाथ को भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है।
2. पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में किया था।
3. वर्तमान सोमनाथ मंदिर नागर शैली की मंदिर वास्तुकला में बनाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Q 35. निम्नलिखित में से किस सुधार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में तनावग्रस्त संपत्तियों की वसूली और समाधान में सबसे प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया?

(a) बेसल III मानदंड
(b) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा
(c) दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016
(d) मिशन इंद्रधनुष

Q 36. भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्तीय सेवा विभाग ने वित्त मंत्रालय के तहत USD 1.5 बिलियन की कुल क्षमता के साथ BMIP लॉन्च किया है।
2. USD 100 मिलियन से अधिक के दावों का पूरा भुगतान सदस्य बीमाकर्ताओं द्वारा बिना किसी संप्रभु गारंटी समर्थन के किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1　　(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों　　(d) न तो 1 और न ही 2

Q 37. लेबर कोड्स रूल्स, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

श्रम संहिता (लेबर कोड)	प्रावधान
1. वेतन संहिता, 2019	राज्य, केंद्र द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकते
2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है
3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	500 तक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को छंटनी और तालाबंदी/ले-ऑफ के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (OSH) संहिता, 2020	महिलाओं को केवल लिखित सहमति के साथ ही शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने की अनुमति है

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक　　(b) केवल दो
(c) केवल तीन　　(d) सभी चार

Q 38. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनवरी 2025 से, PLFS पद्धति को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक और त्रैमासिक अनुमान प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है।
2. दिसंबर 2024 तक जारी त्रैमासिक बुलेटिनों ने केवल शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार संकेतक प्रदान किए।
3. नीति आयोग के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) PLFS आयोजित करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2　　(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1　　(d) 1, 2 और 3

Q 39. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MSP फसल कटाई के मौसम के बाद घोषित किया जाता है ताकि किसानों को कटाई के बाद कीमतों में गिरावट से बचाया जा सके।
2. A2+FL विधि के तहत, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य उत्पादन की लागत में शामिल होता है।
3. बिना छिलके वाले नारियल का MSP खोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है।
4. राज्य गन्ने के लिए राज्य सलाहकार मूल्य (SAP) की घोषणा कर सकते हैं, जो आमतौर पर केंद्र द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं?

(a) केवल एक　　(b) केवल दो
(c) केवल तीन　　(d) सभी चार

Q 40. हाल ही में अनुमोदित सतह कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस चिंता को दूर करने का लक्ष्य रखती है?

1. LNG, मेथनॉल, अमोनिया और कोकिंग कोयले के आयात पर अत्यधिक निर्भरता
2. मूल्य वर्धित औद्योगिक क्षेत्रों में भारत के घरेलू कोयला भंडार का सीमित उपयोग
3. रसायन और उर्वरक उद्योगों के लिए फीडस्टॉक के विविधीकरण की आवश्यकता

4. भारत के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की घटती हिस्सेदारी

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 41. LEADS रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. LEADS 2025 में उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में "अनुकरणीय" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
2. LEADS 2025 ने पहले की तीन-स्तरीय प्रणाली की जगह एक चार-स्तरीय वर्गीकरण ढांचा पेश किया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 42. चुनावी सूचियों के विशेष गहन परीक्षण (SIR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में चुनावी सूचियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत तैयार की जाती हैं।
2. मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत, भारत के चुनाव आयोग द्वारा केवल चुनावी सूचियों का सारांश संशोधन ही अनुमत है।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) भारत के चुनाव आयोग को चुनावी सूचियों के विशेष संशोधन का आदेश देने का अधिकार देती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

Q 43. ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) और संयुक्त राष्ट्र वन मंच (UNFF) के सचिवालय द्वारा तैयार की गई थी।
2. 2023 में सतत वन प्रबंधन (SFM) के लिए वैश्विक वित्तपोषण 2030 के वन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुमानित वार्षिक वित्तपोषण आवश्यकता से अधिक था।
3. रिपोर्ट वन-निर्भर लोगों के बीच अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन को उन लक्ष्यों में से एक के रूप में पहचानती है जो वर्तमान में अपने पथ से विचलित हो गए हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 44. थूथुकुडी में प्रस्तावित मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह परियोजना भारत-गणराज्य कोरिया समुद्री सहयोग ढांचे "वॉयज" के तहत विकसित की जा रही है।
2. प्रस्तावित शिपयार्ड से समुद्री अमृत काल विजन 2047 के 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज (GT) वार्षिक जहाज निर्माण उत्पादन के लक्ष्य में योगदान करने की उम्मीद है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Q 45. एमएसएमई (MSMEs) के लिए 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी संशोधित वर्गीकरण मानदंडों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

उद्यम की श्रेणी	वर्गीकरण मानदंड
1. सूक्ष्म उद्यम	₹2.5 करोड़ तक का निवेश और ₹10 करोड़ तक का टर्नओवर
2. लघु उद्यम	₹25 करोड़ तक का निवेश और ₹100 करोड़ तक का टर्नओवर
3. मध्यम उद्यम	₹125 करोड़ तक का निवेश और ₹500 करोड़ तक का टर्नओवर

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 46. शहरी शासन में पैरास्टेटल एजेंसियां मुख्य रूप से संदर्भित करती हैं:

(a) शहरी सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनियां
(b) निर्वाचित नगरपालिका नियंत्रण के बाहर सार्वजनिक कार्य करने वाले राज्य-नियंत्रित निकाय
(c) शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन
(d) शहरी विकास को वित्तपोषित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां

Q 47. निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहल 2030 तक 30% भूमि और महासागरों की रक्षा का लक्ष्य निर्धारित करती है?

(a) जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD)

(b) कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा

(c) CITES

(d) पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक

Q 48. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस रद्द करने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, जिससे बैंक को बैंकिंग गतिविधियां करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
2. भुगतान बैंकों को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने और क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है।
3. भुगतान बैंक प्रति ग्राहक ₹2 लाख तक जमा स्वीकार कर सकते हैं और जमा का 75% SLR प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 49. हाल ही में खोजे गए चंद्र खनिज सीरियम-मैग्नीशियम चेंजसाइट (मैग्नेसियोचेंजसाइट-(Ce)) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह चीन में पाए गए पाकेपाके 005 नामक एक चंद्र उल्कापिंड में खोजा गया था।
2. इसे अंतर्राष्ट्रीय खनिज संघ (IMA) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. यह मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमीनियम सिलिकेट से बना है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 50. हिंदू कुश हिमालय (HKH) स्नो अपडेट 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रिपोर्ट बर्फ की दृढ़ता को बर्फबारी के बाद बर्फ के जमीन पर रहने वाले समय के अंश के रूप में परिभाषित करती है।
2. HKH क्षेत्र में वार्षिक नदी अपवाह का लगभग 50% बर्फ पिघलने से होता है।
3. 2025-26 की सर्दियों के दौरान बर्फ की दृढ़ता दो दशकों में सबसे कम थी।
4. HKH क्षेत्र के सभी प्रमुख नदी घाटियों में औसत से ऊपर बर्फ की दृढ़ता दर्ज की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तरमाला

1.	b	6.	a	11.	b	16.	b	21.	b	26.	a	31.	a	36.	a	41.	c	46.	b
2.	b	7.	a	12.	a	17.	a	22.	b	27.	c	32.	c	37.	c	42.	a	47.	b
3.	c	8.	a	13.	a	18.	a	23.	c	28.	a	33.	a	38.	a	43.	a	48.	b
4.	a	9.	d	14.	b	19.	b	24.	d	29.	a	34.	a	39.	a	44.	c	49.	a
5.	a	10.	a	15.	b	20.	b	25.	a	30.	c	35.	c	40.	a	45.	d	50.	a

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

UPSC
Optional Batches

K.Shivesh Sir
History

इतिहास
- प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का सिलेबस आधारित कवरेज
- इतिहासलेखन, विचारधाराएँ और समकालीन व्याख्याएँ

Sachin Arora Sir
Geography

भूगोल
- भौतिक, मानव और आर्थिक भूगोल का संतुलित कवरेज
- डायग्राम आधारित उत्तर, मानचित्र कार्य और केस स्टडी आधारित दृष्टिकोण

Dhrub Singh Sir
Maths

गणित
- सिलेबस आधारित सिद्धांत + समस्या समाधान दृष्टिकोण
- चरणबद्ध समाधान और प्रस्तुति कौशल

Sanjay Thakur Sir
PSIR

PSIR
- राजनीतिक सिद्धांतों, भारतीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का समेकन
- वैचारिक स्पष्टता और व्यावहारिक अनुप्रयोग

Vivek Bhardvaj Sir
Sociology

समाजशास्त्र
- शास्त्रीय एवं आधुनिक समाजशास्त्रीय चिंतकों का गहन अध्ययन
- भारतीय समाज में सिद्धांतों का अनुप्रयोग

Gautam Sir
Public Admin.

लोक प्रशासन
- प्रशासनिक सिद्धांतों और भारतीय प्रशासन का समेकन
- चिंतक + केस स्टडी + समकालीन शासन व्यवस्था

Sujeet Sir
इतिहास

इतिहास
- प्राचीन-मध्यकालीन-आधुनिक इतिहास का सिलेबस-मैप्ड कवरेज
- Historiography, विचारधाराएँ एवं समकालीन व्याख्याएँ

Dr. Ajay Anurag Sir
हिंदी साहित्य

हिंदी साहित्य
- आदिकाल से आधुनिक काल तक साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण
- प्रमुख कवि-लेखकों, कृतियों एवं साहित्यिक आंदोलनों का समग्र अध्ययन

Admissions Open

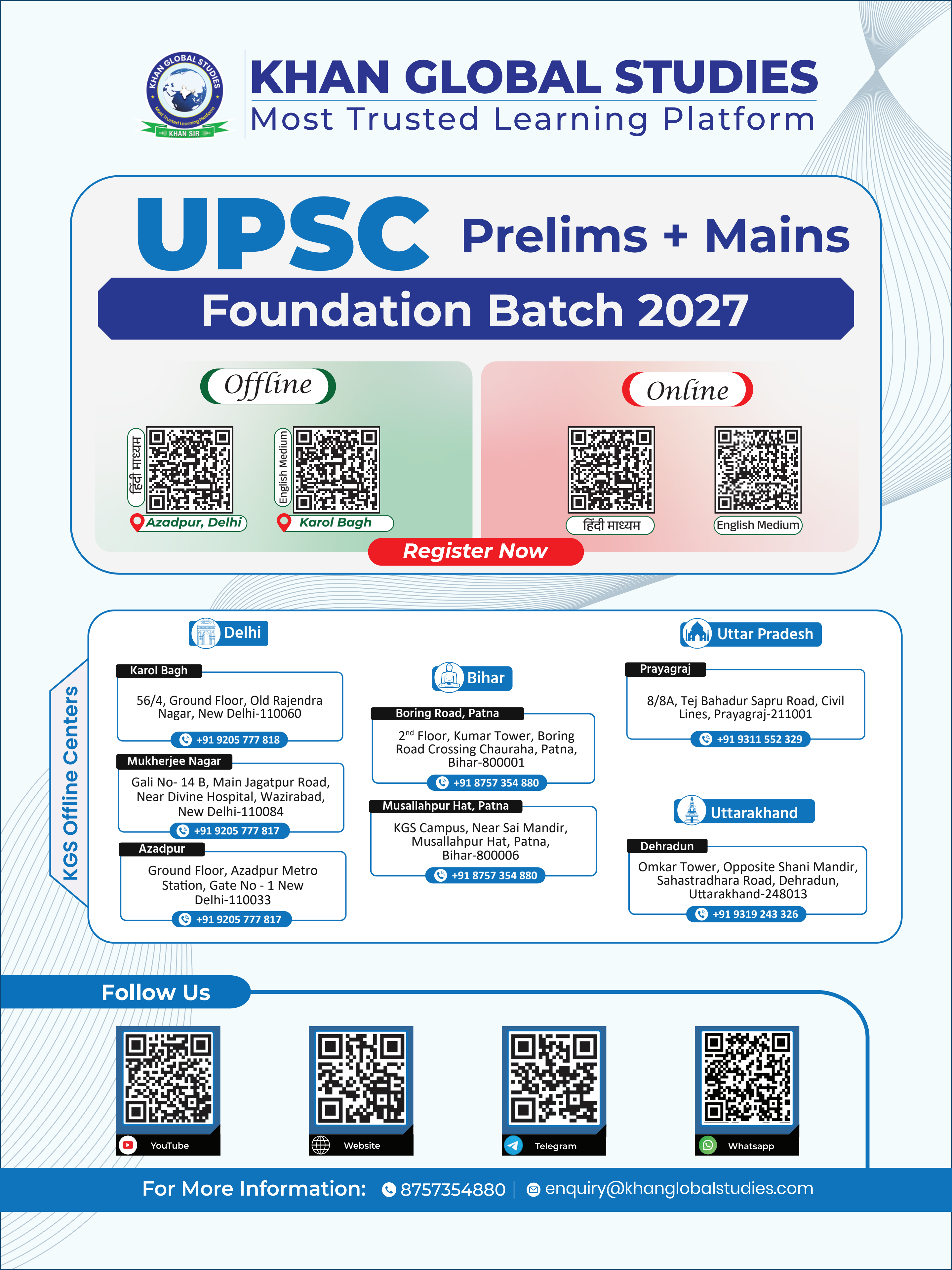
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
UPSC Prelims + Mains
Foundation Batch 2027
Offline
हिंदी माध्यम
Azadpur, Delhi
English Medium
Karol Bagh
Online
हिंदी माध्यम
English Medium
Register Now
KGS Offline Centers
Delhi
Karol Bagh
56/4, Ground Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi-110060
+91 9205 777 818
Mukherjee Nagar
Gali No- 14 B, Main Jagatpur Road, Near Divine Hospital, Wazirabad, New Delhi-110084
+91 9205 777 817
Azadpur
Ground Floor, Azadpur Metro Station, Gate No - 1 New Delhi-110033
+91 9205 777 817
Bihar
Boring Road, Patna
2nd Floor, Kumar Tower, Boring Road Crossing Chauraha, Patna, Bihar-800001
+91 8757 354 880
Musallahpur Hat, Patna
KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hat, Patna, Bihar-800006
+91 8757 354 880
Uttar Pradesh
Prayagraj
8/8A, Tej Bahadur Sapru Road, Civil Lines, Prayagraj-211001
+91 9311 552 329
Uttarakhand
Dehradun
Omkar Tower, Opposite Shani Mandir, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand-248013
+91 9319 243 326
Follow Us
YouTube
Website
Telegram
Whatsapp
For More Information: 8757354880 | enquiry@khanglobalstudies.com